LAXMI®

PAPER-IV & V

Exam Notes

सामाजिक विज्ञान का शिक्षण-शास्त्र

(PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE)

B.Ed.-1st Year

(Group-D, Opt-ii)

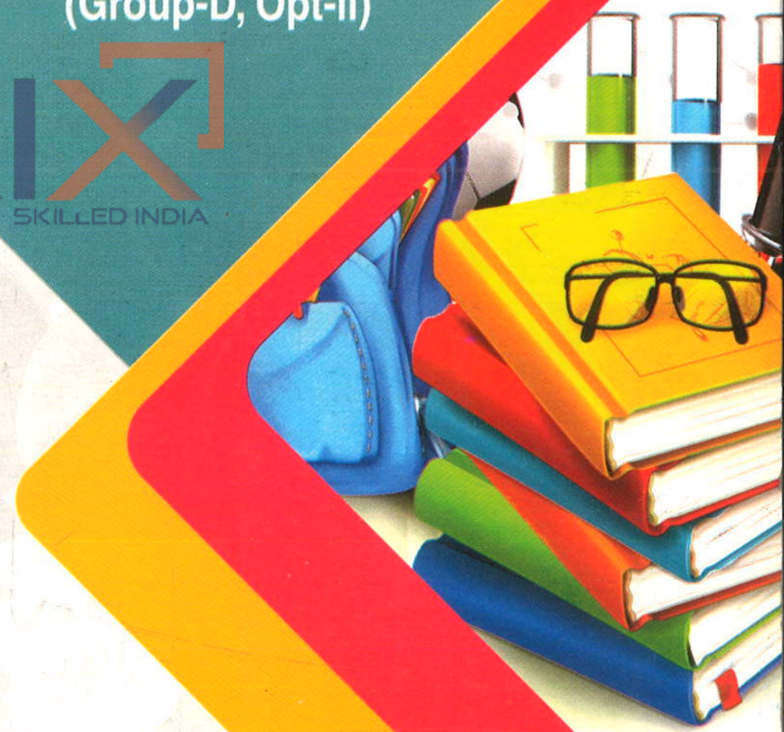

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

Ch. Ranbir Singh University, Jind,
Maharshi Dayanand University, Rohtak,
Indira Gandhi University, Meerpur,
Guru Jambheshwar University, Hissar

According to the New Syllabus Maharshi Dayanand University, Rohtak; Ch. Bansi Lal University, Bhiwani; Ch. Ranbir Singh University, Jind; Indira Gandhi University, Meerpur and Guru Jambheshwar University, Hissar

L A X M I ®

Exam Notes

सामाजिक विज्ञान का शिक्षण-शास्त्र

(PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE)

-: For :-

B.Ed. Ist Year

Paper-IV & V

[Group-D Opt.-ii]

-: By :-

जतिन्द्र कुमार 'अटेला'

[M.A., M.Phil., B.Ed., STET, HTET NET]

TM

Ph.: 07206043575

LAXMI BOOK DEPOT HANSI GATE BHIWANI LBD

LAXMI BOOK DEPOT

(PUBLISHERS OF QUALITY LAXMI BOOKS)

HANSI GATE, BHIWANI (HARYANA)

New Edition

Price : Rs. 150/-

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

Publisher :	Sales Executive :	Sales Executive :	Sales Executive :
LAXMI BOOK DEPOT Hansi Gate, Bhiwani, Haryana Ph. : 08295643575 07206043575	**Haryana Educational Store** Model Town, Rohtak, Haryana Ph. : 01262-282142 (S), 09812221923	**Brij Lal & Sons** Railway Road, Rohtak, Haryana Ph. : 09355911047 09355911077	**Kala Mandir** 1687, Nai Sarak, Delhi-110006 Ph. : 011-43068496 09999369804 09999369805

© All rights reserved with the Publishers.
™ : Regd. Trade Mark No. 832158, 831949

New Edition

"This book is meant for educational and learning purposes. The author(s) of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the event the author(s) has/have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action..."

Every effort has been made to avoid errors or omissions in this publication. In spite of this, some errors might have crept in. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to our notice which shall be taken care of in the next edition. It is notified that neither the Publisher nor the authors or seller will be responsible for any damage or loss of action to any one, of any kind, in any manner, therefrom.

© Laxmi Book Depot

No part of this book may be reproduced or copied in any form or by any means [graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information retrieval system] or reproduced on any disc, type perforated media or other information storage device, etc., without the written permission of the publishers. Breach of this condition is liable for legal action.

Laser Typesetting by :
Mishra Computers
Delhi.

Printed by :
Novelty Printers
Delhi.

SYLLABUS

Pedagogy of Social Science

B.Ed.

COURSE-IV & V (GROUP D) OPT. (II)

Time : 3 Hours Max. Marks : 100 (Theory-80, Internal-20)

NOTE FOR PAPER SETTERS :

(i) *Paper setter will set 9 questions in all, out of which students will be required to attempt 5 questions.*

(ii) *Q. No. 1 will be compulsory and will carry 16 marks. There will be 4 short-answer type questions of 4 marks each to be selected from the entire syllabus.*

(iii) *Two long answer type questions will be set from each of the four units, out of which the students will be required to attempt one question from each unit. Long-answer type questions will carry 16 marks each.*

(iv) *All questions will carry equal marks.*

OBJECTIVES

After completion of the course, student teachers will be able to :

- initiate pupil-teacher to various concepts and technology of teaching of Social Studies for promotion of National and International Peace and Understanding
- have an overview and integrate the knowledge drawn from various sources-History, Geography, Civics, Sociology and Economics
- acquire knowledge and develop understanding about the various pedagogical principles involved in teaching of Social Studies
- understand the principles of curriculum development, its transaction and evaluation
- explain use of teaching aids effectively in the class-room
- develop lesson plan with the help of advanced technology and explain challenging situations in the society

COURSE CONTENT

UNIT-I

Foundation and Context of Social Sciences

- Meaning, Nature and Scope of Social Sciences as a school subject
- Aims and Objectives of teaching Social Sciences at School level
- Taxonomy and behavioural Objectives in Social Sciences
- Values of Teaching Social Sciences
- Correlation of Social Sciences with History, Economics, Civics, Geography, Sociology, Mathematics, Natural Science and Psychology

UNIT-II

Pedagogy & Lesson Planning

- Meaning, importance and Steps of Pedagogical Analysis

- Pedagogical Analysis on the following topics:
  - Constitution of India
  - Size, Location and Physical features of India
  - French Revolution
  - Population
  - Democracy in the contemporary world
  - Disaster Management
- Lesson planning in Social Sciences: Need & Importance, Basic Elements & its Preparation

UNIT-III

Curriculum, Teaching learning Material and Skills of Teaching Social Sciences

- Meaning, Importance and Principles of designing a good Curriculum of Social Sciences; Critical Appraisal of the Existing Curriculum in Social Sciences, Suggestions for improvement; Approaches of organizing social sciences curriculum logical, concentric, spiral, chronological.
- Teaching Learning Material: Textbook & Reference Books, Documentaries, News Papers, Maps, Community, Atlas, and E-resources (Blog, World Wide Web, and Social Networking)
- Skills of teaching Social Studies: Skill of Explaining, Skill of Illustration with Examples, Skill of Reinforcement, Skill of Questioning and Skill of Stimulus Variation

UNIT-IV

Classroom Processes and Evaluation in Social Sciences

- Classroom Processes: Discovery method, Discussion method, Computer Assisted Instruction (CAI) Educational broadcasting and telecasting, e-tutoring, Survey Method, Field Visits, Concept Mapping and Story Telling.
- Meaning, Importance and Types of Evaluation in Social Sciences.
- Continuous and Comprehensive Evaluation: Meaning, importance & Process.
- New approaches to Assessment – Question bank, Open Book Examination, Grading & Credit System
- Construction of Achievement Test – Concept and Steps

Tasks & Assignments : **(10 marks)**

Any one of the following :

- Understanding a slum in terms of its economics, subsistence, politics and historic memories.
- Study the transport needs of a community by analyzing different kinds of vehicles people own in relation with gender and socio-economic standards.
- Explore how cartoons, stamps, currency, magazines, globes and so on be used in teaching of social science.
- Trace any consumer product from its raw form and how various factors of geography, economics, politics and history influenced it.
- Any other project/assignment given by the institution.

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

विषय–सूची

UNIT-I

सामाजिक विज्ञानों का आधार एवं संदर्भ 1
(Foundation and Context of Social Sciences)

- ❑ सामाजिक विज्ञान का क्या अर्थ है? इसके अर्थ को परिभाषित कीजिए। (What is the meaning of Social Science? Define its Meaning.)
  अथवा
- ❑ सामाजिक विज्ञान के अर्थ व क्षेत्र का वर्णन कीजिए। (Explain meaning and scope of Social Science.)
  अथवा
- ❑ सामाजिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए। आज के युग में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र व महत्त्व बताइए। (Define social study and also describe the scope and importance of social study in modern age.) 1
- ❑ उद्देश्य किसे कहते हैं? सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? (What is meant by Aim? What are the main aims of Teaching of Social Science?)
  अथवा
- ❑ सामाजिक विज्ञान अध्यापन में शिक्षा के उद्देश्यों का क्या महत्त्व है? (What is the importance of having aims in education especially in the teaching of Social Science?)
  अथवा
- ❑ सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? (What are general aims of Teaching of Social Science?) 7
- ❑ प्राप्योद्देश्य किसे कहते हैं? सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मुख्य प्राप्य उद्देश्य क्या हैं? (What is meant by objectives? What are the main objectives of teaching of Social Science?)
  अथवा
- ❑ सामाजिक विज्ञान अध्यापन में शिक्षा के प्राप्य उद्देश्यों का क्या महत्त्व है? (What is the importance of having objectives in education especially in the teaching of Social Science?)
  अथवा
- ❑ सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। (Explain objectives of Social Science?) 10
- ❑ व्यवहारात्मक अथवा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? ब्लूम के द्वारा दिए गए व्यवहारात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। (What do you understand by the term taxonomy

of behavioural objectives? Explain Bloom's Taxonomy of Behavioural Objectives.)

अथवा

❑ ब्लूम द्वारा दिए गए उद्देश्यों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए।
(Explain the Bloom's Taxonomy of Objectives.) 13

❑ मूल्यों के अर्थ, परिभाषा, प्रकार व स्रोतों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the meaning, definitions, types and sources of values.) 18

❑ मूल्य शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व पर एक टिप्पणी कीजिए।
(Write a note on the need and importance of Value Education.) 20

❑ सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध की अवधारणा तथा अन्य विषयों के साथ इसके संबंधों की व्याख्या कीजिए।
(Define the concept of Correlation in social science and its relationship with other subjects.)

अथवा

❑ सामाजिक विज्ञान विद्यालय के अन्य विषयों के साथ कैसे संबंधित है?
(How is Social Science correlated with other school subjects.)

अथवा

❑ सामाजिक विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ संबंध की विवेचना कीजिए।
(Discuss correlation of Social Science with various subjects.) 22

❑ सामाजिक विज्ञान के अपने विभिन्न उप-विषयों के साथ सहसंबंध की विवेचना कीजिए।
(Discuss the Correlation of Social Science with its own sub-subjects.) 24

UNIT-II

शिक्षाशास्त्र व पाठ-योजना 28

(Pedagogy and Lesson Planning)

❑ शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इसके महत्त्व, प्रयोग व चरणों की विवेचना कीजिए।
(What do you mean by Pedagogical Analysis? Discuss its importance, uses and steps.)

अथवा

❑ शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण पदों का वर्णन कीजिए।
(Explain steps of Pedagogical Analysis.)

अथवा

❑ शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण का वर्णन कीजिए।
(Describe Pedagogical Analysis.) 28

❑ 'भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं तथा मौलिक कर्तव्य' उप-विषय पर शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए।
(Give pedagogical analysis of salient features of Indian Constitution and Fundamental Duties.)

अथवा

❑ भारतीय संविधान विषय का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए।
(Do pedagogical analysis on the topic 'Constitution of India'.) 30

❑ भारत का विस्तार, स्थिति व भौगोलिक विशेषताओं पर शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए।
(Prepare a Pedagogical analysis on size, location and physical features of India.)

अथवा

❑ आकार, स्थिति व भारत के भौतिक तत्वों का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण कीजिए।
(Do Pedagogical analysis on the topic "Size, Location and Physical Features of India".) 34

❑ फ्रांसीसी क्रांति पर शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए।
(Prepare a Pedagogical Analysis on the French Revolution.) 38

❑ जनसंख्या विषय पर एक शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए।
(Prepare a Pedagogical Analysis on Population.) 41

❑ समकालीन विश्व में लोकतन्त्र विषय पर शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए।
(Prepare a Pedagogical Analysis on Democracy in the Contemporary World.) 44

❑ 'आपदा प्रबंधन' का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण कीजिए।
(Prepare a pedagogical analysis of 'Disaster Management'.) 47

❑ पाठ-योजना से आपका क्या तात्पर्य है? सामाजिक विज्ञान में पाठ-योजना बनाना क्यों आवश्यक है?
(What do you understand by Lesson Plan? Why is it necessary to plan a lesson in Social Science?)

अथवा

❑ पाठ-योजना की आवश्यकता तथा महत्त्व लिखिए।
(Write need and importance of Lesson Plan.) 49

❑ पाठ-योजना के महत्त्व व उपागमों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on the Importance and Approaches of Lesson-Plan) 51

❑ सामाजिक विज्ञान अध्यापन में हरबर्ट पाठ-योजना के सोपानों, गुणों व अवगुणों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the steps of Herbartian of Lesson-plan, Merits and Demerits.)

अथवा

❑ सामाजिक अध्ययन अध्यापन में पाठ-योजना के सोपानों का विवेचना कीजिए।
(Discuss the steps of Lesson-plan in teaching of Social Science.) 54

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

UNIT-III

पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम सामग्री और शिक्षण कौशल 60
(Curriculum, Teaching Learning Material & Skill of Teaching)

- ❑ पाठ्यक्रम की अवधारणा व अर्थ को स्पष्ट कीजिए।
(Explain the concept and meaning of curriculum.)
अथवा
- ❑ सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अर्थ, महत्त्व व अच्छे पाठ्यक्रम रचना सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
(Describe meaning, importance and principle of designing a good curriculum of Social Science?)
अथवा
- ❑ पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? इसका क्या महत्त्व है? एक अच्छे पाठ्यक्रम निर्माण के लिए किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे? 60
- ❑ पाठ्यक्रम में सुधार के लिए दिए गए सुझावों का विवेचन कीजिए।
(Discuss the suggestions for improvement in curriculum.) 66
- ❑ सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम आयोजन के संगठन के विविध उपागमों की व्याख्या कीजिए।
(Describe the various approaches to the organisation of social science curriculum.) 67
- ❑ सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की व्याख्या करो।
(Explain the uses of following teaching learning material in social science.)
1. पाठ्य-पुस्तकें एवं संदर्भ पुस्तकें (Text Books and Reference Books)
2. डॉक्यूमेन्टरीज (Documentaries)
3. समाचार-पत्र (News-paper)
4. मानचित्र (Maps)
5. सामुदायिक साधन (Community Resources)
6. एटलस (Atlas)
7. ई-संसाधन (E-resources) 71
- ❑ व्याख्या कौशल की परिभाषा दो। इसके आवश्यक घटकों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के सुझाव दीजिए।
(Define skill of explaining. Describe its components in detail. Give suggestions to make explanation effective.)
अथवा
- ❑ व्याख्या कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ-योजना तैयार कीजिए।
(Prepare a micro lesson plan on the 'skill of explaining'.) 93
- ❑ 'उदाहरण सहित दृष्टांत' कौशल की परिभाषा दीजिए। इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक विज्ञान विषय के किसी उप-विषय पर सूक्ष्म पाठ-योजना बनाइए।
(Explain the meaning of 'Skill of illustration with Examples'. Describe its components. Make a micro lesson plan on any topic of social science.) 98
- ❑ पुनर्बलन-कौशल से आप क्या समझते हैं? इसके घटकों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक विज्ञान से संबंधित एक सूक्ष्म पाठ-योजना का निर्माण कीजिए।
(What do you understand by skill of reinforcement? Describe its components. Make a micro lesson plan related to social science.) 101
- ❑ 'प्रश्न-कौशल' का अर्थ स्पष्ट कीजिए; इस कौशल के घटकों का वर्णन करो। सामाजिक विज्ञान से संबंधित एक सूक्ष्म पाठ-योजना का निर्माण कीजिए।
(Clarify the meaning of skill of questioning. Explain the components of this skill. Make a micro lesson plan related to social science.) 105
- ❑ उद्दीपक परिवर्तन कौशल के अर्थ का वर्णन करो। इस कौशल के तत्त्व कौन-से हैं? सामाजिक विज्ञान से संबंधित एक सूक्ष्म पाठ-योजना का निर्माण कीजिए।
(Explain the meaning of 'Skill of stimulus variation'. What are its components? Make a micro lesson plan related to social science.)
अथवा
- ❑ उद्दीपक परिवर्तन कौशल से आप क्या समझते हैं? एक सूक्ष्म पाठ-योजना द्वारा इस कौशल से संबंधित शिक्षा व्यवहारों के विकास पर प्रकाश डालिए।
(What do you understand by 'Skill of stimulus variation'? Illustrate the process of developing various components of the skill through micro lesson plan.) 109

UNIT-IV

कक्षा-कक्ष प्रक्रिया एवं मूल्यॉंकन 114
(Classroom Processes and Evaluation)

- ❑ खोज विधि का क्या अर्थ है? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में इस विधि की उपयोगिता का वर्णन करें।
(What is meaning of Discovery Method? Describe the utility of its Method in the study of Social science.)
अथवा
- ❑ खोज विधि का विस्तार से वर्णन करें।
(Explain Discovery Method in detail.) 114
- ❑ विचार-विमर्श विधि से आप क्या समझते हैं? इस विधि के अनिवार्य घटकों का वर्णन करें। इस विधि के गुण तथा दोषों का वर्णन करें।

CIMETRIX SKILLING INDIA

(What do you mean by Discussion Method?
What are essential components of this method?
Discuss merits and demerits of this method.) 116

❑ कहानी-कथन विधि का क्या अर्थ है? इस विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
(What is the meaning of story telling method?
While narrating a story, what points should be kept in mind by the teachers?)

अथवा

❑ कहानी-कथन विधि का विस्तार से वर्णन करें।
(Explain story telling method in detail.) 119

❑ सर्वेक्षण विधि का क्या अर्थ है? इस विधि के गुण तथा दोषों का वर्णन करें।
(What is the meaning of survey method?
Discuss merits and demerits of this method.)

अथवा

❑ सर्वेक्षण विधि का विस्तार से वर्णन करें।
(Explain survey method in detail.) 121

❑ मैपिंग अवधारणा पर एक नोट लिखिए।
(Write a note on the concept Mapping.) 122

❑ क्षेत्र भ्रमण से आपका क्या अभिप्राय है? अध्यापक को इसका प्रयोग करते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए?
(What do you mean by Field Visit? What precautions a teacher should take while utilizing it?) 125

❑ कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी विशेषताओं, गुणों तथा अवगुणों का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by Computer Assisted Instruction?
Describe its characteristics, merits and demerits.) 127

❑ ई-लर्निंग या ट्यूटररिंग की अवधारणा स्पष्ट करें। इसकी विशेषताओं, उपयोगिता और सीमाओं का वर्णन कीजिए।
(Explain the concept of E-learning or tutoring.
Describe its characteristics, Utility and Limitations.) 130

❑ मापन व मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इनके बीच क्या अंतर है?
(Explain the meaning of measurement and evaluation.
What are differences between measurement and evaluation?)

अथवा

❑ मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है? मूल्यांकन मापन से किस प्रकार भिन्न है? सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का क्या महत्त्व है?
(What is meant by the term evaluation? How is it different from measure-ment? What is importance of evaluation in teaching of Social Science?)

अथवा

❑ सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के अर्थ तथा महत्व का वर्णन कीजिए?
(Describe the meaning and importance of evaluation in Social Science?) 134

❑ सतत तथा व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था की प्रभावशीलता की समीक्षा कीजिए।
(Appraise the effect of Continuous and Comprehensive Evaluation System.)

अथवा

❑ सतत तथा व्यापक मूल्यांकन की विस्तार से विवेचना कीजिए।
(Explain Continuous and Comprehensive Evaluation.) 138

❑ उपलब्धि परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी अवधारणा और सोपानों का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by an Achievement Test? Explain its concept and steps.)

अथवा

❑ उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? इसे तैयार करने के क्या चरण हैं?
(What do you mean by an Achievement Test?
What are the steps of an achievement test.)

अथवा

❑ निष्पत्ति परीक्षण रचना की अवधारणा तथा पदों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
(Explain the concept and steps of Achievement Test.) 140

❑ प्रश्न बैंक अवधारणा से आपका क्या अभिप्राय है? विस्तार से वर्णन करो।
(What do you mean by concept of Question Bank?
Describe in detail.) 145

❑ खुली पुस्तक परीक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? संक्षेप में चर्चा कीजिए।
(What do you mean by open book examination?
Discuss in briefly.) 148

❑ ग्रेडिंग एवं क्रेडिट प्रणाली की अवधारणा, गुण और सीमाओं का वर्णन करें।
(Discuss the concept, merits and demerits of Grading and Credit System.) 150

CIMETRIX SKILLED INDIA

UNIT-I

सामाजिक विज्ञानों का आधार एवं संदर्भ
(Foundation and Context of Social Sciences)

सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र
(Meaning, Nature and Scope of Teaching Social Science)

☐ **सामाजिक विज्ञान का क्या अर्थ है? इसके अर्थ को परिभाषित कीजिए।**
(What is the meaning of Social Science? Define its Meaning.)

अथवा

☐ **सामाजिक विज्ञान के अर्थ व क्षेत्र का वर्णन कीजिए।**
(Explain meaning and scope of Social Science.) **[CRSU, 2018]**

अथवा

☐ **सामाजिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए। आज के युग में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र व महत्त्व बताइए।**
(Define social study and also describe the scope and importance of social study in modern age.) **[CBLU, 2018]**

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

उत्तर : साधारण शब्दों में सामाजिक विज्ञान अध्ययन का अर्थ है—समाज के विषय में किया जाने वाला अध्ययन। इसके अध्ययन के अन्तर्गत उस विषय-वस्तु का अध्ययन किया जाता है, जिसका संबंध मानव के विविध पहलुओं से होता है। अलग विषय के रूप में इसके अध्ययन की शुरुआत 1916 ई. में अमेरिका में हुई, जहां विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में इस विषय को भी अलग से स्थापित किया गया। समाज का निर्माण हम सभी से होता है, क्योंकि हम सब समाज का ही एक हिस्सा हैं। कैसे रहते थे, कैसे रहते हैं तथा कैसे रहना चाहिए, इन सभी बातों का अध्ययन इसी विषय के अन्तर्गत किया जाता है। यह एक ऐसा विषय है, जिसमें मानवीय संबंधों, समाज के विभिन्न दृष्टिकोणों, समाज के व्यक्तियों की अनेक क्रियाओं तथा मनुष्य और उसके वातावरण तथा पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। साधारण व सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन वह विषय है जिसके माध्यम से एक बालक को अपने सामाजिक और भौतिक वातावरण के बारे में जानने, समझने तथा इसमें अच्छी प्रकार से समायोजित होने एवं देश का सुयोग्य नागरिक बनकर समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में भरपूर सहायता मिलती है। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के समूहों के उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है। इन उत्तरदायित्वों को भली-भांति निभाने के लिए यह विषय हमें उपयोगी विषय-वस्तु उपलब्ध करवाता है। समकालीन समय में विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में होने वाली तीव्र व आश्चर्यजनक उन्नति ने तो मानवीय पहलुओं को पहले से भी ज्यादा जटिल बना दिया है। इस तरह के परिवर्तनों के कारण मानवीय संबंधों की जो प्रणाली सदस्यों के अनुभव तथा परम्परा के आधार पर निर्मित हुई थी, वह आधुनिक जटिलता के सामने टिक नहीं पा रही है। इस समकालीन परिवर्तनशीलता और जटिलता ने हमारे स्कूलों पर इस बात का दायित्व डाला है कि वे बालकों की उन नवीन स्वरूप वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायता करें, जिनका सामना उन्हें अपने भावी जीवन में करना है। सामाजिक विज्ञान मनुष्य में विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथ्यों के प्रति चेतना उत्पन्न करता है। सामाजिक विज्ञान विषय मानव जीवन की वास्तविक

स्थितियों में मानवीय अन्तर्क्रियाओं, समस्याओं, सहयोग, संबंधों तथा कार्य-प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। 2005 में एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) द्वारा गठित राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के स्थान पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण पद का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था, जिसे लागू भी कर दिया गया। अब सामाजिक अध्ययन शिक्षण को 'सामाजिक विज्ञान शिक्षण' के नाम से जाना जाता है। सामाजिक विज्ञान के प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए कई विद्वानों ने इसके अर्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है–

1. **यू.एस.ए. परिषद** के अनुसार, "सामाजिक विज्ञान मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित है।"
2. **शैक्षिक अनुसंधान विश्व कोष** के अनुसार, "सामाजिक विज्ञान वह अध्ययन है जो प्रत्येक मानव के रहने का ढंग, उसकी आवश्यकताओं तथा उन्हें पूरा करने से संबंधित विभिन्न क्रिया-कलापों और उसके द्वारा विकसित संस्थाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करता है।"
3. **कोलम्बिया एनसाइक्लोपीडिया** के अनुसार, "सामाजिक विज्ञान का अर्थ अध्ययन के उन क्षेत्रों से है जो मानवमात्र को उनके सामाजिक संबंधों के विषय में समझने में सहायता करते हैं।"
4. **मुफात** के अनुसार, "सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जीवन पर आधारित ज्ञान का वह भंडार है, जिससे युवा वर्ग को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता प्राप्त होती है।"

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान एक विस्तृत, व्यापक एवं विशिष्ट विषय है, जिसमें निम्न तत्त्व शामिल हैं–

(i) सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत मानवीय संबंधों तथा मानव जीवन से जुड़े हुए क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है।

(ii) सामाजिक विज्ञान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक उपयोगिताओं को सामने रखते हुए मनुष्य को स्वस्थ एवं सम्पूर्ण सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करता है।

(iii) सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है, जिसके द्वारा मानव समाज और उससे संबंधित सभी बातों की जानकारी प्राप्त होती है।

(iv) यह वह विज्ञान है जो छात्रों को उस वातावरण को समझने तथा उसकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है, जिसमें वे पैदा तथा विकसित होते हैं।

(v) सामाजिक विज्ञान आधुनिक विश्व एवं सभ्यता को सरल एवं स्पष्ट बनाने में सहायता देता है तथा साथ ही छात्रों को समय के साथ-साथ घटित होने वाली समस्याओं को समझने में सहायता देता है।

(vi) सामाजिक विज्ञान व्यक्ति में विभिन्न तथ्यों के प्रति चेतना उत्पन्न करता है और उसे चुनौतियों का सामना करने के लिए विवेकशील विश्लेषण करने की योग्यता प्रदान करता है।

(vii) सामाजिक विज्ञान समाज की संरचना, इसके इतिहास, व्यक्ति के विकास में योगदान, वर्तमान व भविष्य में विकसित होने वाले सामाजिक जीवन से परिचित कराने में सहयोग करता है।

(viii) सामाजिक विज्ञान वास्तविकता पर आधारित विषय है। यह जीवन की वास्तविक मानवीय अन्तर्क्रियाओं, संबंधों, सहयोग, समस्याओं तथा कार्य-प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है।

(ix) सामाजिक विज्ञान विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की सामग्री को एकत्रित करके सम्पूर्ण इकाई के रूप में उसे छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। इसके अन्तर्गत अतीत तथा वर्तमान में मानवता को प्रभावित करने वाली समस्याओं, मामलों तथा ढांचों का अध्ययन किया जाता है।

सामाजिक विज्ञान की प्रकृति (Nature of Social Science)

सामाजिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है–'मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन'। इस विषय का संबंध मानव की उन्नति, उसके भविष्य तथा वर्तमान के संबंध में होने वाली विभिन्न अन्तःक्रियाओं से होता

है। इस विषय में दिया जाने वाला ज्ञान मानवीय संबंधों, संस्थाओं और समस्याओं के विषय में महत्त्वपूर्ण सामान्यीकरणों से संबंधित होता है, जिसे व्यापक तथ्यों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इस विषय की उपयोगिता इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि यह विषय विभिन्न क्षेत्रों के संबंधों तथा अन्तःसंबंधों का अध्ययन करता है, उदाहरण के लिए–

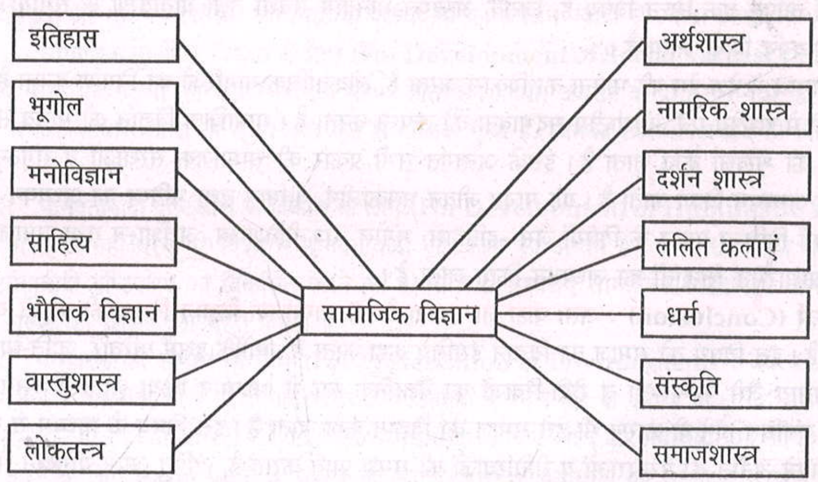

सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सभी सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 'सामाजिक शब्द' का सम्मिलित अर्थ है–समाज का समाज के लिए, समाज द्वारा अध्ययन अर्थात् समाज से संबंधित सभी संस्थाओं व संगठनों का अध्ययन करना, जो समाज के विकास और उन्नति में सहायक होते हैं। 'विज्ञान' शब्द का अर्थ है–प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करना। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान मानव के सभी दृष्टिकोणों से सम्पूर्ण अध्ययन करने पर जोर देता है। साधारण व सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि वे सभी अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत आते हैं, जिनकी विषय वस्तु का सीधा संबंध समाज के संघटन और विकास से होता है तथा जो व्यक्ति को एक सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में देखता हो। अतः सामाजिक विज्ञान की प्रकृति व्यापक तथा जटिल है। **ब्रिटिश शिक्षा मंत्रालय** ने इस विषय की प्रकृति के विषय में लिखा है कि, **"सामाजिक विज्ञान में इतिहास का भाग कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करता है–हमारा वर्तमान जीवन का ढंग कैसे बना तथा उस विरासत की क्या गुणवत्ता है जिसके हम वारिस हैं।"**

सामाजिक विज्ञान बालक को अपने जीवन के विषय में विभिन्न प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर से प्रेरणा पाकर बालक अपना समुचित विकास करने का प्रयास करता है। मनुष्य ने भौतिक सभ्यता के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है परंतु फिर भी समकालीन समस्याओं पर नियंत्रण प्राप्त करना उसके लिए कतई आसान नहीं है।

सामाजिक विज्ञान समिति (विक्टोरियो स्कूल बोर्ड) ने इस विषय के बारे में लिखा है कि, **"सामाजिक विज्ञान में हम मनुष्य का स्थान सर्वोपरि रखते हैं तथा हर उस सम्भव विषय का प्रयोग करते हैं, जो मानव की समस्याओं को समझने में सहायता देते हैं।"** सही मायनों में सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य बालक को सामाजिक प्रवृत्ति तथा इसके अतीत एवं वर्तमान के विषय में ज्ञान प्रदान करना है। बालक में सत्यता, समानता, न्याय, सहयोग, भाईचारा, सहनशीलता व बलिदान जैसे गुणों का विकास करने में यह विषय काफी सहायता प्रदान करता है।

इस विषय की अधिकांश सामग्री मानव ज्ञान व अनुभवों पर आधारित है, जिससे बालक में अभिवृत्तियों, आदर्शों व रुचियों का विकास सहजता से किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान विषय के विशाल एवं

CIMETRIX

विशिष्ट होने तथा इसकी प्रकृति विशाल होने के कारण इस विषय को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अधिकांश इसे विभिन्न विषयों का एकीकरण भी मानते हैं। अध्यापक इसे पढ़ाते समय इतिहास तथा भूगोल को अलग-अलग विषय के रूप में पढ़ाते हैं। वे इसे पढ़ाते समय सामाजिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों से जोड़कर नहीं पढ़ाते। लेकिन वास्तविकता यह है कि सामाजिक विज्ञान विभिन्न विषयों का मिश्रण नहीं अपितु एक भिन्न विषय है, जिसके अन्तर्गत मानवीय संबंधों तथा वातावरण के समायोजन से संबंधित अध्ययन किया जाता है।

यह मनुष्य में देश-प्रेम की भावना का विकास करता है, लोकतांत्रिक नागरिकों का निर्माण करता है, देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को उत्पन्न करता है। सामाजिक विज्ञान को मानव सभ्यता के विकास की श्रृंखला कहा जाता है। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की सामाजिक संस्थाओं व संगठनों का विकास का अध्ययन किया जाता है। यह मानव जीवन भूतकालीन, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन करता है तथा इसमें विभिन्न प्रकार के विषयों जैसे—इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र आदि के आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion) : अतः कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति व्यापक व विशाल है। इस विषय को समाज का विज्ञान इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें परिवार, जाति-व्यवस्था, शादी, व्यवसाय जैसे परम्पराओं व रीति-रिवाजों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। समाज के विकास से संबंधित होने के कारण भी इसे समाज का विज्ञान कहा जाता है। इस विषय के माध्यम से बालक न केवल अपने अतीत की परम्पराओं व रीतिरिवाजों की समझ प्राप्त करता है, अपितु अपने योगदान से इनमें सुधार का प्रयत्न भी करता है। यह विषय बालक को समाज के विषय में क्रियात्मक ज्ञान प्रदान करता है। आज के समय में इसके उपरोक्त स्वरूप के कारण इसे सामाजिक विज्ञान की संज्ञा दी गई है।

सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र (Scope of Social Science)

सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत व विशाल है। क्षेत्र का संबंध किसी विषय के अध्ययन, प्रसंग, विस्तार व विषय को क्रमबद्ध करने तथा कार्य और उपयोग क्षेत्र की सीमाओं से होता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा नागरिकशास्त्र आदि विषयों के आधारभूत तत्त्वों को शामिल किया जा सकता है तथा साथ ही इसमें आधुनिक समस्याओं, तत्कालीन घटनाओं तथा समसामयिक क्रियाओं को भी स्थान प्रदान किया जाता है। शब्दकोष में 'क्षेत्र' शब्द का अर्थ-प्रसंग, विस्तार, पूर्णतया विषय को क्रमबद्ध करना, विविधता तथा शिक्षा की अनुभूतियों को अध्ययन द्वारा बच्चों तक पहुंचाना दिया गया है। इस आधार पर शिक्षा में 'क्षेत्र' शब्द का अर्थ किसी विषय के विस्तार व सघनता प्रदान किए जाने वाले अनुभवों की सीमा से है। विस्तार का अर्थ विषयों तथा अनुभवों की संख्या है, जबकि सघनता का अर्थ विषय-वस्तु की गहराई से है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थियों को ऐसे बहुत-से क्षेत्रों की पाठ्य-सामग्री का अध्ययन करना पड़ता है, जिसके अध्ययन से उसके अंदर उपयुक्त अनुभव विकसित होते हैं। इस मापदंड के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें बालकों का ज्ञान तो विस्तृत होता ही है, इसके साथ-साथ ज्ञान प्राप्ति से बालकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव भी प्राप्त होते हैं। **माइकल्स महोदया के अनुसार, "सामाजिक विज्ञान का कार्यक्रम इतना विशाल होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल सकें व उनका ज्ञान विस्तृत हो सके।"** सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र सम्पूर्ण मानव जीवन के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित होने के कारण काफी विस्तृत एवं व्यापक है। इसके अन्तर्गत नागरिकता की शिक्षा, समकालीन समस्याएं, सांस्कृतिक संबंधों व अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को शामिल किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र को निम्नलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है—

(i) **कारण-प्रभाव संबंधों का अध्ययन (A Study of Cause and Effect Relationship) :**

पर खड़े हैं, प्रत्येक व्यक्ति अशांत है और इस अशांति का कारण है, मूल्यों का विनाश।"

2. **व्यावसायिक कुशलता के विकास के लिए (For Development of Vocational Efficiency) :** शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में व्यावसायिक कुशलता जैसे आर्थिक मूल्यों का विकास कर बेरोजगारी की समस्या से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। आधुनिक युग में बेराजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसलिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रचलन ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए।

3. **सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए (For Development of Social Values) :** लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक मूल्यों का काफी अधिक महत्त्व होता है। पदवी, अवसर के प्रति समानता का आदर व धन का समान बंटवारा आज के समय कुछ ऐसे सामाजिक मूल्य हैं, जिनका विकास अवश्य ही किया जाना चाहिए।

4. **मानवतावादी दृष्टिकोण के विकास के लिए (For Development of Huministic Values) :** आज भारत ही नहीं वरन् पूरे विश्व में मानवतावादी दृष्टिकोण का अभाव है। आज समय की मांग है कि हम मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करें। इसलिए सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत इस तरह के मूल्यों की शिक्षा देना बहुत जरूरी है।

5. **पर्यावरण की संभाल के लिए (For Preservation of Environment) :** वन कटाव, भूमि कटाव, पंजीकृत तकनीक द्वारा औद्योगिकरण व कृषि उत्पादों पर बल देने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अति रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण विश्व की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लालची प्रवृत्ति के कारण हो रहा है। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण हेतु मूल्य शिक्षा देना अति आवश्यक है।

6. **छोटे परिवार का महत्त्व (Importance of Small Family) :** जनसंख्या की सीमा निर्धारित करने से राष्ट्र का जीवन उत्तम व सुविधाजनक बन सकता है। इसलिए तत्कालीन परिस्थितियों में छोटे परिवार का महत्त्व बढ़ गया। व्यक्तियों में इस बात की समझ मूल्य शिक्षा देने से उत्पन्न की जा सकती है। मूल्य शिक्षा देने के लिए सामाजिक विज्ञान विषय से बेहतर अन्य कोई विषय नहीं है।

7. **प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए (For Development of Democratic Values) :** प्रजातन्त्र व लोकतांत्रिक प्रशासित देश में मूल्यों का विकास अति आवश्यक है। इस तरह की शिक्षा में अपने नागरिकों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग तथा दया जैसी भावनाओं के विकास को प्रोत्साहन देना व बालकों में इन मूल्यों को विकसित करने का प्रयास शामिल होना चाहिए।

8. **वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए (To Develop Scientific Outlook) :** आज का युग विज्ञान का युग है। ऐसे में प्राचीन रुढ़ियों, परम्पराओं या अन्धविश्वासों के साथ चिपके रहना स्वाभाविक विकास के लिए सही नहीं है। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक सामाजिक मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है, ताकि व्यक्ति अपनी रुढ़िवादी मान्यताओं को छोड़कर प्रत्येक बात को वैज्ञानिक ढंग से सोच सके तथा 'तथ्य' तथा 'प्रचार' में अंतर कर सके।

9. **संस्कृति की सुरक्षा के लिए (For Preservation of Culture) :** आज विभिन्न तरह की परिस्थितियों ने हमारी संस्कृति को इतना प्रदूषित कर दिया है कि सच्चाई, ईमानदारी, भलाई व कर्तव्यनिष्ठता जैसे सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। अतः आज समय की मांग है कि यदि हम अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति की सुरक्षा करना चाहते हैं तो मूल्यों की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए।

10. **धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास के लिए (For Development of Secular Society) :** धर्म निरपेक्षता स्वतंत्रता का मुख्य सामाजिक मूल्य है। सभी धर्मों के प्रति आदर, पूजा करने की स्वतंत्रता व नागरिक कार्यों की व्यवस्था करते समय धर्म को बीच में लाना धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। इन मूल्यों के अन्तर्गत सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। राज्य को धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि मूल्यों की शिक्षा द्वारा नागरिक को जागृत करना हमारा परम कर्तव्य है। व्यक्तियों को न केवल हमें मूल्यों के विषय में बताना है, अपितु उनके महत्त्व से भी उनको अवगत करवाना जरूरी है। मूल्यों की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालकों को मूल्यों का प्रशिक्षण देना ही नहीं है, अपितु ऐसा वातावरण पैदा करना है, जिससे बच्चे स्वयं उचित और अनुचित का ज्ञान प्राप्त कर सकें। जो मूल्य उचित व हितकर हैं, उन्हें वे जीवन में धारण कर सकें तथा समाज का कल्याण कर सकें।

सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध
(Relationship of Social Science with other Subjects)

❑ **सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध की अवधारणा तथा अन्य विषयों के साथ इसके संबंधों की व्याख्या कीजिए।**
(Define the concept of Correlation in social science and its relationship with other subjects.)

अथवा

❑ **सामाजिक विज्ञान विद्यालय के अन्य विषयों के साथ कैसे संबंधित है?**
(How is Social Science correlated with other school subjects.) [MDU, 2018]

अथवा

❑ **सामाजिक विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ संबंध की विवेचना कीजिए।**
(Discuss correlation of Social Science with various subjects.) [CRSU, 2018]

उत्तर : सामाजिक विज्ञान विषय का संबंध स्कूली स्तर पर पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय तथा कार्य क्षेत्र के वास्तविक रूप में सामाजिक विज्ञान का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव का अध्ययन करना है और सभी विषय किसी न किसी रूप में मानवीय जीवन के साथ संबंधित हैं। अतः इन सभी विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान का महत्त्वपूर्ण संबंध है। स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, जीव-विज्ञान, कला तथा विभिन्न भाषाओं को पढ़ाया जाता है। इन सबका **'सामाजिक विज्ञान'** विषय के साथ घनिष्ठ संबंध है।

सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध
(Relationship of Social Science with other Subjects)

सामाजिक्र विज्ञान कुछ सामाजिक विज्ञान विषयों का समूह मात्र नहीं है, अपितु इसका प्राकृतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, भाषा, कला व गणित जैसे वैज्ञानिक विषयों के साथ भी गहरा संबंध है। इन महत्त्वपूर्ण विषयों व सामाजिक विज्ञान के बीच संबंध को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

1. **प्राकृतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान (Natural Science and Social Science) :** आधुनिक समय में प्राकृतिक विज्ञान की उपलब्धियां बहु-आयामी हैं। प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान जैसे-जैसे कदम आगे बढ़ाता गया, वैसे-वैसे मनुष्य जाति के इतिहास को भी प्रभावित करता चला गया। प्राकृतिक विज्ञान की उपलब्धियों ने मनुष्य की सोच व व्यवहार में काफी परिवर्तन किया। वस्त्र, आभूषण व अन्य विलासिता का भौतिक सामान विज्ञान की महत्त्वपूर्ण देन है। आज हम इस विज्ञान के कारण ही एक छोटे से गांव या नगर के स्थान पर अपने संबंधों को विश्व के दूसरे कोने के साथ जोड़कर समाज व संस्कृति और राजनीतिक स्थितियों व व्यवहार का आकलन करते हैं। प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान ने जहां मनुष्य को इतना कुछ दिया है, वहीं दूसरी ओर उसने भयानक आशंकाएं भी पैदा कर दी हैं।

इस प्रकार विज्ञान की अपनी सृजनात्मक और विध्वंसात्मक प्रकृति अपने शाश्वत रूप में आज भी विद्यमान है। स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान की करवटें और ज्ञान की गति

एक-दूसरे के प्रति सापेक्ष रूप से संबंधित है। ज्ञान चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे उसके कितने ही आयाम हों, मानव इतिहास से उसका प्रगतिगामी संबंध है। मानवीय प्रकृति की यह स्वाभाविक चेष्टा है कि मनुष्य अपने-आपको ज्यादा सुरक्षित व शक्तिशाली बनाने का निरंतर प्रयास करता है। इस कारण से मनुष्य को सदा ही सुरक्षात्मक शक्ति की आवश्यकता रही है।

सामाजिक संगठनात्मक प्रक्रिया द्वारा मनुष्य ने जिस शक्ति केन्द्र का निर्माण किया उसका नाम संस्कृति था। उसकी रक्षा करने के लिए राज्य नामक संस्था व्यवस्थित रूप से जन्मीं। प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान मनुष्य की शक्ति का मुख्य स्रोत रहा है। उसी की क्रिया-प्रतिक्रियाओं ने सामाजिक विज्ञान को रूपित किया है। आधुनिक युग में जब सामाजिक विज्ञान शास्त्रियों ने मानव-व्यवहार संबंधी जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे प्राकृतिक विज्ञान की सहायता के बिना नहीं निकाले जा सकते थे। इसलिए यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

2. **गणित व सामाजिक विज्ञान (Mathematics and Social Science) :** वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा देने का महत्त्व आज के युग में लगातार बढ़ रहा है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गणित शिक्षा का विशेष महत्त्व है। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां गणित की आवश्यकता न हो। इसलिए कोई भी समाज गणित के महत्त्व को झुठला नहीं सकता। बालक की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही गणित शिक्षण दिया जाता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों के साथ गणित को संबंधित करके पढ़ाने से विद्यार्थियों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में मदद मिलती है। डाकखाने में बचत खाता, बैंकिंग व घरेलू बजट आदि बनाने में गणित सहायता करता है।

अतः सामाजिक अध्ययन का गणित से भी महत्त्वपूर्ण संबंध है। गणित की प्रारंभिक जानकारी आगे राज्य तथा देश की न्यायपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका व बजट प्रक्रिया आदि को समझने में सहायक सिद्ध होती है, जिससे विभिन्न समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली सारणियाँ तथा ग्राफ की भाषा अन्य कोई नहीं अपितु गणित की भाषा ही है। किसी स्थान विशेष की औसत वर्षा व तापमान आदि की सही गणना में भी गणित हमारी काफी सहायता करता है। उत्पादन, वस्तुओं की खरीद व बिक्री को गणित की सहायता से सूचीबद्ध व नियमित किया जा सकता है। अतः गणित और सामाजिक विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

3. **मनोविज्ञान व सामाजिक विज्ञान (Psychology and Social Science) :** सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मानव के व्यवहारगत परिवर्तनों का अध्ययन करना है। इसलिए मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान के आपसी संबंधों को नकारा नहीं जा सकता है। समाज में होने वाले सभी परिवर्तन मानव के व्यवहार से संबंधित होते हैं। मनोविज्ञान विषय हमें मानव के व्यवहार, इच्छा व स्वभाव को समझने में हमारी काफी सहायता करता है। सामाजिक समरसता और पारस्परिक व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान विषय की काफी उपयोगिता है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि आज के जटिल समाज का स्वरूप व संरचना का आधार क्या है? इस विषय के अध्ययन के माध्यम से बालकों में निर्माणात्मक प्रवृत्तियों का विकास किया जा सकता है, क्योंकि हम मनोविज्ञान विषय की सहायता से उनकी मनोवृत्ति का सही आकलन कर सकते हैं। मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान दोनों मानव विकास के लक्ष्य पर केन्द्रित हैं। मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को सरलता, सरसता तथा सुन्दरता प्रदान करता है। इससे सामाजिक विज्ञान को क्रियात्मक आधार प्राप्त होता है।

निकलसन व राइट ने लिखा है कि, **"सामाजिक विज्ञान बहुत विस्तृत विषय है और इसका अभिप्राय सारे संसार में मनुष्य का वर्तमान जीवन है।"** काफी हद तक उनका यह कथन सही लगता है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है, जो मानव को मानव के साथ संबंधित करता है। मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में आपस में गहरा संबंध है।

4. **भाषा व सामाजिक विज्ञान (Language and Social Science) :** भाषा के द्वारा मनुष्य, विचारों को ग्रहण और अभिव्यक्त करता है। भाषा साहित्य का माध्यम है और साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब होता है। भाषा की पाठ्य-सामग्री, कहानियां, कविताएं आदि समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं। अध्यापक के लिए भाषा के बिना सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देना असंभव है। भाषा वह माध्यम है, जिससे अध्यापक सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देता है। भाषा के द्वारा ही बालक सामाजिक प्रश्नों का चिंतन करके उन पर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। भाषा वह साधन है, जिससे अध्यापक प्रश्न पूछकर, बोलकर, समाज की रचना तथा उसके परिवर्तन प्रक्रिया से बालकों को अवगत करवाता है। भाषा विद्यार्थियों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का भी ज्ञान प्रदान करती है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अपनी विषय सामग्री उन लेखकों से भी लेते हैं, जिनकी साहित्यिक क्षेत्र में ख्याति है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा और सामाजिक विज्ञान में गहरा संबंध है।

5. **कला तथा सामाजिक विज्ञान (Art and Social Science) :** सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बालकों में व्यक्तिगत व सामाजिक कुशलता की क्षमता उत्पन्न करना भी होता है। कला भी अपने स्वाभाविक रूप में इस उद्देश्य की पूर्ति करती है, कला शिक्षण बालकों को विभिन्नता तथा सौन्दर्यात्मक ज्ञान उपलब्ध करवाने में सहायता करता है। बालक को अच्छे मानव के रूप में विकसित करने में कला का विशेष योगदान होता है। महान चित्रकारों, संगीतकारों, नाट्यकारों व नक्काशीकारों के कार्यों की समझ कला से ही उत्पन्न होती है। यह स्वाभाविक तथ्य है कि कलाकारों का मानव तथा समाज से सीधा संबंध होता है। जापान के सामाजिक इतिहास का विशेष महत्त्व उनके नाटकों तथा उत्सवों को लेकर ही है।

सामाजिक विज्ञान को विषय-सामग्री में चित्र, ग्राफ, नक्शे, आकृतियां, भवन, उद्योग, बांध परियोजना, समय-चार्ट व मौसम चार्ट जैसी कलात्मक ईकाइयों का बहुत महत्त्व होता है। इन सबकी समझ हमें कला शिक्षण से ही प्राप्त होती है। कला के माध्यम से सामाजिक विज्ञान अध्यापक कला संबंधी अनेक कौशलों का विकास बालकों में कर सकता है। अतः कहा जा सकता है कि कला और सामाजिक विज्ञान में गहरा संबंध होता है।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक विज्ञान का प्राकृतिक विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, भाषा व कला जैसे वैज्ञानिक व साहित्यिक विषयों के साथ गहरा संबंध है। सामाजिक विज्ञान इन विषयों से संबंधित सामग्री का ऐसा समन्वित और एकीकृत रूप है, जिसके द्वारा बालकों को अपने समाज तथा मानव संबंधों को समझने, समाज में अपने आपको अच्छी तरह व्यवस्थित होने तथा समाज और सम्पूर्ण मानव जाति को विकास के मार्ग पर चलने का समुचित अवसर प्राप्त होता है।

सामाजिक विज्ञान का अपने विभिन्न उप-विषयों के साथ सहसंबंध
(Correlation of Social Science with its own Sub-subjects)

❑ **सामाजिक विज्ञान के अपने विभिन्न उप-विषयों के साथ सहसंबंध की विवेचना कीजिए।**
(Discuss the Correlation of Social Science with its own sub-subjects.)

उत्तर : सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है, जो मानव संबंधों की चर्चा करता है। वर्तमान युग की जटिलता व परिवर्तनशीलता ने विद्यालयों पर बालकों की दैनिक समस्याओं के समाधान में सहायता करने और भावी समस्याओं से निपटने हेतु उन्हें तैयार करने का विशेष उत्तरदायित्व डाल दिया है। इस उत्तरदायित्व को संभालने के लिए एक ऐसे विषय की आवश्यकता पड़ी, जो बालकों को उनकी परम्पराओं से अवगत करवाए और उन्हें सुरक्षित रखे और इसके साथ-साथ समकालीन अणु-युग में समाज के साथ समावेश की क्षमता रख सके। इसलिए इतिहास, भूगोल, नागरिक-शास्त्र व अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री का एकीकृत समावेश सामाजिक विज्ञान नामक विषय के अन्तर्गत किया गया। इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान मात्र एक विषय नहीं अपितु इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र व भू-अर्थशास्त्र का समन्वित या

एकीकृत रूप है। सामाजिक विज्ञान के इन सभी उप-विषयों का सामाजिक विज्ञान के साथ गहरा आपसी सहसंबंध है। सामाजिक विज्ञान तथा उसके उप-विषयों के आपसी सहसंबंध को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

1. **इतिहास व सामाजिक विज्ञान (History and Social Science) :** इतिहास बालकों को अपने अतीत व वातावरण को समझने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास का अपना विशेष महत्त्व है। इतिहास द्वारा ही अतीत की घटनाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जा सकता है। अतीत की आज के परिवेश में तुलना करके भविष्य के सुंदर निर्माण की योजना तैयार की जा सकती है। विद्यार्थियों में इतिहास को पढ़ने की रुचि को बढ़ावा देकर उनकी वांछित कुशलताओं एवं अभिवृत्तियों का विकास किया जा सकता है।

सामाजिक विज्ञान का भी मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आज के वातावरण में समहित करके अच्छा नागरिक बनाना है, जिसके द्वारा वे अतीत में अनेक शासनकालों में हुई गलतियों को सुधारकर सामाजिक कुशलता प्राप्त कर सकें। अतीत में सभ्यता से संबंधित वफादारी के उच्च आदर्शों और विशिष्ट अवधारणाओं की प्राप्ति के लिए इतिहास को पढ़ाना जरूरी है। इतिहास के माध्यम से सामाजिक विज्ञान की विषय-सामग्री को निष्पक्ष तथा प्रभावशाली खोज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे सामाजिक कार्यकलापों के बारे में रचनात्मक निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जाता है। बालकों में भारत की गुलामी और स्वतन्त्रता संग्राम से संबंधित उदाहरण देकर उनमें देशभक्ति, सहयोग और भाईचारे आदि की भावनाओं का विकास किया जा सकता है।

डॉ. दीक्षित एवं बघेला ने इतिहास और सामाजिक विज्ञान के आपसी सहसंबंध पर लिखा है, **"इतिहास शिक्षण का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य भूतकाल के प्रकाश में वर्तमान को समझना है।"**

2. **भूगोल व सामाजिक विज्ञान (Geography and Social Science) :** सामाजिक विज्ञान एक विषय ही नहीं है, अपितु एक घर है, जिसमें सभी उप-विषय निवास करते हैं। सामाजिक विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे—भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास व समाजशास्त्र आदि एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल का भी विशेष महत्त्व है। आधुनिक भूगोल की विषय-वस्तु मानव के भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण पर केंद्रित है। इसलिए भूगोल विषय की समझ के बिना सामाजिक विज्ञान विषय अपूर्ण है। भूगोल पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए मानव के प्राचीनतम अध्ययनों में से एक है। वर्तमान काल में भूगोल का संबंध एक तरफ सामाजिक विज्ञान और दूसरी तरफ भौतिक विज्ञान से है। भूगोल को पारस्परिक संबंध का विषय भी कहा जाता है। भूगोल का एक बड़ा भाग सामाजिक विज्ञान से संबंध रखता है। इसलिए भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान एक-दूसरे के पूरक हैं। प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान से संबंध के कारण भूगोल विषय छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। घटना के कालक्रम का संबंध जहां इतिहास से होता है, वहीं उस घटना के क्षेत्र का संबंध भूगोल से होता है। भूगोल उन घटनाओं का प्रतिवेदन है, जो किसी क्षेत्र विशेष में घटित हुई। आज सामाजिक विज्ञान की आधुनिक पाठ्य-वस्तु एकांकी नहीं है, अपितु समाज के बहुत-से क्षेत्रों की परिस्थितियां इससे जुड़ी हुई हैं तथा मानवीय क्रियाएं भौगोलिक तथ्यों द्वारा नियंत्रित होती हैं। भूगोल विषय सामाजिक विज्ञान से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि भूगोल ही समाज के ढांचे को तैयार करता है।

इसके अतिरिक्त प्राकृतिक वातावरण एवं सामाजिक व्यवस्थाएं भी एक-दूसरे के साथ जुड़ी होने के कारण सामाजिक विज्ञान के साथ भूगोल का आपसी सहसंबंध काफी गहरा हो जाता है। किसी राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पूंजी वहां की भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करती है। भूगोल व सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी के अध्ययन के साथ-साथ वहां पर रहने वाले लोगों के समाज का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान तथा भूगोल एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों विषय एक-दूसरे के गुणों से जुड़े हुए हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS, SKILLED INDIA

3. नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान (Civics and Social Science) : नागरिक शास्त्र का सामाजिक विज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध है। नागरिकशास्त्र नामक उप-विषय के तहत नेतृत्व, राजनैतिक चेतना, राजनीतिक समानता, राज सत्ता, प्रशासन प्रणाली व अन्य राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। समाज में रहने वाले सभ्य मानव नागरिक कहलाते हैं। सामाजिक विज्ञान का भी एक प्रमुख उद्देश्य बालक को भविष्य का योग्य नागरिक बनाना होता है। नागरिकों के व्यक्तित्व, आचार-विचार व मूल्यों को बताने वाले शास्त्र को ही नागरिक शास्त्र कहा जाता है।

नागरिक शास्त्र ही स्वस्थ व अच्छे व्यवहार का ज्ञान देकर व्यक्ति का समायोजित व्यक्तित्व तैयार करता है। नागरिक के व्यक्तित्व में भाईचारे, हित व सुरक्षा की भावना नागरिक शास्त्र ही उत्पन्न करता है। नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य आदर्श नागरिक तैयार करना है। आदर्श नागरिक संतुलित व्यक्तित्व का मालिक होता है। सामाजिक विज्ञान में छात्रों को स्वयं की भावनाओं की महत्त्वता को दर्शाते हुए अपने पड़ोस, नगर, घर आदि की भी भावनाओं की कद्र करने का अभ्यास करवाया जाता है अर्थात् सामाजिक विज्ञान छात्रों की स्वच्छता के महत्त्व पर बल देता है।

दार्शनिक अरस्तू के अनुसार, **"स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है।"** नागरिक शास्त्र द्वारा महत्त्वपूर्ण नागरिक समस्याओं के बारे में उचित ढंग से वाद-विवाद किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य आदर्श समाज की स्थापना एवं देश के भावी कर्णधार तैयार करना है। परिणामस्वरूप नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का अभिन्न उप-विषय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अच्छे समाज के निर्माण में अच्छे नागरिकों की आवश्यकता होती है और ऐसा करने में सामाजिक विज्ञान अपने उप-विषय के साथ मिलकर महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

4. अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान (Economics and Social Science) : सामाजिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र भी अंतर्संबंधित है। अर्थशास्त्र के अन्तर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञान अर्थ अर्थात् धन से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख करता है। इन क्रियाओं का संबंध धन के वितरण, उपयोग, उत्पादन, उपभोग, बचत व निवेश आदि संबंधित क्रियाओं से होता है। आज के युग में अर्थ की महत्त्वता काफी बढ़ गई है, क्योंकि समाज की भौतिक उन्नति का बुनियादी आधार धन ही है। मनुष्य द्वारा की गई सभी धन से संबंधित क्रियाएं अर्थशास्त्र विषय के अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। मानव की तीन बुनियादी जरूरतें हैं—रोटी, कपड़ा और मकान। इसलिए समाज की यह जिम्मेदारी है कि वह मनुष्य की इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। आर्थिक आवश्यकता सभी सामाजिक चरित्रों का मुख्य स्रोत है। समाज में भुखमरी उत्पन्न होने से पाप बढ़ते हैं, अशांति फैलती है तथा भूख से पीड़ित मानव कुछ भी करने के लिए विवश हो जाता है।

इसलिए सामाजिक विज्ञान के माध्यम से बालकों को विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की समझ देना आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकता का सीधा संबंध उसके सामाजिक जीवन से होता है। अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान एक-दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक नागरिक को आर्थिक क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं दूसरा उसमें प्राप्त आर्थिक संसाधनों के सही उपयोग की समझ पैदा करता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि धन का अभाव व उसका असमान वितरण विभिन्न सामाजिक व राजनैतिक क्रांतियों का कारण रहा है। इसलिए इतिहास, भूगोल व नागरिक शास्त्र की तरह अर्थशास्त्र का भी सामाजिक विज्ञान के साथ गहरा संबंध है। इन सब उप-विषयों का एकीकृत अध्ययन (सामाजिक विज्ञान) ही बालक के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

5. समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान (Sociology and Social Science) : समाज सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आधारशिला है।

रेनियर के अनुसार, **"सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि तथा राजनैतिक इतिहास की कसौटी है।"** समाजशास्त्र का विकास सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। वास्तव में समाजशास्त्र

समाज या समाजों का अध्ययन होता है। यदि समाज ही नहीं होता तो सामाजिक विज्ञान की भूमिका का कोई औचित्य नहीं होता। मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का अध्ययन समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत ही किया जाता है। सामाजिक नियमों के विकास से ही विभिन्न सामाजिक संगठनों का विकास हुआ है। सामाजिक परिवर्तनों व घटनाओं के कारण सामाजिक विज्ञान की विषय-वस्तु भी बदलती रहती है।

इस विषय में **टॉयनबी** का कहना है कि, **"सामाजिक तत्वों ने ही सामाजिक विज्ञान का निर्माण किया है।"** समाज की रचना बड़ी जटिल है। इसके प्रत्येक क्षेत्र को समझना काफी कठिन है। सामाजिक संस्थाओं, मूल्यों, रीति-रिवाजों व परम्पराओं को जाने बिना समाज की संरचना व संगठन को समझना सरल नहीं है। इनको समझने व विकसित करने में समाजशास्त्र विषय का शिक्षण हमारी सहायता करता है। इस विषय के अन्तर्गत मानवीय व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। समाज को प्रगति की ओर ले जानी वाली संस्थाओं जैसे—परिवार, स्कूल, शिक्षा, चर्च, धर्म, राज्य, सरकार व श्रमिक को समझने में सामाजिक विज्ञान तथा समाज शास्त्र का मिला-जुला शिक्षण हमारी काफी सहायता करता है।

सामाजिक परिवर्तनों की मंद प्रक्रिया जो समाज में शांत प्रवाह में भीतर ही भीतर निरंतर चलती रहती है, सामाजिक संस्कृति को प्रभावित करती है व नए विचारों का सृजन करती है। पाठ्य विषय-सामग्री की दृष्टि से समाजशास्त्र व सामाजिक विज्ञान में कोई विशेष अंतर नहीं है। सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र की शिक्षण सामग्री को अन्य विषयों की सहयोगात्मक सामग्री को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष (Conclusion) : सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मानव जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को समझने के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र जैसे उप-विषयों की पाठ्य-सामग्री का समावेश किया जाता है। इतिहास मनुष्य की कहानी, अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं, नागरिक शास्त्र सरकार की नीतियों और समाजशास्त्र मनुष्य द्वारा निर्मित संस्थाओं व संगठनों को समझने में हमारी सहायता करता है। इनका समन्वित व एकीकृत रूप ही सामाजिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान का अपने उप-विषयों के साथ गहरा आपसी सहसंबंध होता है।

SKILLMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

UNIT-II

शिक्षाशास्त्र व पाठ-योजना
(Pedagogy and Lesson Planning)

शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ, महत्त्व, प्रयोग व चरण
(Meaning, Importance, Use and Step of Pedagogical Analysis)

❑ **शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इसके महत्त्व, प्रयोग व चरणों की विवेचना कीजिए।**
(What do you mean by Pedagogical Analysis? Discuss its importance, uses and steps.)

अथवा

❑ **शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण पदों का वर्णन कीजिए।**
(Explain steps of Pedagogical Analysis.) **[CRSU, 2018]**

अथवा

❑ **शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण का वर्णन कीजिए।**
(Describe Pedagogical Analysis.) **[CBLU, 2018] [MDU, 2018]**

उत्तर : शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण नामक पद दो शब्दों से लेकर बना है—शिक्षाशास्त्र तथा विश्लेषण। साधारण भाषा में इस पद का अर्थ होता है, एक ऐसा विश्लेषण जो शिक्षाशास्त्र पर आधारित होता है। यह वह प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से किसी विषय-वस्तु विशेष को उसके भागों, अवयवों तथा तत्त्वों में बांटा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम एक घड़ी के पुर्जों को अलग-अलग कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी शिक्षण प्रकरण या विषय-वस्तु को उसके विभिन्न भागों तथा अवयवों—उप-इकाइयों, प्रकरणों तथा अवधारणा विशेष में विभाजित करने का कार्य इकाई विश्लेषण (unit analysis) के माध्यम से ही करते हैं।

इस विश्लेषण प्रक्रिया का उपयोग किसी विषय खास के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु या प्रकरण को उसके विस्तृत एवं छोटे खंडों, उपखंडों, इकाई तथा उप-इकाइयों, वृहत और छोटी अवधारणाओं, खण्ड तथा उपखण्डों इत्यादि में विभाजित करने के लिए किया जाता है। यही सब बातें सामाजिक अध्ययन विषय पर भी लागू होती हैं।

सामाजिक विज्ञान के विषय में किसी प्रकरण या खंड का शिक्षण विज्ञान या शिक्षाशास्त्रीय नियमों को आधार बनाकर किया जाने वाला विश्लेषण कार्य की सामाजिक विज्ञान की विषय-वस्तु, प्रकरण या खंड का इस प्रकार का विश्लेषण शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण कहलाता है।

अर्थ
(Meaning)

विज्ञान आज हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। हम अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में, अपने कार्यों को सही तरीके से करने के लिए तथा अपने आराम तथा विकास के लिए विज्ञान की सेवाएं लेते हैं। इससे हमारी शक्ति और समय की काफी बचत होती है। कम समय व लागत में कम से

कम समय में ज्यादा से ज्यादा और बढ़िया से बढ़िया परिणामों की प्राप्ति करना सिर्फ विज्ञान के द्वारा ही संभव है। विज्ञान की यह प्रकृति है कि वह अपने प्रयोग से कम से कम साधनों को खर्च करके (Minimum Input) ज्यादा से ज्यादा अच्छे परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अधिगम शिक्षण के विज्ञान में ऐसी क्षमता और शक्ति होनी चाहिए कि उसका उपयोग एक अध्यापक अपने शिक्षण में ज्यादा से ज्यादा कर सके। शिक्षण के विज्ञान या शिक्षाशास्त्र के प्रयोग से यह उम्मीद की जाती है कि शिक्षण कार्य में सीमित साधनों के साथ हमें बढ़िया से बढ़िया शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने में पूरी-पूरी सहायता मिल सके। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण के शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण से हमारा अर्थ अध्यापक के द्वारा प्रयोग उन सभी शिक्षा विधियों तथा प्रविधियों से है, जिनके माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को ज्यादा सरलता और प्रभावी तरीके से पूर्ण करने में सक्षम हो पाता है।

महत्त्व
(Importance)

यदि हम शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण की प्रकृति या स्वरूप पर एक नजर डालें तो इसके महत्त्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) शिक्षक इसकी सहायता से शिक्षण को अच्छी तरह से संपादित कर सकता है।
(ii) अपेक्षित व्यवहार बदलावों या शिक्षण परिणामों के रूप में ज्यादा से ज्यादा अच्छे परिणामों की उपलब्धि को प्राप्त किया जा सकता है।
(iii) अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति में इसको सहायक बनाया जा सकता है।
(iv) पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रकरणों तथा खण्डों में विभाजित किया जा सकता है।
(v) शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को सरल तथा प्रभावी बनाने में शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण हमारी काफी सहायता करता है।
(vi) शिक्षण-अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति में उसकी सरलता उपलब्ध विषय-वस्तु या प्रकरण तथा शिक्षण अधिगम अनुभवों की बेहतर विधियों, प्रविधियों, तकनीकों, व्यूह-रचनाओं तथा सहायक सामग्री के द्वारा प्रस्तुत करने पर आधारित होती है, इसमें भी शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण अध्यापक का मार्ग-दर्शन करता है।
(vii) कोई भी अधिगम पूर्ण रूप से तभी सफल होता है जब समय-समय पर इसका मूल्यांकन होता रहे। यह विश्लेषण अध्यापक की इसमें भी सहायता करता है।
(viii) मूल्यांकन प्रणाली से वांछित उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया, यह भी शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण से ही पता चलता है। इसलिए अध्यापक का पूर्ण शिक्षण कार्य इसी पर केन्द्रित होता है।
(ix) शिक्षण विधियों, तकनीकों और शिक्षण साधनों में उपयुक्त तालमेल की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इसी से वांछित व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसमें भी यह विश्लेषण अध्यापक को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
(x) शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को उसका सर्वोत्तम रूप प्रदान करने में इस विश्लेषण का विशेष महत्त्व होता है।

प्रयोग
(Uses)

सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को अपने विषय-वस्तु का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण करने के लिए निम्न प्रकार से प्रयास करने चाहिए—

(i) सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु को अच्छी तरह वृहत् (Major) और लघु (Minor) प्रकरणों, खण्डों, इकाइयों संप्रत्ययों, विभागों आदि में विभाजित करना।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(ii) समय-सारणी में निर्धारित घण्टी में अच्छी तरह प्रदान की जा सकने वाली विषय सामग्री को ही पाठ, खण्ड इकाई के रूप में पढ़ाना।
(iii) कक्षा-कक्ष में जिस प्रकरण का अध्ययन करवाया जाना है उसको आगे फिर वृहत तथा लघु संप्रत्ययों या एकल संप्रत्ययों (Single Concepts) में विभाजित करना।
(iv) उपरोक्त चरणों को अपनाने के बाद प्रकरण या खण्ड के शिक्षण या अनुदेशन उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है और उन्हें निश्चित व्यवहारजन्य शब्दावली में तैयार करना।
(v) इस बात पर विचार करना चाहिए कि निर्धारित प्रकरण या खण्ड के अधिगम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। निश्चित रूप से इस कार्य के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग और सही प्रविधियों एवं विधियों का चयन किया जाना चाहिए।
(vi) शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण उपयुक्त मूल्यांकन प्रणाली के नियोजन तथा कार्यान्वयन पर अधिक जोर देता है। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण की विषय-वस्तु के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में मूल्यांकन प्रविधियों तथा तकनीकों का भी अपने शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण में अच्छी तरह प्रयोग करना भी जरूरी है।

स्तर
(Step)

सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक द्वारा शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण प्रक्रिया को संपादित करने के लिए निम्नलिखित सोपानों को अपनाया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं—
(i) विषय-वस्तु की किसी प्रकरण, इकाई, एकल संप्रत्यय का अलग-अलग शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण करना।
(ii) कक्षा-कक्ष में प्रस्तुत इकाई या प्रकरण की विषय-वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए सही अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण एवं उनको व्यवहारजन्य शब्दावली में तैयार करना।
(iii) कक्षा-कक्ष में प्रस्तुत प्रकरण या खण्ड की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सही मूल्यांकन के लिए उचित विधियों, प्रविधियों तथा तकनीकों का चुनाव करना।
(iv) पाठ्यक्रम की सफलता के लिए निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में शिक्षण विधियों, तकनीक प्रविधियों, व्यूह-रचनाएं, शिक्षण-अधिगम क्रियाओं, शिक्षण सहायक सामग्री इत्यादि का चुनाव करना।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण इकाई या विषय सामग्री को पढ़ाने की एक वैज्ञानिक व क्रमबद्ध व्यावहारिक शब्दावली है। इसे अध्यापक शिक्षण से पहले व्यावहारिक शब्दावली में तैयार करता है तथा कक्षा-कक्ष में इसे क्रियात्मक रूप प्रदान करता है। अधिगम शिक्षण के लिए निर्धारित उद्देश्यों की सफलता में शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण की विशेष भूमिका होती है। उपरोक्त तथ्यों को आधार बनाकर इसकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

भारतीय संविधान
(Indian Constitution)

❑ **'भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं तथा मौलिक कर्तव्य' उपविषय पर शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए।**
(Give pedagogical analysis of salient features of Indian Constitution and Fundamental Duties.)

अथवा

❑ **भारतीय संविधान विषय का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए।**
(Do pedagogical analysis on the topic 'Constitution of India'.)
[CBLU, 2018]

उत्तर :

भारतीय संविधान का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण
(Pedagogical Analysis of Constitution of India)

उपरोक्त सामग्री सामाजिक विज्ञान का उप-विषय 'भारतीय संविधान' की विषय-वस्तु का सम्पूर्ण समायोजन करती है। इस उप-विषय प्रकरण अथवा इकाई अध्ययन शैली के अन्तर्गत कक्षा-कक्ष में प्रस्तुत किया गया। इसको सरलतम रूप प्रदान करने व बोधगम्य बनाने के लिए विभिन्न शैक्षिक विधियों, प्रविधियों तथा तकनीकों का प्रयोग शिक्षण के समय किया गया। इस 'उप-विषय' के शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है :

I. विषय-वस्तु का विश्लेषण (Content Analysis) : शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण में सबसे पहले उप-विषय (भारतीय संविधान) की विषय-वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। इस उप-विषय की विश्लेषण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—
(i) प्रस्तावना का अर्थ
(ii) भारतीय संविधान की प्रस्तावना
(iii) संविधान का अर्थ
(iv) भारतीय संविधान के मुख्य सिद्धांत
(v) भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं—
- संघीय संरचना
- लिखित तथा निर्मित
- सबसे विस्तृत
- धर्मनिरपेक्ष राज्य
- संविधान शासन की व्यवस्था
- स्वतन्त्र निर्णय
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- कल्याणकारी राज्य की स्थापना
- आपातकालीन प्रावधान
- कठोर एवं लचीला

(vi) मौलिक कर्तव्यों का अर्थ
(vii) भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य—
- संविधान का पालन करना,
- राष्ट्रीय झंडे व राष्ट्रगान का सम्मान करना,
- आपसी-भाईचारे का विकास करना,
- स्वतन्त्रता संघर्ष के महान आदेशों का पालन करना,
- देश की प्रभुसत्ता एवम् अखण्डता की सुरक्षा करना,
- देश की सुरक्षा एवं सेवा के लिए सदा तत्पर रहना,
- राष्ट्रीय धरोहर तथा संयुक्त संस्कृति का संरक्षण,
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण,
- वातावरण व अन्य जीवों का संरक्षण,
- सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा,
- अहिंसा का पालन करना,
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रियाओं में श्रेष्ठता का विकास इत्यादि।

II. अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के संदर्भ में उद्देश्य निर्माण (Objective Formation in the context of Expected Behavioural Changes) : उपरोक्त इकाई या प्रकरण की विषय-वस्तु का

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

विश्लेषण कर लेने के बाद हम बालकों के व्यवहार में निम्नलिखित तरह के व्यवहारगत परिवर्तनों की अपेक्षा कर सकते हैं—

(i) बालकों को संविधान के अर्थ का पता चलेगा।
(ii) संविधान निर्माण के उद्देश्यों की समझ उत्पन्न होगी।
(iii) बालकों को भारतीय संविधान प्रणाली का ज्ञान होगा।
(iv) बालक संविधान की प्रस्तावना के महत्त्व को समझने में समर्थ होंगे।
(v) संविधान में प्रस्तावना के औचित्य का ज्ञान छात्रों को होगा।
(vi) संविधान निर्माण समिति का ज्ञान बालकों को प्राप्त होगा।
(vii) भारतीय संविधान की विशेषताओं का ज्ञान बालकों को होगा।
(viii) भारतीय संविधान को लचीला तथा कठोर दोनों क्यों कहा जाता है, इसका ज्ञान बालकों को प्राप्त होगा।
(ix) विभिन्न धर्म होते हुए भी भारत कैसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका ज्ञान बालकों को प्राप्त होगा।
(x) वयस्क मताधिकार के अर्थ को बालक समझने में सक्षम होंगे।
(xi) संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के अर्थ तथा महत्त्व समझने की समझ बालकों में उत्पन्न होगी।
(xii) कर्तव्यों की पालना क्यों जरूरी होती है, इसका ज्ञान बालकों को प्राप्त होगा।
(xiii) संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के विषय में छात्रों को जानकारी प्राप्त होगी।
(xiv) कल्याणकारी राज्य के अर्थ व स्वरूप की जानकारी छात्रों को प्राप्त होगी।
(xv) दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के विषय में बालकों को ज्ञान प्राप्त होगा।

III. शिक्षण विधियों, प्रविधियों, अनुदेशनात्मक सामग्री व अध्यापक-छात्र अन्तःक्रिया का विवरण (Narration of Teaching Methods, Skills Instructional Material and Pupil-Teachers' Interaction) : कक्षा-कक्ष में प्रस्तुत प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक व्याख्यान, कहानी कथन, परिचर्चा, गोष्ठी, व्याख्या विधि आदि का प्रयोग करेगा। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) चार्ट के माध्यम से शिक्षक कक्षा-कक्ष में बालकों को संविधान का अर्थ समझाइए।
(ii) स्लाइडों का प्रयोग करके अध्यापक कक्षा-कक्ष में बालकों को संविधान के महत्त्व से अवगत करवाएगा।
(iii) वृत्त-चित्र के माध्यम से अध्यापक कक्षा-कक्ष में बालकों को संविधान निर्माण की प्रक्रिया से अवगत करवाएगा।
(iv) वृक्ष-चार्ट के माध्यम से संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान शिक्षक छात्रों को करवाएगा।
(v) राष्ट्रीय झंडे का चित्र कक्षा-कक्ष में लगाकर उसमें रंगों के छिपे अर्थ को बताएगा। इससे बालक राष्ट्रीय झंडे में प्रयुक्त रंगों का अर्थ जान पाएंगे।
(vi) राष्ट्रगान के अर्थ और महत्त्व को प्रकट करने के लिए शिक्षक विभिन्न दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग अपने शिक्षण के समय कक्षा-कक्ष में करेगा।
(vii) ट्रांसपेरेन्सीज शिक्षण तकनीक के प्रयोग से अध्यापक कक्षा-कक्ष में मौलिक कर्तव्यों पर छात्रों के सामने व्याख्यान प्रस्तुत करेगा।
(viii) समूह बनाकर परिचर्चा शिक्षण विधि के तहत अध्यापक कक्षा-कक्ष में संविधान नामक उप-विषय पर बालकों को विचार-विमर्श के लिए प्रोत्साहित करेगा।
(ix) शिक्षक छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन देगा।
(x) लोकसभा कार्य प्रणाली की रिकार्ड चल-चित्र दिखाकर अध्यापक संसदीय प्रणाली का ज्ञान बालकों को प्रदान करेगा।
(xi) नाट्य-शैली के माध्यम से अध्यापक बच्चों में संसदीय कार्य प्रणाली के महत्त्व को समझाने का कार्य करेगा।

IV. मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण (Narration of Evaluation Procedure) : कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद अध्यापक विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने का प्रयास करेगा।

इस कार्य के लिए शिक्षक विविध मूल्यांकन विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करेगा; जैसे—निबंधात्मक, लघु-उत्तरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करेगा। इसके लिए अध्यापक बालकों से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछेगा—

(1) निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions) : इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न अध्यापक द्वारा दिए जा सकते हैं—

(i) संविधान के विषय में आप क्या जानते हो? वर्णन करो।
(ii) संविधान की प्रस्तावना पर एक निबन्ध लिखो।
(iii) किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? व्याख्या करो।
(iv) भारत संविधान की निर्माण प्रक्रिया पर एक विस्तृत नोट लिखो।
(v) "भारतीय संविधान दुनिया" का एक अनोखा संविधान है—कथन को स्पष्ट करें।
(vi) भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो।
(vii) मौलिक कर्तव्यों के विषय में आप क्या जानते हो? वर्णन करो।
(viii) मौलिक कर्तव्यों की उपयोगिता पर एक निबन्ध लिखो।
(ix) भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करो।

(2) लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions) : इसके अन्तर्गत अध्यापक निम्न प्रकार के प्रश्न दे सकता है—

(i) संविधान का अर्थ स्पष्ट करें।
(ii) प्रस्तावना का क्या अर्थ है?
(iii) भारतीय संविधान की निर्माण समिति में कौन-कौन सदस्य के रूप में चयनित किए गए थे?
(iv) भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था?
(v) भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था।
(vi) संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(vii) संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे।
(viii) संसदीय शासन प्रणाली का क्या अर्थ है?
(ix) भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में उच्च सदन का क्या नाम है?
(x) मौलिक कर्तव्य किन्हें कहा जाता है?
(xi) हमारे राष्ट्रीय झण्डे में कितने रंग हैं?

(3) वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions) : इन प्रश्नों के निम्न उदाहरण हो सकते हैं—

(a) रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the blank spaces) :

(i) भारतीय संविधान को ...... ई. में लागू किया गया था।
(ii) भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या ...... है।
(iii) भारतीय संविधान को ...... पारित किया गया था।
(iv) भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ...... थे।
(v) भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ...... थे।
(vi) संविधान में मौलिक कर्तव्य ...... हैं।
(vii) संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या ...... थी।

(b) सत्य/असत्य का चयन करें (Identify True/False) :

(i) संविधान सभा का गठन 1946 ई. में किया गया था।
(ii) संविधान सभा में कांग्रेस सदस्यों का बहुमत था।
(iii) संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद थे।
(iv) संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे।

CIMETRIX SKILL

(v) 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था।
(vi) मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है।
(vii) प्रस्तावना, संविधान का दर्पण है।
(viii) हमारे तिरंगे में चार रंगों का प्रयोग किया गया है।

(c) बहुविकल्पीय प्रश्न (सही उत्तर का चयन करें) [Multiple Choice Questions (Choose the Correct)] :

(i) भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था–
(a) 1946 (b) 1945
(c) 1947 (d) 1949

(ii) संविधान को लागू किया गया था–
(a) 26 जनवरी, 1949 (b) 26 जनवरी, 1950
(c) 26 जनवरी, 1947 (d) 26 जनवरी, 1948

(iii) संविधान सभा का सदस्य थे–
(a) जवाहरलाल नेहरू (b) वल्लभ भाई पटेल
(c) सरदार बलदेव सिंह (d) उपरोक्त सभा

(iv) भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है–
(a) संघीय संरचना (b) लिखित व निर्मित
(c) कठोर व लचीला (d) उपरोक्त सभी

(v) वयस्क मताधिकार के तहत कितनी आयु वाले व्यक्ति को मत का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है?
(a) 16 (b) 21
(c) 18 (d) 19

(d) उचित मिलान करें (Match the right) :

(i)	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	(a)	प्रारूप समिति के अध्यक्ष
(ii)	डॉ. भीमराव अम्बेडकर	(b)	मौलिक कर्तव्यों का समावेश
(iii)	42वां संविधान संशोधन अधिनियम	(c)	संविधान सभा के अध्यक्ष
(iv)	26 नवम्बर, 1949	(d)	26 जनवरी, 1950
(v)	भारतीय संविधान लागू	(e)	संविधान का पारित होना

उपरोक्त शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण विषय-वस्तु के अधिगम का सबसे सरलतम शिक्षण सहायक साधनों में से एक है।

भारत का विस्तार, स्थिति व भौगोलिक विशेषताएं
(Size, Location and Physical Features of India)

❑ **भारत का विस्तार, स्थिति व भौगोलिक विशेषताओं पर शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए। (Prepare a Pedagogical analysis on size, location and physical features of India.)**

अथवा

❑ **आकार, स्थिति व भारत के भौतिक तत्वों का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। (Do Pedagogical analysis on the topic "Size, Location and Physical Features of India".)** **[CRSU, 2018]**

उत्तर :

शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण (Pedagogical Analysis)

उपरोक्त सामाजिक विज्ञान का उपविषय 'भारत की भौगोलिक विशेषताएं' की विषय-वस्तु का समायोजन करता है। इस उपविषय को अनेक व विविध खंडों तथा प्रकरणों में विभाजित करके अध्ययन को सरल रूप प्रदान किया जाता है। इसके शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :

I. विषय-वस्तु का विश्लेषण (Content Analysis) : शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में सबसे पहले विषय-वस्तु का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :

1. भारत के धरातल में विभिन्न विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
2. उत्तरी पर्वतीय प्रदेश।
3. सतलुज-गंगा का मैदान।
4. दक्षिण का पठार।
5. समुद्रतटीय पठार।
6. द्वीप समूह।
7. हिमालय तथा इसकी पश्चिमी व पूर्वी सीमाएँ
8. सतलुज-गंगा मैदान का महत्त्व
9. दक्षिण पठार विश्व के सबसे प्राचीन पठारों में से एक है।
10. दक्षिण पठार की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं–
(a) पश्चिमी घाट (b) पूर्वी घाट
(c) विंध्या पर्वत (d) सभी
11. विंध्या पर्वत निम्न दिशा में स्थित है–
(a) नर्मदा नदी के उत्तर में (b) नर्मदा नदी के पश्चिम में
(c) नर्मदा नदी के पूर्व में (d) नर्मदा नदी के दक्षिण में
12. भारत की तटीय रेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है।
13. पश्चिमी तटीय मैदान को निम्न भागों में बांटा जाता है–
(a) कोंकण का मैदान (b) कर्नाटक का मैदान
(c) केरल का तट (d) उपरोक्त सभी
14. भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है।
15. पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग तमिलनाडु राज्य में फैला है।
16. कर्नाटक के मैदान की लंबाई 500 किलोमीटर है।

II. अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के संदर्भ में उद्देश्य निर्माण (Objective Formation in the Context of Expected Behavioural Changes) : उपरोक्त इकाई या प्रकरण की विषय-वस्तु का विश्लेषण कर लेने के बाद बालकों के व्यवहार में निम्नलिखित तरह के व्यवहारगत परिवर्तनों की अपेक्षा कर सकते हैं–

1. बच्चों को भारत की धरातल संबंधी विविधताओं का ज्ञान होगा।
2. उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझने में बालक समक्ष होंगे।
3. हिमालय पर्वत की विभिन्न शाखाओं का विश्लेषण करने की समझ उत्पन्न होगी।
4. उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के आकार संबंधी ज्ञान का संचय होगा।
5. भारत के हिमालय पर्वत से निकलने वाली हिम नदियों का ज्ञान प्राप्त होगा।

CIMETRIX

6. भौगोलिक भाषा के सरलीकरण में सहायता मिलेगी।
7. हिमालय पर्वत से संबंधित आंकड़ों की जानकारी का ज्ञान होगा।
8. सतलुज-गंगा मैदान के महत्त्व को बालक समझने में सक्षम होंगे।
9. बच्चों को ज्ञान होगा कि सतलुज-गंगा का मैदान इतना उपजाऊ क्यों हैं?
10. दक्षिण पठार की विभिन्न शृंखलाओं का अध्ययन लाभदायक होगा।
11. पश्चिमी व पूर्वी घाट, नीलगिरि, विंध्या पर्वत, सतपुड़ा तथा अरावली पर्वत संबंधी जानकारी को ग्रहण करने में बालक सक्षम होंगे।
12. दक्षिणी पठार के महत्त्व को बालक संचय ज्ञान के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे।
13. पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदानों के विविध पहलुओं की जानकारी बालकों को होगी।
14. द्वीप समूह के महत्त्व से बालक अवगत होंगे।
15. बंगाल की खाड़ी व अरब द्वीप समूह का सरलीकरण करने में बालक सक्षम होंगे।

III. शिक्षण विधियों, प्रविधियों, अनुदेशनात्मक सामग्री व अध्याय-छात्रा अंतःक्रिया का विवरण (Narration of Teaching Methods, Skill Instructional Material and Pupil Teacher Interaction) : उपरोक्त इकाई विषय-वस्तु का विश्लेषण करने के बाद हम बालकों के व्यवहार में निम्नलिखित प्रकार के व्यवहारगत बदलावों की अपेक्षा कर सकते हैं—

1. बालकों में भारत की भौतिक विशेषताओं को समझने का कौशल उत्पन्न होगा।
2. ग्लोब की सहायता से बालकों में भारत की भौतिक विशेषताओं का सरलीकरण करने का ज्ञान उत्पन्न होगा।
3. हिमालय पर्वत तथा उसकी श्रेणियों व हिम नदियों के महत्त्व व उपयोगिता को स्पष्ट करने का कौशल उत्पन्न होगा।
4. उपरोक्त विषय पर मानचित्र अध्ययन में उनको सहायता प्राप्त होगी।
5. देश के विविध भौतिक पहलुओं पर मॉडल का निर्माण करने में बालक सक्षम होंगे।
6. कृषि दृष्टि से सतलुज-गंगा मैदान की उपयोगिता की समझ बालकों में उत्पन्न होगी।
7. सहायक सामग्री के रूप में ग्लोब व मानचित्रों की उपयोगिता का ज्ञान बालकों को होगा।
8. भारत देश के धरातलीय आकार को समझने का ज्ञान उत्पन्न होगा।
9. ग्लोब की सहायता से भारत की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करना।
10. प्रश्नोत्तर शैली से संबंधित विषय का विश्लेषण करना।
11. श्यामपट्ट विधि के प्रयोग में सक्षम बनाना।

IV. मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण (Narration of Evaluation Procedure) : कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षक विद्यार्थियों को अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने का प्रयास करेगा। इस कार्य के लिए शिक्षक मूल्यांकन विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करेगा। जैसे—निबंधात्मक, लघु-उत्तरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करना। इसके लिए अध्यापक निम्न प्रकार के प्रश्न पूछेगा—

1. **निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions) :** इसके अंतर्गत निम्न प्रश्न होंगे—
(i) भारत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(ii) सतलुज-गंगा मैदान की विस्तृत जानकारी दीजिए।
(iii) दक्षिण के पठार का विस्तार से वर्णन कीजिए।
(iv) भारत के समुद्र तटीय मैदान का वर्णन कीजिए।
(v) भारतीय द्वीप समूहों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
2. **लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions) :** इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न होंगे—

पर खड़े हैं, प्रत्येक व्यक्ति अशांत है और इस अशांति का कारण है, मूल्यों का विनाश।"

2. व्यावसायिक कुशलता के विकास के लिए (For Development of Vocational Efficiency) : शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में व्यावसायिक कुशलता जैसे आर्थिक मूल्यों का विकास कर बेरोजगारी की समस्या से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। आधुनिक युग में बेराजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसलिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रचलन ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए।

3. सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए (For Development of Social Values) : लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक मूल्यों का काफी अधिक महत्त्व होता है। पदवी, अवसर के प्रति समानता का आदर व धन का समान बंटवारा आज के समय कुछ ऐसे सामाजिक मूल्य हैं, जिनका विकास अवश्य ही किया जाना चाहिए।

4. मानवतावादी दृष्टिकोण के विकास के लिए (For Development of Huministic Values) : आज भारत ही नहीं वरन् पूरे विश्व में मानवतावादी दृष्टिकोण का अभाव है। आज समय की मांग है कि हम मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करें। इसलिए सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत इस तरह के मूल्यों की शिक्षा देना बहुत जरूरी है।

5. पर्यावरण की संभाल के लिए (For Preservation of Environment) : वन कटाव, भूमि कटाव, पंजीकृत तकनीक द्वारा औद्योगिकरण व कृषि उत्पादों पर बल देने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अति रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण विश्व की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लालची प्रवृत्ति के कारण हो रहा है। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण हेतु मूल्य शिक्षा देना अति आवश्यक है।

6. छोटे परिवार का महत्त्व (Importance of Small Family) : जनसंख्या की सीमा निर्धारित करने से राष्ट्र का जीवन उत्तम व सुविधाजनक बन सकता है। इसलिए तत्कालीन परिस्थितियों में छोटे परिवार का महत्त्व बढ़ गया। व्यक्तियों में इस बात की समझ मूल्य शिक्षा देने से उत्पन्न की जा सकती है। मूल्य शिक्षा देने के लिए सामाजिक विज्ञान विषय से बेहतर अन्य कोई विषय नहीं है।

7. प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए (For Development of Democratic Values) : प्रजातन्त्र व लोकतांत्रिक प्रशासित देश में मूल्यों का विकास अति आवश्यक है। इस तरह की शिक्षा में अपने नागरिकों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग तथा दया जैसी भावनाओं के विकास को प्रोत्साहन देना व बालकों में इन मूल्यों को विकसित करने का प्रयास शामिल होना चाहिए।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए (To Develop Scientific Outlook) : आज का युग विज्ञान का युग है। ऐसे में प्राचीन रुढ़ियों, परम्पराओं या अन्धविश्वासों के साथ चिपके रहना स्वाभाविक विकास के लिए सही नहीं है। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक सामाजिक मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है, ताकि व्यक्ति अपनी रुढ़िवादी मान्यताओं को छोड़कर प्रत्येक बात को वैज्ञानिक ढंग से सोच सके तथा 'तथ्य' तथा 'प्रचार' में अंतर कर सके।

9. संस्कृति की सुरक्षा के लिए (For Preservation of Culture) : आज विभिन्न तरह की परिस्थितियों ने हमारी संस्कृति को इतना प्रदूषित कर दिया है कि सच्चाई, ईमानदारी, भलाई व कर्तव्यनिष्ठता जैसे सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। अतः आज समय की मांग है कि यदि हम अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति की सुरक्षा करना चाहते हैं तो मूल्यों की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए।

10. धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास के लिए (For Development of Secular Society) : धर्म निरपेक्षता स्वतंत्रता का मुख्य सामाजिक मूल्य है। सभी धर्मों के प्रति आदर, पूजा करने की स्वतंत्रता व नागरिक कार्यों की व्यवस्था करते समय धर्म को बीच में लाना धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। इन मूल्यों के अन्तर्गत सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। राज्य को धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए।

CIMETRIX

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि मूल्यों की शिक्षा द्वारा नागरिक को जागृत करना हमारा परम कर्तव्य है। व्यक्तियों को न केवल हमें मूल्यों के विषय में बताना है, अपितु उनके महत्त्व से भी उनको अवगत करवाना जरूरी है। मूल्यों की शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालकों को मूल्यों का प्रशिक्षण देना ही नहीं है, अपितु ऐसा वातावरण पैदा करना है, जिससे बच्चे स्वयं उचित और अनुचित का ज्ञान प्राप्त कर सकें। जो मूल्य उचित व हितकर हैं, उन्हें वे जीवन में धारण कर सकें तथा समाज का कल्याण कर सकें।

सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध
(Relationship of Social Science with other Subjects)

❑ **सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध की अवधारणा तथा अन्य विषयों के साथ इसके संबंधों की व्याख्या कीजिए।**
(Define the concept of Correlation in social science and its relationship with other subjects.)

अथवा

❑ **सामाजिक विज्ञान विद्यालय के अन्य विषयों के साथ कैसे संबंधित है?**
(How is Social Science correlated with other school subjects.) [MDU, 2018]

अथवा

❑ **सामाजिक विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ संबंध की विवेचना कीजिए।**
(Discuss correlation of Social Science with various subjects.) [CRSU, 2018]

उत्तर : सामाजिक विज्ञान विषय का संबंध स्कूली स्तर पर पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय तथा कार्य क्षेत्र के वास्तविक रूप में सामाजिक विज्ञान का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव का अध्ययन करना है और सभी विषय किसी न किसी रूप में मानवीय जीवन के साथ संबंधित हैं। अतः इन सभी विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान का महत्त्वपूर्ण संबंध है। स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, जीव-विज्ञान, कला तथा विभिन्न भाषाओं को पढ़ाया जाता है। इन सबका **'सामाजिक विज्ञान'** विषय के साथ घनिष्ठ संबंध है।

सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध
(Relationship of Social Science with other Subjects)

सामाजिक विज्ञान कुछ सामाजिक विज्ञान विषयों का समूह मात्र नहीं है, अपितु इसका प्राकृतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, भाषा, कला व गणित जैसे वैज्ञानिक विषयों के साथ भी गहरा संबंध है। इन महत्त्वपूर्ण विषयों व सामाजिक विज्ञान के बीच संबंध को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

1. **प्राकृतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान (Natural Science and Social Science) :** आधुनिक समय में प्राकृतिक विज्ञान की उपलब्धियां बहु-आयामी हैं। प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान जैसे-जैसे कदम आगे बढ़ाता गया, वैसे-वैसे मनुष्य जाति के इतिहास को भी प्रभावित करता चला गया। प्राकृतिक विज्ञान की उपलब्धियों ने मनुष्य की सोच व व्यवहार में काफी परिवर्तन किया। वस्त्र, आभूषण व अन्य विलासिता का भौतिक सामान विज्ञान की महत्त्वपूर्ण देन है। आज हम इस विज्ञान के कारण ही एक छोटे से गांव या नगर के स्थान पर अपने संबंधों को विश्व के दूसरे कोने के साथ जोड़कर समाज व संस्कृति और राजनीतिक स्थितियों व व्यवहार का आकलन करते हैं। प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान ने जहां मनुष्य को इतना कुछ दिया है, वहीं दूसरी ओर उसने भयानक आशंकाएं भी पैदा कर दी हैं।

इस प्रकार विज्ञान की अपनी सृजनात्मक और विध्वंसात्मक प्रकृति अपने शाश्वत रूप में आज भी विद्यमान है। स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान की करवटें और ज्ञान की गति

एक-दूसरे के प्रति सापेक्ष रूप से संबंधित है। ज्ञान चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे उसके कितने ही आयाम हों, मानव इतिहास से उसका प्रगतिगामी संबंध है। मानवीय प्रकृति की यह स्वाभाविक चेष्टा है कि मनुष्य अपने-आपको ज्यादा सुरक्षित व शक्तिशाली बनाने का निरंतर प्रयास करता है। इस कारण से मनुष्य को सदा ही सुरक्षात्मक शक्ति की आवश्यकता रही है।

सामाजिक संगठनात्मक प्रक्रिया द्वारा मनुष्य ने जिस शक्ति केन्द्र का निर्माण किया उसका नाम संस्कृति था। उसकी रक्षा करने के लिए राज्य नामक संस्था व्यवस्थित रूप से जन्मीं। प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान मनुष्य की शक्ति का मुख्य स्रोत रहा है। उसी की क्रिया-प्रतिक्रियाओं ने सामाजिक विज्ञान को रूपित किया है। आधुनिक युग में जब सामाजिक विज्ञान शास्त्रियों ने मानव-व्यवहार संबंधी जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे प्राकृतिक विज्ञान की सहायता के बिना नहीं निकाले जा सकते थे। इसलिए यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

2. **गणित व सामाजिक विज्ञान (Mathematics and Social Science) :** वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा देने का महत्त्व आज के युग में लगातार बढ़ रहा है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गणित शिक्षा का विशेष महत्त्व है। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां गणित की आवश्यकता न हो। इसलिए कोई भी समाज गणित के महत्त्व को झुठला नहीं सकता। बालक की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही गणित शिक्षण दिया जाता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों के साथ गणित को संबंधित करके पढ़ाने से विद्यार्थियों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने में मदद मिलती है। डाकखाने में बचत खाता, बैंकिंग व घरेलू बजट आदि बनाने में गणित सहायता करता है।

अतः सामाजिक अध्ययन का गणित से भी महत्त्वपूर्ण संबंध है। गणित की प्रारंभिक जानकारी आगे राज्य तथा देश की न्यायपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका व बजट प्रक्रिया आदि को समझने में सहायक सिद्ध होती है, जिससे विभिन्न समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली सारणियाँ तथा ग्राफ की भाषा अन्य कोई नहीं अपितु गणित की भाषा ही है। किसी स्थान विशेष की औसत वर्षा व तापमान आदि की सही गणना में भी गणित हमारी काफी सहायता करता है। उत्पादन, वस्तुओं की खरीद व बिक्री को गणित की सहायता से सूचीबद्ध व नियमित किया जा सकता है। अतः गणित और सामाजिक विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है।

3. **मनोविज्ञान व सामाजिक विज्ञान (Psychology and Social Science) :** सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मानव के व्यवहारगत परिवर्तनों का अध्ययन करना है। इसलिए मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान के आपसी संबंधों को नकारा नहीं जा सकता है। समाज में होने वाले सभी परिवर्तन मानव के व्यवहार से संबंधित होते हैं। मनोविज्ञान विषय हमें मानव के व्यवहार, इच्छा व स्वभाव को समझने में हमारी काफी सहायता करता है। सामाजिक समरसता और पारस्परिक व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान विषय की काफी उपयोगिता है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि आज के जटिल समाज का स्वरूप व संरचना का आधार क्या है? इस विषय के अध्ययन के माध्यम से बालकों में निर्माणात्मक प्रवृत्तियों का विकास किया जा सकता है, क्योंकि हम मनोविज्ञान विषय की सहायता से उनकी मनोवृत्ति का सही आकलन कर सकते हैं। मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान दोनों मानव विकास के लक्ष्य पर केन्द्रित हैं। मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को सरलता, सरसता तथा सुन्दरता प्रदान करता है। इससे सामाजिक विज्ञान को क्रियात्मक आधार प्राप्त होता है।

निकलसन व राईट ने लिखा है कि, **"सामाजिक विज्ञान बहुत विस्तृत विषय है और इसका अभिप्राय सारे संसार में मनुष्य का वर्तमान जीवन है।"** काफी हद तक उनका यह कथन सही लगता है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है, जो मानव को मानव के साथ संबंधित करता है। मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में आपस में गहरा संबंध है।

CIMETRIX

4. भाषा व सामाजिक विज्ञान (Language and Social Science) : भाषा के द्वारा मनुष्य, विचारों को ग्रहण और अभिव्यक्त करता है। भाषा साहित्य का माध्यम है और साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब होता है। भाषा की पाठ्य-सामग्री, कहानियां, कविताएं आदि समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं। अध्यापक के लिए भाषा के बिना सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देना असंभव है। भाषा वह माध्यम है, जिससे अध्यापक सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देता है। भाषा के द्वारा ही बालक सामाजिक प्रश्नों का चिंतन करके उन पर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। भाषा वह साधन है, जिससे अध्यापक प्रश्न पूछकर, बोलकर, समाज की रचना तथा उसके परिवर्तन प्रक्रिया से बालकों को अवगत करवाता है। भाषा विद्यार्थियों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का भी ज्ञान प्रदान करती है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अपनी विषय सामग्री उन लेखकों से भी लेते हैं, जिनकी साहित्यिक क्षेत्र में ख्याति है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा और सामाजिक विज्ञान में गहरा संबंध है।

5. कला तथा सामाजिक विज्ञान (Art and Social Science) : सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बालकों में व्यक्तिगत व सामाजिक कुशलता की क्षमता उत्पन्न करना भी होता है। कला भी अपने स्वाभाविक रूप में इस उद्देश्य की पूर्ति करती है, कला शिक्षण बालकों को विभिन्नता तथा सौन्दर्यात्मक ज्ञान उपलब्ध करवाने में सहायता करता है। बालक को अच्छे मानव के रूप में विकसित करने में कला का विशेष योगदान होता है। महान चित्रकारों, संगीतकारों, नाट्यकारों व नक्काशीकारों के कार्यों की समझ कला से ही उत्पन्न होती है। यह स्वाभाविक तथ्य है कि कलाकारों का मानव तथा समाज से सीधा संबंध होता है। जापान के सामाजिक इतिहास का विशेष महत्त्व उनके नाटकों तथा उत्सवों को लेकर ही है।

सामाजिक विज्ञान को विषय-सामग्री में चित्र, ग्राफ, नक्शे, आकृतियां, भवन, उद्योग, बांध परियोजना, समय-चार्ट व मौसम चार्ट जैसी कलात्मक ईकाइयों का बहुत महत्त्व होता है। इन सबकी समझ हमें कला शिक्षण से ही प्राप्त होती है। कला के माध्यम से सामाजिक विज्ञान अध्यापक कला संबंधी अनेक कौशलों का विकास बालकों में कर सकता है। अतः कहा जा सकता है कि कला और सामाजिक विज्ञान में गहरा संबंध होता है।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक विज्ञान का प्राकृतिक विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, भाषा व कला जैसे वैज्ञानिक व साहित्यिक विषयों के साथ गहरा संबंध है। सामाजिक विज्ञान इन विषयों से संबंधित सामग्री का ऐसा समन्वित और एकीकृत रूप है, जिसके द्वारा बालकों को अपने समाज तथा मानव संबंधों को समझने, समाज में अपने आपको अच्छी तरह व्यवस्थित होने तथा समाज और सम्पूर्ण मानव जाति को विकास के मार्ग पर चलने का समुचित अवसर प्राप्त होता है।

सामाजिक विज्ञान का अपने विभिन्न उप-विषयों के साथ सहसंबंध (Correlation of Social Science with its own Sub-subjects)

❑ **सामाजिक विज्ञान के अपने विभिन्न उप-विषयों के साथ सहसंबंध की विवेचना कीजिए।**
(Discuss the Correlation of Social Science with its own sub-subjects.)

उत्तर : सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है, जो मानव संबंधों की चर्चा करता है। वर्तमान युग की जटिलता व परिवर्तनशीलता ने विद्यालयों पर बालकों की दैनिक समस्याओं के समाधान में सहायता करने और भावी समस्याओं से निपटने हेतु उन्हें तैयार करने का विशेष उत्तरदायित्व डाल दिया है। इस उत्तरदायित्व को संभालने के लिए एक ऐसे विषय की आवश्यकता पड़ी, जो बालकों को उनकी परम्पराओं से अवगत करवाए और उन्हें सुरक्षित रखे और इसके साथ-साथ समकालीन अणु-युग में समाज के साथ समावेश की क्षमता रख सके। इसलिए इतिहास, भूगोल, नागरिक-शास्त्र व अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री का एकीकृत समावेश सामाजिक विज्ञान नामक विषय के अन्तर्गत किया गया। इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान मात्र एक विषय नहीं अपितु इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र व भू-अर्थशास्त्र का समन्वित या

एकीकृत रूप है। सामाजिक विज्ञान के इन सभी उप-विषयों का सामाजिक विज्ञान के साथ गहरा आपसी सहसंबंध है। सामाजिक विज्ञान तथा उसके उप-विषयों के आपसी सहसंबंध को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

1. इतिहास व सामाजिक विज्ञान (History and Social Science) : इतिहास बालकों को अपने अतीत व वातावरण को समझने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास का अपना विशेष महत्त्व है। इतिहास द्वारा ही अतीत की घटनाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जा सकता है। अतीत की आज के परिवेश में तुलना करके भविष्य के सुंदर निर्माण की योजना तैयार की जा सकती है। विद्यार्थियों में इतिहास को पढ़ने की रुचि को बढ़ावा देकर उनकी वांछित कुशलताओं एवं अभिवृत्तियों का विकास किया जा सकता है।

सामाजिक विज्ञान का भी मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आज के वातावरण में समहित करके अच्छा नागरिक बनाना है, जिसके द्वारा वे अतीत में अनेक शासनकालों में हुई गलतियों को सुधारकर सामाजिक कुशलता प्राप्त कर सकें। अतीत में सभ्यता से संबंधित वफादारी के उच्च आदर्शों और विशिष्ट अवधारणाओं की प्राप्ति के लिए इतिहास को पढ़ाना जरूरी है। इतिहास के माध्यम से सामाजिक विज्ञान की विषय-सामग्री को निष्पक्ष तथा प्रभावशाली खोज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे सामाजिक कार्यकलापों के बारे में रचनात्मक निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जाता है। बालकों में भारत की गुलामी और स्वतन्त्रता संग्राम से संबंधित उदाहरण देकर उनमें देशभक्ति, सहयोग और भाईचारे आदि की भावनाओं का विकास किया जा सकता है।

डॉ. दीक्षित एवं बघेला ने इतिहास और सामाजिक विज्ञान के आपसी सहसंबंध पर लिखा है, **"इतिहास शिक्षण का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य भूतकाल के प्रकाश में वर्तमान को समझना है।"**

2. भूगोल व सामाजिक विज्ञान (Geography and Social Science) : सामाजिक विज्ञान एक विषय ही नहीं है, अपितु एक घर है, जिसमें सभी उप-विषय निवास करते हैं। सामाजिक विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे—भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास व समाजशास्त्र आदि एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल का भी विशेष महत्त्व है। आधुनिक भूगोल की विषय-वस्तु मानव के भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण पर केंद्रित है। इसलिए भूगोल विषय की समझ के बिना सामाजिक विज्ञान विषय अपूर्ण है। भूगोल पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए मानव के प्राचीनतम अध्ययनों में से एक है। वर्तमान काल में भूगोल का संबंध एक तरफ सामाजिक विज्ञान और दूसरी तरफ भौतिक विज्ञान से है। भूगोल को पारस्परिक संबंध का विषय भी कहा जाता है। भूगोल का एक बड़ा भाग सामाजिक विज्ञान से संबंध रखता है। इसलिए भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान एक-दूसरे के पूरक हैं। प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान से संबंध के कारण भूगोल विषय छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। घटना के कालक्रम का संबंध जहां इतिहास से होता है, वहीं उस घटना के क्षेत्र का संबंध भूगोल से होता है। भूगोल उन घटनाओं का प्रतिवेदन है, जो किसी क्षेत्र विशेष में घटित हुईं। आज सामाजिक विज्ञान की आधुनिक पाठ्य-वस्तु एकांकी नहीं है, अपितु समाज के बहुत-से क्षेत्रों की परिस्थितियां इससे जुड़ी हुई हैं तथा मानवीय क्रियाएं भौगोलिक तथ्यों द्वारा नियंत्रित होती हैं। भूगोल विषय सामाजिक विज्ञान से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि भूगोल ही समाज के ढांचे को तैयार करता है।

इसके अतिरिक्त प्राकृतिक वातावरण एवं सामाजिक व्यवस्थाएं भी एक-दूसरे के साथ जुड़ी होने के कारण सामाजिक विज्ञान के साथ भूगोल का आपसी सहसंबंध काफी गहरा हो जाता है। किसी राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पूंजी वहां की भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करती है। भूगोल व सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी के अध्ययन के साथ-साथ वहां पर रहने वाले लोगों के समाज का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान तथा भूगोल एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों विषय एक-दूसरे के गुणों से जुड़े हुए हैं।

3. नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान (Civics and Social Science) : नागरिक शास्त्र का सामाजिक विज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध है। नागरिकशास्त्र नामक उप-विषय के तहत नेतृत्व, राजनैतिक चेतना, राजनीतिक समानता, राज सत्ता, प्रशासन प्रणाली व अन्य राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। समाज में रहने वाले सभ्य मानव नागरिक कहलाते हैं। सामाजिक विज्ञान का भी एक प्रमुख उद्देश्य बालक को भविष्य का योग्य नागरिक बनाना होता है। नागरिकों के व्यक्तित्व, आचार-विचार व मूल्यों को बताने वाले शास्त्र को ही नागरिक शास्त्र कहा जाता है।

नागरिक शास्त्र ही स्वस्थ व अच्छे व्यवहार का ज्ञान देकर व्यक्ति का समायोजित व्यक्तित्व तैयार करता है। नागरिक के व्यक्तित्व में भाईचारे, हित व सुरक्षा की भावना नागरिक शास्त्र ही उत्पन्न करता है। नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य आदर्श नागरिक तैयार करना है। आदर्श नागरिक संतुलित व्यक्तित्व का मालिक होता है। सामाजिक विज्ञान में छात्रों को स्वयं की भावनाओं की महत्त्वता को दर्शाते हुए अपने पड़ोस, नगर, घर आदि की भी भावनाओं की कद्र करने का अभ्यास करवाया जाता है अर्थात् सामाजिक विज्ञान छात्रों की स्वच्छता के महत्त्व पर बल देता है।

दार्शनिक अरस्तू के अनुसार, **"स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है।"** नागरिक शास्त्र द्वारा महत्त्वपूर्ण नागरिक समस्याओं के बारे में उचित ढंग से वाद-विवाद किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य आदर्श समाज की स्थापना एवं देश के भावी कर्णधार तैयार करना है। परिणामस्वरूप नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का अभिन्न उप-विषय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अच्छे समाज के निर्माण में अच्छे नागरिकों की आवश्यकता होती है और ऐसा करने में सामाजिक विज्ञान अपने उप-विषय के साथ मिलकर महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

4. अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान (Economics and Social Science) : सामाजिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र भी अंतर्संबंधित है। अर्थशास्त्र के अन्तर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक विज्ञान अर्थ अर्थात् धन से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख करता है। इन क्रियाओं का संबंध धन के वितरण, उपयोग, उत्पादन, उपभोग, बचत व निवेश आदि संबंधित क्रियाओं से होता है। आज के युग में अर्थ की महत्त्वता काफी बढ़ गई है, क्योंकि समाज की भौतिक उन्नति का बुनियादी आधार धन ही है। मनुष्य द्वारा की गई सभी धन से संबंधित क्रियाएँ अर्थशास्त्र विषय के अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। मानव की तीन बुनियादी जरूरतें हैं–रोटी, कपड़ा और मकान। इसलिए समाज की यह जिम्मेदारी है कि वह मनुष्य की इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। आर्थिक आवश्यकता सभी सामाजिक चरित्रों का मुख्य स्रोत है। समाज में भुखमरी उत्पन्न होने से पाप बढ़ते हैं, अशांति फैलती है तथा भूख से पीड़ित मानव कुछ भी करने के लिए विवश हो जाता है।

इसलिए सामाजिक विज्ञान के माध्यम से बालकों को विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की समझ देना आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकता का सीधा संबंध उसके सामाजिक जीवन से होता है। अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान एक-दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक नागरिक को आर्थिक क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं दूसरा उसमें प्राप्त आर्थिक संसाधनों के सही उपयोग की समझ पैदा करता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि धन का अभाव व उसका असमान वितरण विभिन्न सामाजिक व राजनैतिक क्रांतियों का कारण रहा है। इसलिए इतिहास, भूगोल व नागरिक शास्त्र की तरह अर्थशास्त्र का भी सामाजिक विज्ञान के साथ गहरा संबंध है। इन सब उप-विषयों का एकीकृत अध्ययन (सामाजिक विज्ञान) ही बालक के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

5. समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान (Sociology and Social Science) : समाज सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आधारशिला है।

रेनियर के अनुसार, **"सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास की पृष्ठभूमि तथा राजनैतिक इतिहास की कसौटी है।"** समाजशास्त्र का विकास सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। वास्तव में समाजशास्त्र

समाज या समाजों का अध्ययन होता है। यदि समाज ही नहीं होता तो सामाजिक विज्ञान की भूमिका का कोई औचित्य नहीं होता। मानवीय व्यवहार के सामान्य नियमों का अध्ययन समाजशास्त्र विषय के अन्तर्गत ही किया जाता है। सामाजिक नियमों के विकास से ही विभिन्न सामाजिक संगठनों का विकास हुआ है। सामाजिक परिवर्तनों व घटनाओं के कारण सामाजिक विज्ञान की विषय-वस्तु भी बदलती रहती है।

इस विषय में **टॉयनबी** का कहना है कि, **"सामाजिक तत्वों ने ही सामाजिक विज्ञान का निर्माण किया है।"** समाज की रचना बड़ी जटिल है। इसके प्रत्येक क्षेत्र को समझना काफी कठिन है। सामाजिक संस्थाओं, मूल्यों, रीति-रिवाजों व परम्पराओं को जाने बिना समाज की संरचना व संगठन को समझना सरल नहीं है। इनको समझने व विकसित करने में समाजशास्त्र विषय का शिक्षण हमारी सहायता करता है। इस विषय के अन्तर्गत मानवीय व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। समाज को प्रगति की ओर ले जानी वाली संस्थाओं जैसे–परिवार, स्कूल, शिक्षा, चर्च, धर्म, राज्य, सरकार व श्रमिक को समझने में सामाजिक विज्ञान तथा समाज शास्त्र का मिला-जुला शिक्षण हमारी काफी सहायता करता है।

सामाजिक परिवर्तनों की मंद प्रक्रिया जो समाज में शांत प्रवाह में भीतर ही भीतर निरंतर चलती रहती है, सामाजिक संस्कृति को प्रभावित करती है व नए विचारों का सृजन करती है। पाठ्य विषय-सामग्री की दृष्टि से समाजशास्त्र व सामाजिक विज्ञान में कोई विशेष अंतर नहीं है। सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र की शिक्षण सामग्री को अन्य विषयों की सहयोगात्मक सामग्री को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष (Conclusion) : सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मानव जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को समझने के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र जैसे उप-विषयों की पाठ्य-सामग्री का समावेश किया जाता है। इतिहास मनुष्य की कहानी, अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं, नागरिक शास्त्र सरकार की नीतियों और समाजशास्त्र मनुष्य द्वारा निर्मित संस्थाओं व संगठनों को समझने में हमारी सहायता करता है। इनका समन्वित व एकीकृत रूप ही सामाजिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान का अपने उप-विषयों के साथ गहरा आपसी सहसंबंध होता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

UNIT-II

शिक्षाशास्त्र व पाठ-योजना
(Pedagogy and Lesson Planning)

शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण का अर्थ, महत्त्व, प्रयोग व चरण
(Meaning, Importance, Use and Step of Pedagogical Analysis)

❑ **शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इसके महत्त्व, प्रयोग व चरणों की विवेचना कीजिए।**
(What do you mean by Pedagogical Analysis? Discuss its importance, uses and steps.)

अथवा

❑ **शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण पदों का वर्णन कीजिए।**
(Explain steps of Pedagogical Analysis.) **[CRSU, 2018]**

अथवा

❑ **शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण का वर्णन कीजिए।**
(Describe Pedagogical Analysis.) **[CBLU, 2018] [MDU, 2018]**

उत्तर : शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण नामक पद दो शब्दों से लेकर बना है—शिक्षाशास्त्र तथा विश्लेषण। साधारण भाषा में इस पद का अर्थ होता है, एक ऐसा विश्लेषण जो शिक्षाशास्त्र पर आधारित होता है। यह वह प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से किसी विषय-वस्तु विशेष को उसके भागों, अवयवों तथा तत्त्वों में बांटा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम एक घड़ी के पुर्जों को अलग-अलग कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी शिक्षण प्रकरण या विषय-वस्तु को उसके विभिन्न भागों तथा अवयवों—उप-इकाइयों, प्रकरणों तथा अवधारणा विशेष में विभाजित करने का कार्य इकाई विश्लेषण (unit analysis) के माध्यम से ही करते हैं।

इस विश्लेषण प्रक्रिया का उपयोग किसी विषय खास के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु या प्रकरण को उसके विस्तृत एवं छोटे खंडों, उपखंडों, इकाई तथा उप-इकाइयों, वृहत और छोटी अवधारणाओं, खण्ड तथा उपखण्डों इत्यादि में विभाजित करने के लिए किया जाता है। यही सब बातें सामाजिक अध्ययन विषय पर भी लागू होती हैं।

सामाजिक विज्ञान के विषय में किसी प्रकरण या खंड का शिक्षण विज्ञान या शिक्षाशास्त्रीय नियमों को आधार बनाकर किया जाने वाला विश्लेषण कार्य की सामाजिक विज्ञान की विषय-वस्तु, प्रकरण या खंड का इस प्रकार का विश्लेषण शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण कहलाता है।

अर्थ
(Meaning)

विज्ञान आज हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। हम अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में, अपने कार्यों को सही तरीके से करने के लिए तथा अपने आराम तथा विकास के लिए विज्ञान की सेवाएं लेते हैं। इससे हमारी शक्ति और समय की काफी बचत होती है। कम समय व लागत में कम से

कम समय में ज्यादा से ज्यादा और बढ़िया से बढ़िया परिणामों की प्राप्ति करना सिर्फ विज्ञान के द्वारा ही संभव है। विज्ञान की यह प्रकृति है कि वह अपने प्रयोग से कम से कम साधनों को खर्च करके (Minimum Input) ज्यादा से ज्यादा अच्छे परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अधिगम शिक्षण के विज्ञान में ऐसी क्षमता और शक्ति होनी चाहिए कि उसका उपयोग एक अध्यापक अपने शिक्षण में ज्यादा से ज्यादा कर सके। शिक्षण के विज्ञान या शिक्षाशास्त्र के प्रयोग से यह उम्मीद की जाती है कि शिक्षण कार्य में सीमित साधनों के साथ हमें बढ़िया से बढ़िया शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने में पूरी-पूरी सहायता मिल सके। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण के शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण से हमारा अर्थ अध्यापक के द्वारा प्रयोग उन सभी शिक्षा विधियों तथा प्रविधियों से है, जिनके माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को ज्यादा सरलता और प्रभावी तरीके से पूर्ण करने में सक्षम हो पाता है।

महत्त्व
(Importance)

यदि हम शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण की प्रकृति या स्वरूप पर एक नजर डालें तो इसके महत्त्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) शिक्षक इसकी सहायता से शिक्षण को अच्छी तरह से संपादित कर सकता है।
(ii) अपेक्षित व्यवहार बदलावों या शिक्षण परिणामों के रूप में ज्यादा से ज्यादा अच्छे परिणामों की उपलब्धि को प्राप्त किया जा सकता है।
(iii) अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति में इसको सहायक बनाया जा सकता है।
(iv) पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रकरणों तथा खण्डों में विभाजित किया जा सकता है।
(v) शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को सरल तथा प्रभावी बनाने में शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण हमारी काफी सहायता करता है।
(vi) शिक्षण-अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति में उसकी सरलता उपलब्ध विषय-वस्तु या प्रकरण तथा शिक्षण अधिगम अनुभवों की बेहतर विधियों, प्रविधियों, तकनीकों, व्यूह-रचनाओं तथा सहायक सामग्री के द्वारा प्रस्तुत करने पर आधारित होती है, इसमें भी शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण अध्यापक का मार्ग-दर्शन करता है।
(vii) कोई भी अधिगम पूर्ण रूप से तभी सफल होता है जब समय-समय पर इसका मूल्यांकन होता रहे। यह विश्लेषण अध्यापक की इसमें भी सहायता करता है।
(viii) मूल्यांकन प्रणाली से वांछित उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया, यह भी शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण से ही पता चलता है। इसलिए अध्यापक का पूर्ण शिक्षण कार्य इसी पर केन्द्रित होता है।
(ix) शिक्षण विधियों, तकनीकों और शिक्षण साधनों में उपयुक्त तालमेल की अत्यन्त आवश्यकता होती हैं। इसी से वांछित व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसमें भी यह विश्लेषण अध्यापक को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
(x) शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को उसका सर्वोत्तम रूप प्रदान करने में इस विश्लेषण का विशेष महत्त्व होता है।

प्रयोग
(Uses)

सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को अपने विषय-वस्तु का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण करने के लिए निम्न प्रकार से प्रयास करने चाहिए—

(i) सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु को अच्छी तरह वृहत् (Major) और लघु (Minor) प्रकरणों, खण्डों, इकाइयों संप्रत्ययों, विभागों आदि में विभाजित करना।

(ii) समय-सारणी में निर्धारित घण्टी में अच्छी तरह प्रदान की जा सकने वाली विषय सामग्री को ही पाठ, खण्ड इकाई के रूप में पढ़ाना।

(iii) कक्षा-कक्ष में जिस प्रकरण का अध्ययन करवाया जाना है उसको आगे फिर वृहत तथा लघु संप्रत्ययों या एकल संप्रत्ययों (Single Concepts) में विभाजित करना।

(iv) उपरोक्त चरणों को अपनाने के बाद प्रकरण या खण्ड के शिक्षण या अनुदेशन उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है और उन्हें निश्चित व्यवहारजन्य शब्दावली में तैयार करना।

(v) इस बात पर विचार करना चाहिए कि निर्धारित प्रकरण या खण्ड के अधिगम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। निश्चित रूप से इस कार्य के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग और सही प्रविधियों एवं विधियों का चयन किया जाना चाहिए।

(vi) शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण उपयुक्त मूल्यांकन प्रणाली के नियोजन तथा कार्यान्वयन पर अधिक जोर देता है। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण की विषय-वस्तु के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में मूल्यांकन प्रविधियों तथा तकनीकों का भी अपने शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण में अच्छी तरह प्रयोग करना भी जरूरी है।

स्तर
(Step)

सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक द्वारा शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण प्रक्रिया को संपादित करने के लिए निम्नलिखित सोपानों को अपनाया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं—

(i) विषय-वस्तु की किसी प्रकरण, इकाई, एकल संप्रत्यय का अलग-अलग शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण करना।

(ii) कक्षा-कक्ष में प्रस्तुत इकाई या प्रकरण की विषय-वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए सही अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण एवं उनको व्यवहारजन्य शब्दावली में तैयार करना।

(iii) कक्षा-कक्ष में प्रस्तुत प्रकरण या खण्ड की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सही मूल्यांकन के लिए उचित विधियों, प्रविधियों तथा तकनीकों का चुनाव करना।

(iv) पाठ्यक्रम की सफलता के लिए निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में शिक्षण विधियों, तकनीक प्रविधियों, व्यूह-रचनाएं, शिक्षण-अधिगम क्रियाओं, शिक्षण सहायक सामग्री इत्यादि का चुनाव करना।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण इकाई या विषय सामग्री को पढ़ाने की एक वैज्ञानिक व क्रमबद्ध व्यावहारिक शब्दावली है। इसे अध्यापक शिक्षण से पहले व्यावहारिक शब्दावली में तैयार करता है तथा कक्षा-कक्ष में इसे क्रियात्मक रूप प्रदान करता है। अधिगम शिक्षण के लिए निर्धारित उद्देश्यों की सफलता में शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण की विशेष भूमिका होती है। उपरोक्त तथ्यों को आधार बनाकर इसकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

भारतीय संविधान
(Indian Constitution)

❑ **'भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं तथा मौलिक कर्तव्य' उप-विषय पर शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए।**
(Give pedagogical analysis of salient features of Indian Constitution and Fundamental Duties.)

अथवा

❑ **भारतीय संविधान विषय का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए।**

(Do pedagogical analysis on the topic 'Constitution of India'.)
[CBLU, 2018]

उत्तर :

भारतीय संविधान का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण
(Pedagogical Analysis of Constitution of India)

उपरोक्त सामग्री सामाजिक विज्ञान का उप-विषय 'भारतीय संविधान' की विषय-वस्तु का सम्पूर्ण समायोजन करती है। इस उप-विषय प्रकरण अथवा इकाई अध्ययन शैली के अन्तर्गत कक्षा-कक्ष में प्रस्तुत किया गया। इसको सरलतम रूप प्रदान करने व बोधगम्य बनाने के लिए विभिन्न शैक्षिक विधियों, प्रविधियों तथा तकनीकों का प्रयोग शिक्षण के समय किया गया। इस 'उप-विषय' के शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है :

I. विषय-वस्तु का विश्लेषण (Content Analysis) : शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण में सबसे पहले उप-विषय (भारतीय संविधान) की विषय-वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। इस उप-विषय की विश्लेषण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) प्रस्तावना का अर्थ
(ii) भारतीय संविधान की प्रस्तावना
(iii) संविधान का अर्थ
(iv) भारतीय संविधान के मुख्य सिद्धांत
(v) भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं—

- संघीय संरचना
- लिखित तथा निर्मित
- सबसे विस्तृत
- धर्मनिरपेक्ष राज्य
- संविधान शासन की व्यवस्था
- स्वतन्त्र निर्णय
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- कल्याणकारी राज्य की स्थापना
- आपातकालीन प्रावधान
- कठोर एवं लचीला

(vi) मौलिक कर्तव्यों का अर्थ
(vii) भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य—

- संविधान का पालन करना,
- राष्ट्रीय झंडे व राष्ट्रगान का सम्मान करना,
- आपसी-भाईचारे का विकास करना,
- स्वतन्त्रता संघर्ष के महान आदेशों का पालन करना,
- देश की प्रभुसत्ता एवमू अखण्डता की सुरक्षा करना,
- देश की सुरक्षा एवं सेवा के लिए सदा तत्पर रहना,
- राष्ट्रीय धरोहर तथा संयुक्त संस्कृति का संरक्षण,
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण,
- वातावरण व अन्य जीवों का संरक्षण,
- सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा,
- अहिंसा का पालन करना,
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रियाओं में श्रेष्ठता का विकास इत्यादि।

II. अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के संदर्भ में उद्देश्य निर्माण (Objective Formation in the context of Expected Behavioural Changes) : उपरोक्त इकाई या प्रकरण की विषय-वस्तु का

IMETRIX SKILLED INDIA

विश्लेषण कर लेने के बाद हम बालकों के व्यवहार में निम्नलिखित तरह के व्यवहारगत परिवर्तनों की अपेक्षा कर सकते हैं–

(i) बालकों को संविधान के अर्थ का पता चलेगा।
(ii) संविधान निर्माण के उद्देश्यों की समझ उत्पन्न होगी।
(iii) बालकों को भारतीय संविधान प्रणाली का ज्ञान होगा।
(iv) बालक संविधान की प्रस्तावना के महत्त्व को समझने में समर्थ होंगे।
(v) संविधान में प्रस्तावना के औचित्य का ज्ञान छात्रों को होगा।
(vi) संविधान निर्माण समिति का ज्ञान बालकों को प्राप्त होगा।
(vii) भारतीय संविधान की विशेषताओं का ज्ञान बालकों को होगा।
(viii) भारतीय संविधान को लचीला तथा कठोर दोनों क्यों कहा जाता है, इसका ज्ञान बालकों को प्राप्त होगा।
(ix) विभिन्न धर्म होते हुए भी भारत कैसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका ज्ञान बालकों को प्राप्त होगा।
(x) वयस्क मताधिकार के अर्थ को बालक समझने में सक्षम होंगे।
(xi) संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के अर्थ तथा महत्त्व समझने की समझ बालकों में उत्पन्न होगी।
(xii) कर्तव्यों की पालना क्यों जरूरी होती है, इसका ज्ञान बालकों को प्राप्त होगा।
(xiii) संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के विषय में छात्रों को जानकारी प्राप्त होगी।
(xiiv) कल्याणकारी राज्य के अर्थ व स्वरूप की जानकारी छात्रों को प्राप्त होगी।
(xv) दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के विषय में बालकों को ज्ञान प्राप्त होगा।

III. शिक्षण विधियों, प्रविधियों, अनुदेशनात्मक सामग्री व अध्यापक-छात्र अन्तःक्रिया का विवरण (Narration of Teaching Methods, Skills Instructional Material and Pupil-Teachers' Interaction) : कक्षा-कक्ष में प्रस्तुत प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक व्याख्यान, कहानी कथन, परिचर्चा, गोष्ठी, व्याख्या विधि आदि का प्रयोग करेगा। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) चार्ट के माध्यम से शिक्षक कक्षा-कक्ष में बालकों को संविधान का अर्थ समझाइए।
(ii) स्लाइडों का प्रयोग करके अध्यापक कक्षा-कक्ष में बालकों को संविधान के महत्त्व से अवगत करवाएगा।
(iii) वृत्त-चित्र के माध्यम से अध्यापक कक्षा-कक्ष में बालकों को संविधान निर्माण की प्रक्रिया से अवगत करवाएगा।
(iv) वृक्ष-चार्ट के माध्यम से संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान शिक्षक छात्रों को करवाएगा।
(v) राष्ट्रीय झंडे का चित्र कक्षा-कक्ष में लगाकर उसमें रंगों के छिपे अर्थ को बताएगा। इससे बालक राष्ट्रीय झंडे में प्रयुक्त रंगों का अर्थ जान पाएंगे।
(vi) राष्ट्रगान के अर्थ और महत्त्व को प्रकट करने के लिए शिक्षक विभिन्न दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग अपने शिक्षण के समय कक्षा-कक्ष में करेगा।
(vii) ट्रांसपेरेन्सीज शिक्षण तकनीक के प्रयोग से अध्यापक कक्षा-कक्ष में मौलिक कर्तव्यों पर छात्रों के सामने व्याख्यान प्रस्तुत करेगा।
(viii) समूह बनाकर परिचर्चा शिक्षण विधि के तहत अध्यापक कक्षा-कक्ष में संविधान नामक उप-विषय पर बालकों को विचार-विमर्श के लिए प्रोत्साहित करेगा।
(ix) शिक्षक छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन देगा।
(x) लोकसभा कार्य प्रणाली की रिकार्ड चल-चित्र दिखाकर अध्यापक संसदीय प्रणाली का ज्ञान बालकों को प्रदान करेगा।
(xi) नाट्य-शैली के माध्यम से अध्यापक बच्चों में संसदीय कार्य प्रणाली के महत्त्व को समझाने का कार्य करेगा।

IV. मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण (Narration of Evaluation Procedure) : कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद अध्यापक विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने का प्रयास करेगा।

इस कार्य के लिए शिक्षक विविध मूल्यांकन विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करेगा; जैसे–निबंधात्मक, लघु-उत्तरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करेगा। इसके लिए अध्यापक बालकों से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछेगा–

(1) निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions) : इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न अध्यापक द्वारा दिए जा सकते हैं–

(i) संविधान के विषय में आप क्या जानते हो? वर्णन करो।
(ii) संविधान की प्रस्तावना पर एक निबन्ध लिखो।
(iii) किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? व्याख्या करो।
(iv) भारत संविधान की निर्माण प्रक्रिया पर एक विस्तृत नोट लिखो।
(v) "भारतीय संविधान दुनिया" का एक अनोखा संविधान है–कथन को स्पष्ट करें।
(vi) भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो।
(vii) मौलिक कर्तव्यों के विषय में आप क्या जानते हो? वर्णन करो।
(viii) मौलिक कर्तव्यों की उपयोगिता पर एक निबन्ध लिखो।
(ix) भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करो।

(2) लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions) : इसके अन्तर्गत अध्यापक निम्न प्रकार के प्रश्न दे सकता है–

(i) संविधान का अर्थ स्पष्ट करें।
(ii) प्रस्तावना का क्या अर्थ है?
(iii) भारतीय संविधान की निर्माण समिति में कौन-कौन सदस्य के रूप में चयनित किए गए थे?
(iv) भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था?
(v) भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था।
(vi) संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(vii) संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे।
(viii) संसदीय शासन प्रणाली का क्या अर्थ है?
(ix) भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में उच्च सदन का क्या नाम है?
(x) मौलिक कर्तव्य किन्हें कहा जाता है?
(xi) हमारे राष्ट्रीय झण्डे में कितने रंग हैं?

(3) वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions) : इन प्रश्नों के निम्न उदाहरण हो सकते हैं–

(a) रिक्त स्थानों की पूर्ति करें (Fill in the blank spaces) :

(i) भारतीय संविधान को ...... ई. में लागू किया गया था।
(ii) भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या ...... है।
(iii) भारतीय संविधान को ...... पारित किया गया था।
(iv) भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ...... थे।
(v) भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ...... थे।
(vi) संविधान में मौलिक कर्तव्य ...... है।
(vii) संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या ...... थी।

(b) सत्य/असत्य का चयन करें (Identify True/False) :

(i) संविधान सभा का गठन 1946 ई. में किया गया था।
(ii) संविधान सभा में कांग्रेस सदस्यों का बहुमत था।
(iii) संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद थे।
(iv) संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे।

(v) 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था।
(vi) मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है।
(vii) प्रस्तावना, संविधान का दर्पण है।
(viii) हमारे तिरंगे में चार रंगों का प्रयोग किया गया है।

(c) बहुविकल्पीय प्रश्न (सही उत्तर का चयन करें) [Multiple Choice Questions (Choose the Correct)] :

(i) भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था–
(a) 1946 (b) 1945
(c) 1947 (d) 1949

(ii) संविधान को लागू किया गया था–
(a) 26 जनवरी, 1949 (b) 26 जनवरी, 1950
(c) 26 जनवरी, 1947 (d) 26 जनवरी, 1948

(iii) संविधान सभा का सदस्य थे–
(a) जवाहरलाल नेहरू (b) वल्लभ भाई पटेल
(c) सरदार बलदेव सिंह (d) उपरोक्त सभा

(iv) भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है–
(a) संघीय संरचना (b) लिखित व निर्मित
(c) कठोर व लचीला (d) उपरोक्त सभी

(v) वयस्क मताधिकार के तहत कितनी आयु वाले व्यक्ति को मत का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है?
(a) 16 (b) 21
(c) 18 (d) 19

(d) उचित मिलान करें (Match the right) :

(i)	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	(a)	प्रारूप समिति के अध्यक्ष
(ii)	डॉ. भीमराव अम्बेडकर	(b)	मौलिक कर्तव्यों का समावेश
(iii)	42वां संविधान संशोधन अधिनियम	(c)	संविधान सभा के अध्यक्ष
(iv)	26 नवम्बर, 1949	(d)	26 जनवरी, 1950
(v)	भारतीय संविधान लागू	(e)	संविधान का पारित होना

उपरोक्त शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण विषय-वस्तु के अधिगम का सबसे सरलतम शिक्षण सहायक साधनों में से एक है।

भारत का विस्तार, स्थिति व भौगोलिक विशेषताएं
(Size, Location and Physical Features of India)

❑ **भारत का विस्तार, स्थिति व भौगोलिक विशेषताओं पर शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए।**
(Prepare a Pedagogical analysis on size, location and physical features of India.)

अथवा

❑ **आकार, स्थिति व भारत के भौतिक तत्वों का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण कीजिए।**
(Do Pedagogical analysis on the topic "Size, Location and Physical Features of India".) **[CRSU, 2018]**

उत्तर :

शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण
(Pedagogical Analysis)

उपरोक्त सामाजिक विज्ञान का उपविषय 'भारत की भौगोलिक विशेषताएं' की विषय-वस्तु का समायोजन करता है। इस उपविषय को अनेक व विविध खंडों तथा प्रकरणों में विभाजित करके अध्ययन को सरल रूप प्रदान किया जाता है। इसके शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :

I. विषय-वस्तु का विश्लेषण (Content Analysis) : शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में सबसे पहले विषय-वस्तु का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :

1. भारत के धरातल में विभिन्न विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
2. उत्तरी पर्वतीय प्रदेश।
3. सतलुज-गंगा का मैदान।
4. दक्षिण का पठार।
5. समुद्रतटीय पठार।
6. द्वीप समूह।
7. हिमालय तथा इसकी पश्चिमी व पूर्वी सीमाएँ
8. सतलुज-गंगा मैदान का महत्त्व
9. दक्षिण पठार विश्व के सबसे प्राचीन पठारों में से एक है।
10. दक्षिण पठार की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं–
(a) पश्चिमी घाट (b) पूर्वी घाट
(c) विंध्या पर्वत (d) सभी
11. विंध्या पर्वत निम्न दिशा में स्थित है–
(a) नर्मदा नदी के उत्तर में (b) नर्मदा नदी के पश्चिम में
(c) नर्मदा नदी के पूर्व में (d) नर्मदा नदी के दक्षिण में
12. भारत की तटीय रेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है।
13. पश्चिमी तटीय मैदान को निम्न भागों में बांटा जाता है–
(a) कोंकण का मैदान (b) कर्नाटक का मैदान
(c) केरल का तट (d) उपरोक्त सभी
14. भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है।
15. पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग तमिलनाडु राज्य में फैला है।
16. कर्नाटक के मैदान की लंबाई 500 किलोमीटर है।

II. अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के संदर्भ में उद्देश्य निर्माण (Objective Formation in the Context of Expected Behavioural Changes) : उपरोक्त इकाई या प्रकरण की विषय-वस्तु का विश्लेषण कर लेने के बाद बालकों के व्यवहार में निम्नलिखित तरह के व्यवहारगत परिवर्तनों की अपेक्षा कर सकते हैं–

1. बच्चों को भारत की धरातल संबंधी विविधताओं का ज्ञान होगा।
2. उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझने में बालक समक्ष होंगे।
3. हिमालय पर्वत की विभिन्न शाखाओं का विश्लेषण करने की समझ उत्पन्न होगी।
4. उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के आकार संबंधी ज्ञान का संचय होगा।
5. भारत के हिमालय पर्वत से निकलने वाली हिम नदियों का ज्ञान प्राप्त होगा।

CIMETRIX
SKILLEDINDIA

6. भौगोलिक भाषा के सरलीकरण में सहायता मिलेगी।
7. हिमालय पर्वत से संबंधित आंकड़ों की जानकारी का ज्ञान होगा।
8. सतलुज-गंगा मैदान के महत्त्व को बालक समझने में सक्षम होंगे।
9. बच्चों को ज्ञान होगा कि सतलुज-गंगा का मैदान इतना उपजाऊ क्यों हैं?
10. दक्षिण पठार की विभिन्न शृंखलाओं का अध्ययन लाभदायक होगा।
11. पश्चिमी व पूर्वी घाट, नीलगिरि, विंध्या पर्वत, सतपुड़ा तथा अरावली पर्वत संबंधी जानकारी को ग्रहण करने में बालक सक्षम होंगे।
12. दक्षिणी पठार के महत्त्व को बालक संचय ज्ञान के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे।
13. पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदानों के विविध पहलुओं की जानकारी बालकों को होगी।
14. द्वीप समूह के महत्त्व से बालक अवगत होंगे।
15. बंगाल की खाड़ी व अरब द्वीप समूह का सरलीकरण करने में बालक सक्षम होंगे।

III. शिक्षण विधियों, प्रविधियों, अनुदेशनात्मक सामग्री व अध्याय-छात्रा अंतःक्रिया का विवरण (Narration of Teaching Methods, Skill Instructional Material and Pupil Teacher Interaction) : उपरोक्त इकाई विषय-वस्तु का विश्लेषण करने के बाद हम बालकों के व्यवहार में निम्नलिखित प्रकार के व्यवहारगत बदलावों की अपेक्षा कर सकते हैं–

1. बालकों में भारत की भौतिक विशेषताओं को समझने का कौशल उत्पन्न होगा।
2. ग्लोब की सहायता से बालकों में भारत की भौतिक विशेषताओं का सरलीकरण करने का ज्ञान उत्पन्न होगा।
3. हिमालय पर्वत तथा उसकी श्रेणियों व हिम नदियों के महत्त्व व उपयोगिता को स्पष्ट करने का कौशल उत्पन्न होगा।
4. उपरोक्त विषय पर मानचित्र अध्ययन में उनको सहायता प्राप्त होगी।
5. देश के विविध भौतिक पहलुओं पर मॉडल का निर्माण करने में बालक सक्षम होंगे।
6. कृषि दृष्टि से सतलुज-गंगा मैदान की उपयोगिता की समझ बालकों में उत्पन्न होगी।
7. सहायक सामग्री के रूप में ग्लोब व मानचित्रों की उपयोगिता का ज्ञान बालकों को होगा।
8. भारत देश के धरातलीय आकार को समझने का ज्ञान उत्पन्न होगा।
9. ग्लोब की सहायता से भारत की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करना।
10. प्रश्नोत्तर शैली से संबंधित विषय का विश्लेषण करना।
11. श्यामपट्ट विधि के प्रयोग में सक्षम बनाना।

IV. मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण (Narration of Evaluation Procedure) : कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षक विद्यार्थियों को अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने का प्रयास करेगा। इस कार्य के लिए शिक्षक मूल्यांकन विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करेगा। जैसे–निबंधात्मक, लघु-उत्तरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करना। इसके लिए अध्यापक निम्न प्रकार के प्रश्न पूछेगा–

1. निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions) : इसके अंतर्गत निम्न प्रश्न होंगे–
(i) भारत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(ii) सतलुज-गंगा मैदान की विस्तृत जानकारी दीजिए।
(iii) दक्षिण के पठार का विस्तार से वर्णन कीजिए।
(iv) भारत के समुद्र तटीय मैदान का वर्णन कीजिए।
(v) भारतीय द्वीप समूहों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

2. लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions) : इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न होंगे–

(i) उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों पर टिप्पणी कीजिए।
(ii) हिमालय की पूर्वी तथा पश्चिमी शाखाओं के विषय में क्या जानते हो?
(iii) सतलुत-गंगा मैदान पर संक्षिप्त लेख लिखिए।
(iv) पश्चिमी घाट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।
(v) पश्चिमी तटीय मैदान पर अपनी समझ प्रस्तुत कीजिए।
(vi) द्वीप समूह के विषय में आप क्या जानते हो।

3. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions) : इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न होंगे–

(A) रिक्त स्थानों की पूर्ति करो (Fill in the blank Spaces) :
(i) भारत को धरातल के आधार पर मुख्य ...... में बांटा जाता है।
(ii) उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति ...... वर्ष पहले हुई थी।
(iii) हिमालय की पूर्वी तथा पश्चिमी शाखाओं को ..... कहा जाता है।
(iv) सतलुज नदी का मैदान मुख्यतः ...... व ...... राज्य में स्थित है।
(v) पश्चिमी घाट की कुल लंबाई ...... है।

(B) सत्य/असत्य की पहचान करें (Identify True/False) :
(i) पूर्वी घाट टूटी हुई पहाड़ियों की एक शृंखला है।
(ii) विंध्या पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है।
(iii) उड़ीसा के तटीय मैदान की लंबाई 800 किलोमीटर है।
(iv) भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है।
(v) निकोबार द्वीप समूह अंडमान के दक्षिण में स्थित है।

(C) बहु-विकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) : सही का चुनाव करें (Choose the Correct)

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

(i) हिमालय पर्वत का आकार है–
(a) चापाकार (b) त्रिभुजाकार
(c) गोलाकार (d) आयताकार

(ii) कश्मीर के उत्तर पूर्व में स्थित हिमालय को कहा जाता है–
(a) गंगा हिमालय (b) कश्मीर हिमालय
(c) गंगोत्री हिमालय (d) असम हिमालय

(iii) सतलुज-गंगा मैदान की पूर्व से पश्चिम में लंबाई है–
(a) 1415 किलोमीटर (b) 1315 किलोमीटर
(c) 1515 किलोमीटर (d) 1215 किलोमीटर

(iv) गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल है–
(a) 3,68,000 वर्ग किलोमीटर (b) 3,57,000 वर्ग किलोमीटर
(c) 3,78,000 वर्ग किलोमीटर (d) 3,63,000 वर्ग किलोमीटर

(v) नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है–
(a) कंचन (b) केटू
(c) दोदावेट (d) मांऊट

(D) निम्न का उचित मिलान कीजिए–
(Match the Right Following) :

(i) हिमालय पर्वत का आकार	(a) हिमालय
(ii) कश्मीर के उत्तर-पूर्व में स्थित श्रेणियां	(b) दर्रा

(iii) पर्वतीय भाषा में 'ला' का अर्थ — (c) चापाकार
(iv) दक्षिण में स्थित श्रेणियां — (d) पंजाब व हरियाणा
(v) सतलुज नदी का मैदान — (e) बाह्य हिमालय

उपरोक्त शिक्षा शास्त्रीय विषय-वस्तु के अधिगम का संबंध सरलतम शिक्षण सहायक साधनों में से एक से है।

फ्रांसीसी क्रांति
(French Revolution)

❑ **फ्रांसीसी क्रांति पर शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए।**
(Prepare a Pedagogical Analysis on the French Revolution.)

उत्तर :

फ्रांसीसी क्रांति का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण
(Pedagogical Analysis of French Revolution)

उपरोक्त सामग्री सामाजिक विज्ञान का उप-विषय 'फ्रांसीसी क्रांति' विषय-वस्तु का सम्पूर्ण समायोजन जरूर करती है। इस उप-विषय प्रकरण अथवा इकाई अध्ययन शैली के अन्तर्गत कक्षा-कक्ष में प्रस्तुत किया गया। इसको सरलतम रूप प्रदान करने व बोधगम्य बनाने के लिए विभिन्न शैक्षिक विधियों, प्रविधियों तथा तकनीकों का प्रयोग शिक्षण के समय किया गया। इस उपविषय के शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है–

I. विषय वस्तु का विश्लेषण (Content Analysis) : शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण में सबसे पहले उप-विषय (फ्रांसीसी क्रांति) की विषय-वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। इस उप-विषय की विश्लेषण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि।
(ii) क्रांति शब्द की अवधारणा स्पष्ट करना।
(iii) तत्कालीन फ्रांसीसी समाज की समझ।
(iv) उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों का अंत।
(v) क्रांति के दौरान आतंक राज
(vi) डिरेक्ट्री शासित फ्रांस
(vii) क्रांति में महिलाओं की भागीदारी।
(viii) दास-प्रथा का उन्मूलन।
(ix) क्रांति और रोजाना की जिंदगी।

II. आपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के सन्दर्भ में उद्देश्य निर्माण (Objective Formation in the Contest of Expected Behavioural Changes)

उपरोक्त इकाई या प्रकरण की विषय-वस्तु का विश्लेषण कर लेने के बाद हम बालकों के व्यवहार में निम्नलिखित तरह के व्यवहारगत परिवर्तनों की अपेक्षा कर सकते हैं :

(i) बालकों को फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि का ज्ञान होगा।
(ii) क्रांति शब्द की अवधारणा स्पष्ट होगी।
(iii) तत्कालीन फ्रांसीसी समाज का ज्ञान होगा।
(iv) विशेषाधिकारों की समझ उत्पन्न होगी।
(v) आतंक राज का अर्थ समझने में सक्षम होंगे।
(vi) तानाशाही शासन के अर्थ को समझने में सक्षम होंगे।

(vii) क्रांति से महिलाओं को क्या प्राप्त हुआ, इसका ज्ञान होगा।
(viii) क्रांति ने दास-प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया, इसकी समझ उत्पन्न होगी।
(ix) क्रांति से रोजाना की जिंदगी में क्या बदलाव आया, इसकी समझ उत्पन्न होगी।

III. शिक्षण विधियों, प्रविधियों, अनुदेशानात्मक सामग्री व अध्यापक-छात्र अन्तःक्रिया का विवरण (Narration of Teaching Methods, Skill, Instructional Material and Pupil Teacher Interaction) : उपरोक्त इकाई की विषय-वस्तु का विश्लेषण कर लेने के बाद अध्यापक बालकों के व्यवहार में निम्नलिखित प्रकार के व्यवहारगत बदलावों की अपेक्षा करेगा। इस बदलाव के लिए उत्तरदायी शिक्षण सहायक सामग्री का विवरण इस प्रकार है–

(i) पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों के माध्यम से अध्यापक इकाई की विषय-वस्तु का सरलीकरण करेगा तथा उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेगा।
(ii) इकाई की विषय-वस्तु को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक द्वारा व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाएगा।
(iii) वाद-विवाद विधि से संबंधित इकाई की विषय-वस्तु के प्रति बालकों की जिज्ञासा को सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा।
(iv) प्रश्नोत्तर विधि के प्रयोग से भी संबंधित इकाई की विषय-वस्तु को बोधगम्य बनाएगा।
(v) शिक्षण को रुचिवान बनाने के लिए शिक्षक द्वारा नाटकीय विधि को भी प्रयोग में लाया जाएगा।
(vi) श्यामपट्ट के प्रयोग से भी शिक्षक संबंधित विषय-वस्तु का सरलीकरण करेगा।
(vii) शिक्षण अधिगम की पहचान करने के लिए अध्यापक द्वारा छोटे-छोटे प्रश्नों को बीच में छात्रों से पूछा जाएगा।
(viii) तुलनात्मक अध्ययन के लिए सारणी विधि का प्रयोग किया जाएगा।
(ix) पाठ-वाचन विधि से भी अध्यापक बालकों को संबंधित विषय-वस्तु को समझाएगा।

IV. मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण (Narration of Evaluation Procedure) : कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षक विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने का प्रयास करेगा। इस कार्य के लिए शिक्षक विविध मूल्यांकन विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करेगा, जैसे–निबन्धात्मक, लघुउत्तरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करना। इसके लिए शिक्षक छात्रों से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछेगा :

(A) निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions) : इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे–

1. 1789 ई. की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों का विवरण दीजिए।
2. 1789 ई. की क्रांति फ्रांस में क्यों हुई?
3. "आर्थिक कारण क्रांति का मूल आधार था।" –इस कथन की व्याख्या कीजिए।
4. राष्ट्रीय सभा के कार्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए।
5. फ्रांसीसी क्रांति के तात्कालिक व चिरस्थायी प्रभाव क्या थे?
6. फ्रांसीसी क्रांति के स्थायी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए।
7. "1789 ई. की क्रांति असमानता के विरुद्ध अधिक परन्तु निरंकुशता के विरुद्ध उससे बहुत कम विद्रोह था।"–कथन की व्याख्या कीजिए।
8. फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़े?
9. "विश्व की किसी भी विधानसभा को अपने पहले ही अधिवेशन में इतनी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ा जितना राष्ट्रीय सम्मेलन को" –इस कथन की व्याख्या कीजिए।

(B) लघुउत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions) : इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे–

1. फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे?

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

2. फ्रांसीसी क्रांति के धार्मिक कारण क्या थे?
3. फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे?
4. फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान था?
5. 1789 ई. की क्रांति के लिए राजतन्त्र कहां तक उत्तरदायी था?
6. 'फ्रांस की क्रांति विश्व की एक महान घटना थी।'' —विवरण दीजिए।
7. बास्तील के पतन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
8. फ्रांसीसी क्रांति के कोई चार परिणाम लिखो।
9. फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा?

(C) वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (Objectives Type Questions) : इसके अन्तर्गत तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो इस प्रकार हैं—

(a) रिक्त स्थानों की पूर्ति करो (Fill in the blank spaces) :

1. फ्रांसीसी क्रांति से पहले .... वंश का शासन था।
2. 'मेरी एन्तोयनेट' .... देश की राजकुमारी थी।
3. 'मैं ही राज्य हूं' शब्द .... ने कहे थे।
4. 'राष्ट्र की कब्र' शब्द का प्रयोग .... के लिए किया जाता था।
5. मानवाधिकारों की घोषणा .... ई. में की गई।
6. फ्रांस की क्रांति के समय .... व .... दो मुख्य वर्ग थे।
7. सितम्बर का हत्याकाण्ड .... ई. को कहा जाता है।
8. राष्ट्रीय सभा के मुख्य दल .... थे।
9. आतंक के राज्य की आत्मा .... को कहा जाता है।

(b) सत्य/असत्य की पहचान करो (Identify True/False) :

(i) लोक सुरक्षा कमेटी को आतंक के राज्य की आत्मा कहा जाता है।
(ii) लुई 15वें ने कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी।
(iii) 1789 ई. में लुई 16वें की मृत्यु हो गई।
(iv) मेरी एन्तोयनेट के नौकरों की संख्या 500 थी।
(v) जेकोबिन राष्ट्रीय सभा का मुख्य दल था।
(vi) पेरिस कम्यूल ने गणतन्त्र की स्थापना की थी।
(vii) रूसो का फ्रांसीसी क्रांति से संबंध था।
(viii) क्रांति के समय फ्रांस में लुई 16वां शासन कर रहा था।
(ix) मेरी एन्तोयनेट लुई 15वें की पत्नी थी।

(c) बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) :

सही का चुनाव करें (Choose the correct) :

(i) क्रांति के समय फ्रांस का शासक था :
(a) लुई 14वां (b) लुई 15वां
(c) लुई 16वां (d) इनमें से कोई नहीं।

(ii) 'मैं ही फ्रांस हूं' किसने कहा?
(a) लुई 14वां (b) लुई 15वां
(c) लुई 16वां (d) इनमें से कोई नहीं

(iii) ''मेरे मरने के बाद प्रलय होगी'' —किसने कहा?
(a) लुई 13वां (b) लुई 14वां

(c) लुई 15वां (d) लुई 16वां

(iv) रूसो की मृत्यु कब हुई?
(a) 1778 (b) 1780
(c) 1781 (d) 1782

(v) मानवाधिकारों की घोषणा हुई :
(a) 17 अगस्त, 1789 (b) 17 सितम्बर, 1793
(c) 17 अगस्त, 1792 (d) 15 अगस्त, 1790

(vi) 'कानून की आत्मा' रचना है :
(a) रूसो (b) वाल्टेयर
(c) मान्टेस्क्यू (d) थोमसन

(vii) बास्तील का पतन हुआ :
(a) 14 जुलाई, 1789 (b) 17 जुलाई, 1790
(c) 16 जून, 1791 (d) 19 सितम्बर, 1793

(viii) 'क्रांति का मसीहा' कहा जाता है :
(a) रूसो (b) वाल्टेयर
(c) थोमसन (d) नेकर

(ix) इस सम्राट को ताले बनाने का शौक था :
(a) लुई 16वां (b) जार
(c) निकसन (d) नेपोलियन

(d) उचित मिलान करो (Match the right) :

I

(i) क्रांति का मसीहा	(a) 1830
(ii) प्रथम लिखित संविधान	(b) 14 जुलाई, 1789
(iii) बास्तील का पतन	(c) 5 अक्टूबर, 1789
(iv) स्त्रियों का वर्साय की ओर प्रस्थान	(d) रूसो
(v) बेल्जियम की स्वतन्त्रता	(e) 1791

II

(i) शोशल कान्ट्रैक्ट	(a) लूई 14वां
(ii) ''मैं ही फ्रांस हूं''	(b) शाही दरबार
(iii) श्रीमती घाटा	(c) रूसो
(iv) पार्शियन लैटरस	(d) मेरी एन्तोयनेत
(v) राष्ट्र की कब्र	(e) मान्टेस्क्यू

उपरोक्त शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण विषय-वस्तु के अधिगम के सबसे सरलतम शिक्षण सहायक साधनों में से एक है।

जनसंख्या
(Population)

❑ **जनसंख्या विषय पर एक शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए।**
(Prepare a Pedagogical Analysis on Population.)

उत्तर :

CIMETRIX SKILLED INDIA

जनसंख्या का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण
(Pedagogical Analysis of Population)

उपरोक्त सामाजिक विज्ञान का उपविषय 'जनसंख्या' विषय-वस्तु का पूर्ण समायोजन करता है। इस उपविषय को अनेक व विविध खंडों तथा प्रकरणों में विभाजित करके अध्ययन को सरल रूप प्रदान किया गया। इसके शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

I. विषय-वस्तु का विश्लेषण (Content Analysis) : शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण में सबसे पहले विषय-वस्तु का वर्गीकरण व विश्लेषण किया जाता है। इस वर्गीकरण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का महत्त्व
(ii) जनगणना का औचित्य
(iii) जनघनत्व की स्थिति
(iv) दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
(v) जनगणना की धार्मिक संरचना
(vi) अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना
(vii) ग्रामीण-शहरी जनसंख्या की तुलना

II. अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के संदर्भ मे उद्देश्य निर्माण (Objective formation in the Context of Expected Behavioural Changes) : उपरोक्त इकाई का अध्ययन करने के बाद बालकों के व्यवहार में निम्न परिवर्तनों की अपेक्षा की जाएगी–

(i) भारतीय जनसंख्या के विविध पहलुओं की समझ उत्पन्न होगी।
(ii) जनगणना का औचित्य समझने की कोशिश होगी।
(iii) भारत में जनसंख्या घनत्व की वर्तमान परिस्थिति का ज्ञान होगा।
(iv) भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के विविध पहलुओं का ज्ञान होगा।
(v) धर्म आधारित जनसंख्या की वास्तविक स्थिति को समझने की समझ उत्पन्न होगी।
(vi) ग्रामीण-शहरी जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करने में सक्षम होंगे।
(vii) अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का ज्ञान होगा।

III. शिक्षण विधियों, प्रविधियों, अनुदेशनात्मक सामग्री व अध्यापक-छात्र अंतः क्रिया का विवरण (Narration of Teaching Methods, Skill Instructional Material and Pupil Teacher Interaction) : उपरोक्त इकाई विषय-वस्तु का विश्लेषण करने के बाद हम बालकों के व्यवहार में निश्चित रूप से निम्न समझ उत्पन्न होने की अपेक्षा कर सकते हैं–

(i) जनसंख्या संबंधी विविध पहलुओं का ज्ञान संचय करने मे बालक सक्षम होंगे।
(ii) जनसंख्या संबंधी विविध पहलुओं पर बालक लेख अथवा निबंध लिखने में सक्षम होंगे।
(iii) तालिका अध्ययन के माध्यम से जनसंख्या संबंधी विविध आंकड़ों का सरलीकरण करने में बालक सक्षम होंगे।
(iv) वाद-विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से बालक भारत की जनसंख्या के विविध आंकड़ों से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
(v) ग्राफिक पद्धति के माध्यम से बालक भारत में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की जनसंख्या स्थिति को समझने में सक्षम होंगे।
(vi) प्रश्नोत्तर शैली के उपयोग से बालक जनसंख्या संबंधी आंकड़ो का हल बताने में सक्षम होंगे।
(vii) चार्ट की सहायता से अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या का ज्ञान होगा।
(viii) सारणी-तालिका के माध्यम से बालक जनसंख्या वृद्धि-दर अनुपात को समझने में सक्षम होंगे।

IV. मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण (Narration of Evaluation Procedure) : कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद अध्यापक छात्रों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन निम्न विधियों तथा प्रविधियों से करने का प्रयास करेगा–

1. निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions) : इसके अन्तर्गत शिक्षक द्वारा निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे–

(i) 2011 की जनगणना के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालिए।
(ii) 2011 की जनगणना के धर्म आधारित आंकड़ों का वर्णन कीजिए।
(iii) अनुसचित जाति व जनजाति की जनसंख्या के विषय में 2011 की जनगणना रिपोर्ट का विवेचन कीजिए।
(iv) भारत की शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।

2. लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions) : इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे–

(i) भारतीय जनगणना के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
(ii) 2011 की जनगणना के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।
(iii) धर्म आधारित जनगणना के सकारात्मक व नकारात्मक पहलु क्या हैं?
(iv) जाति आधारित जनगणना की क्या कोई आवश्यकता नहीं है?
(v) शहरी जनसंख्या की वृद्धि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
(vi) भारत की नगरीय जनसंख्या के विषय में आप क्या जानते हो?

3. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions) : इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे–

(A) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए (Fill in the Blank Space) :

(i) सन् ...... में भारत की पहली जनगणना हुई।
(ii) 2011 में हुई जनगणना भारत की ...... वीं जनगणना है।
(iii) स्वतंत्र भारत में अब तक ...... जनगणना हो चुकी है।
(iv) भारत की 15वीं जनगणना का द्वितीय चरण ...... को पूरा हुआ।
(v) भारत की 15वीं जनगणना ...... के नेतृत्व में सम्पन्न हुई।

(B) सत्य/असत्य की पहचान करें (Identify True/False) :

(i) भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है।
(ii) जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है।
(iii) 2011 में भारत की जनसंख्या का कुल योग 121.08 करोड़ है।
(iv) भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है।
(v) प. बंगाल सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है।

(C) बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) :

सही का चुनाव करें (Choose the Right) :

(i) 2011 में हुई भारतीय जनगणना थी–
(A) 13वीं (B) 14वीं
(C) 7वीं (D) 15वीं

(ii) 2011 में भारत का जनघनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है?
(A) 382 (B) 303
(C) 582 (D) 403

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

(iii) राष्ट्रीय जनगणना-2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर रही–

(A) 15.9 प्रतिशत (B) 19.3 प्रतिशत

(C) 17.7 प्रतिशत (D) 11.3 प्रतिशत

(iv) 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है–

(A) पंजाब (B) नागालैंड

(C) हरियाणा (D) मेघालय

(v) 2001-2011 के दौरान सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है–

(A) पंजाब (B) नागालैण्ड

(C) हरियाणा (D) मेघालय

(D) निम्न का उचित मिलान करो (Match the Right Following) :

(i) 2011 की जनगणना में हिन्दुओं की संख्या	(a) 542
(ii) अनुसूचित जाति में जातियों की संख्या	(b) 17.22 करोड़
(iii) 2011 की जनगणना में मुस्लिमों की संख्या	(c) मध्य प्रदेश
(iv) सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य	(d) 03
(v) एक करोड़ से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरों की संख्या	(e) 96.63 करोड़

उपरोक्त शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण विषय-वस्तु के अधिगम के सबसे सरलतम शिक्षण सहायक साधनों में से एक है।

समकालीन विश्व में लोकतंत्र
(Democracy in the Contemporary World)

❑ **समकालीन विश्व में लोकतन्त्र विषय पर शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण तैयार कीजिए।**
(Prepare a Pedagogical Analysis on Democracy in the Contemporary World.)

उत्तर :

समकालीन विश्व में लोकतंत्र विषय का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण (Pedagogical Analysis of Democracy in the Contemporary World)

उपरोक्त सामाजिक विज्ञान का उपविषय समकालीन विश्व में लोकतंत्र की विषय-वस्तु का समायोजन करता है। इस उपविषय को अनेक व विविध खंडों तथा प्रकरणों में विभाजित करके अध्ययन को सरल रूप प्रदान किया गया है। इसके शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

I. विषय-वस्तु का विश्लेषण (Content Analysis) : शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में सर्वप्रथम विषय-वस्तु का वर्गीकरण व विश्लेषण किया जाता है। इस वर्गीकरण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

1. वर्तमान युग लोकतंत्र का युग।
2. लोकतंत्र की लोकप्रियता।
3. स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास।
4. 1789 ई. की फ्रांसीसी क्रांति व लोकतंत्र।
5. लोकतंत्र का यूरोप से एशिया व अफ्रीका में आना
6. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्वरूप।
7. लोकतंत्र का अर्थ।
8. राजनीतिक लोकतंत्र।

9. सामाजिक लोकतंत्र।
10. आर्थिक लोकतंत्र।
11. प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
12. प्रतिनिधि लोकतंत्र।
13. जनमत संग्रह।
14. प्रस्तावाधिकार।
15. लोकमत संग्रह।

II. अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के संदर्भ में उद्देश्य निर्माण (Objective Formation in the Content of Expected Behavioural Changes) : उपरोक्त इकाई का अध्ययन करने के बाद छात्रों में व्यवहार संबंधी निम्न परिवर्तनों की अपेक्षा की जाती है–

1. इसकी समझ उत्पन्न होगी कि वर्तमान को लोकतंत्र का युग क्यों कहा जाता है
2. इस बात का ज्ञान होगा कि लोकतंत्र आज सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों है
3. इस विषय की समझ होगी कि लोकतंत्र की अवधारणा का विकास किस प्रकार हुआ।
4. लोकतंत्र को स्थापित करने में 1789 ई. की फ्रांसीसी क्रांति के महत्त्व का ज्ञान बालकों को होगा।
5. बालकों को पता चलेगा कि स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार क्यों है।
6. बालकों में ज्ञान उत्पन्न होगा कि यूरोप में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ।
7. इससे बालकों में लोकतंत्र के विविध स्वरूपों की समझ उत्पन्न होगी।

III. शिक्षण विधियों, प्रविधियों, अनुदेशनात्मक सामग्री व अध्यापक-छात्र अंतःक्रिया का विवरण (Narration of Teaching Methods, Skill Instructional Material and Pupil Teacher Interaction) : उपरोक्त इकाई विषय-वस्तु का विश्लेषण करने के बाद हम बालकों के व्यवहार में निश्चित रूप में निम्न समझ व ज्ञान उत्पन्न होने की अपेक्षा कर सकते हैं–

1. लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप को रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे।
2. लोकसभा की कार्यवाही का नाट्यीकरण करने में समर्थ होंगे।
3. लोकतंत्र में भाषणों के महत्त्व को रंगमंच से प्रस्तुत करने में अग्रणी होंगे।
4. कक्षा-शिक्षण में जनमत संग्रह का प्रयोगात्मक स्वरूप स्पष्ट करने में सक्षम होंगे।
5. 'लोगों का शासन, लोगों के द्वारा व लोगों के लिए' का भावार्थ समझने व समझाने में सक्षम होंगे।
6. लोकतंत्र की लोकप्रियता को व्याख्यान विधि से प्रस्तुत करने का साहस व आत्मविश्वास बालकों में उत्पन्न होगा।
7. लोकतंत्र के नकारात्मक पहलू से भी पूरी तरह अवगत होंगे।
8. 'बाल-लोकसभा' नाटकीकरण से लोकतंत्र की कार्यविधि को समझने व समझाने में सहायक होंगे।
9. मानचित्र व ग्लोब पर लोकतांत्रिक देशों की पहचान करने में सक्षम होंगे।
10. मताधिकार की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त होगा।
11. लोकतंत्र की अवधारणा की समझ उत्पन्न होगी।

IV. मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण (Narration of Evaluation Procedure) : कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद अध्यापक छात्रों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन निम्न विधियों व प्रविधियों से करने का प्रयास करेगा–

1. निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions) : इनके अंतर्गत शिक्षक द्वारा निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे–

(i) लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए।

(ii) लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए।

(iii) लोकतंत्र के भेदों का वर्णन कीजिए।

(iv) लोकतंत्र के विभिन्न रूपों का विश्लेषण कीजिए।

2. लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions) : इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे–

(i) राजनीतिक लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है?

(ii) सामाजिक लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय हो?

(iii) जनमत संग्रह के विषय में आप क्या जानते हैं?

(iv) प्रस्तावाधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।

3. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions) : इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे–

(A) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए (Fill in the Blank Space) :

(i) वर्तमान युग ...... का युग है।

(ii) अरस्तु लोकतंत्र का ...... था।

(iii) ...... शताब्दी में लोकतंत्र की अवधारणा का विकास हुआ।

(iv) ...... को भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया।

(B) सत्य/असत्य की पहचान करें (Identify True/False) :

(i) लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है।

(ii) स्वतंत्रता लोकतंत्र का मुख्य आधार है।

(iii) फ्रांसीसी क्रांति (1789) लोकतंत्र की पोषक है।

(iv) अरस्तु लोकतंत्र का कट्टर समर्थक था।

(C) बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) :

(1) सही का चुनाव करें (Choose the Right) :

(i) लोकतंत्र का युग है–
(a) वर्तमान (b) प्राचीन
(c) मध्यकालीन (d) आधुनिक

(ii) लोकतंत्र की अवधारणा का विकास इस सदी में हुआ–
(a) 17वीं (b) 18वीं
(c) 16वीं (d) a और b दोनों

(iii) एशिया और अफ्रीका में आधुनिक लोकतंत्र आया–
(a) अमेरिका (b) रूस
(c) भारत (d) यूरोप

(iv) इस क्रांति ने प्रजातंत्र को व्यापक आधार प्रदान किया–
(a) 1688 की क्रांति (b) 1917 की रूसी क्रांति
(c) 1789 ई. की फ्रांसीसी क्रांति (d) सभी।

(2) निम्न का उचित मिलान करो (Match the Right Following) :

(i) प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी	(a) लोकतंत्र
(ii) प्रतिनिधियों की शासन में भागीदारी	(b) यूरोप
(iii) आधुनिक लोकतंत्र का उदय	(c) अप्रत्यक्ष लोकतंत्र
(iv) सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली	(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

उपरोक्त विषय का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण विषय-वस्तु के अधिगम का संबंध सरलतम शिक्षण सहायक साधनों में एक से है।

आपदा प्रबंधन
(Disaster Management)

❑ **'आपदा प्रबंधन' का शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण कीजिए।**
(Prepare a pedagogical analysis of 'Disaster Management'.)

उत्तर :

आपदा प्रबंधन विषय का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण
(Pedagogical Analysis of Disaster Management)

उपरोक्त सामाजिक विज्ञान का उपविषय 'आपदा प्रबंधन' की विषय-वस्तु का संपूर्ण समायोजन जरूर करती है। इस उपविषय प्रकरण अथवा इकाई अध्ययन शैली के अंतर्गत कक्षा-कक्ष में प्रस्तुत किया गया। इसको सरलतम रूप प्रदान करने व बोधगम्य बनाने के लिए विभिन्न शैक्षिक विधियों, प्रविधियों तथा तकनीकों का प्रयोग शिक्षण के समय किया गया। इस 'उपविषय' के शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है–

I. विषय-वस्तु का विश्लेषण (Content Analysis) : शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में सर्वप्रथम विषय-वस्तु (आपदा-प्रबंधन) की विषय-वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। इस उप-विषय की विश्लेषण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

1. आपदा प्रबंधन की अवधारणा का परिचय।
2. आपदा प्रबंधन की आवश्यकता व कारण।
3. भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्र व उसे रोकने के कारण।
4. बाढ़ के कारण, उससे होने वाला नुकसान व उसे रोकने के उपाय।
5. सूखा पड़ने के कारण, उसके परिणाम व उसे रोकने के उपाय।
6. सुनामी व उष्ण-कटिबंधीय चक्रवात।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

II. अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के संदर्भ में उद्देश्य निर्माण (Objective Formation in the Context of Expected Behavioural Changes) : उपरोक्त इकाई या प्रकरण की विषय-वस्तु का विश्लेषण करने के बाद हम बालकों के व्यवहार में निम्नलिखित तरह के व्यवहारगत परिवर्तनों की अपेक्षा कर सकते हैं–

1. छात्रों की आपदा-प्रबंधन की अवधारणा का ज्ञान होगा।
2. बालक आपदा-प्रबंधन की आवश्यकता व कारणों से परिचित होंगे।
3. आपदा-प्रबंधन के विभिन्न घटकों की समझ उत्पन्न होगी।
4. भू-स्खलन के अर्थ, कारणों, परिणामों तथा रोकने के उपायों का ज्ञान बालकों को होगा।
5. बाढ़ के कारण, नुकसान व रोकने के उपायों के विषय में बालकों के ज्ञान में वृद्धि होगी।
6. सूखा पड़ने के कारण, परिणाम तथा उसे रोकने के उपायों पर समझ विकसित होगी।
7. सुनामी व उष्णकटिबंधीय जैसे चक्रवातों की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे।

III. शिक्षण विधियों, प्रविधियों, अनुदेशनात्मक सामग्री व अध्यापक-छात्र अंतःक्रिया का विवरण (Narration of Teaching Methods, Skill Instructional Material and Pupil Teacher Interaction) : उपरोक्त इकाई विषय-वस्तु का विश्लेषण करने के बाद अध्यापक बालकों के व्यवहार में निम्नलिखित व्यवहारगत बदलावों की अपेक्षा करेगा। इस बदलाव के लिए उत्तरदायी शिक्षण सामग्री का विवरण इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक कक्षा-कक्ष में 'आपदा-प्रबंधन' नामक प्रकरण को पढ़ाते समय व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर एवं स्वाध्याय नामक अनेकों शैक्षिक विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग करेगा।

2. चित्रों व पोस्टरों के माध्यम से बालकों को 'आपदा-प्रबंधन' के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाएगा।
3. आपदा-प्रबंधन से जुड़े अखबारों की कटिंग दिखाकर उन्हें इस विषय की अवधारणा का ज्ञान करवाया जाएगा।
4. ऐतिहासिक शिक्षण पद्धति के तहत उन्हें उन क्षेत्रों से अवगत करवाया जाएगा, जहां पर इस तरह की आपदा निरंतर आती रहती है।
5. ग्लोब का प्रयोग करके भी इस विषय पर बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जाएगी।
6. चार्ट के माध्यम से आपदा-प्रबंधन पर ज्ञान प्रदान किया जाएगा।
7. शैक्षिक फिल्मों का प्रयोग करते हुए इस विषय में बालकों में समझ उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा।

IV. मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण (Narration of Evaluation Procedure) : कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद अध्यापक छात्रों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने का प्रयास करेगा। इस कार्य के लिए शिक्षक विविध मूल्यांकन विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करेगा, जैसे—निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करना। इसके लिए अध्यापक बालकों से निम्न प्रकार से प्रश्न पूछेगा—

1. निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions) : शिक्षक द्वारा इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे—

(i) आपदा-प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करें।
(ii) भारत में भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कीजिए तथा इसके निवारण हेतु उपाए बताइए।
(iii) "भारत की सभी प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ तथा सूखा भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक प्रभावित करता है।" व्याख्या कीजिए।
(iv) सुनामी तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का विस्तृत विवरण दीजिए।

2. लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions) : इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे—

(i) भू-स्खलन के कोई चार कारण लिखो।
(ii) भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए।
(iii) भू-स्खलन रोकने के मुख्य उपाय क्या हैं?
(iv) भारत में बाढ़ आने के मुख्य क्या कारण हैं?
(v) भूकम्प से होने वाले नुकसान के विषय में आप क्या जानते हो।
(vi) बाढ़ों की रोकथाम के लिए कुछ उपाय बताइए।
(vii) भारत में सूखे के प्रमुख कारण क्या हैं?
(viii) सूखे के मुख्य क्या नुकसान हैं?
(ix) भूकम्प पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
(x) उष्ण-कटिबंधीय चक्रवातों के विषय में आप क्या जानते हो।

3. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions) : इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे—

(A) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए (Fill in the Blank Space) :

(i) उष्ण कटिबंध चक्रवातों का विस्तार ...... है।
(ii) सुनामी एक .... शब्द है।
(iii) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ...... सेमी. से कम वर्षा होती है।
(iv) बाढ़ों से होने वाले नुकसान में 90% क्षेत्र का ...... आता है।

(B) सत्य/असत्य की पहचान करें (Identify True/False) :

(i) भू-स्खलन पर्वतीय प्रदेशों में घटने वाली प्राकृतिक आपदा है।
(ii) पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष नहीं लगाने चाहिए।
(iii) विश्व में आपदा प्रभावित देशों में भारत का दूसरा स्थान है।
(iv) विश्व में आपदा प्रभावित देशों में पहला स्थान जापान का है।
(v) सुनामी जापानी भाषा का शब्द है।

(C) बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

(1) सही का चुनाव करें (Choose the Right) :

(i) प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है—
(a) भू-स्खलन (b) बाढ़
(c) सूखा (d) सभी

(ii) आपदा की दृष्टि से प्रथम देश है—
(a) चीन (b) जापान
(c) भारत (d) रूस

(iii) भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्र है—
(a) उच्च पर्वतीय क्षेत्र (b) अंडमान-निकोबार द्वीप समूह
(c) पश्चिमी घाट (d) सभी

(iv) भारत में लगभग कितने लोग प्रतिवर्ष आपदाओं का सामना करते हैं?
(a) 10 करोड़ (b) 5 करोड़
(c) 8 करोड़ (d) 6 करोड़

(v) बाढ़ के कारण
(a) भारी मूसलाधार वर्षा (b) बादलों का अचानक फटना
(c) बांधों का टूट जाना (d) सभी

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(2) निम्न का उचित मिलान करो (Match the Right Following) :

(i) 100 सेंटी. मीटर से कम वर्षा वाला	(a) 6 करोड़
(ii) भारत में आपदा प्रभावित लोग	(b) सूखा
(iii) सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित देश	(c) जापान
(iv) सुनामी प्रभावित देश	(d) चीन
(v) लंबी शुष्क ऋतु का होना	(e) सूखा

उपरोक्त शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण विषय-वस्तु के अधिगम का संबंध सरलतम शिक्षण सहायक साधनों में से एक है।

पाठ योजना : आवश्यकता, महत्त्व, आधारभूत तत्त्व और इसको तैयार करना
(Lesson Planning : Need, Importance, Basic Elements and its Preparations)

❑ **पाठ-योजना से आपका क्या तात्पर्य है? सामाजिक विज्ञान में पाठ-योजना बनाना क्यों आवश्यक है?**
(What do you understand by Lesson Plan? Why is it necessary to plan a lesson in Social Science?) **[CBLU, 2018]**

अथवा

❑ **पाठ-योजना की आवश्यकता तथा महत्त्व लिखिए।**
(Write need and importance of Lesson Plan.) **[CRSU, 2018]**

उत्तर : शिक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए पाठ-योजना का होना महत्त्वपूर्ण है। यह शिक्षण प्रक्रिया का व्यावहारिक रूप होता है, क्योंकि इसकी तैयारी के पश्चात् अध्यापक को कक्षा-शिक्षण में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती और विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा की तृप्ति कर सकता है। पाठ-योजना के विस्तृत अध्ययन से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पाठ-योजना किसे कहते हैं? शिक्षक को शिक्षण की तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है—(i) शिक्षण से पहले की अवस्था, (ii) शिक्षण अवस्था एवं (iii) शिक्षण के बाद की अवस्था। पाठ-योजना का संबंध शिक्षण की पहली अवस्था से है, जिसमें वास्तविक कक्षा-शिक्षण से पूर्व एक अध्यापक को पाठ अध्यापन से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के बारे में नियोजन करना पड़ता है। विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों व विद्वानों ने इसके (पाठ-योजना) अर्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है—

बिनिंग और बिनिंग के अनुसार, "दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्यवस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना शामिल है।"

डेविस के अनुसार, "कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात बाध्य नहीं है, जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी।"

एन.एल. बासिंग के अनुसार, "शिक्षण उद्देश्य संबंधी कथनों को प्रस्तुत करने और कालांश में की जाने वाली क्रियाओं के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने संबंधी आलेख को पाठ-योजना कहा जाता है।"

के.पी. पाण्डेय के अनुसार, "शिक्षण से पूर्व कार्य-विश्लेषण, उद्देश्य निरूपण एवं शैक्षिक युक्तियों तथा रचना-कौशलों के चुनाव पर आधारित यह रूप-रेखा जो अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपेक्षित शिक्षण-विद्यार्थी क्रियाओं तथा संक्रियाओं को परिकल्पित करती है, पाठ-योजना कहलाती है।"

लैंडन महोदया के अनुसार, "हम पाठ्य-सूत्र को कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित की जाने वाली पाठ की रूपरेखा कहकर परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें पाठ के सब महत्त्वपूर्ण तथ्य होते हैं, चाहे उनका संबंध विषय-सामग्री से हो या विधि से।"

इस प्रकार कहा जा सकता है कि पाठ-योजना क्रिया की एक योजना है। **अन्तर्राष्ट्रीय शब्दकोश** के अनुसार, **"पाठ-योजना किसी पाठ के आवश्यक बिन्दुओं की वह रूप-रेखा है, जिन्हें उस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिस क्रम में उन्हें शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होता है।"** इस प्रकार से पाठ-योजना एक अध्यापक के द्वारा कक्षा के कमरे में अपने विद्यार्थियों के साथ व्यावहारिक रूप से तय की जाने वाली अध्यापन की विस्तृत सैद्धांतिक रूप-रेखा है। अध्यापक लिखित पाठ-योजना बनाकर मानसिक रूप से तैयारी करता है। इसमें वह विषय के विस्तृत उद्देश्य निर्धारित करना, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ की सार्थक विषय-वस्तु का संगठन करना, विषय-वस्तु के प्रस्तुतीकरण की विधि, शिक्षण व्यूह की रचना, कक्षा अन्तः क्रिया, प्रबंध का निर्णय लेना, मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि के लिए उचित व्यवस्था करना, जैसी बातों को ध्यान में रखता है।

पाठ-योजना की आवश्यकता
(Need of Lesson-Plan)

योजना जीवन के प्रत्येक पहलू में आवश्यक है। बिना योजना के किया हुआ काम धन, समय तथा शक्ति को व्यर्थ गंवाता है। बिना योजना के शिक्षण कभी सफल नहीं हो सकता। एक बहुत सफल तथा अनुभवी अध्यापक भी यदि बिना योजना के कक्षा में प्रवेश करता है तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा और अपना बहुत-सा समय व्यर्थ की बातों में गंवा देगा। पाठ-योजना की आवश्यकता को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

1. **उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए (To Define Objectives/Aims) :** किसी भी विषय के शिक्षण के लिए व्यापक उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए पाठ-योजना बहुत-ही सहायक सिद्ध होती है। पूर्व-परिभाषित उद्देश्यों से पाठ्य-वस्तु के संगठन तथा मूल्यांकन आदि को एक मापदण्ड प्राप्त हो जाता है।
2. **सुसंगठित ज्ञान के लिए (For Well Organized Knowledge) :** यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि यदि व्यक्ति को संगठित रूप से ज्ञान दिया जाए तो व्यक्ति उस ज्ञान को अधिक शीघ्रता एवं सुगमता से अर्जित करता है। अतः विद्यार्थियों को कक्षा में क्रमबद्ध तथा सुसंगठित ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है। इस संगठित ज्ञान से अधिगम क्रिया प्रभावशाली होगी। अतः पाठ-योजना बनाना आवश्यक है।
3. **मानसिक शक्तियों के विकास के लिए (For Development of Mental Powers) :** पाठ-योजना द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की तर्क, विचार, निर्णय लेने तथा कल्पना शक्ति का विकास कर सकता है। पाठ-योजना के द्वारा विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास एक निश्चित दिशा ग्रहण करता है।
4. **नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान (New Knowledge based on Previous Knowledge) :** नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व ज्ञान का आधार होना शिक्षण की सफलता का रहस्य हो सकता है। इसके लिए पाठ-योजना बहुत-ही आवश्यक होती है। पूर्व ज्ञान को आधार बनाने से पाठ में सरलता और निरंतरता का आभास होने लगता है, क्योंकि पहले से ही सभी क्रियाएं कक्षा-स्तर तथा पाठ्य-वस्तु के अनुसार चुन ली जाती हैं। इससे विद्यार्थियों में पाठ के प्रति रुचि भी पैदा होती है।
5. **शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए (To Make Teaching Interesting) :** यदि पाठ सरल, स्पष्ट तथा रुचिकर हो तो बच्चे उसे जल्दी समझ सकते हैं तथा अध्यापक प्रभावशाली ढंग से पढ़ा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्यापक उपयुक्त शिक्षण-विधियों का चयन करता है, नीतियां निर्धारित करता है व युक्तियों का चयन करता है। इससे वह विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करता है।
6. **शिक्षकों में विस्मृति कम करना :** पाठ-योजना की सबसे बड़ी आवश्यकता अध्यापकों की है, क्योंकि आयु के अनुसार स्मरण शक्ति व्यक्ति में कम होती चली जाती है। विषय-वस्तु के सभी पहलू सदैव अध्यापक को याद नहीं रहते। अतः अध्यापक में कम विस्मृति हो, इसके लिए पाठ-योजना महत्त्वपूर्ण है।
7. **पुनर्बलन के लिए (For Reinforcement) :** शिक्षण प्रक्रिया में पाठ-योजना द्वारा विद्यार्थियों की क्रियाओं के नियंत्रण तथा पुनर्बलन की प्रविधियों का प्रयोग करके परिस्थिति के अनुकूल पुनर्बलन दिया जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि कार्य की योजना ही पाठ-योजना है। इसके अन्तर्गत अध्यापक का दर्शन, ज्ञान, उसकी अपने विद्यार्थियों के संबंध में जानकारी, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके प्रयास को मदद मिलती है। इसकी आवश्यकता को इस बात से समझा जा सकता है कि एक सफल ज्ञानी तथा अनुभवी शिक्षक भी इसके प्रयोग के बिना सफल नहीं हो सकता।

पाठ-योजना का महत्त्व व उपागम
(Importance and Approaches of Lesson-Plan)

❑ **पाठ-योजना के महत्त्व व उपागमों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।**
(Write a note on the Importance and Approaches of Lesson-Plan)

METRIX

उत्तर : मनुष्य किसी भी कार्य में तभी सफल होता है, जब वह एक अच्छी योजना का निर्माण करता है। यह बात शिक्षण-कार्य की सफलता का भी रहस्य है। जो अध्यापक कक्षा में जाने से पूर्व पाठ-योजना की तैयारी कर लेते हैं, वह शिक्षण लक्ष्यों के रूप में वांछित परिणामों को पा लेते हैं। इसलिए पाठ-योजना के माध्यम से शिक्षण कार्य को करना बड़ा ही महत्त्वपूर्ण होता है।

महत्त्व
(Importance)

पाठ-योजना के महत्त्व को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) **आत्मविश्वास पैदा करने के लिए (To Create Confidence) :** अध्यापक यदि शिक्षण से पहले पाठ-योजना का निर्माण कर लेता है तो उसे कक्षा का सामना करते समय आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। किसी भी परिस्थिति में नवीन शिक्षण कार्य तथा प्रयोग करते समय उसे भय का आभास नहीं होता।

(ii) **शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता (Clearness of Teaching Aims) :** कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय-वस्तु के शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता का होना बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। पाठ-योजना के प्रभाव से शिक्षक के पास निरर्थक बातें करने का समय नहीं होता, क्योंकि उसके सामने समस्त शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट होंगे तथा शिक्षक निरंतर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहेगा कि इन उद्देश्यों को किस प्रकार अर्जित किया जाए।

(iii) **व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उपयोग (Utility of Individual Differences) :** बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों की ओर पाठ--योजना में ध्यान दिया जा सकता है। पाठ-योजना में इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का उपयोग करके शिक्षण कार्य को बालक के व्यक्तित्व के अनुसार संचालित किया जा सकता है। कक्षा में सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते--कुछ प्रतिभाशाली, कुछ पिछड़े हुए, कोई तीव्र बुद्धि वाला और कोई मन्दबुद्धि होते हैं। विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए पाठ-योजना एक आवश्यकता है ताकि कक्षा में जाने से पहले शिक्षक विद्यार्थियों की इन विभिन्नताओं का सामना करके विधियों का चयन कर सके।

(iv) **समस्याओं की जानकारी (Knowledge of Problems) :** अध्यापक पाठ-योजना के माध्यम से विषय-वस्तु से संबंधित पैदा होने वाली समस्याओं तथा कठिनाइयों के बारे में पहले से पता कर लेता है तथा उसके समाधान का उपाय भी कक्षा में जाने से पूर्व सोच लेता है।

(v) **पाठों की निरंतरता (Continuity of Lesson) :** पाठ-योजना की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि पढ़ाए जाने वाले विषयों की सभी उप-विषयों में एक निरंतरता बनी रहती है। शिक्षक को इस बात का ज्ञान रहता है कि विषय के कौन से उपविषय पढ़ाए जा चुके हैं तथा कौन-कौन से पक्ष शेष रह गए हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को छात्रों के पूर्व ज्ञान की भी जानकारी रहती है। पाठ्य के उपविषयों के प्रकरणों में निरंतरता बनाए रखने के लिए पाठ-योजना एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

(vi) **शिक्षण-क्रियाओं की जानकारी (Knowledge of Teaching Activities) :** कक्षा में शिक्षक को शिक्षण क्रियाओं तथा प्रयोग होने वाली सहायक-सामग्री की पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। यदि अध्यापक पाठ-योजना बनाता है तो उसे यह सारी जानकारी हासिल हो जाती है। वह पहले से ही तय कर लेता है कि कक्षा में कौन-कौन सी शिक्षण-क्रियाएं करनी हैं और किस तरह करनी हैं। इसके साथ ही सहायक-सामग्री का कैसे प्रयोग करना है? इस बात का निर्णय भी कक्षा में जाने से पहले ही पाठ-योजना में कर लिया जाता है।

(vii) **क्रमबद्ध कार्य की आदत का विकास (To Develop habit of Working in Sequence) :** पाठ-योजना से शिक्षक में क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने की आदत का विकास होता है और उसमें वे सभी कौशल विकसित हो जाते हैं, जिनसे शिक्षक बड़ी तेजी से पाठ नियोजित कर सके।

(viii) **उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए (To Achieve Aims) :** शिक्षक किस प्रकार स्वयं निर्मित उद्देश्यों को प्राप्त करे, इसके लिए पर्याप्त तैयारी और पाठ-योजना का होना अति आवश्यक है। शिक्षक के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ-योजना आवश्यक सामग्री तथा साधन एकत्रित करने में सहायता देती है।

(ix) **शिक्षण व अधिगम में संबंध स्थापित करना (To Establish Relationship between Teaching and Learning) :** शिक्षा में शिक्षण तथा अधिगम में गहरा संबंध होना आवश्यक है, वरना शिक्षण निरर्थक साबित होगा। पाठ-योजना शिक्षण तथा अधिगम में सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक रूप से संबंध स्थापित करती है। शिक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग अधिगम को प्रभावशाली बनाता है।

(x) **रूप-रेखा प्रदान करने के लिए (To Provide Outlines) :** पाठ-योजना की आवश्यकता शिक्षकों के प्रशिक्षण-कार्यक्रम में भी महत्त्वपूर्ण होती है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में पाठ-योजना कक्षा की क्रियाओं के लिए रूप-रेखा प्रदान करती है। यही रूप-रेखा शिक्षक को अपनी क्रियाएं करने में दिशा प्रदान करती है। अतः पाठ्य-योजना इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।

(xi) **अनुशासनहीनता पर नियंत्रण (Control over Indiscipline) :** यदि शिक्षक ने अपनी शैक्षिक तैयारी नहीं की तो इससे कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा शिक्षक जो घर से तैयारी करके नहीं आता बालकों को ज्ञान की दृष्टि से संतुष्ट नहीं कर पाता। छात्र अध्यापक की कक्षा-कक्ष की क्रियाओं से संतुष्ट नहीं होते। इसलिए अनुशासन बनाए रखने के लिए पाठ-योजना बनाना आवश्यक है।

(xii) **पाठ्यक्रम और बच्चों की आवश्यकतानुसार समय का विभाजन करने के लिए (To Mark Divison of Time According to Needs of Curriculum and Students) :** पाठ्य-सामग्री जो कि पाठ्य-पुस्तकों में दी जाती है, को पुनः संगठित करने के लिए तथा इसे इकाइयों में विभाजित करने के लिए पाठ-योजना का बहुत ही महत्त्व है। पाठ्य-सामग्री को पुनः संगठित करना तथा इकाइयों में बांटना एक आवश्यक कौशल है। पाठ-योजना द्वारा इन कौशलों का अभ्यास संभव है।

पाठ-योजना के उपागम
(Approaches to Lesson-Planning)

पाठ योजना बनाने के लिए किसी एक योजना का प्रयोग नहीं किया जाता। इसे लिखने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया जाता है। पाठ-योजना के विभिन्न उपागमों में शिक्षाशास्त्रियों ने विभिन्न पक्षों पर बल दिया है। पाठ-योजना के लिए कौन-सा उपागम अधिक उपयुक्त है, इसके बारे में कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता।

विषय तथा उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया जाता है। ब्लूम तथा मार्सिया के शिक्षण के उद्देश्यों को तीन भागों में बांटा है, जो ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक कहलाते हैं। उसके आधार पर पाठ-योजना के मुख्य उपागम इस प्रकार हैं—

(i) **हरबर्ट उपागम (Herbart's Approach) :** इस उपागम का प्रतिपादन जर्मन के विख्यात शिक्षाशास्त्री जॉन फ्रेड्रिक हरबर्ट ने किया था। इस उपागम के पांच सोपान हैं—उद्देश्य कथन या तैयारी, प्रस्तुतीकरण, तुलना और संबंध या स्पष्टीकरण, सामान्यीकरण और प्रयोग।

(ii) **मौरीसन का इकाई उपागम (Morrison's Unit Approach) :** इस उपागम का प्रतिपादन प्रो. एस.सी. मौरीसन ने 1929 ई. में अपनी पुस्तक "सैकंडरी स्कूल में अध्यापन अभ्यास" में की है, जिसका प्रयोग अमेरिका में किया जा रहा है। इस उपागम के भी पांच सोपान हैं—अन्वेषण, प्रस्तुतीकरण, संगठन, आत्मीकरण और अभिव्यक्तिकरण।

(iii) **ब्लूम का उपागम (Bloom's Approach) :** इस उपागम के तीन सोपान हैं—शैक्षिक उद्देश्यों का

GMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

निर्माण, अधिगम अनुभव प्रदान करना और अधिगम परिणामों का मूल्यांकन।

(iv) आर.सी.ई.एम. उपागम (R.C.E.M. Approach) : इस उपागम का विकास क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर ने किया। इस प्रणाली उपागम के तीन पद–अदा (Input), प्रक्रिया (Process) और प्रदा (Output) हैं।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शिक्षण कार्य में पाठ-योजना का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अनुभवी अध्यापक भी किसी न किसी रूप में पाठ योजना बनाते हैं। वे भले ही विस्तृत पाठ-योजना बनाएं, परंतु वे संक्षिप्त रूप से पाठ-योजना अवश्य बना लेते हैं। उपरोक्त विभिन्न उपागमों की सहायता से पाठ-योजना को और भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बनाया जा सकता है।

हरबर्ट का पांच पदीय उपागम
(Herbartian Five Steps Approach)

❑ **सामाजिक विज्ञान अध्यापन में हरबर्ट पाठ-योजना के सोपानों, गुणों व अवगुणों की विवेचना कीजिए।**
(Discuss the steps of Herbartian of Lesson-plan, Merits and Demerits.)

अथवा

❑ **सामाजिक अध्ययन अध्यापन में पाठ-योजना के सोपानों का विवेचना कीजिए।**
(Discuss the steps of Lesson-plan in teaching of Social Science.) [MDU, 2018]

उत्तर : हरबर्ट जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्रीय एवं दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने शिक्षण को पांच पदो में बांटा है। इन पांचों पदों के आधार पर पाठ-योजना बनाई जाती है। उनका यह उपागम सबसे पुराना है, लेकिन अधिकांश शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण संस्थाओं में पाठ-योजना के लिए हरबर्ट के उपागम का ही प्रयोग किया जाता है। हरबर्ट के इस उपागम में विषय-वस्तु के प्रस्तुतीकरण पर ही अधिक बल दिया जाता है तथा विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस उपागम में स्मृतिस्तर के शिक्षण को महत्त्व दिया जाता है। इस उपागम के पांच पदों के विवरण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

1. प्रस्तावना (Preparation) : अध्यापक कक्षा में प्रवेश करने पर जाते ही नहीं पढ़ा सकता, उसे पढ़ाने से पहले कुछ क्रियाएं ऐसी करनी पड़ती हैं, जिनसे विद्यार्थी का ध्यान कक्षा में पढ़ने के लिए बनाया जा सके। अध्यापक कक्षा में आने पर सबसे पहले पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ प्रस्तावना करता है। इसके लिए वह कई तरीके अपनाता है, जैसे–सीधे प्रश्न पूछकर, कविता की पंक्तियां पढ़कर, कोई चित्र या चार्ट दिखाकर व कहानी सुनाकर। इस प्रकार पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछे गए प्रश्नों से नवीन ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करना है। इसके पश्चात् अध्यापक उद्देश्य कथन की घोषणा करता है। उसके बाद ही वह पाठ को शुरू करता है।

2. प्रस्तुतीकरण (Presentation) : हरबर्ट उपागम में प्रस्तावना के पश्चात् पाठ-योजना में प्रस्तुतीकरण का पद आता है। अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष नई विषय-वस्तु को प्रस्तुत करता है। शिक्षण कार्य का आरंभ प्रस्तुतीकरण से ही होता है। इस पद में अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार पाठ को तीन भागों में बांट लेता है–(i) विषय-वस्तु, (ii) शिक्षण विधि एवं (iii) श्यामपट्ट कार्य। विषय-वस्तु को छोटी-छोटी इकाइयों के माध्यम से विकासात्मक प्रश्नों की सहायता से सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है। इनमें वह विभिन्न सिद्धांतों तथा सूत्रों को ध्यान में रखता है।

3. स्पष्टीकरण (Clarification) : हरबर्ट उपागम का यह तीसरा पद है। इस पद में अध्यापक मौखिक स्पष्टीकरण करता है। वह उदाहरणों, चित्रों, मानचित्रों, चार्ट आदि का प्रयोग करके विषय-वस्तु को स्पष्ट करता है। इसमें आवश्यक हुआ तो वह तुलना तथा संबंध का भी प्रयोग करता है। इससे विद्यार्थियों के मानसिक विकास करने और पर्याप्त ज्ञान प्रदान करने में मदद मिलती है।

4. सामान्यीकरण (Generalisation) : किसी भी पाठ को पढ़ाने के बाद कुछ-न-कुछ निष्कर्ष अवश्य निकाला जाता है। इसके आधार पर ही कुछ सामान्य नियम बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया से ही नियमों, सिद्धांतों तथा सूत्रों का जन्म होता है। इस कार्य में अध्यापक को विद्यार्थियों से अधिक सहायता लेनी चाहिए।

5. प्रयोग (Application) : हरबर्ट के इस उपागम में पांचवें पद का बहुत महत्त्व है। इस पद में विद्यार्थियों द्वारा सीखे हुए ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने से ज्ञान स्थायी हो सकता है।

हरबर्ट उपागम में पाठ-योजना की रूपरेखा
(Outline of Lesson-plan in Herbart's Approach)

हरबर्ट उपागम में पाठ-योजना की रूपरेखा को बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। पाठ-योजना तैयार करते समय इस रूपरेखा का अनुसरण काफी उपयोगी होता है। हरबर्ट उपागम में पाठ-योजना की रूपरेखा को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) **कक्षा, विषय तथा उपविषय (Class, Subject and Topic) :** हरबर्ट द्वारा प्रस्तुत पाठ-योजना में सबसे पहले कक्षा, विद्यार्थियों का क्रमांक, विषय, उपविषय या प्रकरण निर्धारित किया जाता है। फिर शिक्षण का स्तर अर्थात् कक्षा, दिनांक आदि निर्धारित होते हैं।

(ii) **सामान्य उद्देश्य (General Aims) :** विषय तथा शिक्षा से संबंधी उद्देश्य सामान्य उद्देश्य के रूप में लिखे जाते हैं।

(iii) **विशिष्ट उद्देश्य (Specific Aims) :** प्रकरण या उपविषय पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, यह विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है।

(iv) **सहायक सामग्री (A.V. Aids) :** सामान्य तथा विशिष्ट सामग्री पाठ को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग की जाती है।

(v) **पूर्व ज्ञान (Previous Knowledge) :** अध्यापक यह जानकारी रखता है कि इससे पहले विद्यार्थी कितना जानते हैं।

(vi) **प्रस्तावना (Preparation) :** विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रश्न पूछता है।

(vii) **उद्देश्य कथन (Statement of Aim) :** हरबर्ट के उपागम में इस पद के अन्तर्गत अध्यापक पाठ की घोषणा करता है।

(viii) **प्रस्तुतीकरण (Presentation) :** विकासात्मक प्रश्नों द्वारा पाठ को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आवश्यकतानुसार तुलना तथा सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है।

(ix) **श्यामपट्ट कार्य (Black-board Work) :** शिक्षक शिक्षण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर साथ-साथ लिखता है, आवश्यक होने पर रेखा चित्र भी बना सकता है।

(x) **पुनरावृत्ति (Recapitulation) :** पढ़ाए गए पाठ की दोहराई करवाने के लिए पुनरावृत्ति करवाई जाती है।

(xi) **गृहकार्य (Home Task) :** बच्चों को संबंधित शिक्षण पर गृहकार्य देना।

हरबर्ट की पंचपद प्रणाली के गुण व दोष
(Merits and Demerits of Harbartian Five Steps)

हरबर्ट पाठ-योजना का उपागम शिक्षण के लिए उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं है। इस उपागम की उपयोगिता को इसके गुणों से समझा जा सकता है, परंतु इसमें कुछ कमियां भी हैं। इसलिए इसका मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जा सकता है–

गुण (Merits) : हरबर्ट द्वारा बनाई गई पंचपद प्रणाली (उपागम) की पाठ-योजना के निम्न लाभ हैं–

(i) यह पाठ-योजना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि इससे चेतन मस्तिष्क का विकास होता है।

(ii) इस उपागम में प्रत्येक सोपान को बड़े तार्किक क्रम में संजोया जाता है और शिक्षण क्रम बड़े व्यवस्थित ढंग से चलता रहता है।

(iii) इस उपागम में आगमन तथा निगमन दोनों विधियों का प्रयोग होता है। इसमें पहले विभिन्न उदाहरणों की सहायता ली जाती है तथा फिर नियमों का प्रयोग किया जाता है।

(iv) यह प्रणाली सम्पूर्ण ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बालकों के पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से समन्वय करवाया जाता है।

(v) हरबर्ट की पंचपद प्रणाली में प्रयोग सोपान में पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर देते हुए बालक अपने अर्जित किए हुए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना सीखते हैं।

इस प्रकार हरबर्ट पंचपद प्रणाली में प्रत्येक सोपान मनोवैज्ञानिक और तार्किक क्रम से है। इस प्रणाली का अनुकरण करने से शिक्षण रोचक, संजीव तथा प्रभावशाली बन जाता है और बालक नवीन ज्ञान को समन्वित रूप से सफलतापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं।

अवगुण (Demerits) : हरबर्ट पाठ-योजना के उपागम के मुख्य दोषों या अवगुणों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) यह पाठ-योजना केवल ज्ञानात्मक पाठों के लिए ही लाभप्रद है।

(ii) इस उपागम में केवल सामान्यीकरण चौथा सोपान है, परंतु सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण के समय इस सोपान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

(iii) इस प्रणाली में शिक्षक की मौलिकता लगभग समाप्त हो जाती है और शिक्षण विधि केवल यांत्रिक बनकर रह जाती है।

(iv) इस प्रणाली में पांच पदों का एक तार्किक क्रम है, जिसका अनुसरण करते हुए शिक्षण की स्वतंत्रता का गला पूरी तरह से घुट जाता है।

(v) बालकों के मानसिक जीवन में एकता लाने के लिए विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करना लगभग असंभव है।

(vi) इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना होती है क्योंकि इसमें एक जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तथा एक जैसी क्रियाएं करवाई जाती हैं।

(vii) इस प्रणाली में छात्रों की अपेक्षा अध्यापक अधिक सक्रिय रहता है।

(viii) यह प्रणाली बालकों की दृष्टि से अरुचिकर है।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि कक्षा-शिक्षण के पाठ-योजना के इस उपागम की अपनी विशेष उपयोगिता है। इस पाठ-योजना के उपागम के क्रियान्वित रूप को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है–

पाठ-योजना
(Lesson-plan)

दिनांक......... छात्र-अध्यापक अनुक्रमांक.........

विषय-सामाजिक विज्ञान **कक्षा**-आठवीं

उपविषय-वनों के लाभ **कालांश**-40 मिनट

सामान्य उद्देश्य (General Aims) : विषय तथा शिक्षा से संबंधित उद्देश्य, जैसे–

(i) छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना।

(ii) छात्रों में विचार-विश्लेषण शक्ति का विकास करना।

(iii) छात्रों के बीच जीवन में सहयोग एवं आदान-प्रदान के महत्त्व को प्रदर्शित करना।

(iv) छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।

विशिष्ट उद्देश्य (Specific Aims) : प्रकरण या उपविषय से संबंधित प्रत्यक्ष उद्देश्य, जैसे–

(i) छात्रों को वनों के लाभ के बारे में बताना।

(ii) पर्यावरण में वनों के महत्त्व से अवगत करवाना।

सहायक सामग्री (A.V. Aids) : शिक्षण में निम्न सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा–

(i) श्यामपट्ट, झाड़न (डेस्टर), चाक तथा संकेतक।

(ii) एक मेज, यूरिया खाद की बोरी का एक चित्र व वाहन के टायर का एक चित्र।

(iii) भारत का मानचित्र तथा एक चित्र जिसमें हनुमान जी पर्वत उठाए उड़ रहे हैं।

पूर्व ज्ञान (Previous Knowledge) : इसके तहत अध्यापक बालकों से निम्न प्रश्न पूछेगा–

(i) मेज की ओर संकेत करते हुए, यह क्या है?

(ii) मेज किस चीज से बना है?

(iii) लकड़ी हमें कहां से प्राप्त होती है?

(iv) इमारती लकड़ी के अतिरिक्त वनों के क्या लाभ हैं?

प्रस्तावना (Preparation) : इसके तहत अध्यापक बालकों में शिक्षण के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रश्नों के माध्यम से सतर्क करता है, जैसे–

(i) ऐसी दो वस्तुओं के नाम बताओ, जिसमें लकड़ी का प्रयोग हुआ है?

(ii) संजीवनी बूटी क्या थी?

(iii) वन हमारे लिए क्यों मूल्यवान हैं?

उद्देश्य कथन (Statement of Aim) : बच्चो, आज हम वनों से होने वाले लाभ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।

प्रस्तुतीकरण (Presentation) : इसके निम्न अंश होंगे–

(i) प्रश्नोत्तर विधि अपनाई जाएगी।

(ii) विद्यार्थियों की रुचि बनाने के लिए उपविषय की विषय-वस्तु का समन्वय उनके दैनिक जीवन से किया जाएगा।

विषय वस्तु (Subject-Matter)	पाठ्य-विधि (Method)
किसी भी देश के वन उसकी बहुमूल्य प्राकृतिक निधि होते हैं। देश की जलवायु, भूमि की बनावट, जनसंख्या के घनत्व आदि पर वनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में वनों के महत्त्व की अनेक गाथाएं मिलती हैं। आज भी बहुत से हिन्दू वृक्षों की पूजा करते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में वनों का महत्त्व बहुत अधिक है। वनों के लाभ निम्नलिखित हैं–	किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में वन क्या योगदान दे सकते हैं?
वनों के लाभ (Advantages of Forests) : **(1) वर्षा लाने में सहायक**–वनों के कारण वर्षा अधिक होती है। जब भी जल से भरी पवनें वनों के ऊपर से गुजरती हैं तो ठंडी होकर खूब वर्षा करती हैं क्योंकि वनों के आस-पास का वातावरण आर्द्र व ठंडा होता है। देश के जिन भागों में वनों को काट दिया जाता है, वहां वर्षा कम होने लगती है।	बच्चो, यह बताओ कि वर्षा कैसे होती है?
(2) तापक्रम को सम बनाने में सहायक–वृक्षों के पत्ते गर्म वायु की गर्मी तथा ठंडी वायु की ठंडक सोख लेते हैं, जिससे तापक्रम को सम बनाए रखने में सहायता मिलती है।	(1) आप किस प्रान्त के निवासी हैं? (2) हरियाणा की जलवायु कैसी है। (3) इसका मुख्य कारण क्या है?

विषय वस्तु (Subject-Matter)	पाठ्य-विधि (Method)
(3) उत्तम खाद–वनों से भूमि का उपजाउपन बढ़ जाता है। वृक्षों की असंख्य पत्तियां भूमि पर गिर-गिर कर सूखने पर खाद का काम करती हैं जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।	(1) भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? (2) (यूरिया बोरी का चित्र दिखाते हुए) यह क्या है?
(4) मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना–वन मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकते हैं क्योंकि वृक्षों के कारण रेत उड़ने नहीं पाती।	(1) मरुस्थल किसे कहते हैं? (2) राजस्थान की भूमि उपजाऊ है या मरुस्थली?
(5) सुरक्षा–वन देश की प्राकृतिक सुरक्षा का भी काम करते हैं। दूसरे देशों के शत्रु इन वनों को आसानी से लांघ कर हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर सकते। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और उसके घने जंगल देश की प्रकृतिक सुरक्षा का काम करते हैं।	बच्चो-यह बताओ कि घने वनों में से लांघना सरल है या कठिन? (भारत के प्राकृतिक मानचित्र पर हिमालय पर्वत दिखाया जाएगा)
(6) जड़ी-बूटियाँ–वन अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियों के भंडार हैं। यहां से विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए अति उत्तम जड़ी बूटियां उपलब्ध होती हैं।	(एक चित्र दिखाया जाएगा जिसमें हनुमान जी पहाड़ उठाए उड़ रहे हैं) (1) बच्चों इस चित्र में आप क्या देखते हो? (2) हनुमान जी ने पहाड़ को क्यों उठाया था?
(7) विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करने का स्रोत–वनों से हमें विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। रबड़, दियासलाई बनाने के लिए लकड़ी, कई प्रकार के तेल, गंदा बरोजा, फर्नीचर तथा फल आदि रखने के लिए पेटियां आदि सभी वनों की देन हैं।	(गाड़ी के टायर (Tyre) का चित्र दिखाते हुए) (1) यह क्या है? (2) यह किस चीज का बना हुआ है? (3) रबड़ हमें कहां से प्राप्त होती है? (4) वनों से उद्योगों के लिए हमें और कौन-कौन सा कच्चा माल प्राप्त होता है?

श्यामपट्ट कार्य (Black Board Work) : इसका प्रदर्शन निम्न होगा (वनों के लाभ)–

(i) वर्षा लाने में सहायक व तापक्रम को कम करने में सहायक।
(ii) मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना।
(iii) उत्तम खाद की प्राप्ति, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा व बहुमूल्य जड़ी-बूटियों की प्राप्ति।
(iv) विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति का स्रोत।

पुनरावृत्ति (Recapitulation) : बालकों के सहयोग से उपविषय शिक्षण की पुनरावृत्ति–

(i) वनों का वर्षा से क्या संबंध है?
(ii) कृषि उत्पादन को बढ़ाने में वनों की क्या उपयोगिता है?
(iii) वन देश के लिए किस प्रकार पहरी का काम करते हैं?
(iv) वन और जलवायु का आपसी संबंध स्पष्ट करो।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

गृह कार्य (Home Taks) : वनों से क्या-क्या लाभ हो सकते हैं? इस विषय पर सभी बालक घर से एक निबंध लिखकर लाएंगे।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी विषय के शिक्षण के लिए व्यापक उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए पाठ-योजना बहुत-ही सहायक सिद्ध होती है। पूर्व-परिभाषित उद्देश्यों से पाठ्य-वस्तु के संगठन तथा मूल्यांकन आदि का एक मापदंड प्राप्त हो जाता है। शिक्षण-प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तथा सुचारु रूप से चलाने के लिए पाठ-योजना का होना अति महत्त्वपूर्ण है।

UNIT-III

पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम सामग्री और शिक्षण कौशल
(Curriculum, Teaching Learning Material & Skill of Teaching)

पाठ्यक्रम की अवधारणा व अर्थ
(Concept and Meaning of Curriculum)

❑ **पाठ्यक्रम की अवधारणा व अर्थ को स्पष्ट कीजिए।**
(Explain the concept and meaning of curriculum.)

अथवा

❑ **सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अर्थ, महत्त्व व अच्छे पाठ्यक्रम रचना सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।**
(Describe meaning, importance and principle of designing a good curriculum of Social Science?) **[CRSU, 2018]**

अथवा

❑ **पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? इसका क्या महत्त्व है? एक अच्छे पाठ्यक्रम निर्माण के लिए किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे?** **[MDU, 2018]**

उत्तर : विद्यालय में शिक्षा का कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध व सुनियोजित ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन के ढंग, मात्रा, दिशा, साधनों आदि से संबंधित हो सकते हैं। ये सभी उद्देश्य किसी विशेष माध्यम से ही पूर्ण किए जा सकते हैं तथा इन माध्यमों में सर्वाधिक उपयुक्त व महत्त्वपूर्ण नाम पाठ्यक्रम का आता है। इस प्रकार कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से नियोजित किए जाने के कारण पाठ्यक्रम को शिक्षा के एक औपचारिक माध्यम के रूप में देखा गया है। पाठ्यक्रम की अवधारणा व अर्थ को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत समझा जा सकता है–

1. **पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ (Etlymological Meaning of Curriculum) :** पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी में **'केरीक्यूलम'** शब्द का प्रयोग किया जाता है। **'केरीक्यूलम'** शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द **'क्यूरेर'** (Currere) से हुई है। इसका मतलब है–दौड़ करना अथवा भागना। जैसे–दौड़ के मैदान में कोई व्यक्ति दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वैसे ही पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। पाठ्यक्रम की सबसे लोकप्रिय परिभाषा **कनिंघम** के अनुसार, "पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है, जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपने कलागृह रूपी स्कूल में अपने उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करती है।" इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलाकार का अपने पदार्थ को अपने आदर्शों के अनुकूल ढालने की बहुत स्वतंत्रता है, क्योंकि कलाकार का पदार्थ निर्जीव है, परंतु स्कूल में अध्यापक का पदार्थ अर्थात् छात्र सजीव है। पुराने समय में जबकि आवश्यकताएं सीमित थीं, साधन सीमित थे, अध्यापक के अपने पदार्थ अर्थात् छात्र को नया रूप देने में पूरी स्वतंत्रता थी, परंतु अब बदलती हुई परिस्थितियों में अध्यापक की यह महत्ता पहले से कम हो गई है। फिर भी निश्चय ही अध्यापक के हाथ में पाठ्यक्रम बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन है।

2. **पाठ्यक्रम का संकुचित तथा व्यापक अर्थ (Narrow and Broader Meaning of Curriculum) :** आमतौर पर लोग पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम भेद नहीं करते हैं। पाठ्यक्रम को दो अर्थों में लिया जा सकता है–संकुचित व व्यापक। संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम केवल पाठ्यचर्या से अधिक कुछ नहीं। इस मत के अनुसार विभिन्न विषयों के अन्तर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों के तथ्यों की सीमा या विस्तार निश्चित कर दिया जाता है, जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान का स्वरूप होता है तथा जिसका निर्माण शिक्षाविद् करते हैं, परंतु व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम का तात्पर्य उन सभी अनुभवों से लिया जाता है, जिन्हें बालक अपनी रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न क्रियाओं द्वारा कक्षा के अंदर या बाहर हर समय प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार पाठ्यवस्तु किसी स्तर के पाठ्यक्रम का वह भाग है, जिसमें उस स्तर के लिए सैद्धांतिक विषयों के ज्ञान की सीमा निश्चित की जाती है। जबकि पाठ्यक्रम में नियोजित शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर जो कुछ भी नियोजित रूप से किया जाता है, वह सीमित होता है।

3. **पाठ्यवस्तु तथा पाठ्यक्रम में अंतर (Difference between Syllabus and Curriculum) :** पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम का केवल एक भाग है, जबकि पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का पूर्ण तथा अभिन्न अंग है। पाठ्य वस्तु का स्वरूप सैद्धांतिक ज्ञान होता है तथा इसका निर्माण शिक्षाविद् करते हैं, जबकि पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक होता है तथा इसका निर्माण अध्यापक स्वयं करता है। पाठ्यवस्तु में ज्ञानात्मक पक्ष तथा विषय से संबंधित क्रियाओं पर बल दिया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम में छात्र के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास तथा ज्ञानात्मक, कौशलात्मक व भावात्मक आदि सभी पक्षों पर बल दिया जाता है।

4. **पाठ्यक्रम की पुरानी अवधारणा (Old Concept of Curriculum) :** पुरानी अवधारणा में पाठ्यक्रम केवल पाठ्यवस्तु के अध्ययन तक सीमित है। इसका अर्थ मात्र तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना था, जो भिन्न-भिन्न विषय प्रदान करते थे या पाठ्यक्रम संक्षिप्त और मौखिक प्रकृति का प्रतीक था। इसका कारण यह था कि प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य बहुत सीमित था। इसलिए विद्यार्थियों को भाषाओं, सामाजिक विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान आदि का मौखिक ज्ञान करा देना ही पाठ्यक्रम में शामिल था। पाठ्यक्रम की पुरानी अवधारणा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है–

कनिंघम के अनुसार, "पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में वह यंत्र साधन है, जिससे वह अपनी वस्तु (छात्र) को अपनी कला-कक्ष (विद्यालय) में अपने आदर्शों (उद्देश्यों) के अनुसार बनाता है।"

मैस्सी के अनुसार, "पाठ्यक्रम छात्रों के लिए निर्धारित निर्देश सामग्री है।"

कार्टर. वी.गुड के अनुसार, "पाठ्यक्रम निर्देशन की विशिष्ट सामग्री अथवा पाठ्य-वस्तु की एक सम्पूर्ण तथा सामान्य योजना है, जिसे स्कूल छात्रों के सम्मुख इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि वे व्यावसायिक अथवा पेशे से प्रवेश करके स्नातक बनने अथवा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के योग्य बन जाएं।"

कोमीनियस के मतानुसार, "पानी, पृथ्वी, आकाश, पाताल, मानव-शरीर, आत्मा, पवित्र-जल, कलाओं, अर्थशास्त्र, राजव्यवंस्था, अर्थ, संरचना, धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे बुद्धिमता के इन छोटे उम्मीदवारों (प्रतियोगियों) को अपरिचित रखा जा सके।"

डॉ. आर.एन. सफाया के अनुसार, "पाठ्यक्रम स्कूलों में निर्देशन के लिए एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किए गए विषय-समूहों के अध्ययन की विषय-वस्तु है।"

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम केवल कुछ ज्ञान एवं कुशलता का एक संग्रह थी, जिसमें बालक की आयु, आवश्यकताओं, दृष्टिकोण अथवा क्षमता की पूरी तरह से अवहेलना होती थी। इसकी प्रकृति मौखिक थी।

5. **पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा (New Concept of Curriculum) :** हमारा समाज गतिशील है। इसमें निरंतर परिवर्तन आते ही रहते हैं। कई बार ये परिवर्तन निरंतरता के कारण दिखाई नहीं देते तथा कई बार ये अचानक होने के कारण दिखाई देते हैं। जहां एक ओर समाज में परिवर्तनों में निरंतरता देखने में आ रही है तो दूसरी ओर ज्ञान का विस्फोट भी हो रहा है। ज्ञान विस्फोट होने के कारण इसमें से

विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों तथा रुझानों के अनुसार चुनाव करने की आवश्यकता है तथा यह निश्चित करना है कि यह ज्ञान विद्यार्थियों को कैसे प्रदान किया जाए। वास्तविकता तो यह है कि हमें शैक्षिक उद्देश्यों की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आधुनिक पाठ्यक्रम में बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि इसमें व्यावहारिक क्रियाओं को शामिल किया जा सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ शिक्षाशास्त्रियों ने पाठ्यक्रम की नई धारणा के अनुरूप निम्नलिखित कुछ परिभाषाएं दी हैं, जो इस प्रकार हैं—

हार्न के अनुसार, "पाठ्यक्रम वह है, जिसे बालक को पढ़ाया जाता है। यह सीखने तथा शांतिपूर्वक पढ़ने से कुछ अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन अभ्यास तथा क्रिया शामिल होती है। इस प्रकार यह शिक्षार्थी के स्नायुमण्डल के संगठन में होने वाली गतियों तथा संवेगात्मक तत्त्वों को व्यक्त करता है।"

क्रो एंड क्रो के अनुसार, "पाठ्यक्रम में बच्चे के वे सभी अनुभव शामिल हैं, जिन्हें वह स्कूल में या स्कूल के बाहर प्राप्त करता है। इन अनुभवों को एक कार्यक्रम के रूप में नियोजित किया जाता है जो बच्चे के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास के लिए बनाया जाता है।"

मुनरो के अनुसार, "पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव शामिल होते हैं, जिनकी स्कूल द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।"

फ्रोबेल के अनुसार, "पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केन्द्र बिन्दु समझना चाहिए।"

जॉन डी.वी. के अनुसार, "पाठ्यक्रम की योजना में वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं की अनुकूलता का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इसका चयन इस प्रकार हो कि हमारे सामान्य सामूहिक जीवन में सुधार हो ताकि हमारा भविष्य हमारे अतीत से अच्छा हो।"

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों के एवं उनके माता-पिता तथा शिक्षकों के जीवन में आने वाली समस्त क्रियाओं को आधुनिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। शिक्षार्थी के काम करने के समय में जो कुछ भी कार्य होता है, उन सभी से पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। इसके विस्तृत अर्थ में इसके अन्तर्गत समस्त विद्यालयी वातावरण आता है।

6. प्राचीन और आधुनिक पाठ्यक्रम की अवधारणा में अंतर (Difference Between the Old and New Concept of Curriculum) : प्राचीन पाठ्यक्रम केवल विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान, विषय-वस्तु के महत्त्व व रटने की पद्धति तक सीमित है, वहीं आधुनिक धारणा का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान की संतुलित तथा सामंजस्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाता है। इसमें विद्यालय की सम्पूर्ण गतिविधियों, समझ, कौशल तथा भावात्मक पक्ष के विकास पर ध्यान दिया जाता है। प्राचीन पाठ्यक्रम में परम्परागत शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग होता है, जैसे—भाषण विधि, पाठ्य-पुस्तक विधि आदि जबकि आधुनिक पाठ्यक्रम में शिक्षण की आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे—वाद-विवाद विधि, समस्या विधि, परियोजना विधि आदि।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त सम्पूर्ण अध्ययन के बाद कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ उन सभी अनुभवों से है जो कि विद्यार्थी स्कूल के मार्गदर्शन से प्राप्त करते हैं। इसमें श्रेणी में की गई क्रियाएं तथा खेल भी सम्मिलित हैं जोकि मानव और समाज दोनों की भलाई को बढ़ाती हैं। पाठ्य-वस्तु, पाठ्यक्रम का वह भाग है, जिसका संगठन श्रेणी (कक्षा) में प्रयोग के लिए किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों और प्रबंधकों के लिए विषय-सामग्री, विधियों, सहायक सामग्री के प्रयोग और मार्गदर्शक के लिए सुझाव होते हैं।

पाठ्यक्रम का महत्त्व
(Importance of Curriculum)

प्रत्येक समाज की अपनी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, मान्यताएं एवं मूल्य होते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन विषयों का ज्ञान एवं

क्रियाओं को आवश्यक समझा जाता है, उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। इस प्रकार नियोजित शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की बहुत आवश्यकता होती है। इसकी यह आवश्यकता ही इसको महत्त्वपूर्ण बनाती है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता अथवा महत्त्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

1. शिक्षण-सामग्री का निर्धारण (Determination of Study Material) : शिक्षण-सामग्री का निर्धारण पाठ्यक्रम ही करता है। बिना पाठ्यक्रम के शिक्षा-प्रक्रिया दृष्टिहीन हो जाएगी, क्योंकि इसके अभाव में हम यह नहीं जान सकते कि क्या पढ़ाया जाए।

2. शिक्षण विधियों का चुनाव (Selection of Methods of Teaching) : उचित शिक्षण विधि का ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम के अभाव में यह नहीं जाना जा सकता है कि विषय-वस्तु को कैसे पढ़ाया जाए तथा इसके लिए कौन-सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। इसलिए विद्यार्थी तथा सफल अध्यापक दोनों के लिए पठन-पाठन की योजना पूरी तरह से पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है।

3. मूल्यांकन सहज और सरल होता है (Evaluation becomes Easier and Convenient) : किसी स्तर विशेष के लिए पाठ्यक्रम निश्चित होने से स्तर विशेष के विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करना सम्भव होता है। यदि किसी स्तर के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा तो अध्यापक बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन कैसे कर सकेगा। अध्यापक किसी स्तर विशेष के बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन इस पाठ्यक्रम के आधार पर ही करते हैं।

4. मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति (Fulfills Psychological Needs) : निश्चित पाठ्यक्रम से बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सप्रयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है और ऐसा करना चाहता है, जिससे उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की सम्भावना बढ़ती है। पाठ्यक्रम का निर्माण इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए बच्चे उसे पूरा करने में रुचि दिखाते हैं।

5. शिक्षा की प्रक्रिया का व्यवस्थित होना (Educational Process Becomes Organised) : पाठ्यक्रम एक ऐसा लेखा-जोखा है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा के किस स्तर पर, जैसे—पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक आदि पर विद्यालयों में किन पाठ्य-विषयों का कितना ज्ञान एवं क्रियाओं में कितनी दक्षता का विकास किया जाएगा। इस प्रकार निश्चित पाठ्यक्रम शिक्षा की क्रिया को व्यवस्थित करता है।

6. उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव होती है (Realisation of Objectives Becomes Feasible) : पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि पाठ्यक्रम को सुचारु रूप से पूरा किया जाता है तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि जब हम यह अनुभव करते हैं कि कोई निश्चित पाठ्यक्रम न हो तो हम यह नहीं जान सकते कि हम किन विषयों के ज्ञान और किन क्रियाओं के प्रशिक्षण से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं और कौन-सी क्रियाएं निरर्थक हैं।

7. उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण सम्भव (Possible to Prepare Appropriate text-books) : निश्चित पाठ्यक्रम होने से लेखक उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें तैयार कर देते हैं और उनमें आवश्यक सामग्री को ही प्रवेश देते हैं। पाठ्य-पुस्तकों के अभाव में शिक्षा कितनी अनियंत्रित और अव्यवस्थित होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं।

8. समय और शक्ति का सदुपयोग होना (Appropriate Use of Time and Energy) : निश्चित पाठ्यक्रम अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के कार्य को निश्चित कर देता है। इससे अध्यापकों को यह पता रहता है कि उन्हें विद्यार्थियों को क्या सीखने में सहायता करनी है और विद्यार्थियों को यह पता रहता है कि उसे क्या सीखना है। अध्यापक अथवा विद्यार्थी किसी को भी भटकने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। परिणामतः शिक्षा की प्रक्रिया बड़ी सुचारु रूप से चलती और अध्यापक तथा विद्यार्थियों दोनों ही निश्चित

SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

समय में निश्चित कार्यों को पूरा करते हैं। इससे समय और शक्ति दोनों का सदुपयोग होता है।

9. शिक्षा का स्तर समान रहना (Maintains Uniform Standards of Education) : निश्चित पाठ्यक्रम से पूरे समाज की शिक्षा का स्तर समान रहता है। उसके परिणामों से हमें शिक्षा में सुधार की सही दिशा प्राप्त होती है। अनिश्चित पाठ्यक्रम की स्थिति में हम शिक्षा के स्तर के उठने तथा गिरने के कारणों का पता नहीं लगा सकते और उस स्थिति में शिक्षा में सुधार नहीं किया जा सकता।

10. विभिन्न प्रवृतियों या दर्शनों को प्रकट करना (Reflects Different Tendencies and Philosophies) : पाठ्यक्रम शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियों तथा विभिन्न दर्शनों के परिवर्तन को दर्शाता है। दर्शन को क्रिया का असली जामा (पहनावा) पाठ्यक्रम पहनाता है।

11. चरित्र-चित्रण में सहायक (Helpful in Character Building) : पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों में चरित्र-निर्माण एवं उचित नागरिकता का विकास करना होता है। इस प्रकार उचित पाठ्यक्रम चरित्र विकास में सहायक होता है। साधारण शब्दों में चरित्र निर्माण व नागरिकता के लिए उत्तम गुणों का विकास पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव है।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि पाठ्यक्रम न हो तो कोई भी शिक्षण कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही विद्यालय का कार्य संगठित और संतुलित रूप से चलता है। इसलिए विद्यार्थी तथा सफल अध्यापक दोनों के लिए पठन-पाठन की योजना पूरी तरह से पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है। बिना पाठ्यक्रम के इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत (Principles of Curriculum Construction)

पाठ्यक्रम ही वह केन्द्र बिन्दु है, जिसके चारों ओर शिक्षात्मक प्रयास संगठित किया जाता है। इसमें बच्चों की वे समस्त क्रियाएं शामिल हैं, जिन्हें अध्यापक के मार्गदर्शन में व्यवस्थित किया जाता है। पाठ्यक्रम रचना बिना सोचे-समझे की जाने वाली क्रिया नही अपितु यह एक सुनियोजित क्रिया है। इसे इस प्रकार सम्पन्न किया जाना चाहिए कि यह स्कूल के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो। पहले से विद्यमान पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली कोई भी नवीन क्रिया शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में एक निश्चित पग के रूप में सिद्ध होनी चाहिए। प्रभावशाली पाठ्यक्रम रचना के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों से सहायता ली जा सकती है :

1. शिशु केन्द्रितता का सिद्धांत (Principle of Child Centredness) : शिशु केन्द्रितता आधुनिक शिक्षा का नारा है। सामान्य बच्चों की क्रियाओं और आवश्यकताओं के आधार पर बनाया गया पाठ्यक्रम स्कूल के दायित्वों को पूरा करने का एक प्रभावशाली साधन है। पाठ्यक्रम बच्चे की रुचि, रूझान, योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। हम जानते हैं कि संसार में कोई दो बच्चे समान नहीं होते। अतः उनके लिए पाठ्यक्रम भी भिन्न-भिन्न होना चाहिए, परंतु हर बच्चे के लिए अलग पाठ्यक्रम का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। हां, बच्चों को उनकी रुचि, रुझान और योग्यता के अनुसार कुछ वर्ग विषयों में रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्र, साहितियक रुचि रखने वाले छात्र, हस्त कार्य में रुचि लेने वाले छात्र आदि।

इस दृष्टि से पाठ्यक्रम का नियोजन विभिन्न वर्गों में किया जा सकता है। इन सब वर्गों में भी अनेक विषयों का समावेश होना चाहिए और बच्चे को अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल विषय एवं क्रियाएं चुनने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण का मुख्य सिद्धांत शिशु केंद्रितता के सिद्धांत को ही माना जाता है।

2. एकीकरण का सिद्धांत (Principle of Integration) : यह सिद्धांत इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार गठित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर सके। उत्तम सीखने के लिए यह आवश्यक बन जाता है कि किसी स्तर के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय सभी विषयों की पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए, जिसे एक-दूसरे के आधार पर विकसित किया जा सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम को स्वीकृत पाठ्यक्रम भी कहते हैं। ऐसा पाठ्यक्रम व्यक्ति की आंतरिक पूर्णता में सहायक होता है और व्यक्ति तथा वातावरण में अनुकूलनता स्थापित करता है। अब शिक्षार्थी यह अनुभव करने लगे हैं कि पाठ्यक्रम को विभिन्न स्कूल विषयों में बांटना एक पुराना तथा व्यर्थ ढंग है।

3. समवाय का सिद्धांत (Principle of Correlation) : समवाय का सिद्धांत इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि ज्ञान एक सम्पूर्ण इकाई है और इसे अलग-अलग टुकड़ों में प्रदान नहीं किया जा सकता। समवाय एकीकरण को ठोस बनाता है, इसलिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय उसमें उन्हीं विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाए, जिनमें आपस में संबंध हो। विभिन्न विषयों की पाठ्य-सामग्री ऐसी होनी चाहिए, जिसे एक-दूसरे के आधार पर विकसित किया जा सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम को कम समय तथा कम शक्ति लगाकर पूरा किया जा सकता है। समय और शक्ति का सदुपयोग और उत्तम सीखने की दृष्टि से इस सिद्धांत का पालन अवश्य किया जाना चाहिए।

4. लचीलेपन का सिद्धांत (Principle of Flexibility) : पाठ्यक्रम को बालकों की रुचियों, विभिन्नताओं, प्रवृत्तियों, दृष्टिकोणों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है कि यह लचीला तथा विविधतापूर्ण हो। हमें उन पर अनुपयुक्त विषयों का बोझ नहीं लादना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो इससे उनके सामान्य विकास में बाधा पड़ती है। अतः पाठ्यक्रम में ज्ञान, कुशलता और मूल्यांकन के उन विस्तृत क्षेत्रों का समावेश किया जाना चाहिए, जो बालक की व्यक्तिगत भिन्नता के दृष्टिगत उनके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हो।

5. उपयोगिता का सिद्धांत (Principle of Utility) : विषयों एवं क्रियाओं का क्रम उपयोगिता की दृष्टि से होना चाहिए। पाठ्यक्रम की रचना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए कौन-सा विषय अथवा कौन-सी विधि अधिक उपयोगी है। आधुनिक स्वतंत्र भारत में आर्थिक जीवन को ऊपर उठाने के लिए विज्ञान व तकनीकी की शिक्षा देना, लोकतान्त्रिक देश होने के कारण उत्तम नागरिकता की शिक्षा देना, चारित्रिक विकास के लिए नैतिक शिक्षा देना व धर्मनिरपेक्ष जैसे धार्मिक मूल्यों की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार शेष विषयों और क्रियाओं के लिए उनकी उपयोगिता की दृष्टि से ही पाठ्यक्रम में उनका समय निश्चित किया जाना चाहिए।

6. विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम होने का सिद्धांत (Principle of Having Different Curriculum At Different Levels) : मनोविज्ञान के ज्ञान से हमें पता चलता है कि भिन्न-भिन्न स्तर के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में भिन्नता होती है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें विशेष स्तर के बच्चों की इस भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए और पाठ्यक्रम में वे ही विषय एवं क्रियाएं रखनी चाहिए, जिन्हें बच्चे रुचिपूर्वक सक्रिय रूप से ग्रहण कर सकें और जो उनकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसी प्रकार पाठ्यक्रम बच्चे के जीवन से संबंधित और आदर्श जीवन की ओर ले जाने वाला होना चाहिए।

7. पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए (The Curriculum Should be in Conformity with the Aims of Education) : पाठ्यक्रम से ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है। इसलिए इनका नियोजन करते समय हमें शिक्षा के उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए। इसमें उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का समावेश करना चाहिए, जिनके ज्ञान और अभ्यास से बच्चे वैसे बन जाए, जैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं। प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन उद्देश्यों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है।

8. मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभवों का समावेश (Must include all the useful

Experiences of Human Life) : पाठ्यक्रम में मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभवों का समावेश होना चाहिए। किसी ने सच ही कहा कि शिक्षा मानव अनुभवों का पुनर्गठन और पुनः निर्माण है। हम अपने पूर्वजों से जो कुछ सीखते हैं, उसमें अपने अनुभवों को जोड़ कर उसका विकास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को किसी दूसरे के अनुभवों को अपने अनुभवों की कसौटी पर परखने का पूरा-पूरा अवसर देना चाहिए, तभी तो सत्य और असत्य का निर्णय हो सकेगा।

9. व्यापकता का सिद्धांत (Principle of Broadness) : पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ध्यान रखा जाए कि यह शैक्षिक विषयों से संबंधित पाठ्य-पुस्तकों तक ही सीमित न रहे। यह ऐसा होना चाहिए कि छात्रों की समस्त शैक्षिक वातावरण की अभिव्यक्ति कराने की क्षमता रखता हो तथा साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि छात्रों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। यह व्यवस्था ही छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

10. अवकाश के समय के सदुपयोग का सिद्धांत (Principle of Appropriate use of Leisure Time) : उपयुक्त पाठ्यक्रम अवकाश के समय का सदुपयोग भी सिखाता है। काम और अवकाश एक-दूसरे के साथ चलने चाहिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को केवल काम के लिए ही नहीं अपितु अवकाश के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

11. सामूहिक जीवन के साथ सशक्त संबंध (Principle of Vital Relationship with Group Life) : पाठ्यक्रम का सामूहिक जीवन के साथ सशक्त संबंध होना चाहिए। उसमें बच्चे को समझाने के लिए समाज के मुख्य तथा महत्त्वपूर्ण क्रियाओं से सम्पर्क स्थापित कराने का प्रयास होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम में उत्पादन कार्य को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाए, क्योंकि उत्पादन कार्य संगठित मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी है।

12. सामुदायिक केन्द्रितता का सिद्धांत (Principle of Community Centredness) : आज का बच्चा कल का प्रौढ़ बनेगा। उसे अपने आपको समुदाय के उस समावेश के साथ संबंधित करना होगा, जिसमें वह रहता है। इसलिए पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषयों और क्रियाओं का समावेश होना चाहिए, जो उसे समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करे।

पाठ्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव
(Suggestions for Improvement in Curriculum)

❑ **पाठ्यक्रम में सुधार के लिए दिए गए सुझावों का विवेचन कीजिए।**
(Discuss the suggestions for improvement in curriculum.)

उत्तर : पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देने की आवश्यकता है—

1. उपयोगी विषयों एवं क्रियाओं का समावेश (Inclusion of useful Subjects and Activities)—परम्परागत पाठ्यक्रम केवल सैद्धान्तिक और पुस्तकीय है। हमें चाहिए कि पाठ्यक्रम में जीवन से संबंधित सभी विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए।

2. पाठ्यक्रम के स्तर को ऊँचा उठाना (Upgrading the Curriculum)—पाठ्यक्रम के निम्न स्तर को ऊँचा उठाने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके लिए विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा राज्य शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए खोज व शोध कार्य करने चाहिए और खोजों के आधार पर पाठ्यक्रम में सुधार तथा उपलब्धि के स्तर को परिभाषित करना चाहिए।

3. बच्चों की रुचि को ध्यान में रखना (Keeping the Interests of the Child in Mind)—पाठ्यक्रम का चयन करते समय बच्चों की रुचि, रूझान, योग्यता एवं आवश्यकताओं का ज्ञान एवं ध्यान अवश्य रखा जाए। पाठ्य-वस्तु का चयन करते समय बच्चों की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्थिति को सामने रखना चाहिए। नई शिक्षा नीति 1986 (New education policy) में भी बाल केन्द्रित शिक्षा का सुझाव दिया गया है तथा करके सीखने के सिद्धांत को अपनाने का भी सुझाव दिया गया है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

4. हिन्दी के महत्त्व को पहचानना (Recognising the Importance of Hindi)—आश्चर्य की बात है कि आज भी देश के कुछ भागों में राष्ट्र भाषा हिन्दी की उपेक्षा की जाती हैं, परंतु राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की भावनात्मक एकता के लिए हमें राष्ट्रीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना चाहिए।

5. बहुमुखी कार्यक्रम का आयोजन करना (Organising Diversified Courses)—बच्चों की मनोवैज्ञानिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए बहुमुखी कार्यक्रम (Diversified Courses) का आयोजन करना आवश्यक है। हमारे विद्यालयों को चाहिए कि वे सभी वर्गों के बच्चों को विषयों के चुनाव का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें।

6. पाठ्यक्रम में नवाचार (Innovations in Curriculum)—सभी विद्यालयों को सामान्य तौर पर तथा प्रयोगात्मक विद्यालयों को विशेष तौर पर प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओं व उपलब्ध साधनों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकें। विद्यालयों को ऐसा करने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वे शिक्षा निर्देशालय के आदेशों के प्रति लकीर के फकीर न बनें।

7. स्वास्थ्य शिक्षा पर बल (Emphasis on Health Education)—अब तक हमारी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में स्वास्थ्य शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिया गया है। जिस देश के नगारिकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, वह देश किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं कर सकता। स्वस्थ नागरिकों से ही देश की उन्नति तथा रक्षा की आशा की जा सकती हैं। अतः सभी बच्चों को स्वास्थ्य, रक्षा संबंधी नियमों एवं क्रियाओं का ज्ञान कराना चाहिए।

8. विज्ञान एवं गणित की शिक्षा पर बल (Emphasis on Science and Mathematics Subjects)—माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है कि शिक्षा के प्रथम दस वर्षों में विज्ञान और गणित शिक्षा पर बल दिया जाए। साथ ही विज्ञान को तकनीकी से जोड़कर व्यावहारिक भी बनाया जाए।

9. हस्तकार्य पर बल (Emphasis on Manual Work)—माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर हस्तकार्य को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया। विभिन्न स्तर पर हस्तकार्य अलग-अलग अपनाए जाएं। हस्तकार्य का चयन करते समय छात्रों की क्षमता एवं रुचि को ध्यान में रखा जाए।

10. तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल (Emphasis on Technical and Vocational Education)—पाठ्यक्रम उपयोगी होना चाहिए। इसलिए इसमें तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की पूरी-पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम की पाठ्य-वस्तु ऐसी होनी चाहिए, जिसे पूरा करने के पश्चात् बच्चे उत्पादन तथा उद्योग कार्य में प्राथमिक दक्षता प्राप्त कर लें और अपनी जीविका कमाने के योग्य बन जाएं।

11. पाठ्यक्रम का बच्चों से संबंध तथा एकीकरण (Relation with the Students and Integration)—जहां तक सम्भव हो, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसका बच्चों से संबंध हो और जिसे बच्चे अपने अध्ययन के आधार पर ग्रहण कर सकें।

निष्कर्ष (Conclusion) : इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित सुझावों का अनुसरण करके सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु एक उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास किया जा सकता है। इन सुझावों की मुख्य बात निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में विषय संबंधी प्रकरणों, विषय-वस्तु तथा अधिगम अनुभवों का चयन और आयोजन की ही है।

सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम आयोजन के संगठन के उपागम
(Approaches to the Organisation of Social Science Curriculum)

❑ **सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम आयोजन के संगठन के विविध उपागमों की व्याख्या कीजिए।**
(Describe the various approaches to the organisation of social science curriculum.)

उत्तर : सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण व नियोजन में विविध उपागमों का प्रयोग होता है। शिक्षण को सरल, स्पष्ट, उपयोगी व व्यावहारिक बनाने में इन उपागमों का प्रयोग बहुत उपयोगी माना जाता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इन उपागमों का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है–

1. केन्द्रीभूत या चक्राकार उपागम (Concentric or Spiral Approach) : सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इस उपागम का प्रयोग उस प्रकरण या उपविषय के लिए किया जाता है, जिसका आरम्भ एक विशेष कक्षा से होता है, परंतु अंत उसी कक्षा में होने की अपेक्षा अगली कक्षा में होता है। प्रकरण के कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए इसके शिक्षण में सरल से कठिन शिक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसलिए उस प्रकरण को अगली कक्षा में समाप्त करने की बात कही जाती है। आमतौर पर किसी विशेष स्तर (प्राथमिक व माध्यमिक) पर पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों का चुनाव पहले कर लिया जाता है तथा उसके उपरांत इन प्रकरणों को बच्चों के मानसिक विकास तथा समझ के अनुसार बढ़ते कठिनाई स्तर के आधार पर उपयुक्त अंशों अथवा खंडों में विभाजित कर लिया जाता है। इस तरह के प्रकरण के अन्तर्गत सरल अंशों का अध्ययन प्राथमिक कक्षाओ में ही करवाया जाता है, अर्थात् इस स्तर पर प्रकरण की मात्र शुरुआत की जाती है। जैसे-जैसे बालक की समझ व कक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे संबंधित प्रकरण का कठिनाई स्तर भी बढ़ता जाता है। इस उपागम में प्रकरण विशेष की सार-वस्तु केन्द्र का कार्य करती है। इस केन्द्र के इर्द-गिर्द ही प्रकरण को कठिनाई स्तर के अनुसार आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार का शिक्षण नियोजन ज्यामिति की चक्राकार अर्थात् स्पाइरल (Spiral) आकृति जैसा होता है। घड़ी की कमानी (Spiral) की तरह प्रकरण की विषय-वस्तु केन्द्र बिन्दु से शुरू होकर अगली कक्षाओं में निम्न प्रकार से विस्तृत होती जाती है–

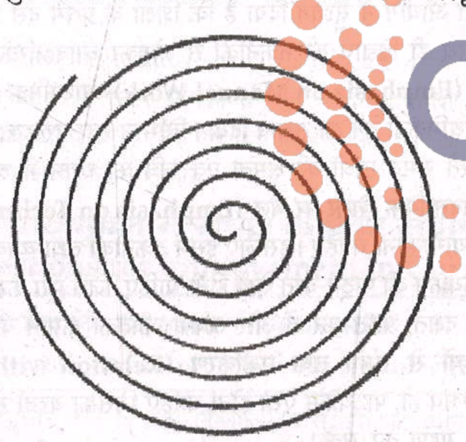

चित्र : केन्द्रीभूत अर्थात् चक्राकार संगठन को प्रदर्शित करता चित्र

पाठ्यक्रम निर्माण व नियोजन के इस उपागम के अन्तर्गत उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान के 'सामाजिक परिवेश' नामक प्रकरण को लिया जा सकता है। इसके तहत शिक्षण की शुरुआत बहुत ही सरल तरीके से की जाती है, अर्थात् बालक के बहुत नजदीकी वातावरण (घर के आंगन) से होगी तथा धीरे-धीरे उसका दायरा बढ़ता हुआ पड़ोस, मुहल्ला, गांव, कस्बा, नगर, राज्य, देश व विश्व तक विस्तृत हो जाएगा।

2. कालक्रम आधारित उपागम (Chronological Approach) : पाठ्यक्रम निर्माण व नियोजन के इस उपागम के अन्तर्गत पाठ्य-वस्तु अथवा प्रकरण के कालक्रमानुसार व क्रमिक विकास सिद्धांत अपनाया जाता है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जो विषय-वस्तु पहले व बाद में पढ़ाई जानी है, उसे कालक्रम व क्रमिक विकास का रूप प्रदान किया जाए। उदाहरण के लिए–सामाजिक विज्ञान विषय में मानव जीवन के अध्ययन से पहले पृथ्वी की उत्पत्ति नामक प्रकरण को पहले पढ़ाया जाएगा। कालक्रमानुसार व क्रमिक विकास सिद्धांत का अनुसरण करते हुए शिक्षण स्तर के अनुसार बालक को इसके बाद क्रमिक रूप से पृथ्वी

पर जीवन की उत्पत्ति, विस्तार व स्थानांतरण आदि प्रकरणों का अध्ययन करवाया जाएगा। अगले स्तर पर आदिमानव की जीवन शैली, समाज व सभ्यता का विकास आदि के प्रकरणों का अध्ययन करवाया जाएगा। ऐतिहासिक विषयों के प्रकरण के संगठन में तो इसकी विशेष भूमिका होती है, क्योंकि कालक्रमानुसार अध्ययन के बिना ऐतिहासिक घटनाओं व विविध पहलुओं को समझना कठिन होता है। इसी तरह राज्य विशेष या स्थानीय भौगोलिक स्थिति को भी कालक्रमानुसार भूगोल के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान से जुड़ी विषय-सामग्री को उसके क्रमिक विकास, क्रमिक उपयोग तथा क्रमिक पारस्परिक संबंधों की नजर से नियोजित करना सभी तरह से सही रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बालक को किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था से अवगत करवाना है तो उसे पहले स्थानीय स्वशासन, उसके बाद प्रांतीय शासन तथा अंत में केन्द्रीय प्रशासन की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। इसी तरह न्याय प्रणाली का अध्ययन करवाते समय पहले पंचायतों, फिर तहसील व जिला स्तर की कचहरियों, फिर उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। उपरोक्त विविध प्रकरणों के उदाहरणों से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम का निर्माण व संगठन का आधारभूत उपागम कालक्रम का सिद्धांत ही है। सामाजिक विज्ञान के इस उपागम में हमेशा कालक्रम उल्लेख, क्रमिक विकास व क्रमिक उपयोग के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में कालक्रम आधारित पाठ्यक्रम के नियोजन को सामाजिक विज्ञान में 'न्याय प्रणाली' नामक प्रकरण को उदाहरण स्वरूप निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

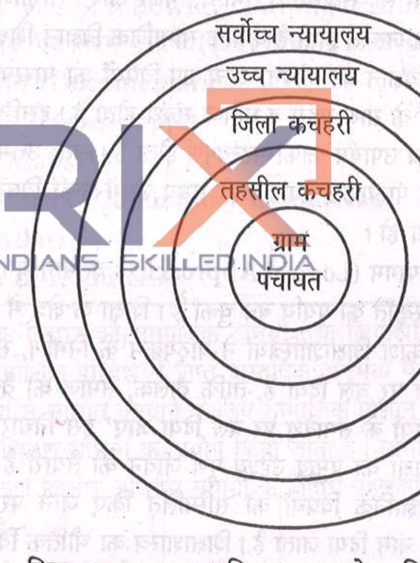

चित्र : कालक्रम आधारित उपागम को प्रदर्शित करता चित्र

उपविषय या प्रकरण के अध्ययन में कालक्रमानुसार उपागम की उपयोगिता को उपरोक्त चित्र के माध्यम से सरलता से समझा जा सकता है। प्रकरण में क्रमिक विकास का सिद्धांत ही वास्तव में कालक्रमानुसार उपागम की आधारशिला है।

3. इकाई उपागम (Unit Approach) : पाठ्यक्रम के निर्माण, नियोजन व संगठन में इकाई उपागम की उपयोगिता भी कम नहीं है। विज्ञान विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान विषय में भी इसका उपयोगी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें बच्चों की योग्यता एवं सक्रियता पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इसके अनुसार विषय को पूर्ण इकाई मानकर उसकी विषय-सामग्री को विभिन्न उप-इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इस मनोविज्ञान के अनुसार छात्रों का ध्यान सबसे पहले पूर्णता की ओर जाता है, अंगों की ओर नहीं। आरम्भ में हम किसी भी वस्तु की आकृति को देखते हैं, तो हमारी नजर सबसे पहले उसकी पूरी आकृति पर जाती है, उसके बाद हम उसके विभिन्न छोटे-छोटे भागों का अध्ययन करते हैं। इन छोटे-छोटे

अंशों या भागों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करने के सिद्धांत को इकाई उपागम के नाम से जाना जाता है। पाठ्यक्रम संगठन में इकाई अनुभव शिक्षण विषय पर **किलैन एवं हेन्ना** ने कहा है, **"इकाई का बोध उस सामग्री से होता है, जो किसी सामान्य सिद्धांत प्रक्रिया, संस्कृति अथवा जीवनायापन के किसी क्षेत्र के चारों ओर संगठित की गई हो और जो महत्वपूर्ण उपलब्धियों की दिशा में निर्देशित होकर अधिगम अनुभवों को एकता के सूत्र में पिरोती हो।"** इस उपागम में इकाई की रचना बच्चों की रुचियों, परिस्थितियों और आवश्यकताओं को मध्य नजर रखकर की जाती है। इस प्रकार की योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पाठ्य-सामग्री में दक्षता प्रदान करना है। प्रकरण विशेष में दक्षता हासिल करने के लिए ही इसे इकाइयों में बांटा जाता हहै। इकाई की समाप्ति के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में आवागमन के साधन, संचार-साधन, पृथ्वी पर जीवन, हमारा सौरमण्डल, स्वास्थ्य, भोजन, राष्ट्रीय एकता, न्याय प्रणाली, समाज की रचना, वन-संपदा, राष्ट्रीय विरासत, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, पड़ोसी देश व विश्व की समझ जैसी कुछ इकाइयों के नाम उदाहरण स्वरूप दिए जा सकते हैं।

4. **सह-संबंध उपागम (Correlation Approach) :** पाठ्यक्रम के इस उपागम के अनुसार पाठ्यक्रम इस प्रकार गठित किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति की आंतरिक पूर्णता में सहायक सिद्ध हो और व्यक्ति तथा वातावरण में अनुकूलन स्थापित करे। पाठ्यक्रम का निर्माण व नियोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य-सामग्री को किसी एक स्तर या कक्षा विशेष के लिए नियोजित किया जाए तो वह अच्छी तरह से सह-संबंधित व समन्वित नजर आए। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में इस सह-संबंध उपागम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य आधार ही समन्वय का सिद्धांत है। सामाजिक विज्ञान का जीवन, अन्य उप-विषयों का पारस्परिक सह-संबंध और अंतःनिर्भरता, अनुभवों जैसे शिक्षण कार्यों के साथ गहरा व घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण व नियोजन में सह-संबंध उपागम काफी महत्त्वपूर्ण होता है। अतः उत्तम सीखने के लिए यह आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय उसमें उन्हीं विषयों और क्रियाओं का स्थान दिया जाए, जिनमें आपस में संबंध हो।

5. **तर्क-संगत अथवा वैज्ञानिक उपागम (Logical Approach) :** वर्तमान युग में विज्ञान की महत्ता सर्वोपरि है। विज्ञान आज सभ्यता एवं संस्कृति का पर्याय बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी महत्ता को आसानी से समझा जा सकता है। अधिकांश शिक्षाशास्त्रियों ने पाठ्यक्रम के निर्माण, संगठन व नियोजन में विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के समावेश पर बल दिया है, ताकि बालक, समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ सके। **'पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों के समावेश पर बल दिया जाए'** इस विचार के प्रमुख प्रतिपादक **हरबर्ट स्पेंसर** हैं। उन्होंने माना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण जीवन की तैयारी है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को सम्मिलित किए जाने पर बल दिया है। इसे **'तर्क-संगत अथवा वैज्ञानिक उपागम'** का नाम दिया जाता है। शिक्षाशास्त्र का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से गहरा संबंध है तथापि यह भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान से कम तथा जीव विज्ञान से विशेष रूप से संबंधित है। विज्ञान बालकों में चिंतन की प्रकृति एवं तर्कशीलता को बढ़ाने पर बल देता है। विज्ञान ही शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान करता है। विज्ञान ही शिक्षा जगत के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए आधार प्रस्तुत करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम के निर्माण तथा नियोजन में इस उपागम की उपयोगिता को समझा जाना चाहिए। जहां तक सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम से इसके संबंध का प्रश्न है, तो इस विषय में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मानव के व्यवहारगत परिवर्तनों को समझने में यह हमारी काफी सहायता करता है। सामाजिक विज्ञान की विषय-वस्तु का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान से ही होता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के तहत बालक को तर्कशील, चिंतनशील, सतर्क, एवं सृजनात्मक बनाना होता है, जिसकी प्राप्ति में पाठ्यक्रम निर्माण का यह तर्क-संगत उपागम हमारी काफी सहायता करता है। इसके माध्यम से बालक समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को तार्किक रूप से समझने में सक्षम होंगे। वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञान के साथ वैज्ञानिक विषयों की सहःसंबंधता की आवश्यकता इतनी ज्यादा हो गई है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त लगभग सभी आयोगों ने सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान की समन्वयता पर आधारित पाठ्यक्रम बनाने की बात पर विशेष रूप से बल दिया है।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम के उपरोक्त सभी उपागम अपनी-अपनी दृष्टि से पाठ्यक्रम को उपयोगी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में इन उपागमों का प्रयोग बालक के ज्ञान स्तर तथा परिस्थितियों के अनुसार विविध तरीके से किया जा सकता है। पाठ्यक्रम निर्माताओं में इन उपागमों की सैद्धांतिक समझ होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आवश्यकता व परिस्थिति के अनुसार वह निर्णय ले सकें कि किस परिस्थिति में कौन-सा उपागम अधिक उपयोगी होगा। सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस विषय के पाठ्यक्रम निर्माण में मिश्रित प्रक्रिया (विभिन्न उपागमों का मिश्रित प्रयोग) को अपनाना बेहतर होगा।

शिक्षण अधिगम सामग्री
(Teaching Learning Material)

❑ **सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की व्याख्या करो।**
(Explain the uses of following teaching learning material in social science.)

1. **पाठ्य-पुस्तकें एवं संदर्भ पुस्तकें (Text Books and Reference Books)** **[CRSU, 2018]**
2. **डॉक्यूमेन्टरीज (Documentaries)**
3. **समाचार-पत्र (News-paper)**
4. **मानचित्र (Maps)** **[CRSU, 2018]**
5. **सामुदायिक साधन (Community Resources)**
6. **एटलस (Atlas)** **[CBLU, 2018]**
7. **ई-संसाधन (E-resources)**

उत्तर : सामाजिक विज्ञान को सामाजिक रुचियों तथा क्रियाओं से पूर्ण रूप से जुड़े हुए विषय के रूप में जाना जाता है। सामाजिक परिवेश में प्राप्त वास्तविक अनुभवों में इसकी अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। बालक को इन अनुभवों से साक्षात करवाने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री तथा शिक्षण साधनों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक विज्ञान अध्यापक द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ महत्त्वपूर्ण शिक्षण अधिगम सामग्री के विविध पहलुओं का अध्ययन अलग-अलग निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

1. पाठ्य-पुस्तकें एवं संदर्भ पुस्तकें
(Text Books and Reference Books)

आज शिक्षा को कई स्तरों—शिशु, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में बांटा गया है और स्तरों के लिए भिन्न-भिन्न पाठ्यचर्या (Curriculum) निश्चित की गई है। प्रत्येक स्तर की पाठ्यचर्या के आधार पर हमने उस स्तर का पाठ्य-विवरण (Syllabus) तैयार किया है। भिन्न-भिन्न स्तरों के लिए भिन्न-भिन्न विषयों की पाठ्यचर्या पर अब भिन्न-भिन्न पुस्तकों का निर्माण हुआ है। इन पुस्तकों को हम पाठ्य-पुस्तकें कहते हैं। इस प्रकार पाठ्य-पुस्तकें वे हैं जो किसी स्तर के बच्चों के पाठ्यचर्यानुसार तैयार की जाती हैं। सच पूछिए तो आज की पूरी शिक्षा पाठ्य-पुस्तकों पर ही आधारित है। आज यह शिक्षा के मुख्य साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी उपयोगी होती हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पाठ्यपुस्तक ही सामाजिक विज्ञान

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

शिक्षण का मुख्य आधार है। हैरोलिकर के अनुसार, "पाठ्यपुस्तक ज्ञान, अनुभवों, विचारों, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय का साधन है।"

पाठ्य-पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्त्व (Need and Importance of Text Books) : सभी विषयों के शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, परंतु सामाजिक विज्ञान विषय की विस्तृत प्रकृति के कारण इस विषय के शिक्षण में इनकी विशेष आवश्यकता व उपयोगिता है। हमारे लिए मुद्रन-कला का अमूल्य उपहार पाठ्यपुस्तकें ही हैं। ये अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता तथा महत्त्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) **शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थित होना (Educational Process becomes Organised) :** पाठ्य पुस्तकों की सहायता से शिक्षा की प्रक्रिया बड़े व्यवस्थित ढंग से चलती है। कक्षा-विशेष की पाठ्यचर्या को स्पष्ट करने, अध्यापक के लिए वर्षभर की योजना बनाने व बच्चों को बहकने से रोकने में इनकी विशेष आवश्यकता तथा उपयोगिता होती है।

(ii) **ज्ञान विस्फोट (Knowledge Explosion) :** आधुनिक युग ज्ञान के विस्फोट का युग है। बालकों की ज्ञान के प्रति जिज्ञासा व चिंतनता निरंतर बढ़ती जा रही है। उनकी जिज्ञासा व चिंतनता को तृप्त करने के लिए मौखिक शिक्षण अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उनकी इस जिज्ञासा व चिंतनता को तृप्त करने में पाठ्यपुस्तकों तथा संदर्भ पुस्तकों की बहुत उपयोगिता है।

(iii) **ज्ञान को इकाइयों में बांटने के लिए (To Divide the Knowledge into Units) :** आज के समय में हमें पूर्ण ज्ञान को इकाइयों में बांटने की बहुत आवश्यकता है। पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक समस्त ज्ञान को इकाइयों में बांट सकता है। ऐसा करने से छात्र सरलता से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति में पाठ्यपुस्तकों की उपयोगिता कम नहीं है।

(iv) **शिक्षण में एकरूपता लाने के लिए (To Bring About Uniformity in Teaching) :** राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा में एकरूपता का होना बहुत जरूरी है। सभी विद्यार्थियों का ज्ञान स्तर व परिवेश अलग-अलग होने के उपरांत भी पाठ्यपुस्तकों की सहायता से शिक्षण में एकरूपता लाई जा सकती है। इसलिए पाठ्यपुस्तकें ही एक ऐसा साधन है, जो शिक्षण में एकरूपता ला सकती है।

(v) **कम प्रतिभा वाले अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए (To make up for the Deficiency of Very Talented Teachers) :** हमारे देश में अधिकतर शिक्षक ऐसे हैं जो अपने स्वयं के ज्ञान के आधार पर सामाजिक विज्ञान जैसे विस्तृत विषय का शिक्षण नहीं दे सकते हैं। पाठ्य-पुस्तकें अध्यापकों के पूरी तरह से दक्ष न होने की कमी को पूरा करती हैं। इसलिए कम प्रतिभा वाले अध्यापकों के लिए पाठ्य-पुस्तकें बहुत उपयोगी हैं।

(vi) **भाषण विधि की सीमाओं के कारण (Due to the Limitations of Lecture Method) :** कक्षा-कक्ष में भाषण विधि से अर्जित किया हुआ ज्ञान छात्र साल के अंत तक भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि भाषण पद्धति की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। इसका प्रभाव आंशिक रूप से तथा आंशिक समय के लिए होता है। भाषण विधि से अर्जित ज्ञान को यदि पाठ्य-पुस्तकों से जोड़ दिया जाए तो निःसंदेह उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है।

(vii) **पुस्तकालयों की अच्छी स्थिति न होना (Libraries are not in Good Shape) :** भारत के अधिकतर स्कूलों के पुस्तकालय इस स्थिति में नहीं हैं कि वहां पाठ्यचर्या से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हों। इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वे अपने स्तर पर संदर्भ पुस्तकों की व्यवस्था कर सकें। इसलिए इस कमी को पाठ्य-पुस्तकों से ही पूरा किया जा सकता है।

(viii) **अनेक तथ्य एक ही स्थान पर (Many Facts at Once Place) :** पाठ्य-पुस्तकों में विषय-विशेष से संबंधित अन्य तथ्य एवं सूचनाएं एक ही स्थान पर पढ़ने को मिल जाती हैं। इससे बालकों को ज्ञान अर्जित करने व उसके समायोजन में आसानी होती है तथा उनका मूल्यवान समय भी बचता है। इस तरह कम समय में बालक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

(ix) **परीक्षा लेने में सहायक (Helpful in Giving Examinations) :** पाठ्य-पुस्तकें बच्चों के ज्ञान की परीक्षा लेने में भी अध्यापक की सहायता करती हैं। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले ज्ञान की सीमा निश्चित करती हैं। इनकी सहायता से शिक्षक यथा स्तर के प्रश्न-पत्र बनाने में सफल होते हैं।

(x) **बोझिल पाठ्यक्रम को पूरा करना (To Complete Heavy Syllabus) :** पाठ्यक्रम के निर्माता प्रायः हर कक्षा के लिए बहुत बोझिल पाठ्यक्रम निर्धारित कर देते हैं। शिक्षा अधिकारी भी शिक्षकों पर तय सीमा से इसे पूरा करवाने के लिए दबाव डालते हैं। पाठ्यक्रम को पूरा करवाने के दबाव में अध्यापक प्रभावशाली ढंग से शिक्षण रूप अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाता। इसलिए इस प्रभावहीन अध्यापन का उपचार पाठ्य-पुस्तकें ही हैं।

(xi) **माता-पिता की निरक्षरता (Illiteracy of Parents) :** पाठ्य-पुस्तकें एक तरह से परिवार की निरक्षरता के विरुद्ध एक बीमा हैं। आज भी भारत में साक्षरता की स्थिति कम ही है। इस स्थिति में निरक्षर माता-पिता चाहकर भी घर पर बालकों की शिक्षण में मदद नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में पाठ्य-पुस्तकें ही बालकों के काम आती हैं। घर पर अध्यापक की कमी को पूरा यही पाठ्य-पुस्तकें करती हैं।

(xii) **अभ्यास के लिए (For Exercises) :** ज्ञान को सम्पूर्ण व स्थिर बनाने के लिए उसे आत्मसात् (Assimilate) करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा केवल सतत् अभ्यास से ही किया जा सकता है। ज्ञान की प्राप्ति उस समय तक व्यर्थ है, जब तक उसे याद रखकर समय-समय उसका प्रयोग न किया जाए। सामाजिक विज्ञान विषय के विस्तृत स्वरूप को देखते हुए अभ्यास के लिए पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता तथा उपयोगिता और भी बढ़ जाती है।

METRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

(xii) **सामाजिक विज्ञान एक नया विषय (Social Science is a new Subject) :** सामाजिक विज्ञान एक नवीन विषय है, इसलिए इस पर अभी पर्याप्त संख्या में अच्छी पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। बालकों के पथ-प्रदर्शन के लिए सामाजिक विज्ञान की अच्छी पाठ्य-पुस्तकें होना बहुत जरूरी है। इन पुस्तकों का स्वरूप ऐसा हो, जो इस नए विषय की अवधारणा तथा उद्देश्यों को स्पष्ट कर सके।

अन्य (Others) : सामाजिक विज्ञान में पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता तथा उपयोगिता को स्पष्ट करने वाले कुछ अन्य कारण निम्न हैं—

(i) भारत एक निर्धन देश है। इस कारण से बालक अन्य संदर्भ पुस्तकों को प्राप्त करने में आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं।

(ii) पाठ्य-पुस्तकें ज्ञान के साथ-साथ बच्चों का मनोरंजन भी करती हैं। इनके अध्ययन से उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है।

(iii) जिन कक्षाओं में छात्रों की संख्या अधिक होती है, वहां पर पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता व उपयोगिता काफी बढ़ जाती है।

(iv) पाठ्य-पुस्तकें छात्रों तथा सामान्य अध्यापकों को विद्वानों तथा उच्चकोटि के अध्यापकों के विचारों तथा अनुभवों को प्रदान करती हैं।

(v) पाठ्य-पुस्तकों के अध्ययन से बच्चों में स्वाध्याय की आदत का निर्माण होता है।

(vi) ये पुस्तकें पाठ को दोहराने एवं गृहकार्य करने में भी बच्चों की सहायता करती हैं।

(vii) पाठ्य-पुस्तकें शिक्षक की पूरक होती हैं।

(viii) पाठ्य-पुस्तकों की उपयोगिता इस बात में भी है कि बालक पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर नहीं रहता।

(ix) पाठ्य-पुस्तकों पर आधारित शिक्षण बहुत कम खर्चीला होता है, अर्थात् इनकी सहायता से एक साथ बहुत-से बालकों को पढ़ाया जा सकता है।

(x) इनके माध्यम से बच्चों को यह पता रहता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है अर्थात् उसके भटकने की गुंजाइश कम रहती है।

(xi) पाठ्य-पुस्तकें अध्यापक को पाठ की तैयारी करने एवं बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए तैयार होने, दोनों में सहायक होती हैं।

पाठ्य-पुस्तकों से होने वाली हानियां (Disadvantages of Text-Books) :

1. **अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना (Limits the field of study)**–निश्चित पाठ्य-पुस्तकें अध्यापक एवं छात्र दोनों के अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर देती हैं। वे प्रायः विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता को ही नहीं समझतीं।
2. **रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना (Encourages the disposition of cramming)**–पाठ्य-पुस्तकों से बच्चों को सभी आवश्यक तथ्य एवं सूचनाएँ मिल जाती हैं, वे उन्हें समझने का प्रयत्न ही नहीं करते अपितु उन्हें रटकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करते हैं।
3. **सैद्धान्तिक ज्ञान पर बल (Emphasis on theoretical knowledge)**–पाठ्य-पुस्तकें बच्चों को सैद्धान्तिक ज्ञान अधिक देती हैं। इनकी सहायता से शिक्षण करने पर बच्चे व्यावहारिक पक्ष से वंचित रह जाते हैं।
4. **दोषपूर्ण सामग्री (Defective material)**–पाठ्य-पुस्तकें प्रायः दोषयुक्त सामग्री से पूर्ण होती हैं। विस्तृत अध्ययन के अभाव में छात्र इन अशुद्ध सूचनाओं को रट लेते हैं और अज्ञानी से कुज्ञानी हो जाते हैं।
5. **ज्ञान स्थायी नहीं होता (Knowledge attained is not permanent)**–पाठ्य-पुस्तकों की उपस्थिति में बच्चे 'करके सीखना' की आवश्यकता नहीं समझते। इनके माध्यम से वे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह स्थायी नहीं होता।
6. **अध्यापकों द्वारा पाठ्य-पुस्तकों का सही उपयोग न करना (Even teachers do not make use of text books properly)**–अध्यापक पाठ्य-पुस्तकों का सही उपयोग नहीं करते। वे स्वयं पाठ्य-पुस्तकों का कक्षा में पठन करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। बहुत से अध्यापक तो इतना भी कष्ट नहीं करते। वे तो बच्चों को ही मौन पठन का आदेश देकर कक्षा में सो जाते हैं।
7. **बच्चों का अध्ययन के प्रति सचेत न होना (Students do not remain active towards studies)**–पाठ्य-पुस्तकों के प्रयोग से सबसे बड़ी हानि यह होती है कि बच्चे अध्ययन की ओर सचेत नहीं होते, परीक्षा के समय ही वे इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और कुछ थोड़ा-बहुत रटकर परीक्षा के मैदान में कूद पड़ते हैं।

पाठ्य-पुस्तक के चुनाव में ध्यान रखने योग्य बातें (Criteria for the selection of a good Text-Book) :

सामाजिक विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक का चुनाव करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए–

1. **बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप (It should be child centred)**–सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य-पुस्तक बालकों की आयु, योग्यता तथा रुचि के अनुसार होनी चाहिए। यह विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से सम्बन्धित होनी चाहिए।
2. **पर्याप्त संख्या में चित्र तथा मानचित्र आदि (It should be well illustrated)**– सामाजिक विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक में चित्र, मानचित्र, आकृतियाँ, चार्ट, समय-रेखाएँ, स्कैच, ग्राफ आदि

पाठ्य-सामग्री की आवश्यकता के अनुसार दिए गए हों। इससे जहाँ एक ओर पाठ्य-सामग्री अधिक स्पष्ट तथा ग्राह्य बन जाती है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों की पाठ में रुचि बनी रहती है और उनमें सौन्दर्य के प्रति प्रशंसा की भावना उत्पन्न होती है।

3. **उपयोगी अनुभव तथा अभ्यास (It should contain useful experiences and exercises)**–सामाजिक विज्ञान एक बहुत विस्तृत विषय है। विद्यार्थियों की जानकारी में वृद्धि करने के अतिरिक्त हमारा उद्देश्य इस विषय की शिक्षा द्वारा उनकी कुशलताओं तथा रुचियों का विकास करना भी है। ऐसा तभी हो सकता है जब इसके लिए परिस्थितियों, योजनाओं, समस्याओं, अभ्यासों तथा क्रियाओं द्वारा पैदा की जाएँ और विद्यार्थियों को उनके द्वारा अनुभव प्राप्त करने के अवसर दिए जाएँ। अतः इसमें सम्बन्धित सामग्री पाठ्य-पुस्तक में सम्मिलित होनी चाहिए।
4. **प्रकरणों का क्रम तार्किक हो (Topics should be logical and systematic)**– सामाजिक विज्ञान एक विशाल विषय है, जो विभिन्न क्षेत्रों से सामग्री ग्रहण करता है। इसका प्रमुख लक्ष्य बालकों को समय, स्थान तथा समाज के अनुसार उनकी स्थिति स्पष्ट करना है। यह उन सम्बन्धों का भी ज्ञान देता है, जो भूत और वर्तमान को, स्थानीय व दूरवर्ती को तथा व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय जीवन को अन्य देशवासियों के जीवन व संस्कृतियों से मिलाते हैं। अतः यदि विषय-वस्तु को तर्कसंगत व क्रमबद्ध प्रकरणों के रूप में न रखा गया, तो बालक तथ्यों की भूल भुलैया में ही खो सकते हैं। केवल ऐसा करके ही उन्हें मानव सभ्यता के विभिन्न पक्षों का क्रमिक विकास दर्शाया जा सकता है।
5. **स्पष्ट व सरल भाषा (Language should be simple and clear)**–सामाजिक विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक में वाक्य तथा शब्द लम्बे-लम्बे तथा कठिन नहीं होने चाहिए। इसकी शब्दावली का चुनाव ठीक प्रकार से किया जाए। सत्य तो यह है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तक भाषा की पुस्तक नहीं हो सकती। इसका मुख्य उपयोग पाठ्य-सामग्री को सरल शब्दों में प्रस्तुत करना है। इसकी शैली भी सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। कहीं तकनीकी शब्दों का प्रयोग यदि किया भी गया हो तो उसकी व्याख्या भली प्रकार उदाहरण सहित की जाए।
6. **यह अधिगम की उत्तम विधियों के लिए सुझाव दे (It should suggest good methods of teaching)**–पाठ्य-पुस्तक में जो पाठ्य-सामग्री दी गई हो उसका प्रयोग सिखाने के लिए क्रियात्मक सुझाव भी दिए गए हों। इसका प्रयोग बालक माडल बनाने, यात्रा तथा भ्रमणों का संगठन करने, चार्ट, नक्शे तथा अन्य प्रकार की सहायक सामग्री तैयार करने में करते हैं। प्रत्येक अध्याय के अन्त में उसका सारांश तथा अभ्यासार्थ प्रश्न दिए जाएँ, जिनका उत्तर विद्यार्थी स्वतन्त्र रूप से घर पर लिखें। बड़ी श्रेणियों के लिए लिखी पाठ्य-पुस्तक में भी प्रत्येक अध्याय के अन्त में अतिरिक्त अध्ययन के लिए संकेत दिए गए हों।
7. **पाठ्य-पुस्तक में निरन्तर सुधार तथा इसकी दोहराई की जाए (A text book should remain under constant Revision and modification)**–पाठ्य-पुस्तक को पाठ्य-सामग्री के दृष्टिगत समयानुकूल रखा जाए। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक इसमें प्रतिवर्ष जीवन तथा वातावरण में होने वाले आधुनिकतमक विकास के अनुसार दोहराई करके सुधार न किया जाए। देश के औद्योगीकरण तथा कृषि की वैज्ञानिक प्रणाली के कारण हमारे देशवासियों के जीवन में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य-पुस्तक में हमारे राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्धित इन सभी पक्षों पर आधुनिकतम जानकारी दी जानी चाहिए।
8. **पूर्व धारणाओं से रिक्तता (It should be free from bias)**–पाठ्य-पुस्तक में कोई भी बात अवांछनीय नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत यह मानव के भ्रातृत्व सम्प्रदायक मिलवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सूझ की आदतों का प्रतिपादन करने वाली हो।
9. **सह सम्बन्ध (Correlation)**–पाठ्य-पुस्तकों में संकलित पाठों की विषय-वस्तु ऐसी होनी चाहिए,

CIMETRIX

जिसे सह-सम्बन्ध विधि (Correlation method) द्वारा पढ़ाया जा सके। उदाहरण के तौर पर कक्षा छः में भारत का भूगोल पढ़ाया जाता है। अतः उसकी भाषा-पुस्तकों में भारत के ग्राम, नगर, पहाड़ी प्रदेश, प्राकृतिक दृश्य एवं उद्योग धन्धों सम्बन्धी लेख संकलित होने चाहिए।

10. छपाई (Printing)–पुस्तक के मुद्रण का अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। छोटी कक्षाओं के बालक बड़े तथा सुन्दर अक्षरों में रुचि रखते हैं। ज्यों-ज्यों कक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, बालक सरलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाते हैं। छपाई की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर ध्यान देना होगा–

(i) स्याही (Ink)–छपाई में काली, गहरी और चमकदार स्याही का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की स्याही से छपी पुस्तकों में बालकों की रुचि पुस्तक पढ़ने में बढ़ती है।

(ii) आकार (Size)–पुस्तक की छपाई का टाइप स्तरानुकूल हो। छोटी कक्षाओं में बड़े तथा बड़ी कक्षाओं में छोटे अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। यह टाईप प्राथमिक कक्षाओं के लिए 24 point, मिडिल कक्षाओं के लिए 18 point तथा उच्च कक्षाओं के लिए 16 या 12 point होना चाहिए। इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि पाठ्य-पुस्तकों का टाइप 12 point से छोटा किसी भी कक्षा में नहीं होना चाहिए।

(iii) पंक्तियों में दूरी (Distance between the lines)–दो पंक्तियों के बीच की दूरी पर्याप्त होनी चाहिए। यह दूरी कम से कम 1/2 cm अवश्य हो। पहली कक्षा की पुस्तक में यह दूरी 1 cm होनी चाहिए। यह अन्तर तथा दूरी शब्दों तथा अक्षरों के आकार के अनुपात में घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ-साथ ही पंक्तियों की लम्बाई भी कक्षा के अनुसार 8 cm तक होनी चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ के चारों ओर मार्जिन (Margin) भी छुटा होना चाहिए।

(iv) शुद्ध छपाई (Correct Printing)–पाठ्य-पुस्तक छपवाते समय अशुद्धियों की ओर सावधान रहना चाहिए। गलत छपी हुई पुस्तक एक कागज की गड्डी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगी। अतः छपाई में अशुद्धियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिएं, अन्यथा बालक न तो उसे पसन्द करेंगे, अपितु उन में अशुद्ध लेखन पाठन की बुरी आदत भी पड़ जाएगी।

11. पाठ्य-पुस्तक में कोई उपदेश नहीं (Text book free from indoctrination)– पाठ्य-पुस्तक में केवल तथ्य होने चाहिएं और कोई भी अवाछनीय तत्त्व नहीं होना चाहिए। अच्छी पाठ्य-पुस्तक वही है जो केवल सत्य के दर्शन कराती है और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। पाठ्य-पुस्तक के लेखक में भावात्मक अन्तः क्रियाएँ नहीं होनी चाहिए।

सामाजिक विज्ञान शिक्षण में संदर्भ पुस्तकें (Reference Books in Social Science Teaching) : आज के समय में कुछ बालकों की ज्ञान की जिज्ञासा व चिंतनता इतनी बढ़ गई है कि उन्हें मात्र पाठ्य-पुस्तकों तथा अध्यापकों की उपलब्धता से तृप्त नहीं किया जा सकता है। उनकी इस जिज्ञासा व चिंतनता को संदर्भ पुस्तकों की सहायता से काफी हद तक तृप्त किया जा सकता है। साधारण बालक तो पाठ्य-पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परंतु कक्षा में कुछ बालक अति प्रभावशाली होते हैं, उनके लिए इस प्रकार की पुस्तकें बहुत उपयोगी होती हैं। इसके अतिरिक्त आज का युग प्रतियोगिता का युग है, जिसमें सफलता प्राप्त करने के अथाह मेहनत व विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं है, जो एक विशेष विषय मात्र से संबंधित हो। इसके अतिरिक्त संबंधित विषय की पाठ्य-पुस्तकें भी उतना ज्ञान नहीं दें पातीं, जितने की जरूरत आज के प्रतियोगी बालक को है। इसका कारण यह है कि पाठ्य-पुस्तकों का निर्धारण सामान्य स्तर के बालकों की बुद्धि क्षमता के अनुसार किया जाता है। इसलिए इनमें उन प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धि क्षमता की अवहेलना होती है, जो सामान्य से अलग हैं। इसलिए आज प्रत्येक स्कूल के पुस्तकालय में पाठ्य-पुस्तकों के अलावा संदर्भ पुस्तकों को रखना अनिवार्य हो गया। इससे अध्यापकों व बालकों को विषय-वस्तु के विविध पहलुओं को जानने का अवसर प्राप्त होता है। बालकों के ज्ञान में वृद्धि करने में इनकी भूमिका विशेष रूप से उपयोगी होती है। इसके लिए निम्न विषय-वस्तु वाली संदर्भ पुस्तकें उपयोगी हो सकती हैं–

(i) सामाजिक विज्ञान के उपविषयों (इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र) से संबंधित प्रमाणित पुस्तकें, जो इन विषयों से संबंधित मूल्यवान व ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध करवाती हों।

(ii) ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक व आर्थिक स्वरूप को दर्शाने वाले विभिन्न प्रकार की एटलस।

(iii) भारत का संविधान, विभिन्न शिक्षा आयोगों के प्रतिवेदन, नई शिक्षा नीति के प्रतिवेदन, तथा संग्रहालयों से संग्रहीत ऐतिहासिक दस्तावेज इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

(iv) जनसंख्यां संबंधी आंकड़ों, आर्थिक संसाधनों संबंधी आंकड़ों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आंकड़ों को दर्शाने वाली प्रमाणिक पुस्तकों को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है।

(v) संदर्भ पुस्तकों संबंधी श्रेणी में पुरातत्त्व विभाग के सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन, सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित शोध ग्रन्थ आदि को भी रखा जा सकता है।

(vi) बालकों की शब्दों पर पकड़ बनाने के लिए विभिन्न भाषाओं के शब्दकोश को भी संदर्भ पुस्तकों की श्रेणी में रखा जा सकता है।

(vii) सामाजिक विज्ञान से संबंधित ऐतिहासिक महापुरुषों, महान राजनीतिज्ञों, महान अर्थशास्त्रियों, महान समाज सुधारकों व समाजशास्त्रियों तथा महान आध्यात्मिक गुरुओं की जीवनियों को भी संदर्भ पुस्तकों की श्रेणी में रखा जा सकता है।

(viii) सामाजिक विज्ञान विषय की शब्दावली को परिभाषित करने वाले शब्दकोश बालकों के लिए अति उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि प्रायः बालक इस विषय में प्रयुक्त शब्दावली को समझने में असमर्थ होते हैं। ये शब्दकोश बालक के साथ-साथ अध्यापक के लिए भी उपयोगी सिद्ध होते हैं।

(ix) वार्षिक व मासिक स्वरूप वाली पुस्तकें या पत्रिकाएं भी बालक को समकालीन समय में घटने वाली घटनाओं तथा परिवर्तनों से अवगत करवाती हैं। इसलिए इस प्रकार की संदर्भ पुस्तकों की उपयोगिता को भी कम करके नहीं आंका जा सकता है।

सामाजिक विज्ञान क्योंकि माध्यमिक स्तर से पढ़ाया जाता है, इसलिए इस स्तर के बालकों को इतनी समझ नहीं होती कि वे अपने दम पर इन पुस्तकों का सही विवेचन व अध्ययन कर सकें। इसलिए इस स्तर पर इन पुस्तकों के प्रयोग के समय सामाजिक विज्ञान अध्यापक की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसे बालकों के सामने आने वाली समस्याओं का सरल भाषा में समाधान करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर संदर्भ पुस्तकों की शब्दावली तथा भाषा माध्यमिक स्तर के बालकों के बौद्धिक स्तर से ज्यादा होती है। इसलिए अध्यापक को इन पुस्तकों का चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनका स्तर बालकों के बौद्धिक स्तर से ज्यादा ऊंचा न हो। इस तरह की पुस्तकों को जहां तक सम्भव हो, स्कूल के पुस्तकालय में ही उपलब्ध करवाने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तकें स्कूली शिक्षा की नींव हैं। इनके बिना औपचारिक शिक्षा की सफलता निश्चित करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसके अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी बालक के लिए कम उपयोगी नहीं हैं, विशेषकर प्रतिभावान बालकों के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाठ्य-पुस्तकों व संदर्भ पुस्तकों के समन्वय से शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है।

2. डॉक्यूमेन्टरीज (Documentaries)

डॉक्यूमेन्टरीज (Documentaries) को हम सरल तथा साधारण भाषा में 'लघु फिल्म' की संज्ञा दे सकते हैं। इस तरह की लघु फिल्में आम फिल्मों की तरह काल्पनिक कहानी अथवा तथ्यों पर आधारित नहीं होती हैं, अपितु इनका संबंध वास्तविक घटनाओं, तथ्यों व वृत्तांतों से होता है। इनमें घटनाओं, तथ्यों व सूचनाओं की क्रमबद्धता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस तरह की फिल्मों का घटनाओं, तथ्यों व

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

सूचनाओं के साथ आपसी तालमेल इनकी शैक्षिक उपयोगिता को काफी बढ़ा देता है। सरकारी योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार, ऐतिहासिक स्थलों व भवनों, विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित सामग्री की व्याख्या करने के लिए इस तरह की लघु फिल्मों (Documentaries) का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्त्व इसलिए भी है कि इसकी सहायता से विभिन्न विषयों की सूक्ष्म बातों को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इस तरह की फिल्मों का संबंध वास्तविक घटनाओं, तथ्यों व सूचनाओं से होता है तथा इसके साथ इनकी संबंधता व क्रमबद्धता इन्हें शैक्षिक दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी बनाती है। आज का युग सूचना क्रांति का है, जिसमें इस तरह के शिक्षण साधनों को उपलब्ध करवाना कोई विशेष बात नहीं है। आज सरकारी स्कूलों में भी इस तरह के शैक्षिक संसाधनों की भरमार है। इसलिए खर्चे की दृष्टि से तथा समय की दृष्टि से यह शैक्षिक साधन बालकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

प्रकार (Types) : आधुनिक समय की शिक्षा जरूरतों ने डॉक्यूमेन्टरीज जैसे शिक्षण सहायक साधनों का महत्त्व काफी बढ़ा दिया है। इसलिए हमें डॉक्यूमेन्टरीज के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए, ताकि हम शिक्षण में इसके सभी रूपों का सही प्रयोग कर सकें। इसके प्रकारों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) **बिना आवाज की डॉक्यूमेन्टरीज (Silent Documentaries) :** इस तरह की लघु फिल्मों में बिना आवाज के चलते-फिरते चित्र दिखाए जाते हैं। इनमें श्रव्य की अपेक्षा दृश्य पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

(ii) **चित्रात्मक विवरण वाली डॉक्यूमेन्टरीज (Documentaries with Caption) :** इस तरह की लघु फिल्मों में चलते-फिरते चित्रों के साथ उनके विविध पहलुओं को प्रकट करने के लिए विवरणों को भी दिया जाता है, परंतु इनमें भी आवाज नहीं होती है। चित्रों के साथ दिया जाने वाला विवरण स्क्रीन पर साथ-साथ लिखा हुआ चलता है। विवरण प्रस्तुत करने की इस भाषा को कैप्सन कहा जाता है।

(iii) **कमेन्टरी वाली डॉक्यूमेन्टरीज (Documentaries with Commentory) :** इस तरह की शैक्षिक लघु फिल्मों में चित्रों के साथ विवरण भी सुनाई देता है। लघु फिल्म में दिखाए जा रहे तथ्यों या सूचना इत्यादि को सही प्रकार से समझाने के लिए एक विवरणकर्ता विवरण प्रस्तुत करता है। इस तरह की लघु फिल्मों को भी आगे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली, इस तरह की फिल्मों में विवरण प्रस्तुत करने वाला दिखाई नहीं देता है तथा पीछे से चित्रों से तालमेल बैठाते हुए आवाज आती है। दूसरी, इस तरह की डॉक्यूमेन्टरीज में चित्रों के साथ विवरण देने वाला भी दिखाई देता है।

महत्त्व (Importance) : डॉक्यूमेन्टरीज एक प्रभावशाली शिक्षण साधन है। इसके शैक्षिक महत्त्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करने में इनसे काफी सहायता मिलती है।

(ii) इसको बार-बार दिखाया जा सकता है। इस सुविधा के कारण कठिन से कठिन विषय का भी आसानी से अधिगम किया जा सकता है।

(iii) कुछ विषयों की यथार्थ जानकारी देने के लिए डॉक्यूमेन्टरीज का प्रयोग काफी उपयोगी सिद्ध होता है।

(iv) विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में भी इनकी भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण होती है।

(v) छात्रों में विभिन्न प्रकार के कार्य कौशल को विकसित करने में भी डॉक्यूमेन्टरीज विशेष योगदान दे सकती है।

(vi) डॉक्यूमेन्टरीज की सहायता से छात्रों की मनोवृत्तियों, दृष्टिकोणों तथा व्यवहार में असीम परिवर्तन किया जा सकता है।

(vii) विभिन्न ऐतिहासिक स्वरूप वाली डॉक्यूमेन्टरीज प्राचीन काल का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करके, छात्रों को काल विशेष की यथार्थ जानकारी देने में सहायक होती हैं।

(viii) श्रेष्ठ कोटि की बनी हुई डॉक्यूमेन्टरीज छात्रों की समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने में सहायक होती हैं।

(ix) वैज्ञानिक आविष्कारों व विभिन्न भौगोलिक स्थितियों से बालकों को परिचित करवाने में शिक्षण अधिगम का यह साधन हमारी काफी सहायता करता है।

(x) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विभिन्न विषयों से भी छात्रों को डॉक्यूमेन्टरीज की सहायता से आसानी से परिचित कराया जा सकता है।

उचित उपयोग (Proper Use) : शिक्षण अधिगम साधन चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, यदि उसका सही इस्तेमाल न किया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। डॉक्यूमेन्टरीज के उचित उपयोग को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) अध्यापक को डॉक्यूमेन्टरीज की पूरी कार्यप्रणाली का ज्ञान होना चाहिए।

(ii) अध्यापक को उस स्थान या स्रोत का भी पता होना चाहिए, जहां से शैक्षिक डॉक्यूमेन्टरीज को प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) बालकों को दिखाई जाने वाली डॉक्यूमेन्टरीज की विषय-वस्तु अध्यापक को पहले से ही पता होनी चाहिए।

(iv) डॉक्यूमेन्टरीज दिखाने से पहले छात्रों को अध्यापक द्वारा मानसिक तथा शैक्षिक रूप से तैयार कर लेना चाहिए।

(v) डॉक्यूमेन्टरीज का प्रदर्शन जिस स्थान या कमरे में किया जाए, वहां अंधेरे की व्यवस्था होनी चाहिए।

(vi) इसे दिखाते समय इसके प्रमुख अंशों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। कभी-कभी इसे बीच में रोककर विषय का स्पष्टीकरण कर देना चाहिए।

(vii) इस शिक्षण अधिगम साधन के प्रयोग के समय प्रश्नों की सहायता से छात्रों को क्रियाशील बनाने का प्रयास भी करना चाहिए।

(viii) डॉक्यूमेन्टरीज दिखाने के बाद बालकों में उत्पन्न जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(ix) डॉक्यूमेन्टरीज के समाप्त होने पर इसकी विषय-वस्तु पर छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचार-विमर्श करना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि शिक्षण अधिगम के इस साधन का सही प्रकार से उपयोग किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। डॉक्यूमेन्टरीज ऐसा श्रव्य-दृश्य शैक्षिक संसाधन है, जो बालकों के प्राप्त ज्ञान को काफी हद तक उपयोगी बना सकते हैं।

3. समाचार-पत्र (News Paper)

मुद्रण कला के आविष्कार का सबसे बड़ा वरदान समाचार-पत्र को कहें, तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। आज के युग में समाचार-पत्र मनुष्य की दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन चुका है। प्रतिदिन सुबह सवेरे सारी दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं, परिवर्तनों तथा अन्य प्रकार की हलचलों की सूचना देने वाला समाचार-पत्र आज हमारे समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुका है। यदि समाचार-पत्रों के संपादक अपने कर्तव्य का परिचय दें तो निश्चित रूप से आज के समाज के लिए वरदान है। इनमें सेवाभाव है तथा इनका मूल्य कम होने के कारण इनकी पहुंच जनसाधारण तक है। समाचार-पत्रों का हमारे दैनिक जीवन में अनंत महत्त्व है। लोगों की सुबह समाचार-पत्रों के साथ ही होती है। इसके माध्यम से लोगों को विश्व की

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

तमाम महत्त्वपूर्ण जानकारियां कुछ ही क्षणों में प्राप्त हो जाती हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह अपने आस-पास घटने वाली गतिविधियों से परिचित रहना चाहता है। मनुष्य अपनी योग्यता तथा साधनों के अनुरूप समय-समय पर समाचार जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है। समाचार-पत्र आज सर्व सुलभ है, इसने संसार को एक परिवार का रूप दे दिया है। इसलिए आज समाचार-पत्र शक्ति का स्रोत माने जाते हैं। समाज की उन्नति में समाचार-पत्रों का अहम् योगदान रहा है।

समाचार-पत्रों की पृष्ठभूमि (Background of News-paper) : समाचार-पत्रों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्रथम ज्ञात समाचार-पत्र 59 ई.पू. का 'द रोमन एक्टा डिडरना' था। भारत में समाचार-पत्र की शुरुआत 'बंगाल गजट' से हुई थी, जो अंग्रेजी भाषा में छपता था। इसका प्रथम प्रकाशन 1780 ई. में हुआ था। आधुनिक समाचार-पत्रों के प्रकाशन और प्रसार का श्रेय फ्रांस तथा इंग्लैण्ड को प्राप्त है। भारत में प्रथम हिन्दी समाचार-पत्र 'उदंत मार्तण्ड' था, जिसका प्रकाशन 30 मई, 1826 को हुआ था। शुरुआती समय में समाचार-पत्रों का प्रयोग सैनिकों को सूचना देने के लिए किया जाता था।

वर्तमान में समाचार-पत्रों का स्वरूप (Present Nature of News-Paper) : आज समाचार-पत्रों का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। ये संचार के साधनों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए आज यह हमारे ज्ञान का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। यह देश के चरित्र को ऊँचा उठाने वाले हैं तथा न्याय का पक्ष लेने व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं, ये राष्ट्रभाषा के विकास में सहायक हैं। नवीन साहित्य की सृजना में इनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। यदि हम सकारात्मक दृष्टि से अपने कर्तव्य का निर्वाह करें तो ये निश्चित ही देश की काया पलटने में सक्षम हैं। आज समाचार-पत्रों को समाज का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि यह उन समस्त घटनाओं को जो प्रतिदिन घटती हैं यथा संभव वैसे ही हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। इनमें देश-विदेश की घटनाओं, रोजगार, प्रचार, मनोरंजन, उद्घोषणाओं आदि की लिखित जानकारियां होती हैं। हम इसके माध्यम से अपने संदेश, शिकायत, उद्घोषणाएं, शिकायत आदि प्रचारित करके सरकार सहित आम जनता को सूचित कर सकते हैं। संपादकों तथा पत्रकारों के माध्यम से समाज में होने वाली आपराधिक कृत्यों, अपराधों आदि को रोकने तथा जन-साधारण में मदद मिलती है। यह नौजवानों को नई दिशा तो प्रदान करता ही है, लेकिन साथ ही बच्चों की अभिरुचि पढ़ाई में लगाता है। अनेक समाचार-पत्रों में बच्चों की शिक्षा से संबंधित विशेष कॉलम होते हैं, जो उनको सामाजिक बनाने में अहम् योगदान देते हैं। इसलिए समाचार-पत्रों की उपयोगिता सर्व-व्यापक है।

शिक्षा के क्षेत्र में समाचार-पत्रों की भूमिका (Role of News-paper in Educational Field) : सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समाचार-पत्रों की भूमिका पर किसी को संदेह नहीं है। छात्र तथा शिक्षक मिलकर इन समाचार-पत्रों को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। समाचार-पत्रों में रोजाना कोई न कोई ऐसी खबर अवश्य होती है, जिस पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चर्चा की जा सकती है। इस तरह इसके उपयोग से बच्चों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। **डॉ. एम.एस. सचदेवा** का यह कथन कि "समाचार-पत्र औपचारिक शिक्षण में कभी-कभार की कुछ महत्त्वपूर्ण शिक्षण-उद्देश्यों की पूर्ति करता है।" आंशिक रूप से सत्य है। वस्तुतः एडगर गेल ने अपने अनुभव शंकु शिखर पर जिस 'शाब्दिक प्रतीक' का उल्लेख किया है, उसके अन्तर्गत समाचार-पत्र भी आ जाते हैं क्योंकि समाचार-पत्र में सभी महत्त्वपूर्ण जानकारियां, तथ्य, प्रत्यय आदि शाब्दिक प्रतीकों के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जाते हैं। वास्तव में शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थी कक्षा-कक्ष में प्राप्त अधिगम अनुभवों के साथ बाह्य जगत की समस्याओं के साधन के रूप में अपने अधिगम-अनुभवों का समुचित प्रयोग कर सके। जिस प्रकार अध्ययन-यात्रा से विद्यार्थी को बाह्य-जगत से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार समाचार-पत्रों के माध्यम से भी उसके मस्तिष्क में अनेक नए प्रत्यय, संकल्पनाएं आदि का विकास होता है। यह दूसरी बात है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए (विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों में) समाचार-पत्र अधिगम-अनुभव प्राप्ति में अधिक उपयोगी नहीं है। उच्च स्तर की कक्षाओं के विद्यार्थी प्रायः समाचार-पत्रों का उपयोग शैक्षिक-उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं।

शैक्षिक महत्त्व (Educational Importance) : हिन्दी में छपने वाला 'रोजगार समाचार' तथा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार-पत्र 'द एम्पलॉयमैंट न्यूज' अपने आरंभिक दो पृष्ठों पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचनाएं व जानकारियां उपलब्ध करवाता है। इसी प्रकार अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं, जैसे–'हंस' व 'आलोचना' आदि हिन्दी विषय के अधिगम में अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। अनेक विद्यालयों में प्रतिदिन के मुख्य समाचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए 'समाचार-पट्ट' की भी व्यवस्था होती है। इसी प्रकार समाचार-पत्रों व पत्रिकाओं में प्रायः विविध जीव-जंतुओं, पेड़-पौधों, भवनों, पर्यटन स्थलों आदि के चित्र उनके परिचय के साथ प्रकाशित होते हैं। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी इन चित्रों को देखकर व उनके बारे में दी गई जानकारी को पढ़कर अधिगम-अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक भी उन्हें ऐसे चित्रों का संग्रह करके चार्ट, एलबम आदि बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो आगे चलकर प्रदर्शनी वस्तुओं की तरह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सहायक सामग्रियों के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। समाचार-पत्रों व पत्रिकाओं के शैक्षिक महत्त्व को सरल व स्पष्ट भाषा में निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

1. समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ ज्ञान-प्राप्ति का प्रभावी स्रोत हैं। इनके माध्यम से विज्ञान, कला, वाणिज्य, राजनीति आदि क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
2. पाठ्य-पुस्तकों से विद्यार्थियों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें यदि कमी रह गई हो, तब वह समाचार-पत्रों के माध्यम से इसकी पूर्ति कर सकता है। उदाहरण के लिए–देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि की जीवनी सबसे पहले उन्हें समाचार-पत्रों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है।
3. समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक परम्पराओं, रीतियों आदि से परिचित कराती हैं। इनमें धार्मिक व राष्ट्रीय पर्वों से संबंधित अधिकतर जानकारी होती है।
4. समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ विद्यार्थियों के खाली समय का सदुपयोग करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। वे इन पत्र-पत्रिकाओं से रंगीन चित्र, रोचक जानकारी आदि एकत्र करके चार्ट, एलबम आदि बना सकते हैं और उसे दूसरे विद्यार्थियों का दिखाकर उन्हें भी अधिगम-अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं।
5. समाचार-पत्र व पत्रिकाएँ विद्यार्थियों में पठन-कौशल का विकास करने में भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। यह पठन-कौशल उन्हें पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ने व अनुदेशनात्मक सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है।
6. समाचार-पत्र व पत्रिकाओं से विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। वे इनमें प्रकाशित कविताओं व कहानियों को बड़े चाव से पढ़ते हैं।
7. अनेक समाचार-पत्रों में रविवार को एक पृष्ठ विद्यार्थियों के लिए होता है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा भेजे गए लेखों, रेखाचित्रों, कविताओं आदि को प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार ये समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं।
8. समाचार-पत्र में चूँकि प्रत्येक घटना, तथ्य, विषय आदि के संबंध में नवीनतम जानकारी होती है, अतः वे विद्यार्थियों के ज्ञान को अद्यतन (Up-to-date) रखने में सहायक हैं।
9. विद्यार्थियों के भाषायी कौशल का विकास करने में भी समाचार-पत्रों की भूमिका असंदिग्ध है। विद्यार्थी इनसे नए-नए शब्दों (एडगर डेल के शब्दों में 'नया प्रत्यय') को ग्रहण करके अपने शब्द-भण्डार में वृद्धि करते हैं।
10. समाचार-पत्र ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ विद्यार्थियों का मनोरंजन भी करते हैं।

इसी प्रकार 'प्रतियोगिता दर्पण', 'कम्पीटिशन मास्टर', 'कम्पीटिशन सक्सेस रिव्यू' आदि शैक्षिक पत्रिकाएँ तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी सिद्ध हुई हैं। इन शैक्षिक पत्रिकाओं में विद्यार्थियों को न केवल विषयों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है, बल्कि उन्हें सूत्रों व उदाहरणों का सामन्यीकरण करके विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। आज के

प्रतिस्पर्धात्मक युग में इस कौशल का विकास करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि भले ही समाचार-पत्र प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण-उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक न हो, परंतु परोक्ष रूप से वे बालकों के पठन-कौशल का विकास करने, उनमें सृजनात्मक क्षमता उत्पन्न करने एवं उसका विकास करने, उनमें लेख-कौशल का विकास करने, विविध विषयों से संबंधित तत्कालीन जानकारी प्रदान करने, उनके शब्द भंडार में वृद्धि करने व खाली समय का सदुपयोग करने आदि में अत्यधिक उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।

4. मानचित्र (Maps)

मानचित्र को मानव की सबसे प्रथम लिखित कृति माना जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है, जिसके द्वारा संसार को क्षणिक समय में एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में मानचित्रों का प्रयोग किसी स्थान की दूरी, देश की सांस्कृतिक, भौगोलिक स्थिति, विश्व के विभिन्न देशों की स्थिति, देश की नदी, समुद्र, जनसंख्या, पैदावार, खनिज पदार्थ, जलवायु आदि बातों से स्पष्ट ज्ञान आदि प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानचित्रों का प्रयोग किसी भी स्थान की उचित भौगोलिक स्थिति तथा भूगोल में बच्चों को किसी स्थान की दूरी, उसका क्षेत्रफल तथा विभिन्न प्रदेशों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान स्पष्ट रूप से प्रदान करने के लिए किया जाता है। सामाजिक इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि किसी भी विषय से संबंधित मानचित्र शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। केवल मानचित्र ही ऐसा उपकरण है, जिसके द्वारा विश्व को कक्षा में उपस्थित किया जा सकता है। अध्यापक स्वतंत्र चित्रण की सहायता से ब्लैकबोर्ड पर छपे चित्रों की नकल करके नक्शा बना सकता है। ट्रेसिंग द्वारा भी नक्शे बनाए जा सकते हैं। लकड़ी या प्लाइवुड के तख्तों पर रुई व कागज की लुगदी लगाकर उभरे हुए नक्शे बनाए जाते हैं। अतः अध्यापक आवश्यकतानुसार जैसे भी चाहे नक्शा बना सकता है।

मानचित्र के प्रकार (Types of Maps) : सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में अन्य किसी भी सहायक सामग्री की अपेक्षा मानचित्रों का विशेष महत्त्व है। स्कूल के बालकों हेतु तैयार की जाने वाली सामाजिक विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों में प्रायः अनेक चित्र तथा मानचित्र होते हैं। इसलिए मानचित्रों के प्रकार को जानना भी बहुत जरूरी है। मानचित्र मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं—

1. **फ्लैट मानचित्र (Flat Maps) :** इन मानचित्रों की सहायता से विश्व के विभिन्न देशों की प्राकृतिक दशा, राजनीतिक व्यवस्था, तापक्रम, जनसंख्या, वर्षा, यातायात व आवागमन के साधनों का वितरण, इतिहास व भूगोल के पाठों का स्पष्टीकरण, लड़ाइयों, संधियों, सीमाओं, सेनाओं तथा यात्राओं के रास्ते आदि को प्रदर्शित किया जा सकता है।
2. **राहत मानचित्र (Relief Maps) :** इस प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग पृथ्वी के धरातल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
3. **स्कैच मानचित्र (Sketch Maps) :** ये मानचित्रों के रेखाचित्र होते हैं। इन मानचित्रों को आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाया जा सकता है।

मानचित्र पढ़ने के कौशल (Map Reading Skills) : सामाजिक विज्ञान शिक्षक का यह महान कर्तव्य हो जाता है कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय वह बालकों का ध्यान मानचित्रों की ओर आकर्षित करे और उन्हें उनका सदुपयोग सिखाए। इसलिए उन्हें मानचित्र पढ़ने के कौशलों से जरूर अवगत करवाया जाना चाहिए। मानचित्र पढ़ने के कौशल को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) मानचित्र से परिचित होना और निर्देशों को नोट करना।
(ii) मानचित्र के संकेतों को पढ़ना।
(iii) सापेक्षिक स्थितियों को अभिव्यक्त करना।
(iv) मानचित्र के पैमाने या स्केल को जानना और फिर दूरियों को ज्ञात करना।

(v) किसी अच्छी प्रणाली या विधि की सहायता से मानचित्र पर स्थानों को ढूंढना।
(vi) विभिन्न प्रकार के मानचित्रों की तुलना करना और परिणामों को निकालना।

बालकों द्वारा मानचित्रों का कार्य (Map Work by the Students) : मानचित्र को शिक्षण के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग करने के अतिरिक्त विद्यार्थियों को भी मानचित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार के रचनात्मक कार्य से जहां बालकों को आनंद की प्राप्ति होगी, वहां उनमें ज्ञान की वृद्धि होगी। क्योंकि मानचित्रों में रेखाओं, चिह्नों, रंगों तथा अनेक प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अतः मानचित्र तैयार करते समय इन सबका प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। आरंभ में बालक सरल मानचित्र तैयार करे। फिर धीरे-धीरे उनमें अधिक विस्तार वाले जटिल मानचित्र तैयार करने की योग्यता आ जाएगी। मानचित्रों में दिखाए गए विभिन्न स्थानों की दूरी पैमाने के आधार पर दिखाई जा सकती है। नक्शे बनाते समय बालकों की अवस्था तथा उनके अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए।

मानचित्रों का उपयोग (Uses of Maps) : मानचित्र की उपयोगिता को निम्न तथ्यों से आसानी से समझा जा सकता है—

1. **पाठ को रुचिकर बनाने में सहायता प्रदान करना (Helpful in making lesson interesting)**— मानचित्र शिक्षण को रुचिकर बनाने में सहायता प्रदान करते हैं क्योंकि इससे पाठ ठोस तथा यथार्थ की ओर अग्रसर होता है।
2. **उपयुक्त जानकारी (Appropriate knowledge)**—मानचित्र द्वारा पृथ्वी के धरातल से सम्बन्धित भागों को प्रदर्शित किया जा सकता है। कौन-सा स्थान किसी दूसरे स्थान से कितनी दूरी पर है? किसी विशेष फसल, खनिज संपदा आदि का वितरण देश या संसार की दृष्टि से कैसे होता है? इस प्रकार की बहुत सी बातों की जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से मानचित्रों से उपयुक्त और कोई साधन नहीं।
3. **कठिन ज्ञान सरल बन जाता (Intricate knowledge becomes simple)**—मानचित्रों की सहायता से कठिन ज्ञान भी सरल बन जाता है, जैसे विभिन्न राज्यों की सीमाओं का ज्ञान, विभिन्न राजधानियों का ज्ञान आदि मानचित्रों द्वारा सरलता से कराया जा सकता है।
4. **जलवायु तथा वनस्पति की जानकारी के लिए (For getting knowledge of climate and vegetation)**—किसी भी स्थान की जलवायु, वनस्पति आदि की जानकारी मानचित्र द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है।

चयन और प्रयोग से संबंधित आवश्यक बातें (Essential Points Regarding Their Selection and Use) : मानचित्र का चयन और प्रयोग करते समय निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए—

1. **स्थिति (Situation)**—मानचित्र को ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिसे सभी छात्र ठीक ढंग से देख सकें। इसके साथ-साथ इसमें दिखाई जाने वाली बातों का चित्रण ऐसा होना चाहिए, जिससे कक्षा के सभी विद्यार्थी उसके द्वारा प्रदर्शित सभी बातों को अच्छी प्रकार से देख सकें।
2. **उपयुक्त चुनाव (Appropriate Selection)**—राजनैतिक, भौगोलिक तथा आर्थिक, जिस प्रकार के मानचित्र का उपयोग, जिस स्थिति में किया जाना है, उसका चुनाव किया जाना चाहिए।
3. **खुरदरी सतह (Matt surface)**—मानचित्र अच्छे गुण वाले होने चाहिए। इनकी सतह खुरदरी होनी चाहिए। यदि दीवार पर लटकाने वाले मानचित्रों की सतह चमकीली है तो कक्षा के कुछ भागों से यह चमकते मानचित्र विद्यार्थियों को नहीं दिखाई देंगे।
4. **अत्यधिक विस्तृत नहीं (Not too detailed)**—एक मानचित्र द्वारा सीमित उद्देश्यों की ही पूर्ति होनी चाहिए, बहुत सी बातों को एक साथ अपना उद्देश्य बना लेने पर मानचित्र इतना भीड़-भड़ाका वाला हो जाता है कि उसकी स्पष्टता और निश्चितता समाप्त हो जाती है। इसके साथ-साथ मानचित्र अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

5. **चयन (Selection)**–मानचित्र का चयन विद्यार्थियों की योग्यता, कक्षा विशेष के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
6. **स्थलों को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना (The land should be correctly depicted)**–मानचित्र में ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बन्धित स्थल सही ढंग से प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
7. **मितव्ययता (Economy)**–मानचित्र सरल होना चाहिए तथा इसके साथ-साथ इसे अत्यधिक खर्चीला नहीं होना चाहिए।
8. **विषय-वस्तु का यथार्थता (Subject matter realistic)**–मानचित्र पर दी गई विषय-वस्तु यथार्थता, स्पष्टता और सूचनाओं की पर्याप्तता की कसौटी पर पूरी तथा खरी उतरनी चाहिए।
9. **उपयुक्त पैमाना (Appropriate Scale)**–मानचित्र का निर्माण करने का पैमाना विश्वसनीय होना चाहिए। संकेतों की दृष्टि से भी इसका उपयुक्त होना आवश्यक है। तभी दूरी तथा संख्यात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ों का सही चित्रण हो सकेगा।
10. **अधिक रंग नहीं (Not too many colours)**–यद्यपि मानचित्रों में रंगों से बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती हैं फिर भी मानचित्रों में आवश्यकता से अधिक रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
11. **रेखांकन उपयुक्त (Sketching appropriate)**–रेखांकन तथा सूचना व्यक्त करने वाले शब्दों या संकेतों की दृष्टि से भी मानचित्रों को उपयुक्त होना चाहिए।
12. **उपयुक्त संभाल (Appropriate upkeep)**–बार-बार प्रयोग में लाने तथा संभाल कर रखने की दृष्टि से इनका उपयुक्त होना भी बहुत आवश्यक है ताकि वे जल्दी खराब न हो जाएं। इसके लिए एक तो मानचित्र केवल मजबूत ही खरीदने चाहिए ताकि बार-बार प्रयोग का भार सहन कर सकें।
13. **निर्माण (Preparation)**–जहाँ तक हो सके मानचित्रों का निर्माण छात्रों द्वारा ही अध्यापक की देख-रेख में किया जाना चाहिए। कक्षा में पूरे वितरण वाले मानचित्रों के स्थान पर मानचित्र खाकों का प्रयोग किया जना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन और जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके और रटने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जा सके।
14. **दीवार पर टाँगने सम्बन्धी सावधानी (Precaution regarding hanging on the wall)**–मानचित्रों को दीवार पर उतने समय तक ही टँगे रहना चाहिए, जितनी देर उनकी आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक समय के लिए इसे दीवार पर टँगे नहीं रहना चाहिए। प्रसंग आने पर ही इसे दीवार पर लटकाना चाहिए।

मानचित्र की तैयारी (Preparation of Maps) : मानचित्रों की तैयारी कई विधियों से की जा सकती है, जिनमें से मुख्य निम्न हैं–

1. **एटलस (Atlas) :** मानचित्र प्रायः एटलस में बने होते हैं। कागज और कपड़े के बने मानचित्र भी बाजार में उपलब्ध हैं।
2. **दीवारों पर बनाना (Preparation on Walls) :** मानचित्र दीवारों पर भी बनाए जा सकते हैं।
3. **स्वतंत्र चित्रण (Freehand Drawing) :** मानचित्र स्वतंत्र चित्रण की सहायता से भी बनाए जा सकते हैं, परंतु इसके लिए बहुत अभ्यास तथा प्रतिभा की आवश्यकता है।
4. **ट्रेसिंग (Tracing) :** ट्रेसिंग द्वारा भी मानचित्र सरलता से बनाए जा सकते हैं।
5. **प्रोजेक्टर द्वारा आकार बड़ा करना (Increasing the Size through Projector) :** यदि मौलिक मानचित्र छोटा है, तो प्रोजेक्ट की सहायता से इच्छानुसार बड़े आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है।
6. **रुई से (From Cotton) :** उभरे हुए मानचित्र प्लाइवुड के तख्तों पर रुई व कागज की लुगदी लगाकर बनाए जा सकते हैं।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में मानचित्रों की उपयोगिता अन्य विषयों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों को बिना मानचित्र की सहायता से पढ़ाना बालकों के ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से नुकसान करने वाला

ही होता है। अतः एक शिक्षक को अपने विषय की पाठ्य-वस्तु तथा पढ़ाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उचित मानचित्र का चुनाव करने का प्रयत्न करना चाहिए।

5. सामुदायिक संसाधन (Community Resources)

यह कथन पूरी तरह से सत्य है कि समस्त अध्ययन स्कूल की चार दीवारी के भीतर नहीं हो सकता। सामाजिक विज्ञान विषय की विषय-वस्तु सामुदायिक जीवन के विभिन्न प्रकार के वातावरणों से निकली है। इसलिए सामाजिक विज्ञान से शिक्षण में सामुदायिक साधनों की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। शिक्षा के नवीनतम स्वरूप के अनुसार शिक्षा समुदाय में केन्द्रित होनी चाहिए। पूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल और समाज न केवल एक-दूसरे के पूरक हैं अपितु एकीकृत भी हैं। सामाजिक विज्ञान विषय में स्कूल और समाज को एकीकृत करने के विशेष अवसर हैं। समुदाय के विभिन्न स्रोत सामाजिक विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। एक सुनियोजित कार्यक्रम स्कूल तथा समुदाय को एक-दूसरे के बहुत समीप ला सकता है।

समुदाय का अर्थ (Meaning of Community) : समुदाय के लिए अंग्रेजी में Community शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है–Com और Munis। **कॉम का अर्थ है**–एक साथ (Together) और मुनीज का अर्थ है–सेवा करना। इस प्रकार इन दोनों शब्दों से मिलकर बने Community शब्द का अर्थ हुआ–एक साथ सेवा करना। साधारण शब्दों में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से लिया जाता है, जिसके सदस्यों में परस्पर सेवा भावना होती है तथा जो हर स्थिति में एक-दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। ऑगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार, **"किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है।"** अर्थात् समुदाय के सभी सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ब्राउनेल के अनुसार, **"समुदाय से मेरा अभिप्राय उस समूह से है, जिसमें अनेक प्रकार के व्यक्ति विभिन्न क्षमताओं तथा योग्यताओं से युक्त होकर पड़ोसियों की भांति मिलकर साथ रहते हैं।"** संक्षेप में कहा जा सकता है कि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, इसके सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, इसकी अपनी एक जीवन-शैली होती है तथा इसके सभी सदस्यों में परस्पर सहयोग एवं सेवा भाव होता है।

महत्त्वपूर्ण सामुदायिक स्रोत (Important Community Resource) : प्रत्येक समुदाय में अनेक ऐसे स्रोत हैं, जिनका प्रयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऐसे स्रोतों की विस्तृत जानकारी अध्यापक तथा छात्र को अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। इस तरह के स्रोतों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) महत्त्वपूर्ण सामुदायिक स्रोतों में सबसे पहला स्थान भौगोलिक महत्त्व के स्थानों का होता है। इस तरह के स्थान स्कूलों के समीप ही होते हैं, जैसे–कृषि, खनन, रेलवे स्टेशन, कारखाने, मिल व हवाई अड्डे आदि।

(ii) सामुदायिक स्रोतों की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्त्व वाले स्थानों का भी बहुत महत्त्व होता है जैसे–किले, स्तंभ, दृष्टि, मीनार, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, पुराने शासकीय व प्रशासकीय भवन, पुराने रिकार्ड व शिलालेख इत्यादि।

(iii) अजायबघर, चिड़ियाघर, विश्वविद्यालय, रेडियो स्टेशन, कला विभाग, स्कूल, कॉलेज, स्काउट, गर्ल गाइड संगठन, इम्पोरियम तथा समाचार-पत्रों के कार्यालय सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों के अंतर्गत आते हैं, इनकी गिनती भी महत्त्वपूर्ण सामुदायिक स्रोतों के रूप में की जाती है।

(iv) आर्थिक महत्त्व के स्थानों में मंडिया, बैंक, ईंटों के भट्टे, डेयरी, व्यापारिक केन्द्र, रेलवे जंक्शन, पोस्ट व टेलीग्राफ कार्यालय, कृषि फार्म व छापेखाने इत्यादि हैं। इनको भी महत्त्वपूर्ण सामुदायिक स्रोतों के अन्तर्गत रखा जाता है।

(v) वैज्ञानिक महत्त्व के स्थानों में प्रयोगशालाएं, थर्मल, हाइड्रो शक्ति पैदा करने वाले स्टेशन, वर्कशाप, विज्ञान भवन, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि आते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(vi) महत्त्वपूर्ण सामुदायिक स्रोतों में सरकारी भवनों का भी विशेष योगदान होता है। पंचायत घर, नगरपालिकाएं, थाने, विधानसभा तथा संसद-भवन, न्यायालय, समाज कल्याण की संस्थाएं, जल-वितरण केन्द्र व अस्पताल इसी तरह के स्रोत हैं।

(vii) प्रत्येक समाज में कुछ रीति-रिवाज, विश्वास, परम्पराएं, आस्थाएं, अभिवृत्तियां आदि होती हैं, जिनका प्रयोग कोई भी स्कूल प्रभावशाली शिक्षा को क्रियात्मक रूप देने के लिए कर सकता है।

महत्त्व या उपयोगिता (Importance or Utility) : सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक साधनों का बड़ा भारी महत्त्व है। पुस्तकीय शिक्षा की आलोचना करते हुए शिक्षा शास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि समुदाय ही शिक्षा प्रदान करने का वास्तविक विद्यालय है। समुदाय द्वारा बालक ऐसे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जिनका शैक्षिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्त्व है। सामुदायिक साधनों की उपयोगिता अथवा महत्त्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) सामुदायिक जीवन में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को बालक स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं। अध्यापक इन बुराइयों के विरुद्ध बालक का मार्गदर्शन कर सकता है। समाज में रहकर ही इन बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है।

(ii) समुदाय से प्राप्त ज्ञान की प्रकृति स्थित होती है अर्थात् यह ज्ञान सदा बालक के काम आता है।

(iii) बालक में अपनेपन की भावना समाज में रहने से ही आती है, इसलिए वे इस बात को जान लेते हैं कि समुदाय की भलाई के लिए उन्हें भी योगदान देना चाहिए।

(iv) अधिगम ज्ञान का प्रधान स्रोत इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव होता है।

(v) बच्चे जब सामुदायिक जीवन व उसकी क्रियाओं को देखते हैं तो वह पहले ही अपने आपको भविष्य के जीवन के लिए तैयार करने का प्रयास करते हैं।

(vi) सामुदायिक स्रोतों से प्राप्त ज्ञान कल्पना शक्ति को जाग्रत करता है और बालकों में अवलोकन तथा विश्लेषण आदि की शक्ति का विकास करता है।

(vii) मंद बुद्धि के बालकों और कमजोर छात्रों के लिए तो समुदाय द्वारा प्रदत्त शिक्षा बहुत मूल्यवान होती है।

(viii) सामुदायिक स्रोतों को प्राप्त ज्ञान में स्पष्ट होती है।

(ix) बालक ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त करते हैं, इसलिए अधिगम में उनकी रुचि निरंतर बनी रहती है।

(x) सामुदायिक जीवन के अध्ययन के विषय को जब सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो यह पाठ्यक्रम की ओर भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने में सहायता करता है।

अंत में हम यही कह सकते हैं कि स्कूल और समुदाय द्वारा एक अच्छा योजनाबद्ध कार्यक्रम सामाजिक विज्ञान के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।

सामुदायिक साधनों का शैक्षिक उपयोग (Educational Utilization of Community Resources) : विद्यालय तथा समाज को एक-दूसरे के समीप लाकर ही सामाजिक विज्ञान शिक्षण को सामुदायिक साधनों एवं स्रोतों से प्राप्त अनुभवों के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके लिए समय-समय पर विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों या उत्सवों का आयोजन किया जाए, जिससे समुदाय व स्कूल को आपस में जोड़ा जा सके। इसी तरह विद्यालय को भी समाज में जाकर अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। इसमें दोनों के बीच समन्वय तभी होगा, जब दोनों मिलकर काम करेंगे। सामुदायिक साधनों या स्रोतों के शैक्षणिक उपयोग की दो विधियां हैं—पहली स्कूल को ही समुदाय के समीप ले जाना तथा दूसरी, समुदाय को स्कूल के समीप लाना। इन दोनों विधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है—

(I) स्कूल को समुदाय में ले आना (Bringing school to the community)—वास्तविक अवलोकन की तुलना कोई दूसरा साधन नहीं कर सकता। जब तक विद्यार्थी को समुदाय में न ले जाया जाए उन्हें समुदाय के क्रियाकलापों का कुछ भी पता नहीं चल सकता। इसलिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में भ्रमण (Field trips and excursions) का बहुत बड़ा स्थान है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण (Surveys) तथा सेवा

आयोजनों द्वारा भी स्कूल को समुदाय में लाया जा सकता है। इन सब क्रियाओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन इस प्रकार है—

1. भ्रमण (Excursion, Tours)—भ्रमण सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम का एक आवश्यक भाग है। भ्रमण तभी उद्देश्यपूर्ण हो सकते हैं यदि उनका चुनाव हाथ में ली हुई समस्या के अनुसार किया जाता है। भ्रमण का आयोजन करने से पहले इसकी योजना, संगठन और कार्यान्विति की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। भ्रमण पर जाने से पहले विद्यार्थियों के साथ इसके उद्देश्यों के बारे में बहस कर लेनी चाहिए। यदि जिस स्थान पर जाना है उसके विवरण की फिल्म उपलब्ध हो जाए तो उसे छात्रों को दिखाना चाहिए ताकि उनकी जिज्ञासा जाग्रत हो। भ्रमण के पूरा होने पर उसके बारे में विचार-विमर्श करना चाहिए। फिर व्यय किए हुए धन का लेखा-जोखा करके इसकी रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए।

2. सामुदायिक सर्वेक्षण (Community surveys)—यदि समाज के किसी एक क्षेत्र का विशिष्ट रूप से अध्ययन करना हो तो सामुदायिक सर्वेक्षण बहुत काम आ सकते हैं। इनसे लोगों की दैनिक क्रियाओं का पता चलता है। समुदाय को कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समाज में कौन-कौन से नए झुकाव आ रहे हैं? इन सब बातों का पता सर्वेक्षणों द्वारा लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को समुदाय में जाने, उनसे मिलने, उनकी समस्याओं को समझने तथा समाधान करने के उपाय करने का अभ्यास मिलता है। विद्यार्थी इस बात को महसूस करने लग जाते हैं कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए उनमें सामान्य नागरिक सहयोग की भावना बढ़ती है। सर्वेक्षण समुदाय के किसी भी पहलू के बारे में किए जा सकते हैं। जैसे इसके रीति-रिवाज, प्रथाएँ, आर्थिक समस्याएँ जैसे बेरोजगारी, कम रोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या आदि, सामाजिक समस्याएँ जैसे दहेज प्रथा तथा छूत-छात आदि, शैक्षणिक समस्याएँ जैसे स्कूल छोड़ने वाले बच्चे (School drop outs) तथा प्रौढ़ निरक्षरता (Adult illiteracy) आदि-आदि।

3. समुदाय सेवा का आयोजन (Organisation of community services)—समुदाय के प्रति विद्यार्थियों द्वारा सेवा को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(i) सामान्य समय में सेवा (Service during normal times)—विद्यार्थी छुट्टियों के दिनों में समुदाय में शिविर (Camps) लगाकर समुदाय की सेवा कर सकते हैं। वे गलियों, नालियों, कुओं तथा अपने पास-पड़ौस के स्थानों की सफाई का कार्य कर सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन कर सकते हैं। वृक्ष लगाकर समुदाय के वातावरण को सुन्दर बना सकते हैं। अस्पताल में जाकर रोगियों की सेवा कर सकते हैं, उनके पत्र लिख सकते हैं। उन्हें समाचार पत्र या दूसरी पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ कर सुना सकते हैं। शिक्षाप्रद नाटकों का आयोजन करके समुदाय का जहाँ एक ओर मनोरंजन कर सकते हैं तो दूसरी ओर उन्हें शिक्षा भी दे सकते हैं। लड़कियाँ शिविर में जाकर महिलाओं को परिवार नियोजन के लाभ समझा सकती हैं। छोटी आयु में विवाह, दहेज आदि के विरुद्ध प्रचार कर सकती हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से समुदाय तथा स्कूल के सम्बन्धों में घनिष्ठता आ सकती हैं।

(ii) आपातकालीन सेवा (Service during emergency)—कई बार समुदाय में प्राकृतिक प्रकोप (Natural calamities) आ सकते हैं, जैसे बाढ़ (Floods), महामारी (Epidemics) भूचाल (Earth quake) आदि-आदि। ऐसे अवसरों पर छात्र अपने अध्यापक के नेतृत्व में लोगों के लिए सहायता कार्यों का आयोजन कर सकते हैं, जैसे—धन और कपड़े आदि इकट्ठा करके बाँटना, रोगियों की तीमारदारी करना, बाढ़ में फँसे हुए लोगों को बाहर निकालना आदि-आदि। इन सब कार्यों से समुदाय तथा स्कूल एक दूसरे के बहुत समीप आ सकते हैं और तभी शिक्षा अर्थ-पूर्ण बनेगी।

4. साक्षात्कार (Interviews)—बच्चों द्वारा समुदाय के विभिन्न लोगों से साक्षात्कार करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। यह प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति का अमोल साधन बन सकता है। साथ ही समुदाय के लोग इनसे साहित्य तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री पाकर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

5. कल्बों का संगठन (Organisation of clubs)—छात्र समुदाय में कई प्रकार के कल्ब स्थापित कर सकते हैं, जैसे सफाई कल्ब, शिक्षा कल्ब, स्वास्थ्य कल्ब आदि-आदि। इस प्रकार के आयोजनों से आस-पास

CIMETRIX

के वातावरण प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त होता है।

(II) समुदायों को विद्यालयों के निकट लाना (Bringing community near to schools)– निम्नलिखित उपायों के द्वारा समुदाय और स्कूल एक-दूसरे के समीप आ सकते हैं–

1. अभिभावक शिक्षक संघ (Parent-Teacher association)–विद्यालयों को समाज के निकट लाने के लिए विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संघ स्थापित किए जाने चाहिए। ये समुदाय के साधन के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित रूप में दे सकते हैं–

(क) विद्यालय किसी भी प्रकरण के सम्बन्ध में अभिभावकों से प्रश्नों के द्वारा सूचनाएँ इकट्ठी कर सकते हैं।

(ख) जो प्रकरण समुदाय से सम्बन्धित हों उसे पढ़ाने के लिए अभिभावकों को उस समय विद्यालय में आमन्त्रित किया जाए। अभिभावक छात्रों के सामने प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों को रखें।

2. सामूहिक सभाएँ तथा प्रार्थना (General Assembly and prayer)–प्रत्येक विद्यालय में अध्ययन के कार्यक्रम व कक्षाएँ आरम्भ होने से पहले 15 मिनट सामूहिक सभा व प्रार्थना के होने चाहिए। इस सभा में नैतिकता, राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम व अन्य आदर्शों की बातों को विद्यार्थियों को बताना चाहिए। प्रातःकालीन वंदना, कार्यक्रम में ईश वंदना के पश्चात् विभिन्न महापुरुषों के भाषणों को स्थान दिया जाना चाहिए तथा समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जानी चाहिए।

3. सदस्यों को आमन्त्रण (Invitation to the members of the community)– विद्यालय सामुदायिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर अपने विद्यालय में आमन्त्रित करना चाहिए। इसमें प्रसिद्ध समाज सेवक, डॉक्टर, व्यापारी, वकील आदि जो सामाजिक तथ्यों पर प्रकाश डालकर विद्यार्थियों को सामाजिकता के विषय में जानकारी दें। इससे बच्चों में अधिकारों व कर्तव्यों का आभास होगा।

4. उत्सव, फिल्में व प्रदर्शनियाँ (Festivals, Films and Exhibitions)–विद्यालय द्वारा समुदाय सदस्यों के लिए समय-समय पर उत्सवों, प्रदर्शनियों व फिल्मों का भी आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा उन्हें उपयोगी ज्ञान अर्जित होता है। विद्यालय विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनियाँ आयोजित करके समाज व समुदाय का सहयोग प्राप्त कर सकता है।

5. सामुदायिक जीवन की अनेकों क्रियाओं का आयोजन करना (To organise many community life activities)–समुदाय को स्कूल के समीप लाने के लिए विद्यालयों में सामुदायिक जीवन से सम्बन्धित अनेकों क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, जिससे छात्र सामाजिक जीवन की विभिन्न क्षेत्रों के विषय में इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके संचालन और आयोजन में समुदाय के लोगों का सहयोग अवश्य लिया जाना चाहिए।

6. मेलों तथा उत्सवों का आयोजन (Celebration of fairs and festivals)–विभिन्न स्थानीय मेलों तथा त्योहारों को विद्यालयों में मना कर समुदाय को सामुदायिक विद्यालयों के काफी निकट लाया जा सकता है। इसको मनाने के लिए स्थानीय समुदाय को भी आमन्त्रित किया जाना चाहिए। इससे विद्यालयों में सामाजिक भावना का विकास होगा।

7. सामुदायिक समस्याओं का समाधान (Solution of community problems)– सामुदायिक विद्यालयों के माध्यम से सामुदायिक समस्याओं का समाधान ढूँढा जा सकता है। इसकी सहायता से विद्यार्थी सामुदायिक जीवन की वास्तविकता को सामने पाकर उनसे कुछ सीखेंगे। ग्रामीण स्कूलों की अपनी ही समस्याएँ होती हैं। समुदाय के लोगों से उन समस्याओं का समाधान कराया जा सकता है।

इन विधियों के द्वारा समाज विद्यालय से और विद्यालय समुदाय से दूर नहीं रह पाएगा। विद्यालयों में सामुदायिक जीवन की व्यवस्था के लिए समुदाय और विद्यालय का आपसी घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए। समाज विद्यालयों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, क्योंकि आज विद्यालय ने लघु समाज का रूप तो धारण कर ही लिया है साथ ही विद्यालय ही देश का सही अर्थों में निर्माता होता है। आज वह

समय है जब विद्यालय अकेले कुछ नहीं कर सकता। अतः समाज का सहयोग प्राप्त करना उसके लिए नितान्त आवश्यक है।

6. मानचित्रावली (Atlas)

एटलस सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक महत्त्वपूर्ण शिक्षण अधिगम सामग्री की भूमिका निभाता है। सरल व स्पष्ट भाषा में भिन्न-भिन्न प्रकार के मानचित्रों के संग्रह को **'एटलस'** कहा जाता है। मानचित्रों के इस तरह के संग्रह (एटलस) में सामाजिक विज्ञान के उपविषयों (इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र) से संबंधित तरह-तरह के मानचित्र होते हैं। एटलस सामाजिक विज्ञान के उपविषयों से संबंधित विविध पहलुओं और प्रकरणों के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाने के सबसे उपयोगी शैक्षिक साधनों में से एक है। सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए यह इतना उपयोगी है कि इसे **'शिक्षक का बायां हाथ'** कहकर भी संबोधित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाली पाठ्य-सामग्री, जैसे–विभिन्न महाद्वीपों एवं देशों की वास्तविक स्थिति, भौतिक विशेषताएं (पर्वत, नदियां, जलवायु, सागर, मैदानी भाग, मरुस्थलीय भाग, पठार) प्राकृतिक साधन (खनिज, भूमि, जल), विभिन्न राजाओं द्वारा शासित राज्यों की सीमाओं, जनसंख्या वितरण, राजनीतिक परिदृश्य, रेलमार्ग, वायुमार्ग, सड़क मार्ग, आर्थिक उत्पादन संबंधी क्षेत्र, आदि की स्थिति को स्पष्ट करने में एटलस सामाजिक विज्ञान शिक्षक की काफी सहायता करता है। एटलस की सहायता से कठिन से कठिन तथ्य को सरल व स्पष्ट बनाया जा सकता है। एटलस के हिन्दी रूपान्तर शब्द के रूप में हम 'मानचित्रावली' शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। छोटी कक्षाओं में प्रायः एक ही मानचित्रावली में सामाजिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के मानचित्रों को एक साथ दिया जाता है, परंतु जैसे-जैसे कक्षा स्तर बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे मानचित्रावली भी कई श्रेणियों में विभाजित होती जाती है। मानचित्रावलियों में दिए गए मानचित्रों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

1. **ऐतिहासिक मानचित्रावली (Historical Atlas) :** इस तरह की मानचित्रावलियों में विभिन्न समय के शासकों के राज्य विस्तार तथा सीमाओं को मुख्य रूप से दर्शाया जाता है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार, गुप्त साम्राज्य का विस्तार, हर्षवर्धन के राज्य का विस्तार, सल्तनतकालीन साम्राज्य का विस्तार, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत आदि इस तरह के उदाहरण हैं।
2. **भौगोलिक मानचित्रावली (Geographical Atlas) :** इस तरह की मानचित्रावलियों में मुख्य रूप से पृथ्वी पर पाई जाने वाली भौतिक परिस्थितियों व प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित किया जाता है। महाद्वीप, महासागर, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, मकर तथा विषुवत रेखाएं, वनस्पतियां, खनिज, वन्यप्राणी, जल, वर्षा, मिट्टी, कृषि, पहाड़, नदियां, समुद्रीय जल धाराएं, वन, पठार आदि इसी तरह के उदाहरण हैं।
3. **राजनीतिक मानचित्रावली (Political Atlas) :** सामाजिक विज्ञान शिक्षण में राजनीति मानचित्रावली की उपयोगिता को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जा सकता है। विभिन्न देशों की भौतिक स्थिति, उनकी राजधानियों, प्रशासनिक एवं शासकीय संस्थाओं आदि की सरल व स्पष्ट जानकारी राजनीतिक मानचित्रावली से ही प्राप्त हो सकती है।
4. **आर्थिक मानचित्रावली (Economic Atlas) :** आज के समय में आर्थिक मानचित्रावली का महत्त्व पहले से अधिक हो गया है। पहले इससे संबंधित मानचित्र राजनीतिक, ऐतिहासिक व भौगोलिक मानचित्रावलियों में ही सम्मिलित कर लिए जाते थे, परंतु अब इसका अपना अलग वजूद है। आर्थिक संसाधन, उत्पादन, रोजगार, यातायात के साधन, सड़कें, मण्डियां, नगर, कस्बे, मॉल, कॉम्पलेक्स आदि विषयों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है।
5. **सामाजिक मानचित्रावली (Social Atlas) :** विभिन्न देशों व राज्यों की जनसंख्या, साक्षरता,

CIMETRIX SKILL

भाषा, धर्म आदि संबंधी आंकड़े सामाजिक मानचित्रावली द्वारा ही उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस दृष्टि से इसकी उपयोगिता को भी कम करके नहीं आंका जा सकता है।

मानचित्रावली के अर्थ व प्रकारों से संबंधित उपरोक्त तथ्यों का अध्ययन करने के बाद एक बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि बिना मानचित्रावली सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षण कार्य करने वाला अध्यापक अधूरा है। ज्ञान को पूर्ण, सरल व स्पष्ट बनाने में मानचित्रावली से बेहतर शिक्षण अधिगम सामग्री सामाजिक विज्ञान विषय के लिए हो नहीं सकती। इसके प्रयोग से बालक को विषय संबंधी तथ्यात्मक आंकड़ों का ज्ञान व समझ प्राप्त होती है। एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) में इनकी उपयोगिता को देखते हुए तथा विद्यालय स्तर पर इस शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए मैप मैट्रिक्स (Map Matrix) नामक पुस्तकों का प्रकाशन करवाया है। सामाजिक विज्ञान के पुस्तकालय में मानचित्रावली को अवश्य ही स्थान दिया जाना चाहिए।

7. ई-संसाधन (E-resources)

इलेक्ट्रोनिक तथा कम्प्यूटर से होने वाले तकनीकी विकास ने शिक्षण अधिगम सामग्री का स्वरूप पूर्णतः बदल दिया है। आज का युग सूचना क्रांति का है। इसलिए शिक्षण अधिगम सामग्री में इलेक्ट्रोनिक तथा कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित सामग्री की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। आज शिक्षकों को अपने शिक्षण तथा बालकों को अधिगम में मदद पहुंचाने के लिए अनेकों ऐसे विकसित कम्प्यूटरीकृत साधन हासिल हो गए, जिनसे उनके ज्ञान प्राप्त करने के कार्य को एक उपयोगी दिशा और दशा प्राप्त हो सकती है। इस तरह के साधनों में ब्लॉग (Blog), वर्ल्ड वाइड वेब (world wide web) तथा सोशल नेटवर्किंग (Social networking) जैसे कम्प्यूटरीकृत साधन प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनके विविध पहलुओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

1. **ब्लॉग (Blog) :** आज हमारी सामान्य जिंदगी में भी फेसबुक, व्हटसप, ट्वीटर तथा ब्लॉग जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनका पता नहीं दिन में हम कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। इन शब्दों की उपयोगिता इस बात से समझी जा सकती है कि इनका इस्तेमाल बच्चे से लेकर बड़ों तक, शिक्षित से लेकर अशिक्षित तक तथा अमीर से लेकर गरीब तक आम हो गया है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका लाभ उठाया जा सकता है। शैक्षिक कार्यों में उन्नति हेतु ब्लॉग का प्रयोग काफी उपयोगी साबित हो सकता है। ब्लॉग क्रियात्मक दृष्टि से एक ऐसी बेवसाइट का भाग होता है, जिसे किसी समूह, संस्था या व्यक्ति विशेष द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसके माध्यम से सूचनाओं का सरलता से आदान-प्रदान किया जा सकता है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार ब्लॉग शब्द मूल शब्द वेबलॉग (Weblag) का बिगड़ा हुआ छोटा रूप है। इस शब्द का अर्थ होता है—"वेब पर व्यक्त दृष्टान्तों, विचारों तथा वृत्तांतों का क्रमबद्ध विवरण।" ई. संसाधन के अन्तर्गत आने वाले इन कम्प्यूटरीकृत साधनों को एक व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा स्थापित व नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी खुशी यह है कि बनने वाला इसे अपनी निजी डेयरी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें चित्र, फोटोग्राफ, वीडियो, ऑडियो तथा मल्टीमिडिया आदि सभी प्रकार की सामग्री का आदान-प्रदान किया जा सकता है। इसमें नियमित रूप से नई सामग्री जोड़ी जाती है, तथा पुरानी सामग्री नीचे या पीछे चली जाती है।

शिक्षा में उपयोगिता (Utility in Education) : एडूब्लॉग से हमारा अभिप्राय उस ब्लॉग से है, जिसका संबंध सीधा तथा स्पष्ट रूप से शिक्षा से होता है। अध्यापक द्वारा शिक्षण के लिए बनाए ब्लॉग, शैक्षिक नीति आयोगों के ब्लॉग, कक्षा अनुदेशन के लिए तैयार ब्लॉगों को शैक्षिक ब्लॉग का नाम दिया जाता है। ब्लॉग बनाने वाले को ब्लॉगर्स (Blagger) कहा जाता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में इन ब्लॉगों का प्रयोग तथा उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इन ब्लॉगों की उपयोगिता को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) बालकों के माता-पिता या अभिभावकों के साथ सम्पर्क स्थापित करने में ये शैक्षिक ब्लॉग अध्यापक व विद्यालय की काफी सहायता करते हैं।

(ii) इसके माध्यम से अध्यापकं महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को अपने साथियों, बालकों तथा उनके अभिभावकों के साथ बांट सकता है।

(iii) किसी विशिष्ट विषय को पढ़ाने में ब्लॉग अध्यापक की काफी सहायता करते हैं।

(iv) ब्लॉग शिक्षकों के लिए एक ऐसा उपकरण है, जिसमें शैक्षिक सूचनाओं का आसानी से आदान-प्रदान किया जा सकता है।

(v) इस कम्प्यूटरीकृती उपकरण की सहायता से विविध विचारों तथा उपकरणों का सरलता से पता लगाया जा सकता है।

(vi) माता-पिता तथा अभिभावकों को बालकों के विषय में सूचना देने व उनका सहयोग प्राप्त करने में यह शैक्षिक उपकरण काफी लाभदायक है।

(vii) स्कूल स्तर पर चलाई जाने वाली बाल-कल्याणकारी योजनाओं से शिक्षकों, बालकों व अभिभावकों को अवगत करवाने में यह शैक्षिक उपकरण हमारी काफी सहायता करते हैं।

(viii) इसके माध्यम से किया गया सम्प्रेषण बालकों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के लिए अच्छा रहता है।

(ix) विद्यार्थियों के साथ अन्तःक्रिया और सम्प्रेषण में वृद्धि करने में भी यह शैक्षिक उपकरण हमारी काफी सहायता करता है।

(x) विश्व के सभी देशों में बालक इससे लेखन व सम्प्रेषण कौशल का विकास कर सकते हैं।

(xi) कक्षा-शिक्षण की पूर्व तैयारी एवं बालकों से संवाद बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

(xii) इस ब्लॉग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बालक इस पर सामूहिक रूप से सम्प्रेषण करते हुए अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

(xiii) ब्लॉग बालकों को उनके अपने अधिगम पर स्वामित्व प्रदान करते हैं।

(xiv) इससे बालकों को अपनी अलग पहचान बनाने में सहायता मिलती है।

(xv) इसकी सहायता से बालक निरंतर अध्यापकों के सम्पर्क में रहते हैं।

2. **वर्ल्ड वाइड वेब (world wide web) :** सूचना क्रांति के इस युग में इन्टरनेट की उच्च स्तरीय सेवाओं को प्रस्तुत करने में वर्ल्ड वाइड वेब हमारी काफी सहायता करता है। वर्ल्ड वाइड वेब को संक्षेप में www या वेब (web) कहा जाता है। तकनीकी दृष्टि से यह सर्वरों (Servers) के रूप में स्रोतों को उपलब्ध कराने वाली एक बहुत बड़ी प्रणाली है। यह विश्व के प्रत्येक कोने में बैठे हुए सभी प्रयोगकर्ताओं को नेट पर सभी प्रकार की सूचनाएं और ज्ञान प्रदान करने का पूरा सामर्थ्य रखती है। शैक्षिक वेबसाइट से अभिप्राय उस वेबसाइट से है, जिस पर शैक्षणिक विषयों से संबंधित पूर्ण सूचनाओं तथा ज्ञान का भंडार उपलब्ध रहता है। इन्टरनेट पर इस तरह की वेबसाइटों की भरमार रहती है। शिक्षण-अधिगम की क्रिया को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में यह कम्प्यूटरीकृत उपकरण हमारी सहायता करता है। शैक्षिक वेबसाइट का चुनाव करना इतना सरल नहीं होता है क्योंकि इन्टरनेट पर यह असंख्य में उपलब्ध हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सहायक कुछ वेबसाइट निम्न हैं—

(i) शिक्षकों व बालकों को मानचित्रावली (Atlas) संबंधी सम्पूर्ण जानकारियां http:/www.graphicmaps.com नामक वेबसाइट से प्राप्त हो सकती है। मानचित्रों को समझने में यह बालकों को काफी सहायता करती है।

(ii) बालकों को राजनीतिक शब्दावली, सीमा का विस्तार, राजधानियां व अन्य प्रशासनिक संस्थाओं के विषय में जानकारी देने वाली वेब साइट http:/www.siteatlas.com/atlas/polatlas/polattas. htm है। यह विश्व की राजनीतिक मानचित्रावली के नाम से प्रसिद्ध है।

(iii) शैक्षिक उद्देश्यों के व्यावहारिक शब्दावली को समझाने वाली वेब साइट http:/www.geocities/

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

com/eltsqu/cognitive.htm है। इससे उद्देश्यों की व्यावहारिक शब्दावली को समझने में काफी सहायता मिलती है।

(iv) http://commhum.meeneb.edu/philos/learn theo. htm नामक वेब साइट से हमें अधिगम सिद्धांतों की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। यह शिक्षक तथा बालक दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी होता है।

(v) नेशनल केरीक्यूलम फ्रेमवर्क-2005 की जानकारी http:/epunits.du.ac in/9/01/NCERT.doc नामक वेब साइट पर उपलब्ध है। इस साइट पर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के निर्माण व नियोजन के विषय में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कार्य सम्मेलन-2001 के सुझावों को दिया गया है।

(vi) http://www.health library.com.reading/principles/chas/chas.htm नामक वेब साइट से सूक्ष्म शिक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(vii) www.Lesson plan 2.com नामक वेब साइट पर पाठ-योजनाओं से संबंधित विविध तथ्यों को देखा जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सूचना क्रांति ने शिक्षण अधिगम सामग्री के परम्परागत स्वरूप को काफी हद तक बदल दिया है। अब ब्लॉग और वेब जैसे आधुनिक कम्प्यूटरीकृत शिक्षण साधनों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। इनसे बालकों को व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार का शिक्षण दिया जा सकता है। आज इंटरनेट पर शिक्षा के विविध पहलुओं से संबंधित इतनी ज्यादा जानकारी उपलब्ध है कि उनका चुनाव करना भी आसान नहीं है। इसलिए अध्यापक का यह कर्तव्य बनता है कि वह बालकों को समय-समय पर शिक्षा आधारित वेब साइटों के बारे में बताता रहे।

3. सोशल नेटवर्किंग (Social Networking) : फेसबुक, ट्वीटर, यू-ट्यूब व व्हटसप ऐसे कुछ सोशल नेटवर्किंग के साधन हैं, जिन्होंने आज के समय को सूचना की दृष्टि से क्रांतिकारी बना दिया है। इनके मदद से व्यक्ति इस नेटवर्क के दायरे में शामिल व्यक्तियों से आपस में अपने विचार, रुचियां, चित्र, घटनाएं, गतिविधियों व सूचना सामग्री का आदान-प्रदान कर सकता है। यह ऐसी सेवा प्रणाली है जिसमें शामिल लोग आसानी से सम्प्रेषण कर सकते हैं, तुरंत सूचना भेजने के लिए इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता है। अधिकतर सोशल नेटवर्क की साइटों में उपयोगकर्ता अपने ब्लॉग लिख सकता है, उसे अपने समूह में भेज सकता है तथा दूसरे से प्राप्त ब्लॉगों को खोलकर देख व पढ़ सकता है। इसमें उपयोगकर्ता की निजता व सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। वह अपनी इच्छा से अपने समूह का चुनाव करता है, वहीं उसकी प्रोफाइल पर देख सकते हैं। इसमें प्रयोगकर्ताओं की प्रोफाइलों में एक ऐसी जगह की व्यवस्था रहती है, जिसमें उसके सहयोगी तथा वह स्वयं टिप्पणी कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग के शैक्षिक लाभों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

(i) सोशल नेटवर्किंग साधनों के सदुपयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली व उपयोगी बनाया जा सकता है।

(ii) इनकी सहायता से ज्ञान को सृजनात्मक, प्रयोगात्मक, विश्वसनीय व लचीला स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।

(iii) इस कम्प्यूटरीकृत साधन से तकनीकी और सामाजिक कौशल का विकास किया जा सकता है।

(iv) शिक्षण में रुचि न रखने वाले बालकों को भी इस तरह के नेटवर्क द्वारा प्रदत्त सेवाओं के विषय में अध्ययन की तरह आकर्षित किया जा सकता है।

(v) इस साधन के उपयोग से शिक्षक के पाठ्यक्रमी संबंधी अनुभवों व अभिरुचियों को विकसित किया जा सकता है।

(vi) इस साधन के उपयोग से बालकों में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा व चिन्तनता को विकसित किया जा सकता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(vii) सोशल नेटवर्किंग शिक्षण को मनोरंजक बनाती है तथा दिन-प्रतिदिन की घटनाओं को शिक्षण से जोड़ती है।

(viii) इसके माध्यम से एक-दूसरे से सीखने का अनमोल अवसर प्राप्त होता है।

(ix) इस शिक्षण अधिगम साधन में आपसी सहयोग, तालमेल तथा अनुभवों को अर्जित करने की अपार सम्भावनाएं रहती हैं।

(x) सोशल नेटवर्किंग को फेसबुक, ट्वीटर, यू-ट्यूब तथा व्हटसप जैसे संचार साधनों ने बालकों में इतना लोकप्रिय बना दिया है कि छोटे-से-छोटा बालक भी आज के समय में इनका इस्तेमाल मनोरंजन व सूचना प्राप्त करने के लिए आसानी से कर सकता है।

(xi) सहयोग, तालमेल, भागीदारी, सूचना का आदान-प्रदान, ज्ञान का वितरण, विशेषज्ञता, विषय की समझ व उसे ग्रहण करने की क्षमता का विकास करने में सोशल नेटवर्किंग की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है।

फेसबुक, ट्वीटर और यू.ट्यूब (Facebook, Twitter and You Tube) : सोशल नेटवर्किंग के तहत फेसबुक, ट्वीटर और यू.ट्यूब सर्वाधिक लोकप्रिय साधन हैं, फेसबुक ऐसी लोकप्रिय सामाजिक वेबसाइट है, जिसमें पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को अपनी प्रोफाइल, वीडियो, ऑडियो, सूचना भेजने व मित्रों से ऑनलाइन सम्पर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता है। 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने हरबर्ट विश्वविद्यालय के अध्ययनरत साथियों के लिए सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था। 13 साल से ऊपर का कोई भी बालक या व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। आज पूरी दुनिया में एक बिलियन (One Billion) से ज्यादा बालक व व्यक्ति फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। आज इसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेटवर्क साधन माना जाता है। ट्वीटर का निर्माण मार्च, 2006 में जैक डोर्सी, इवान विलियम्स, बिज स्टोन तथा नोहग्लास ने किया था। इसकी विधिवत् शुरुआत जुलाई, 2006 में की गई थी। आज यह पूरे विश्व में अत्यधिक लोकप्रिय है। यू-ट्यूब को पहले **'पे पाल'** (Pay Pal) के नाम से जाना जाता था। इसको 2005 में विकसित किया गया था। इसको चॉड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम ने मिलकर विकसित किया था। यह सोशल नेटवर्क एक ऑन लाइन सार्वजनिक सम्प्रेषण साइट है, जिसे गूगल ने 1.65 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था। आज इसे लोकप्रिय यू-ट्यूब (You Tube) के नाम से जाना जाता है।

सामाजिक विज्ञान शिक्षण के कौशल : व्याख्या कौशल
(Skills of Teaching Social Science : Skill of Explaining)

❑ **व्याख्या कौशल की परिभाषा दो। इसके आवश्यक घटकों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के सुझाव दीजिए।**

(Define skill of explaining. Describe its components in detail. Give suggestions to make explanation effective.)

अथवा

❑ **व्याख्या कौशल पर एक सूक्ष्म पाठ-योजना तैयार कीजिए।**

(Prepare a micro lesson plan on the 'skill of explaining'.) [MDU, 2018]

उत्तर : विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों का मानसिक स्तर एक समान नहीं होता, परंतु अध्यापक को सभी प्रकार के छात्रों को ज्ञान देना होता है। शिक्षण कार्य को सम्पन्न करने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की विधियों को प्रयोग करते हुए विषय-वस्तु को आसान बनाकर छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। विषय-वस्तु को आसान बनाकर प्रस्तुत करना और उसे ग्रहण करने योग्य बनाने के कौशल को ही **'व्याख्या कौशल'** का नाम दिया गया है। व्याख्या कौशल का प्रयोग सभी विषयों में जरूरी है। इसके बिना विषय-वस्तु को प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इस कौशल में विषय-सामग्री से संबंधित कथनों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वे कथन अपना अर्थ स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। **परसीबल कोल महोदय**

ने 'व्याख्या' तथा 'प्रतिपादन' शब्दों को इस प्रकार दर्शाया है, "व्याख्या, प्रतिपादन से इस बात में भिन्न है कि प्रतिपादन का उद्देश्य सीखने वाले के सम्मुख केवल स्पष्ट रूप से तथ्य रखना होता है, जबकि व्याख्या का उद्देश्य प्रणाली में तथ्यों का ठीक संबंध दूसरे तथ्यों से दर्शाना है।" **जे.एच. पैन्टन** ने 'व्याख्या' का वर्णन इस प्रकार किया है, "व्याख्या सीखने वालों के लिए ज्ञान के स्पष्टीकरण तथा बताने के बीच संयोजक या पुल का काम करती है तथा यह व्याख्यान तथा वर्णन के साथ अन्य बहुत-सी तकनीकों को पैदा करती है। सारी प्रक्रिया में अध्यापक को छात्रों के चिंतन के साथ गहरा संबंध रखना चाहिए। उसे उनके विचारों में सुझाव, उनसे प्रश्न पूछने, उनके प्रश्नों के उत्तर देने, उन्हें प्रयोगात्मक कार्य में लगाने, प्राप्त परिणामों को देखने तथा महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर विचार-विमर्श इत्यादि करते रहना चाहिए।"

I. व्याख्या-कौशल के भाग (Part of the Skill of Explaining)

व्याख्या-कौशल में प्रयुक्त होने वाले कथनों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

(i) वर्णनात्मक कथन (Descriptive Statements) : इन कथनों का प्रयोग प्रायः दिए हुए संप्रत्यय और प्रनियम (Concept) का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

(ii) अर्थात्मक कथन (Interpretive Statements) : किसी संप्रत्यय अथवा प्रनियम के अर्थ को समझाने के लिए इन कथनों की सहायता ली जाती है।

(iii) कारण बताने वाले कथन (Reasons-giving Statements) : इन कथनों के प्रयोग से किसी संप्रत्यय, घटना, प्रनियम आदि के बारे में कब, क्या, कहां आदि जैसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में बहुत ही सुविधा होती है।

इस कौशल को व्यावहारिक रूप से प्रयोग करते समय शिक्षक प्रायः मौखिक अभिव्यक्ति को ही साधन बनाता है। कभी-कभार आवश्यकता पड़ने पर वह कठिन शब्द, महत्त्वपूर्ण तथ्य या संदेश आदि को श्यामपट्ट पर लिख सकता है। व्याख्या कौशल में प्रयुक्त होने वाली मौखिक अभिव्यक्ति के दो भाग हो सकते हैं–पहला, विद्यार्थियों की आयु, मानसिक एवं बौद्धिक अवस्था, पूर्व-ज्ञान, व्याख्या की जाने वाली विषय-वस्तु और संप्रत्ययों के अनुरूप उचित कथनों का चयन तथा दूसरा, चयनित कथनों को पारस्परिक संबद्धता एवं क्रमबद्धता के अनुरूप व्यवस्थित करके उन्हें सफलतापूर्वक प्रयोग में लाना।

II. व्याख्या कौशल के घटक (Components of Explaining Skill)

व्याख्या कौशल के 12 व्यावहारिक घटक हैं, जिन्हें 'वांछनीय' एवं 'अवांछनीय' नामक दो वर्गों में रखा जा सकता है। इनका विवरण निम्न प्रकार से है–

(1) वांछनीय व्यवहार (Desirable Behaviours) : व्याख्या कौशल के विकास के लिए वांछनीय व्यवहार निम्नलिखित हैं–

1. **व्याख्या सेतुओं (सम्पर्कों) का प्रयोग (Using Explaining Links)**–कुछ ऐसे शब्द तथा मुहावरे हैं जो व्याख्या की प्रभावशीलता में वृद्धि करते हैं। ऐसे व्याख्या सेतु कथनों में निरंतरता लाने में सहायक होते हैं तथा व्याख्या को विद्यार्थियों के लिए काफी स्पष्ट बना देते हैं। ये सेतु आमतौर पर संयोजक शब्द होते हैं, जो कारणों, परिणामों, स्थान-क्रम, समय-क्रम, किसी घटना के साधनों अथवा प्रयोजनों इत्यादि की तरफ संकेत करते हैं। अध्यापक के द्वारा अपनी शिक्षण विधि में व्याख्या को काफी प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे व्याख्या सेतुओं का प्रयोग करते रहना चाहिए।
2. **दृश्य प्रविधि का प्रयोग (Use of Visual Technique)**–श्यामपट्ट, चार्ट तथा अन्य दृश्य साधनों का प्रयोग व्याख्या को स्पष्ट एवं प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है–'एक चित्र हजार शब्दों के बराबर है।' ये साधन किसी घटना को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं।

3. **प्रस्तावनात्मक कथन (Introductory Statements)**–श्रोताओं की मानसिकता को स्थिर करने के लिए व्याख्या से पूर्व प्रायः प्रस्तावनात्मक कथन किया जाता है। इससे विद्यार्थियों में मानसिक तत्परता उत्पन्न होती है। वे व्याख्या सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रस्तावना व्याख्या की तरफ संकेत करती है। यदि व्याख्या लम्बी हो तो प्रस्तावनात्मक कथन एक से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसे कथन 'व्याख्या' की संरचना को प्रस्तुत करते हैं।
4. **निष्कर्षात्मक कथन (Concluding Statements)**–अध्यापक के द्वारा कुछ कथनों का प्रयोग पाठ के अंत में, व्याख्या का निष्कर्ष अथवा सारांश देने के लिए किया जाता है। जो कुछ भी व्याख्या विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत की जाती है, ये उसका एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करते हैं। इनका प्रयोग तर्क के आधार पर तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है।
5. **तकनीकी शब्दों की परिभाषा (Technical words defined)**–अनेक बार व्याख्या करते हुए व्यक्ति को तकनीकी तथा कठिन शब्दों का प्रयोग करना होता है। लेकिन यदि इन शब्दों को अच्छी तरह से परिभाषित न किया जाये तो व्याख्या श्रोताओं के लिए दुर्बोध हो जाती है। जब तक नये तथा तकनीकी शब्द को बेहतर ढंग से परिभाषित न किया जाए, तब तक यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि उसका प्रयोग सही हुआ है या गलत।
6. **विद्यार्थियों के लिए रोचक (Interesting to Pupils)**–व्याख्या के प्रभावशाली बोध के लिए उसका विद्यार्थियों के लिए रोचक होना काफी आवश्यक है। यह रोचकता विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से उदाहरण लेकर, सरल वाक्यों के प्रयोग, पक्षों के उचित सम्बन्ध स्थापन तथा विभिन्न माध्यमों के प्रयोग से हासिल की जा सकती है।
7. **अनिवार्य बिन्दुओं को समाहित करना (Covering Essential Points)**–किसी विचार, अवधारणा, अधिनियम अथवा घटना की व्याख्या यथासम्भव पूर्ण होनी चाहिए। व्याख्या की पूर्णता अनुदेशन उद्देश्यों में व्यक्त विचार, अवधारणा, अधिनियम के कार्यक्षेत्र के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
8. **विद्यार्थियों के बोध का परीक्षण (Testing Pupil's Understanding)**–इस घटक में उन प्रश्नों का समावेश होता है जो विद्यार्थियों के बोध परीक्षण के लिए उनसे पूछे जाते हैं। परीक्षण के लिए कुछ प्रश्नों का ही प्रयोग किया जाता है। इन प्रश्नों से मालूम होता है कि विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा की गई व्याख्या को समझ पाए हैं या नहीं।

(2) अवांछनीय व्यवहार (Undesirable Behaviour) : इनको निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

1. **असम्बन्धित कथनों का प्रयोग (Using Irrelevant Statements)**–वह व्याख्या प्रभावशाली होती है जिसमें अध्यापक के कथन व्याख्या-अधीन विचार के साथ सम्बन्धित होते हैं। जिस कथन का सम्बन्ध व्याख्या-अधीन विचार से नहीं होता, उसे 'असम्बन्धित कथन' कहा जाता है। इस तरह का कथन विद्यार्थियों की बोधगम्यता में योगदान नहीं देता। अतः व्याख्या में असम्बन्धित कथनों का अभाव रहना चाहिए।
2. **कथनों में तारतम्यता (Continuity in Statements)**–व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि भाषा-प्रवाह के साथ-साथ उसके कथनों में तारतम्यता बनी रहे। जब सभी कथनों में आपस में निरंतरता बनी रहती है तो विद्यार्थियों के लिए समझना सरल हो जाता है।
3. **भाषा में धारा-प्रवाह (Fluency in Language)**–अध्यापक यदि अपनी व्याख्या को ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहता है तो यह आवश्यक है कि वह प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करें। उसकी भाषा में इतना प्रवाह होना चाहिए कि सभी विद्यार्थी सुगमता से उसके विचारों को सुन सकें तथा समझ सकें। भाषा प्रवाह से व्याख्या में विद्यार्थी की रुचि बनी रहती है।
4. **उपयुक्त शब्दों व मुहावरों का प्रयोग (Using appropriate words and phrases)**–व्याख्या में अध्यापक के द्वारा किसी वस्तु, प्रत्यय, घटना, अवधारणा, सिद्धान्त आदि के लिए उपयुक्त शब्दों

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

का प्रयोग किया जाना चाहिए नहीं तो वह असमंजस की स्थिति में हो जाएगा। अध्यापक को शब्दों व मुहावरों का प्रयोग, विद्यार्थियों की आयु, परिपक्वता स्तर के अनुकूल ही करना चाहिए। ऐसा न करने पर विद्यार्थी विषय सामग्री को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे।

III. व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव (Suggestions for Making Explanation Effective)

अध्यापक को व्याख्या-कौशल का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए–

(i) शिक्षक तथा छात्रों के समक्ष कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए।

(ii) विषय-सामग्री विभिन्न हिस्सों में विभक्त हो तथा उसमें निश्चित क्रम और निरंतरता की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

(iii) शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में रुक-रुक कर न बोले अपितु अपनी भाषा में निरंतर प्रवाह रखे।

(iv) व्याख्या उपदेश के रूप में न होकर सरल एवं आकर्षक भाषा में होनी चाहिए।

(v) व्याख्या बालकों की उम्र, अनुभव एवं मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए।

(vi) व्याख्या पाठ के उद्देश्यों के अनुसार छोटी या लम्बी होनी चाहिए।

(vii) व्याख्या में अध्यापक को बहुत अधिक स्वयं ही नहीं कहते रहना चाहिए क्योंकि इससे छात्र उब जाते हैं और पाठ उनके लिए कठिन हो जाता है।

(viii) व्याख्या कौशल के अन्तर्गत शिक्षक को विषय-सामग्री के व्याख्यान के साथ-साथ मुख्य बिन्दु श्यामपट्ट पर लिखने चाहिए।

(ix) इस कौशल में अध्यापक को बीच-बीच में छात्रों से प्रश्न पूछते रहना चाहिए, जिससे यह पता लग जाए कि बच्चों को पाठ्य- सामग्री समझ में आ रही है या नहीं। छात्रों को भी प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाना चाहिए।

(x) व्याख्या के दौरान विषय-सामग्री से संबंधित विभिन्न सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

(xi) पाठ्य-सामग्री से संबंधित बातों को व्याख्या में शामिल नहीं करना चाहिए।

(xii) व्याख्या-कौशल के अन्तर्गत पाठ के अंत में सारांश देना बहुत ही लाभदायक होता है।

IV. व्याख्या कौशल के अभ्यास के लिए आदर्श सूक्ष्म पाठ योजना (Micro-teaching Plan for Practising Skill of Explaining)

नीचे दिए गए उदाहरण से व्याख्या कौशल के आदर्श सूक्ष्म पाठ योजना को आसानी से समझा जा सकता है–

छात्राध्यापक का नाम :   **दिनांक :**

विषय : सामाजिक विज्ञान   **उपविषय :** ब्राह्मंड में आकाशगंगा

कक्षा : 9वीं   **अवधि :** छः मिनट

परिचयात्मक कथन : बच्चो, आज हम 'ब्रह्मांड में आकाश गंगा' नामक उपविषय में निहित विविध पहलुओं का अध्ययन करेंगे।

व्याख्या : बच्चो, एक आकाशगंगा में असंख्य तारे होते हैं, जिनके आस-पास धूल और हाइड्रोजन का कोहरा छाया रहता है। हमारी पृथ्वी, सूर्य और बाह्य उपग्रहों का परिवार सौरमंडल के अन्तर्गत आता है। एक छोटा-सा 'दूधिया मार्ग' (Milkyway) के नाम से प्रसिद्ध आकाशगंगा में हमारे सौरमंडल (Solar System) जैसे अनगिनत सौरमंडल हैं। काफी समय तक हमारे खगोलशास्त्री इस दूधिया मार्ग को ही आकाशगंगा का पर्याय मानते रहे, परंतु अब स्पष्ट हो चुका है कि हमारे ब्रह्माण्ड में इस दूधिया मार्ग से भी बहुत विशाल लाखों आकाश-गंगाएं विद्यमान हैं। 'एंड्रामीडा आकाशगंगा' (Andra-meda Galaxy) इसी तरह की एक

आकाशगंगा है, जिसे हम आंखों से ही देख सकते हैं। यह हमसे 20 लाख प्रकाशवर्ष की दूरी पर है। इस तरह से स्पष्ट है कि ब्राह्मण्ड में एक ही नहीं अपितु असंख्य आकाश-गंगाएं विराजमान हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में हमारे सौरमंडल जैसे अनेकों सौरमण्डल तथा असंख्य तारे विद्यमान हैं।

व्याख्या करने के बाद छात्राध्यापक बालकों से निम्न प्रश्न पूछेगी–

छात्राध्यापक कथन	छात्र कथन
(i) आकाशगंगा के विषय में क्या जानते हो?	(i) यह धूल, हाइड्रोजन तथा असंख्य तारों का एक समूह है।
(ii) नंगी आंखों से देखी जाने वाली गंगा का नाम बताओ।	(ii) इसका नाम एंड्रामीडा है।
(iii) एंड्रीमीडा नामक आकाशगंगा हमसे कितनी दूर है?	(iii) यह हमसे 20 लाख प्रकाशवर्ष की दूरी पर है।
(iv) हमारे सौरमंडल में तारों की संख्या कितनी है?	(iv) असंख्य।
(v) दूधिया-मार्ग नाम से प्रसिद्ध आकाशगंगा में कितने सौरमण्डल हैं?	(v) इसमें हमारे सौरमण्डल जैसे अनगिनत सौरमंडल हैं।

V. व्याख्या-कौशल संबंधी निरीक्षण अनुसूची एवं रेटिंग स्केल (Observation Schedule-Cum-Rating Scale for the Skill of Explaining) : सूक्ष्म-शिक्षण द्वारा व्याख्या कौशल का अभ्यास करते समय छात्राध्यापक की प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए जिस निरीक्षण अनुसूची की सहायता ली जाती है, उसकी रूपरेखा इस प्रकार है–

टैलियां (Tallies)	घटक अथवा तत्व (Components)	रेटिंग (Rating)
	वांछनीय व्यवहार (Desirable Behaviours)	(अतिदोषपूर्ण से सर्वोत्तम की ओर) (From Extremely Bad to Excellent)
हाँ/नहीं	1. उपयुक्त प्रारम्भिक कथनों का प्रयोग	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
हाँ/नहीं	2. व्याख्या-सेतुओं का प्रयोग	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
हाँ/नहीं	3. आवश्यक बिन्दुओं पर ध्यान देना	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
हाँ/नहीं	4. विद्यार्थियों का बोध-परीक्षण	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
हाँ/नहीं	5. कथनों में तारतम्य होना	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
हाँ/नहीं	6. निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	अवांछनीय व्यवहार (Undesirable Behaviours)	
हाँ/नहीं	1. निरर्थक कथनों का प्रयोग	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
हाँ/नहीं	2. कथनों में निरंतरता या तारतम्यता का अभाव	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
हाँ/नहीं	3. प्रवाहमयता का अभाव	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
हाँ/नहीं	4. अनुपयुक्त शब्दों, मुहावरों आदि का स्पष्ट प्रयोग	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शायद ही कोई ऐसी शिक्षण विधि हो, जिसमें शिक्षक केवल एक ही शिक्षण-कौशल का प्रयोग करता हो। जैसे इस उदाहरण में शिक्षक ने प्रश्न भी पूछे, व्याख्या भी की, विवरण भी दिया तथा उदाहरण भी दिए।

उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल
(Skill of Illustrating with Examples)

❑ **'उदाहरण सहित दृष्टांत' कौशल की परिभाषा दीजिए। इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक विज्ञान विषय के किसी उप-विषय पर सूक्ष्म पाठ-योजना बनाइए।**
(Explain the meaning of 'Skill of illustration with Examples'. Describe its components. Make a micro lesson plan on any topic of social science.)

उत्तर : शिक्षक कई बार शिक्षण प्रक्रिया में सिद्धांतों, प्रत्ययों एवं नियमों को अपने भाषणों से स्पष्ट नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने अध्यापन कार्य को उदाहरणों के द्वारा कार्यान्वित करता है। शिक्षणोपरांत शिक्षक बच्चों को भी उदाहरण देने के लिए कह सकता है। इसके द्वारा छात्रों ने कितनी विषय-सामग्री को ग्रहण किया, इसकी जानकारी शिक्षक को लग जाती है। इसे 'दृष्टांत कौशल' कहते हैं। इस कौशल के शिक्षण में प्रयोग से अधिक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके प्रयोग से विषय-वस्तु अधिक स्पष्ट, सजीव व रुचिकर हो जाती है। शिक्षण अरोचकता का स्थान रोचकता में परिवर्तित हो जाता है और अध्यापन में एक प्रकार से नीरसता का स्थान ताजगी ले लेती है। इससे बच्चों की कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। विषय-सामग्री को उदाहरणों के माध्यम से छात्रों की योग्यता के अनुरूप लाया जा सकता है, जो पाठों को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। उदाहरणों के माध्यम से बच्चों का ध्यान शिक्षण में केन्द्रित किया जा सकता है। इनके द्वारा विवरणों को मूर्तरूप देकर छात्रों को अधिक लाभ दिया जा सकता है, जिससे पाठ आसान हो जाता है और छात्रों में अवलोकन और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इस संबंध में डॉ. आर.ए. शर्मा ने उचित ही कहा है कि, "उदाहरण सहित दृष्टांत ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, जिनमें विशिष्ट प्रत्यय या सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। इस कौशल में प्रत्यय अथवा सिद्धांत की व्याख्या या स्पष्टीकरण किया जाता है, जिसमें उदाहरण तथा दृष्टांत का समुचित रूप में प्रयोग किया जाता है।"

I. दृष्टांत प्रयोग के उद्देश्य (Objectives of Illustrations) : इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं—

(i) पाठ को रुचिकर बनाना।
(ii) पाठ में प्रयुक्त जटिल प्रत्यय, तथ्य आदि को बोधगम्य बनाना।
(iii) अमूर्त को मूर्त बनाकर अज्ञात ज्ञान को ज्ञात के साथ संबद्ध करना।
(iv) उदाहरणों, दृष्टांतों आदि की सहायता से बालकों को स्थायी ज्ञान प्रदान करना।

II. दृष्टांत कौशल के प्रयोग के उपागम (Approaches to use of Illustrations with Examples) : कक्षा में जब विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है तो उपयुक्त माध्यमों का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। दृष्टांत के प्रयोग के लिए निम्न दो प्रकार के माध्यमों का चयन किया जा सकता है—

1. ठोस या स्थूल दृष्टांत (Concrete Non-Verbal) : स्थूल दृष्टांत में शिक्षण के दौरान छात्रों के सामने मूर्त्तमान चीजों को दिखाकर किसी बिन्दु को सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। इससे छात्र तथ्यों को आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसे दृश्य-श्रव्य उदाहरण के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के साधन शाब्दिक साधनों की अपेक्षा अधिक रुचिकर होते हैं। ये अधिक प्रभावशाली और दिमाग पर अधिक गहरी छापा छोड़ते हैं। इस प्रकार के दृष्टांतों में मुख्यतः मूल पदार्थ (जैसे भूगोल या कृषि विज्ञान में छात्रों को नदी, तालाब, झील, पठार एवं पर्वत को मूलरूप से दिखाकर), प्रतिरूप, चित्र, चलचित्र या दूरदर्शन एवं अन्य श्रव्य सहायक सामग्रियों (रेडियो, रिकार्ड) को शामिल करते हैं।

2. मौखिक दृष्टांत (Oral or Verbal) : मौखिक दृष्टांत के अन्तर्गत शिक्षक किसी बिन्दु या तथ्य को समझाने के लिए शब्दों के प्रयोग को स्पष्ट करता है। उसके शाब्दिक चित्रण द्वारा स्पष्ट करने को मौखिक दृष्टांत कहते हैं। कहानी कहना एवं दो चीजों की तुलना करना आदि इसके विभिन्न उदाहरण हैं। ये दृष्टांत स्थूल दृष्टांत की अपेक्षा कम रुचिकर हैं।

III. उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के घटक (Components of Illustration with Examples) : उदाहरण सहित दृष्टांत-कौशल के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं—

(i) सरल व सार्थक उदाहरणों का चयन
(ii) प्रत्यय या विचार तथा उदाहरण में संबद्धता
(iii) उदाहरण के लिए उचित माध्यम का चयन
(iv) उदाहरण प्रस्तुतीकरण में उपयुक्त विधि का प्रयोग
(v) उदाहरण में रोचकता का समावेश
(vi) दृष्टांतों की उपयुक्त संख्या
(vii) विद्यार्थी सहभागिता
(xiii) विद्यार्थियों का प्रत्यय बोध

उपरोक्त घटकों की सहायता से उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल का उचित प्रयोग किया जा सकता है। ये घटक इस कौशल को सफलता से प्राप्त करने की दिशा की ओर ले जाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

IV. दृष्टांतों की उपयोगिता (Use of Illustration) : दृष्टांतों की उपयोगिता को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) दृष्टांत विवरण देने में सहायक होते हैं और विद्यार्थियों में रुचि पैदा करते हैं।
(ii) दृष्टांत विद्यार्थियों की संवेदनाओं को प्रभावित करते हैं और उनकी कल्पना को उद्दीप्त करते हैं।
(iii) दृष्टांत अमूर्त अवधारणाओं और वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्याख्या करने में सहायक होते हैं, इसलिए कई विज्ञानों के शिक्षण में इनका प्रयोग अनिवार्य माना जाता है।
(iv) ये केवल शिक्षण एवं बोध में ही सहायक नहीं होते, अपितु याद करने में भी सहायक होते हैं।
(v) पाठ के दौरान कई दृष्टांतों का प्रयोग विद्यार्थियों की अवलोकन शक्ति को तेज करता है। इसके अतिरिक्त कई विषयों का शिक्षण प्रयोगों के द्वारा किया जाता है, जो वस्तुतः दृष्टांतों का ही काम करते हैं।

V. उदाहरणों द्वारा शिक्षण के क्रियात्मक सुझाव (Practical Suggestions for Teaching Through Illustrations) : उदाहरणों द्वारा शिक्षण के क्रियात्मक सुझावों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) दृष्टांत सरल, स्पष्ट एवं सुबोध होने चाहिए।
(ii) ये प्रकरण के साथ संबंधित होने चाहिए।
(iii) ये यथार्थ एवं शुद्ध होने चाहिए।
(iv) पाठ में अत्यधिक दृष्टांतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
(v) दृष्टांतों को उचित रूप से पकड़ना एवं प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे सभी बच्चों तक इसकी पहुंच हो।
(vi) दृष्टांतों का चयन करते समय बालकों की रुचियों का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए।
(vii) शाब्दिक माध्यमों का प्रयोग करते समय तकनीकी तथा असामान्य भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। केवल सरल भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
(viii) ये अच्छी प्रकार से और समय से पहले तैयार किए जाने चाहिए। अस्त-व्यस्त दृष्टांत भ्रम उत्पन्न करते हैं।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(ix) इनका प्रस्तुतीकरण उचित समय पर होना चाहिए। पाठ के आरम्भ में समूची कक्षा के सामने दृष्टांतों का मेज पर ढेर लगा देना उचित नहीं है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि दृष्टांतों का विवेकपूर्ण चयन किया जाए, उन्हें प्रभावशाली ढंग से तैयार किया जाए, उनको समयानुसार प्रस्तुत किया जाए और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

VI. उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के अभ्यास के लिए आदर्श सूक्ष्म पाठ योजना (Micro-teaching Plan for Practicing Skill of Illustration with Examples) : नीचे दिए गए उदाहरण से उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के आदर्श सूक्ष्म पाठ-योजना को आसानी से समझा जा सकता है—

छात्राध्यापक का नाम : **दिनांक :**

विषय : सामाजिक विज्ञान **उपविषय :** यातायात के साधन

कक्षा : आठवीं **अवधि :** छः मिनट

सहायक सामग्री : कक्षा-कक्ष में विषय-वस्तु से संबंधित चित्र, चार्ट व पोस्टर।

प्रस्तावना : बच्चो, आज हम यातायात के विभिन्न साधनों के विषय में जानेंगे। इनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है; परम्परागत तथा आधुनिक साधनों में क्या अंतर है, इत्यादि को समझने का प्रयास करेंगे।

छात्राध्यापक क्रियाएं	छात्र क्रियाएं	घटक
1. यातायात के साधनों से तात्पर्य ऐसे साधनों से है जो एक सामान को एक-स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम हैं तथा जिनसे मानव जीवन को सरलता प्राप्त होती है।	बालक ध्यान से सुन रहे हैं	प्रस्तावना
2. बच्चो, यातायात के कुछ साधनों के नाम बताओ।	कार, रेल, बस, ट्रक, मोटर साइकिल	
3. भारी सामान को ढोने में ये साधन हमारी काफी सहायता करते हैं। इनमें ट्रक व रेलें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।		सामान्य उदाहरणों का प्रयोग
4. सबसे लोकप्रिय यातायात का साधन कौन-सा है?	रेल	विषय को रोचक बनाने वाले उदाहरणों का प्रयोग
5. प्राचीन समय में जिन यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता था, उन्हें परम्परागत साधन कहते हैं।	बालक ध्यान से सुन रहे हैं	उचित कथन का प्रयोग
6. परम्परागत साधन का उदाहरण दो।	बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी	उचित माध्यम का प्रयोग
7. आधुनिक साधनों से हमारा अभिप्राय आज के तीव्र गति से चलने वाले साधनों से है।	समझाते हुए	रोचकता प्रदान करने के लिए कथन
8. आधुनिक साधन के रूप में किसका नाम लेंगे?	हवाई जहाज, रेल, बस, कार, जीप, ट्रक	माध्यमों का प्रयोग

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

छात्राध्यापक क्रियाएं	छात्र क्रियाएं	घटक
9. चार्ट के माध्यम से बच्चों यातायात के साधनों का वर्गीकरण जल, थल व वायुगत साधनों में किया जाता है।	समझाते हुए	शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग
10. जल यातायात से संबंधित साधनों का ठहराव कहां होता है?	बंदरगाह	प्रश्नोत्तर कथन का प्रयोग बालकों की भागीदारी सुनिश्चित करना
11. जिस तरह बसों के लिए बस स्टैंड, रेलों के लिए रेलवे स्टेशन होता है उसी तरह से पानी के जहाजों के लिए बंदरगाह होता है।	बंदरगाह क्या होता है?	प्रोत्साहन कथन का प्रयोग निष्कषात्मक कथन का प्रयोग
12. सबसे तीव्र यातायात का साधन कौन-सा है?	हवाई जहाज (उत्सुकता से) समझाते हुए	
13. यातायात साधनों की मुख्य उपयोगिता मानव जीवन को सरल व आरामदायक बनाना है।		

VII. उदाहरणों द्वारा दृष्टांत कौशल का अवलोकन युक्त रेटिंग स्केल (Observation cum Rating Scale for the Skill of Illustrating with Examples) : इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

टैलियां (Tallies)	घटक अथवा तत्व (Components)	रेटिंग (Rating)
	1. उदाहरणों की सम्बद्धता (Relevancy of Examples)	0 1 2 3 4 5 6
	2. उदाहरण की सरलता (Simplicity of Examples)	0 1 2 3 4 5 6
	3. रोचक उदाहरण (Interesting Examples)	0 1 2 3 4 5 6
	4. माध्यमों की उपयुक्तता (Appropriateness of Media)	0 1 2 3 4 5 6
	5. उपागम की उपयुक्तता (Appropriateness of Approach)	0 1 2 3 4 5 6

पुनर्बलन–कौशल
(Skill of Reinforcement)

❑ **पुनर्बलन-कौशल से आप क्या समझते हैं? इसके घटकों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक विज्ञान से संबंधित एक सूक्ष्म पाठ-योजना का निर्माण कीजिए।**

(What do you understand by skill of reinforcement? Describe its components. Make a micro lesson plan related to social science.)

उत्तर : पुनर्बलन संप्रत्यय (Reinforcement) का प्रत्यक्ष संबंध मनोविज्ञान से है। इसका शाब्दिक अर्थ

है—ऐसे उद्दीपकों का प्रयोग, जिनके प्रस्तुतीकरण या अभाव से किसी प्रतिक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। शिक्षा-जगत में इसे एक ऐसी तकनीक या युक्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जो शिक्षण-अधिगम एवं व्यवहार-प्रक्रिया को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि पुनर्बलन शिक्षण-कौशल की वह तकनीक है, जिसके द्वारा अध्यापक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है। कक्षा में किसी प्रश्न का सही उत्तर देने पर, अच्छा कार्य करने पर, परीक्षा में प्रथम आने पर व अच्छा व्यवहार करने पर शिक्षक जब विद्यार्थियों को शाबाशी देता है, उनकी पीठ थपथपाता है, तब निश्चित रूप से वे उपयुक्त एवं अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरी ओर अवांछित या अनुचित व्यवहार करने पर शिक्षक उनके व्यवहार को सुधारने के लिए नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करता है।

पुनर्बलन शिक्षण कौशल की समुचित परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है—"पुनर्बलन कौशल वह शिक्षण-तकनीक है जिसके द्वारा शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु पुनर्बलनों के उचित चुनाव व उनके प्रभावपूर्ण उपयोग में सहायता मिलती है।" पुनर्बलन दो प्रकार का होता है—**सकारात्मक पुनर्बलन** (Positive Reinforcement) तथा **नकारात्मक पुनर्बलन** (Negitive Reinforcement)। सकारात्मक पुनर्बलन वह उत्तेजना है, जिसे प्राप्त करने के लिए प्राणी प्रयास करता है। यह व्यक्ति की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। यह पुनर्बलन विद्यार्थी को सुखद अनुभूति कराता है। सामान्य परिस्थिति में नकारात्मक पुनर्बलन वह उत्तेजना है जो प्रतिक्रिया को कम करती है। शिक्षा-क्षेत्र में इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहारों अथवा अनुपयुक्त उत्तरों को निरुत्साहित कर उनकी पुनरावृत्ति न करने में सहायता करना होता है।

I. पुनर्बलन-कौशल के घटक (Components of the Skill of Reinforcement) : इस कौशल के घटकों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—वांछित व्यवहार तथा अवांछित व्यवहार। दोनों प्रकार के घटकों के विविध पहलुओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

1. वांछित व्यवहार (Desirable Behaviour) : इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार की क्रियाएं स्वीकार की जा सकती हैं—

(i) इस घटक के अन्तर्गत शिक्षक के उन सभी शाब्दिक तथा मौखिक व्यवहारों को सम्मिलित किया जा सकता है, जो विद्यार्थी को ठीक उत्तर देने या सही अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे बल प्रदान करते हैं।

(ii) इसके अन्तर्गत शिक्षक 'शाबाश', 'बहुत अच्छा', 'ठीक', 'बहुत बढ़िया' व 'अति उत्तम' आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करता है।

(iii) इसके अन्तर्गत शिक्षक, विद्यार्थी द्वारा प्रकट सही भाव, विचार आदि को स्वीकार करने वाले कथनों का प्रयोग करता है, जैसे—'तुम्हारा यह कथन बिल्कुल सही है', 'बस इसे थोड़ा और स्पष्ट करो', 'तुम्हारा तर्क स्वीकार करने योग्य है' आदि।

(iv) इसके अन्तर्गत शिक्षक ही विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर को दोहराता है, उसी उत्तर को दूसरे शब्दों में प्रस्तुत करता है तथा उसका सार प्रस्तुत करता है।

(v) इस घटक के अन्तर्गत शिक्षक ऐसी अशाब्दिक सांकेतिक भाषा को प्रयोग करता है जिनके द्वारा वह विद्यार्थियों के व्यवहार या अनुक्रिया में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जैसे—विद्यार्थी की अनुक्रिया पर मुस्कराना, ताली बजाना, आंखों या मुख के हाव-भाव द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करना आदि।

2. अवांछित व्यवहार (Undesirable Behaviour) : इसके अंतर्गत निम्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं—

(i) **इस घटक के अन्तर्गत शिक्षक शाब्दिक या मौखिक अभिव्यक्ति के व्यवहार से नकारात्मक** पुनर्बलन का प्रयोग करता है, जो विद्यार्थी को निरुत्साहित करते हैं, जैसे—'नहीं', 'गलत', 'बेवकूफ', 'गधा', 'मूर्ख', 'पागल' आदि।

(ii) शिक्षक बालक के अवांछित व्यवहार को निरुत्साहित करने के लिए नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करता है, जैसे—'तुम तो बिल्कुल गोबर-गणेश हो', 'तुम्हारा उत्तर बिल्कुल गलत है', **'मूर्ख तुम्हें** कुछ नहीं आता' आदि।

(iii) 'ऊहूँ', 'होंठों पर अंगुली रखकर', 'श् श् श् .....' आदि संकेतों से अध्यापक बालक के **अवांछित** व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करता है।

(iv) चेहरे व आंखों के हाव-भाव से नकारात्मक क्रिया करना, जैसे—बालक को कठोर चेहरे व आंखों से देखना, भौंह चढ़ाना, बालक की ओर तेज चलना आदि।

पुनर्बलन-कौशल के घटकों का उपर्युक्त विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि शिक्षक विद्यार्थी से अपेक्षित या वांछित व्यवहार, अनुक्रिया या उत्तर प्राप्त करना चाहता है, तब उसे वांछित व्यवहारों का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए और अवांछित व्यवहारों को त्याग देना चाहिए।

II. पुनर्बलन-कौशल के प्रयोग में सावधानियां (Precautions While Using the Reinforcement Skills) : इस कौशल का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियों को अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिए—

(i) इस कौशल के तहत अध्यापक को अपने कथनों को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार एक जैसे कथनों के प्रयोग पर बालक अध्यापक का मजाक उड़ाने लगते हैं। उस कथन को उसका **'तकिया कलाम'** कहकर व्यंग्य कसा जाने लगता है।

(ii) इस कौशल का आवश्यकता से अधिक अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। बालक की प्रत्येक क्रिया पर इसका प्रयोग करना हानिकारक होता है।

(iii) शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों का पुनर्बलन अवश्य करना चाहिए, परंतु हिचकिचाहट का प्रदर्शन करने वाले या शर्मीली प्रकृति के छात्रों का विशेष रूप से पुनर्बलन करना चाहिए।

(iv) शिक्षक को पक्षपातपूर्ण पुनर्बलन से बचना चाहिए अन्यथा कक्षा में उसकी स्थिति काफी हास्यास्पद हो जाएगी।

(v) पुनर्बलन के समय विद्यार्थियों के परिपक्वता स्तर व बौद्धिक स्तर को भी अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए।

III. पुनर्बलन कौशल के अभ्यास के लिए आदर्श सूक्ष्म-पाठ योजना (Micro-teaching plan for Practicing Skill of Reinforcement) : नीचे दिए गए उदाहरण से पुनर्बलन-कौशल के आदर्श सूक्ष्म-पाठ योजना को आसानी से समझा जा सकता है—

छात्राध्यापक का नाम :	**अनुक्रमांक :** 18
विषय : भूगोल	**कक्षा :** नवम्
उपविषय : वायुमंडल और उसकी परतें	**शिक्षण अवधि :** 6 मिनट
दिनांक : 19 सितम्बर, 200...	**विद्यार्थियों की संख्या :** 7

अध्यापक क्रियाएँ (Teacher Activities)	**विद्यार्थी क्रियाएँ (Pupil's Activities)**
बच्चो! कल हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। (पूरी कक्षा को सम्बोधित करते हुए) क्या तुम बता सकते हो कि वायुमंडल किससे बना है? (अध्यापक सहमति दर्शाते हुए अपना सिर हिलाता है।)	(समवेत स्वर में) वायुमंडल कई प्रकार की गैसों, धूलकणों, जलवाष्प आदि के मिश्रण से बना है

अध्यापक क्रियाएँ (Teacher Activities)	विद्यार्थी क्रियाएँ (Pupil's Activities)
बहुत अच्छे! (एक विद्यार्थी को सम्बोधित करते हुए) सोहन! क्या तुम बता सकते हो कि वायुमंडल कौन-कौन सी गैसों से बना है और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन-सी गैस पाई जाती है?	सोहन–वायुमंडल नाइट्रोजन, मीथेन, ओजोन, आर्गन, कार्बनडाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि गैसों से बना है। इसमें से नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। शुष्क वायु में 78% भाग नाइट्रोजन ही होती है।
शाबाश सोहन! (उसकी पीठ थपथपाता है) (दूसरे विद्यार्थी को सम्बोधित करते हुए) राम! क्या तुम बता सकते हो कि वायुमंडल में इन गैसों के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन से तत्त्व पाए जाते हैं?	राम चुप रहता है।
(उसे प्रोत्साहित करते हुए) अभी तुमने भी बताया था कि वायुमंडल कई प्रकार की गैसों, धूल-कणों, जल-वाष्प आदि के मिश्रण से बना है। सोहन ने बताया कि वायुमंडल के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों होती हैं। क्या अब तुम बता सकते हो कि वायु मंडल में और कौन-कौन से तत्त्व होते हैं?	राम–वायुमंडल में धूलकण और जलवाष्प भी होते हैं।
शाबाश! बैठ जाओ। (सारी कक्षा को सम्बोधित करते हुए) अच्छा बच्चो! अब तुम बताओ कि वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं?	(समवेत स्वर में) वायुमंडल की चार परतें होती हैं–क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल तथा आयन मंडल।
बिलकुल ठीक। (कविता को सम्बोधित करते हुए) कविता तुम क्षोभ मंडल के बारे में क्या जानती हो? (शिक्षक अपनी मुस्कुराहट से उसे और कुछ बताने के लिए प्रेरित करता है)	कविता–यह वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है जो प्राणियों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसकी मध्यमान ऊंचाई लगभग 11 कि.मी. है। इस परत में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं।
तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। शाबाश कविता। (शिक्षक उसके इस उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखता है।)	शेष विद्यार्थी उसे ध्यान से पढ़ते हैं।
अच्छा बच्चो! तुम में से कौन समताप मंडल के बारे में कुछ बता सकता है? (यह देखकर शिक्षक विक्रम को उत्तर देने के लिए संकेत देता है।)	(सभी विद्यार्थी अपने-अपने हाथ ऊपर खड़े करते हैं।) विक्रम–यह परत 16 कि.मी. की ऊँचाई पर आरम्भ होती है और 40 कि.मी. ऊँचाई तक व्याप्त है। इस परत में तापमान सदैव समान रहता है।
शाबाश विक्रम! क्या तुम ओजोन मण्डल के बारे में भी कुछ बता सकते हो?	विक्रम–इस परत में ओजोन गैस की अधिकता रहती है।
ठीक। इस परत की ऊँचाई के बारे में कुछ बताओ।	विक्रम–इसकी ऊँचाई 40 कि.मी. से 200 कि.मी. तक मानी जाती है।
(शिक्षक नकारात्मक संकेत देते हुए सिर हिलाता है। वह उसकी ओर देखकर कहता है) तुम्हारा उत्तर आंशिक रूप से ठीक है। बैठ जाओ।	
(सोहन को संबोधित करते हुए) क्या तुम ओजोन परत की ऊँचाई के बारे में बता सकते हो?	सोहन–इसकी ऊँचाई 40 कि.मी. से 80 कि.मी. तक मानी जाती है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

अध्यापक क्रियाएँ (Teacher Activities)	विद्यार्थी क्रियाएँ (Pupil's Activities)
(शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है–ओजोन परत की ऊँचाई 40 कि.मी. से 80 कि.मी. तक मानी जाती है।) (सारी कक्षा को संबोधित करते हुए) आयन मंडल की कोई दो प्रमुख विशेषताएँ बताओ। (मुस्कुराते हुए) बहुत अच्छे!	(समवेत स्वर में) इसमें वायु बहुत ही विरल होती है और यह परत ध्वनि-तरंगों को धरती की ओर लौटा देती है। यह परत 80 कि.मी. से 640 कि. मी. ऊँचाई तक मानी जाती है।

IV. पुनर्बलन-कौशल की निरीक्षण अनुसूची का स्वरूप (Pattern of Observation Sheet of Reinforcement Skill) : निरीक्षण अनुसूची को निम्न आरेख द्वारा आसानी से समझा जा सकता है–

टैलियाँ	व्यवहार घटक	रेटिंग (rating) न्यूनतम	अधिकतम
	1. स्वीकारात्मक एवं प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग	123	4567
	2. छात्रों के सुझावों का समर्थन किया गया।	123	4567
	3. छात्रों की भावनाओं को स्वीकार किया गया।	123	4567
	4. हाव-भाव व अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग किया गया।	123	4567
	5. नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग।	123	4567
	6. नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग।	123	4567
	7. छात्रों के ठीक उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना।	123	4567
	8. पुनर्बलन का उपयुक्त प्रयोग करना।	123	4567
	9. पुनर्बलन का प्रयोग सभी के लिए करना।	123	4567
	10. पुनर्बलन में प्रयोग किये गए कथनों में नवीनता लाना।	123	4567

प्रश्न–कौशल
(Skill of Questioning)

❑ **'प्रश्न-कौशल' का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस कौशल के घटकों का वर्णन करो। सामाजिक विज्ञान से संबंधित एक सूक्ष्म पाठ-योजना का निर्माण कीजिए।**
(Clarify the meaning of skill of questioning. Explain the components of this skill. Make a micro lesson plan related to social science.)

उत्तर : न केवल शिक्षा-जगत में अपितु सामान्य जीवन में भी प्रश्न पूछने की क्रिया को कला माना जाता है। 'क्या आपकी माँ मर गई?' और 'क्या आपकी माँ का स्वर्गवास हो गया?'–इन दोनों प्रश्नों से ही इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि प्रश्न पूछना भी एक कला है। विद्यालय में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न पूछने की कला बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। विद्यार्थियों के वांछित उत्तर अथवा अनुक्रिया प्राप्त करने पर ही इसकी सफलता निर्भर रहती है। प्रश्न की आकृति, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान एवं योग्यता, नवीनतम ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार आदि कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण आधार हैं, जो विद्यार्थियों द्वारा दिए जाने वाले उत्तर को प्रभावित करते हैं। प्रश्न-कौशल के पारिभाषिक रूप को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

पार्कर के अनुसार, "प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है।"

कॉल्विन के अनुसार, "प्राथमिक तथा सैकेण्डरी विषयों में कोई भी अध्यापक शिक्षण में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, जिसे प्रश्न पूछने की कला में निपुणता प्राप्त न हो।"

थ्रिंग के अनुसार, "पढ़ाने का अर्थ है–कुशलतापूर्वक प्रश्न पूछना, जिसमें मन देखने, प्रबंध करने तथा कार्य करने के लिए विवश हो उठे।"

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, "शिक्षक द्वारा सही प्रश्नों को पूछा जाना, उनमें संबंध बनाए रखना, सही दिशा में प्रश्न पूछना, पूरी कक्षा में प्रश्नों का विभाजन करना, प्रश्नों द्वारा विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना-इन सब क्रियाओं को प्रश्न कौशल के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है।"

1. प्रश्न पूछने का उद्देश्य (Purpose of Questioning) : कक्षा-शिक्षण में प्रश्नों के माध्यम से निम्न उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है–

(i) बालकों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, जिससे शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।
(ii) बालक को मानसिक दृष्टि से क्रियाशील व चिंतनशील बनाने के लिए।
(iii) बालकों का ध्यान मूल पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए।
(iv) बालकों के विचार, चिंतन, अवलोकन, निरीक्षण एवं विश्लेषण आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए।
(v) बालकों के पूर्व ज्ञान को नवीन अनुभवों से जोड़ने के लिए।
(vi) बालकों की कठिनाई को जानने के लिए।
(vii) पाठ को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जा सके।
(viii) बालकों द्वारा सीखे हुए ज्ञान को दोहराने एवं प्रयोग करने के लिए।
(ix) बालकों की झिझक को दूर करके उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए।
(x) बालकों के बोध (Comprehension) का मूल्यांकन करने के लिए, जिससे यह पता चल जाए कि उन्होंने कितना अधिगम किया है और कितना नहीं तथा अधिगम न करने के क्या कारण हैं?

2. प्रश्नों का महत्त्व (Importance of Questions) : सफल शिक्षण की दृष्टि से प्रश्नों का बड़ा महत्त्व है। विशेषकर निम्नलिखित तथ्यों की दृष्टि से प्रश्नों का अत्यंत महत्त्व है–

(i) शिक्षण-कार्य के दौरान शिक्षक द्वारा बीच-बीच में प्रश्न पूछने से विद्यार्थी शिक्षक की बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं, ताकि वे पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें।
(ii) प्रश्नों के सही उत्तर देने से विद्यार्थी में एक विशिष्ट उत्साह व विषय के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हो जाती है, जो उसके भविष्य-निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
(iii) आवश्यकतानुसार प्रश्न पूछते रहने से पाठ को सिखाने में विशेष सहायता मिलती है।
(iv) कठिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थी को विचार करके उत्तर का विस्तार करना पड़ता है, जिससे उसकी कल्पना शक्ति, तर्कशक्ति आदि का विकास होता है।
(v) विद्यार्थियों ने किसी भी पाठ्य-पुस्तक में से कहां तक और कितना अर्थ ग्रहण कर लिया है, यह जानने के लिए प्रश्न ही महत्त्वपूर्ण साधन बन जाता है।

3. अच्छे प्रश्न की विशेषताएं (Characteristics of a Good Question) : एक अच्छे प्रश्न की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं–

(i) प्रश्न की भाषा पूर्णत: स्पष्ट होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी के सामने कोई भय या दुविधा की स्थिति न हो।
(ii) प्रश्न संक्षिप्त आकार के होने चाहिए ताकि विद्यार्थी उन्हें आसानी से समझ कर उनका उत्तर दे सकें।
(iii) प्रश्नों की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। शिक्षक को बालक के मानसिक, बौद्धिक व भाषा स्तर के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
(iv) अध्यापक को केवल ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, जो विद्यार्थी को अपने अर्जित ज्ञान के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।

(v) विद्यार्थियों से कब, क्यों, कहां, कैसे, किसलिए, कितना आदि जैसे प्रश्नवाचक शब्दों से युक्तपूर्ण प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए।

4. प्रश्न-कौशल के घटक (Components of Skill of Questioning) : कौशल के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं–

(i) सार्थकता एवं प्रासंगिकता (Relevancy)
(ii) स्पष्टता (Clarity)
(iii) संक्षिप्ता (Conciseness)
(iv) विशिष्टता (Specification)
(v) व्याकरणिक शुद्धता (Grammatical correctness)
(vi) प्रश्नों का प्रस्तुतीकरण (Presentation of Questions)
(vii) प्रश्नों का वितरण (Distribution of Questions)

उपरोक्त घटकों या तत्त्वों का प्रयोग करके प्रश्न-कौशल को कक्षा में उपयोगिता के साथ आजमाया जा सकता है।

5. सावधानियां (Precautions) : कक्षा-कक्ष में प्रश्न पूछते समय शिक्षक को निम्न तथ्य अवश्य ही ध्यान में रखने चाहिए–

(i) जिस बालक का कक्षा में ध्यान कम हो, उससे प्रश्न अवश्य पूछा जाना चाहिए।
(ii) प्रश्न पूछते समय शिक्षक का ध्यान पूरी कक्षा पर होना चाहिए।
(iii) जटिल प्रश्न पूछते समय शिक्षक बालकों को सोचने के लिए थोड़ा समय दे सकता है।
(iv) विषय-वस्तु से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए।
(v) शिक्षक की आवाज पूरी कक्षा को सुनाई देनी चाहिए।
(vi) प्रश्न पूछते समय 'सरलता से जटिलता की ओर' सूत्र को आधार बनाना चाहिए।
(vii) बार-बार प्रश्नों का स्वरूप नहीं बदला जाना चाहिए।
(viii) प्रश्नों को बार-बार दोहराना नहीं चाहिए।
(ix) कक्षा में आवश्यकता पड़ने पर अलग-अलग विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए।

6. प्रश्न-कौशल के अभ्यास के लिए आदर्श सूक्ष्म पाठ-योजना (Micro-teaching Plan for Practioning Skill of Questioning) : नीचे दिए उदाहरण से प्रश्न-कौशल के आदर्श सूक्ष्म पाठ-योजना को आसानी से समझा जा सकता है–

अध्यापक क्रियाएँ (Teacher Activities)	विद्यार्थी क्रियाएँ (Pupil's Activities)
1. हमारे सौर-परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है?	सूर्य ही हमारे सौर-परिवार का मुखिया है।
2. ग्रह किसे कहते हैं?	जो आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं।
3. (मोहन की ओर देखते हुए) कौन-सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक और कौन-सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? (छात्राध्यापक पुनः निदेशन (Redirection) घटक का प्रयोग करते हुए वही प्रश्न दूसरे विद्यार्थी सोहन से पूछता है)	विद्यार्थी चुप रहता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

अध्यापक क्रियाएँ (Teacher Activities)	विद्यार्थी क्रियाएँ (Pupil's Activities)
सोहन! क्या तुम इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हो?	जी हाँ।
(मोहन से)—अब तुम इसके उत्तर को ध्यान से सुनो।	(सोहन उत्तर देते हुए कहता है)—बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक और वरुण ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है।
4. (छात्राध्यापक मोहन को वही उत्तर दोहराने के लिए कहता है)	बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक और वरुण ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है।
5. (सम्पूर्ण कक्षा को सम्बोधित करते हुए)—उपग्रह किसे कहते हैं?	वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं।
6. पृथ्वी के कुल कितने उपग्रह हैं? उसका क्या नाम है?	एक उपग्रह, चन्द्रमा।
7. किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं?	बृहस्पति ग्रह के।
8. क्या तुम चन्द्रमा की गतिशीलता के बारे में बता सकते हो?	सभी विद्यार्थी चुप रहते हैं। केवल सोहन खड़ा होकर उत्तर देता है—चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है।
9. शाबाश सोहन! क्या तुम चन्द्रमा की गतिशीलता के बारे में और कुछ बता सकते हो?	सर, वह अपनी धुरी पर घूमता रहता है।
(छात्राध्यापक विस्तृत सूचना प्राप्ति घटक का प्रयोग करता है।)	
बहुत अच्छे! क्या तुम इस बारे में कुछ और बता सकते हो?	अब सोहन भी चुप रहता है।
10. (छात्राध्यापक अनुबोधन घटक का प्रयोग करते हुए) सोहन! तुम बता रहे थे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। अभी-अभी तुमने यह भी बताया कि चन्द्रमा अपनी धुरी पर और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। अब यदि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, तब चन्द्रमा भी किसके साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेगा?	जी, पृथ्वी के साथ।
11. क्या तुम अब चंद्रमा की गतिशीलता के बारे में बता सकते हो?	चन्द्रमा अपनी धुरी पर और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चूँकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अतः पृथ्वी के साथ-साथ चन्द्रमा भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है।
शाबाश सोहन! तुम बहुत ही होनहार विद्यार्थी हो। अब सभी विद्यार्थी इस उत्तर को दोहराएंगे।	सभी विद्यार्थी इस उत्तर को दोहराते हैं।

7. प्रश्न-कौशल की निरीक्षण अनुसूची का स्वरूप (Pattern of Observation Sheet of Questioning Skill) : निरीक्षण अनुसूची को निम्न आरेख द्वारा आसानी से समझा जा सकता है—

टैलियां (Tallies)	व्यवहार घटक (Components)	रेटिंग (Rating)
	(i) प्रासंगिकता सार्थकता	0 1 2 3 4 5 6
	(ii) संक्षिप्तता	0 1 2 3 4 5 6
	(iii) स्पष्टता	0 1 2 3 4 5 6
	(iv) विशिष्टता	0 1 2 3 4 5 6
	(v) प्रश्नों का वितरण	0 1 2 3 4 5 6

उद्दीपक परिवर्तन कौशल
(Skill of Stimulus Variation)

❑ **उद्दीपक परिवर्तन कौशल के अर्थ का वर्णन करो। इस कौशल के तत्त्व कौन-से हैं? सामाजिक विज्ञान से संबंधित एक सूक्ष्म पाठ-योजना का निर्माण कीजिए।**
(Explain the meaning of 'Skill of stimulus variation'. What are its components? Make a micro lesson plan related to social science.)

अथवा

❑ **उद्दीपक परिवर्तन कौशल से आप क्या समझते हैं? एक सूक्ष्म पाठ-योजना द्वारा इस कौशल से संबंधित शिक्षा व्यवहारों के विकास पर प्रकाश डालिए।**
(What do you understand by 'Skill of stimulus variation'? Illustrate the process of developing various components of the skill through micro lesson plan.) [CBLU, 2018]

उत्तर : 'उद्दीपन' शब्द का अर्थ होता है—उत्तेजित या जाग्रत करने की अवस्था। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ—उत्तेजित या जाग्रत करने वाला। शिक्षण-प्रक्रिया में वे पदार्थ या सहायक सामग्री जो बालक को उत्तर देने के लिए उत्तेजित करें या उकसाएं, उन्हें उद्दीपक क्रियाएं कहा जाता है। आमतौर पर एक अध्यापक अपने छात्रों से वांछित उत्तर या अनुक्रिया को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष उद्दीपक का प्रयोग करता है, जैसे चित्र या वस्तु दिखाना, वस्तु का मॉडल दिखाना, प्रश्न-पूछना, श्यामपट्ट की ओर संकेत करना, मौखिक दृश्य बदलाव करना, शरीर के हाव-भाव में परिवर्तन लाना आदि। ये ऐसे उद्दीपक हैं, जिनकी सहायता से शिक्षक कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का ध्यान न केवल अपनी ओर अपितु पाठ्य-सामग्री या विषय-वस्तु की ओर भी आकर्षित व केन्द्रित करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार मदारी दर्शकों को अपने खेल-तमाशे की ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न विचित्र वस्तुओं, साधनों आदि का प्रयोग करता है, इसके द्वारा वह एक ओर तो लम्बे समय तक अपने करतब दिखा सकता है और दूसरी ओर वह अपनी आवश्यकतानुसार साधनों या करतबों में परिवर्तन भी कर सकता है, इसी तरह शिक्षक भी उपर्युक्त उद्दीपकों के साथ-साथ शरीर के अंगों का संचालन करके, चेहरे पर हाव-भाव लाकर, अपनी आवाज में उचित सुर व ताल आदि मिलाकर बालकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होता है। अतः उद्दीपक परिवर्तन कौशल को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, **"अपने शिक्षण कार्य के दौरान पाठ्य या विषय-वस्तु को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों के द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान पाठ्य-सामग्री या विषय-वस्तु की ओर केन्द्रित करके वांछित अनुक्रिया प्राप्त करना चाहता है। शिक्षण के दौरान इन उद्दीपकों के परिवर्तन करने की निपुणता को ही उद्दीपन अथवा उद्दीपक परिवर्तन कौशल कहा जाता है।"** इसके अर्थ को परिभाषित करते हुए स्नेह जोशी ने लिखा है, **"बालकों का उच्च स्तरीय ध्यान प्राप्त करने व उसे बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या और कैसे परिवर्तन करना है, इसके लिए कौशल की आवश्यकता होती है। ऐसे कौशल को ही 'उद्दीपक परिवर्तन कौशल' कहते हैं।"**

CIMETRIX
SKILLEDINDIA SKILLEDINDIA

I. उद्दीपक परिवर्तन कौशल के घटक (Components of Stimulus Variation Skill) : उद्दीपक परिवर्तन कौशल में शिक्षण व्यवहार संबंधी निम्न घटकों का समावेश होता है, जिनका वर्णन इस प्रकार है–

(i) संचलन (Movements)–गतिशीलता आकर्षण का स्रोत है अर्थात् गतिशील वस्तुएँ स्थिर वस्तुओं की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकार से ध्यान आकर्षित करती हैं। इसलिए एक अध्यापक को अपनी कक्षा में सदा गतिशील रहना चाहिए। कक्षा में पढ़ाते समय एक अध्यापक को कभी भी एक स्थान पर, एक ही स्थिति में न रहकर पढ़ाना चाहिए। उसे आवश्यकतानुसार हिलते-डुलते रहना चाहिए। उसे इधर-उधर चलकर, हाथ-पैर हिला कर, खड़े होने के आसन में परिवर्तन लाकर अपने शारीरिक संचलन (Physical Movements) में पर्याप्त विविधता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। परन्तु यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यदि उसका संचलन अनावश्यक है अर्थात् वह अनावश्यक इधर-उधर घूमता है तथा ऐसा आवश्यकता से अधिक करता है तो बजाय लाभ के हानि की अधिक सम्भावना होती है। अध्यापक की ऐसी गतिविधियाँ हास्यप्रद बन जाएगी तथा ध्यान आकर्षित करने की बजाय ध्यान भंग करने का कारण बन सकती हैं। अतः एक अध्यापक को उपयुक्त संचलन व्यवहार में पर्याप्त कुशलता प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए।

(ii) हाव-भाव (Gestures)–प्रभावशाली अध्यापन में अध्यापक के हाव-भाव का भी बहुत महत्त्व है। अध्यापन में अध्यापक जो बात अपने विद्यार्थियों से मौखिक रूप में कहना चाहता है, उसमें उसके हाव-भाव और मुद्रा का पर्याप्त सहयोग रहता है। यह संकेतमयी भाषा वह सब कुछ कह जाती है, जिसे और प्रकार से संप्रेषित करना उतना सम्भव नहीं होता है। बड़ा, छोटा, गोल तथा चपटा आदि बताने के लिए एक अध्यापक हाथों के संकेत से बहुत अच्छी अभिव्यक्ति कर सकता है। ये संकेत आँखों, हाथों, मुख मुद्रा और कई अन्य प्रकार से किए जा सकते हैं। इनके द्वारा छात्रों का ध्यान कक्षा-शिक्षण में आकर्षित करने का कार्य अच्छी प्रकार से किया जा सकता है।

(iii) वाक-स्वरूप परिवर्तन (Change in Voice)–कक्षा का ध्यान आकर्षित तथा केन्द्रित करने के लिए एक शिक्षक अपनी आवाज में उतार-चढ़ाव ला सकता है, उसकी गति को कम या अधिक कर सकता है और अपने बोलने या उच्चारण के ढंग में विशेष परिवर्तन ला सकता है। वाक-कला में लाए गए परिवर्तन विद्यार्थियों का ध्यान कक्षा कार्य की ओर आकर्षित एवं केन्द्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(iv) केन्द्रण (Focussing)–विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक को कुछ क्रियाओं जो केन्द्रण से सम्बन्धित हैं, करनी चाहिए, जैसे–

(क) **मौखिक कथनों का प्रयोग (Use of Verbal Statements)**–जैसे–श्यामपट की ओर देखिए या मानचित्र की ओर ध्यान दो।

(ख) वह अपने हावभावों से भी ध्यान केन्द्रण का कार्य कर सकता है।

(v) अन्तःक्रिया शैली में परिवर्तन (Change in Interaction Style)–कक्षा में चल रही संप्रेषण प्रक्रिया, अन्तः क्रिया कहलाती है। इस अन्तःक्रिया की मुख्यतः निम्नलिखित शैलियाँ हैं–

(क) **अध्यापक-विद्यार्थी अन्तःक्रिया (Pupil-teacher Interaction)**–इसमें एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच संप्रेषण (Communication) होता है।

(ख) **अध्यापक-कक्षा अन्तःक्रिया (Teacher-class Interaction)**–इसमें अध्यापक का एक विद्यार्थी के स्थान पर सम्पूर्ण कक्षा के साथ संप्रेषण चलता है।

(ग) **विद्यार्थी-विद्यार्थी अन्तःक्रिया (Pupil-Pupil Interaction)**–इसमें संप्रेषण क्रिया विद्यार्थियों के बीच ही चलती है। अध्यापक का कार्य तो केवल परिस्थितियाँ उत्पन्न करना और इस क्रिया पर उचित नियन्त्रण रखना होता है।

एक ही प्रकार की कक्षा अन्तःक्रिया शिक्षण-अधिगम को नीरस और प्रभावहीन बना सकती है।

(vi) मौन-विराम (Pausing)–अध्यापन करते समय यदि कोई अध्यापक अचानक ही थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर ले और इस प्रकार उसके शिक्षण में कुछ देर के लिए विराम आ जाए तो इस क्रिया को मौन-विराम की संज्ञा दी जाती है। ध्यान आकर्षित तथा केन्द्रित करने की यह भी एक उपयुक्त प्रविधि है। इस बात को

एक उदाहरण के साथ स्पष्ट किया जा सकता है। कमरे में यदि टिक-टिक करती हुई दीवार घड़ी यदि एक दम चुप हो जाए तो हमारा ध्यान एकदम उसी की ओर आकर्षित हो जाता है। इस दृष्टि से एक अध्यापक को मौन-विराम युक्ति का कक्षा-शिक्षण में ध्यान आकर्षित करने एवं केन्द्रित करने हेतु प्रयोग में लाना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। परन्तु यह मौन-विराम अधिक लम्बा नहीं होना चाहिए। दो या तीन सैकेण्ड का अल्प मौन ही अधिक प्रभावशाली रहता है।

(vii) मौखिक-दृश्य बदलाव (Aural-Visual Switching)–कक्षा-शिक्षण में अध्यापक दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। अध्यापक या तो मौखिक रूप से अपनी बात कहता है अथवा इसके लिए दृश्य-साधनों का प्रयोग करता है। इन दोनों में से किसी एक भी माध्यम का निरन्तर प्रयोग पाठ को नीरस एवं प्रभावहीन बना सकता है। अतः एक अध्यापक को अभिव्यक्ति के इन माध्यमों में यथानुकूल परिवर्तन लाते रहना चाहिए। इन परिवर्तनों के निम्न तीन रूप हो सकते हैं–

1. मौखिक से दृश्य (From Aural to Visual)
2. दृश्य से मौखिक (From Visual to Aural)
3. मौखिक और दृश्य दोनों माध्यमों का एक साथ प्रयोग (Simultaneous use of Aural and Visual means)

इनमें से तीसरा माध्यम सबसे उपयुक्त है।

(viii) विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग (Physical involvement of the Students)–कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों को अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी कई प्रकार से अपना क्रियात्मक सहयोग प्रदान करते हैं। उनको श्यामपट पर लिखने के लिए बुलाया जा सकता है। उन्हें पाठ को समझने के लिए बुलाया जा सकता है। प्रयोगों एवं परीक्षणों में उनकी सहायता ली जाती है। ये छात्र दृश्य-श्रव्य सामग्री और साधनों के प्रयोग में भी आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। और भी कई ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनमें वे अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार के विभिन्न क्रियात्मक सहयोगों में यथेष्ट विविधता एवं परिवर्तन लाने से अध्यापक को पाठ्य-विषय पर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित तथा केन्द्रित करने में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। अतः शिक्षण कौशल के इस घटक का भी पूरा अभ्यास किया जाना चाहिए।

II. उद्दीपक परिवर्तन कौशल के लिए आदर्श सूक्ष्म पाठ-योजना (Micro-teaching for Practicing Skill of Stimulus Variation) : नीचे दिए गए उदाहरण से प्रश्न-कौशल के आदर्श सूक्ष्म पाठ-योजना को आसानी से समझा जा सकता है–

छात्राध्यापक का नाम : **अनुक्रमांक :**
विषय : समाजिक विज्ञान **कक्षा : सातवीं**
उपविषय : राष्ट्रीय ध्वज **शिक्षण-अवधि : छः मिनट**
सहायक सामग्री : भारतीय राष्ट्रीय झंडे के रंगों को दर्शाता चार्ट व चित्र
प्रारम्भिक कथन : बच्चो, आज हम भारत के 'राष्ट्रीय ध्वज' के विविध पहलुओं का अध्ययन करेंगे।

अध्यापक क्रियाएँ (Teacher Activities)	विद्यार्थी क्रियाएँ (Pupil's Activities)
(i) बच्चो, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? (कक्षा में आवाज बदलते हुए)	1947 ई. को
(ii) स्वतंत्रता से पहले हमारे देश पर किसका प्रतीक ध्वज था (कक्षा में चलते हुए)	इंग्लैण्ड का
(iii) स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का झंडा कहलाता है? (एक विद्यार्थी को सम्बोधित करते हुए)	तिरंगा

अध्यापक क्रियाएँ (Teacher Activities)	विद्यार्थी क्रियाएँ (Pupil's Activities)
(iv) शाबाश! स्वतंत्रता दिवस पर हम कौन-सा झण्डा फहराते हैं? (उत्साहित होते हुए)	तिरंगा झंडा
(v) बहुत अच्छा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंगों का समावेश है? (हाव-भाव बदलते हुए)	तीन रंगों का
(vi) बच्चो, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद व हरे रंग का समावेश है (चार्ट दिखाते हुए)। झंडे में सबसे ऊपर कौन-सा रंग है?	केसरिया
(vii) केसरिया रंग किसका प्रतीक है? (भाव-केन्द्रण करते हुए)	वीरता, त्याग व साहस का
(viii) शाबाश! हरा रंग किसका प्रतीक है? (प्रोत्साहन देते हुए)	हरियाली का
(ix) बहुत अच्छा! हमारे झंडे के बीच में कौन-सा रंग है? (चलते हुए)	सफेद रंग
(x) सफेद रंग किसका प्रतीक है? (आवाज बदलते हुए)	शांति व पवित्रता का
(xi) सफेद रंग की पट्टी के बीच किसका चिह्न है?	अशोक चक्र का
(xii) अशोक चक्र के प्रतीक चिह्न को किसका प्रतीक माना जाता है (चलते हुए)	उन्नति, विकास, गति व परिवर्तन का
(xiii) अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्लियां हैं? (भाव केन्द्रित करते हुए)	24
(xiv) शाबाश! राष्ट्रीय झण्डे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है (दृश्य सामग्री का प्रयोग)	3 : 2
(xv) राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया जाता है? (अन्तः क्रियाशैलियों में परिवर्तन)	स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस पर

III. उद्दीपक परिवर्तन कौशल की निरीक्षण अनुसूची का स्वरूप (Pattern of Observation Sheet of Stimulus Variation Skill) : निरीक्षण अनुसूची को निम्न आरेख द्वारा आसानी से समझा जा सकता है—

टैलियां (Tallies)	घटक अथवा तत्व (Components)	रेटिंग (Rating)
	1. प्रारंभिक कथन का प्रयोग	0 1 2 3 4 5 6
	2. हाव-भाव में परिवर्तन	0 1 2 3 4 5 6
	3. ध्यान केन्द्रण	0 1 2 3 4 5 6

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

टैलियां (Tallies)	घटक अथवा तत्व (Components)	रेटिंग (Rating)
	4. गतिशीलता	0 1 2 3 4 5 6
	5. विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग	0 1 2 3 4 5 6
	6. प्रोत्साहन	0 1 2 3 4 5 6
	7. अन्तः क्रियाशैली में परिवर्तन	0 1 2 3 4 5 6
	8. विराम	0 1 2 3 4 5 6

UNIT-IV

कक्षा–कक्ष प्रक्रिया एवं मूल्यांकन
(Classroom Processes and Evaluation)

खोज विधि
(Discovery Method)

❑ **खोज विधि का क्या अर्थ है? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में इस विधि की उपयोगिता का वर्णन करें।**
(What is meaning of Discovery Method? Describe the utility of its Method in the study of Social science.)

अथवा

❑ **खोज विधि का विस्तार से वर्णन करें।**
(Explain Discovery Method in detail.) **[CBLU, 2018]**

उत्तर : खोज या अन्वेषणात्मक विधि का आविष्कारक या प्रतिपादक लंदन के प्रो. एच.ई. आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले इसका प्रारूप प्रस्तुत किया था। उनका विचार था कि मौलिक अनुसंधान और खोज ही विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है, ताकि वह अपने लिए स्वयं विज्ञानों के सिद्धांतों की खोज करे। यूनानी भाषा में खोज कार्य को प्रकट करने के लिए 'Heuristic' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो यूनानी शब्द के भाव 'Heurisko' से लिया गया है। रसायनशास्त्र के प्रोफेसर एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने वैज्ञानिक विषयों को पढ़ाने के लिए इस विधि को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था, परंतु बाद में इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे सामाजिक विज्ञानों के विषयों के अध्ययन में भी प्रयोग किया जाने लगा।

I. खोज विधि का अर्थ (Meaning of Discovery Method) : जैसा कि इस विधि के नाम से स्पष्ट होता है; इस विधि के अन्तर्गत छात्र अथवा बालक अध्ययन विषय के सम्बन्ध में कोई खोज करता है अर्थात् इस विधि में बालक एक 'खोजी' की भूमिका निभाता है तथा अध्यापक बालक या छात्र को खोज करने हेतु अभिप्रेरित करता है। इस विधि को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय **प्रो. आर्मस्ट्रांग** (Prof. Armstrong) को जाता है। इस विधि की उपयोगिता के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि **"बालकों को जहां तक संभव हो सके कम से कम बतलाया जाये तथा उसे स्वयं खोज करने के लिये अधिक से अधिक प्रेरित किया जाये।"** अतः खोज विधि सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक महत्त्वपूर्ण विधि है, क्योंकि यह विधि बालकों की खोजी प्रवृत्ति को विकसित करती है तथा साथ ही छात्रों में वैज्ञानिक तथा विवेचनात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करती है।

II. खोज विधि के उद्देश्य (Aims of Discovery Method) : खोज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक तथा खोजी प्रवृत्ति का विकास करना है तथा छात्रों में विवेचनात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करना है। खोज विधि के उद्देश्यों के सम्बन्ध में **रामबरन नामक** शिक्षाविद् का मानना है कि, **"इस विधि का उद्देश्य केवल छात्रों को तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि इस विधि के द्वारा छात्रों को इस बात की जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना है कि वे तथ्यों का ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं तथा तथ्यों को नियमबद्ध किस प्रकार से किया जा सकता है तथा उनका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है।"**

III. खोज विधि के सोपान (Steps of Discovery Method) : खोज विधि के सोपानों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) छात्रों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा तथ्यों को निरीक्षण करने का अवसर देना।
(ii) छात्रों से तथ्य एकत्रित करवाना।
(iii) छात्रों द्वारा किए गए निरीक्षण तथा तथ्यों के आधार पर तुलना करवाना।
(iv) निरीक्षण को तथ्यपरक (Factual) रूप देना।
(v) छात्रों से प्राप्त तथ्यों का सामान्यीकरण करना।
(vi) अन्त में प्राप्त तथ्यों को लिखित रूप देना।

IV. सामाजिक विज्ञान में खोज विधि की उपयोगिता (Utility of Discovery Method in Social Science) :

सामाजिक विज्ञान विषय के अन्तर्गत खोज विधि की **निम्नलिखित** उपयोगिता है—

1. छात्रों के द्वारा पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ अन्य प्रकार की विषय-सम्बन्धी पाठ्य-सामग्री का अध्ययन करना।
2. छात्रों के द्वारा अनेक प्रकार के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा औद्योगिक स्थानों का निरीक्षण करना तथा साथ-साथ उनका विवरण लिखना।
3. छात्रों के द्वारा प्रदर्शनियों में जाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा प्रक्रियाओं का निरीक्षण या अवलोकन करना।
4. छात्रों के द्वारा विभिन्न पुरानी वस्तुओं, टिकटों तथा सिक्कों (Coins) आदि का अवलोकन करना तथा उनका विवरण लिखना।
5. बच्चों या छात्रों से मौलिक या वास्तविक रिकॉर्ड तैयार करवाना।

V. खोज विधि में अध्यापक की भूमिका (Role of Teacher in Discovery Method) : खोज-विधि की सफलता बहुत कुछ अध्यापक पर निर्भर करती है। खोज-विधि के अन्तर्गत अध्यापक की भूमिका **निम्न प्रकार** से होनी चाहिये—

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

1. अध्यापक में खुद में खोजी दृष्टिकोण या प्रवृत्ति होनी चाहिये।
2. छात्र के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण सकारात्मक तथा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिये, तभी इस विधि की सफलता संभव है।
3. इस विधि की सफलता बहुत कुछ अध्यापक तथा छात्रों के धैर्य पर निर्भर करती है।
4. अध्यापक को मार्गदर्शन की कला में पारंगत होना चाहिये।
5. अध्यापक को अपने विषय तथा इसके साथ-साथ विषय से संबंधित अन्य तत्त्वों या कारकों से सम्बन्धित ज्ञान उचित मात्रा में होना चाहिये।
6. खोज किये जाने वाले विषय या प्रकरण छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, आयु तथा उसकी रुचियों के अनुसार होने चाहिए।

VI. खोज विधि के गुण या विशेषताएं (Characteristics of Discovery Method) : खोज-विधि के मुख्य गुण या विशेषतायें **निम्नलिखित** हैं—

1. इस विधि के प्रयोग से बच्चों में पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित होती है और बच्चों में मेहनत करने की आदत का विकास होता है।
2. खोज विधि से बच्चों में अनुशासन में रहने की भावना का निर्माण होता है।
3. खोज विधि के द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक व विवेचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।
4. इस विधि का प्रयोग करने से छात्र क्रियाशील बनते हैं तथा साथ ही यह विधि छात्रों को स्वयं सीखने के लिये प्रेरित या उत्साहित करती है।

5. इस विधि के माध्यम से छात्र के द्वारा जो कुछ भी सीखा जाता है, वह अधिक तार्किक, स्पष्ट तथा स्थाई प्रकार का होता है।
6. इस विधि के अन्तर्गत खोज कार्य के द्वारा स्वयं अपने आपको भावी वास्तविक तथा यथार्थ जीवन के लिए तैयार करते हैं तथा इस विधि के द्वारा उनके द्वारा प्राप्त किये अनुभव उनके आगे के जीवन में बहुत काम आते हैं अर्थात् सहायक सिद्ध होते हैं।
7. खोज विधि के द्वारा छात्रों को अपनी योजना बनाना और कार्यक्रम को आयोजित करने का तरीका या ढंग आ जाता है।
8. इस विधि के द्वारा छात्रों में किसी भी कार्य को व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से करने की आदत विकसित हो जाती है।
9. इस विधि के द्वारा बच्चों में मौलिकता का विकास होता है।
10. इस विधि के माध्यम से अध्यापकों व छात्रों के पारस्परिक सम्बन्धों में मधुरता आती है।
11. इस विधि से छात्रों की खोजी प्रवृत्ति में वृद्धि होती है।

VII. खोज विधि की सीमाएं (Limitations of Discovery Method) : खोज-विधि में अनेकों गुण होने के साथ-साथ कुछ कमियां या सीमायें भी हैं, जिनका संक्षिप्त रूप में वर्णन इस प्रकार से है–

1. विद्यालयों के अन्तर्गत छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण इस विधि को सामान्य परिस्थितियों में लागू करना अथवा अपनाना संभव नहीं है।
2. खोज-विधि को कार्यरूप देने के लिये बहुत अधिक समय की जरूरत होती है, जिसके कारण छात्रों का पाठ्यक्रम अधूरा रह जाता है।
3. यह विधि छोटी तथा प्रारम्भिक कक्षाओं के लिये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनका बौद्धिक या मानसिक विकास पूरी तरह नहीं हो पाता है।
4. इस विधि के अन्तर्गत अध्यापकों तथा साथ ही साथ छात्रों से अत्यधिक आशा की जाती है जो कि उचित नहीं है।
5. इस विधि के समुचित ढंग से प्रयोग करने हेतु आवश्यक उपयुक्त प्रकार की अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रायः अभाव या कमी रहती है।

किए गए अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि यह विधि निर्माणात्मक है, सूचनात्मक नहीं। इससे विद्यार्थी यह भी सीख जाते हैं कि अपने आप किए गए प्रयोगों द्वारा भी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रणाली से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अनुसंधान या दृष्टिकोण को वास्तविक रूप से सुविधापूर्वक विकसित किया जा सकता है। इसके द्वारा अपने परिश्रम और निरीक्षण की आदतों का निर्माण होगा और उनके बुद्धिपूर्ण और मौलिक चिंतन को प्रोत्साहन मिलेगा, जो वयस्क जीवन में भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इससे विद्यार्थियों में प्रयोगात्मक प्रमाण की प्रकृति की स्पष्ट धारणा का निर्माण हो सकता है, जो कालांतर में संसार की समस्याओं के प्रति विभिन्न प्रकार के मानसिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है।

विचार–विमर्श विधि
(Discussion Method)

❑ **विचार-विमर्श विधि से आप क्या समझते हैं? इस विधि के अनिवार्य घटकों का वर्णन करें। इस विधि के गुण तथा दोषों का वर्णन करें।**
(What do you mean by Discussion Method? What are essential components of this method? Discuss merits and demerits of this method.)

उत्तर : शिक्षण-प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। इसलिए शिक्षण विधि को प्रभावी, उपयोगी एवं **स्थायी बनाने के लिए** विद्यार्थियों में वाद-विवाद करने की क्षमता और सक्रिय सहयोग की व्यवस्था

होनी चाहिए। इसमें विचारों का आदान-प्रदान होता है और समस्या के लिए बहुमत से समाधान ज्ञात किया जाता है। इससे बालकों में कौशल का विकास होता है, और मन में विषय को लेकर कोई दुविधा होती है तो वह आपसी विचारों के आदान-प्रदान से दूर की जा सकती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वाद-विवाद बहुत उपयोगी है। इस विधि में अध्यापक तथा विद्यार्थी आपस में बातचीत करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी को स्वतंत्र चिंतन तथा अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इस शिक्षण विधि को लोकतान्त्रिक शिक्षण विधि भी कहा जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। प्रसिद्ध नालन्दा विश्वविद्यालयों में इसी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था। इसी तरह महान यूनानी सभ्यता में भी यूनानी विद्वान अपने विषयों के साथ चर्चा करते समय विभिन्न समस्याओं पर वाद-विवाद करते थे। इस विधि के पारिभाषिक अर्थ को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

एम.ली. जेम्स ने लिखा है, "वाद-विवाद एक ऐसी सामूहिक शिक्षण-प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी किसी समस्या के प्रकरण पर बातचीत करते हैं।"

योकम तथा सिम्पसन के अनुसार, "वाद-विवाद एक विशिष्ट प्रकार की बातचीत है। इसमें साधारण बातचीत की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण और विस्तृत विचारों का आदान-प्रदान होता है और इसमें सामान्यतया महत्त्वपूर्ण विचारों तथा समस्याओं पर बातचीत की जाती है।"

गुड के शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, "वाद-विवाद का अर्थ, उस क्रिया से है जो किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या के साथ संबंधित होती है और जिसमें भाग लेने वाले किसी निर्णय अथवा निष्कर्ष पर पहुंचने की सच्ची इच्छा रखते हैं।" **रिस्क** के शब्दों में, "वाद-विवाद का अर्थ है–अध्ययन अधीन प्रकरण अथवा समस्या में निहित सभी संबंधों पर पूर्णता से विचार करना। इसमें संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, उनकी तुलना तथा मूल्यांकन किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं।"

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वाद-विवाद विधि की सार्थक तथा प्रभावशाली बनाना शिक्षक की कुशलता पर निर्भर करता है। बालक इस विधि में सामूहिक विचार मंथन द्वारा विषय से संबंधित आवश्यक ज्ञान व कुशलताओं आदि को प्राप्त करते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

वाद-विवाद विधि की विशेषताएं (Characteristics of Discussion Method) : वाद-विवाद का मुख्य केन्द्र कक्षा में आयोजित किया गया वाद-विवाद है और इसके माध्यम से वाद-विवाद के प्रसंग से संबंधित विषय और उपविषयों की शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। अतः इस विधि को ठीक प्रकार से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है। इसकी विशेषताओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) इसका उद्देश्य सामूहिक वाद-विवाद करके सही उद्देश्यों के कार्यों का संगठन करने से है। यह विद्यार्थियों को अपनी चिंतन व सोच प्रक्रिया को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।
(ii) इसका संचालन अध्ययन अधीन तथ्यों को संगठित एवं संबंधित करने से होता है।
(iii) वाद-विवाद अध्ययन अधीन किसी उपकरण अथवा समस्या से निहित सभी संबंधों का विचारपूर्ण चिंतन है।
(iv) वाद-विवाद विधि में बालक सक्रिय रहते हैं। इससे इनके बीच एक सुनियोजित एवं शिष्ट वार्तालाप होता है।
(v) वाद-विवाद पाठ्यक्रम की किसी भी शैक्षिक समस्या पर गठित किया जा सकता है। इसका स्वरूप औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों हो सकता है।
(vi) इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगात्मक सहयोग की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं।
(vii) यह कार्य की स्वतंत्रता, सक्रिय भागीदारी, प्रश्न पूछने और उत्तर देने के बराबर अवसर देने के सिद्धांत पर आधारित होता है।
(viii) वाद-विवाद एक अपेक्षित प्रयोजन है, जो वस्तुतः सामूहिक निर्णय पर पहुंचने की विधिवत प्रक्रिया है।

(ix) इसमें तथ्यों के आधार पर वाद-विवाद किया जाता है।
(x) इससे प्राप्त विचारों का विनिमय विद्यार्थियों को चिंतन का महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करता है।
(xi) इसमें विद्यार्थी स्वयं के अनुभवों को सामूहिक रूप से बांटते हैं।
(xii) वाद-विवाद विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री के स्पष्टीकरण तथा स्थिरीकरण में अपने अनुभवों के उपयोग के लिए उत्साहित करता है।

वाद-विवाद विधि के गुण (Merits of Discussion Method) : भारतीय शिक्षा के इतिहास में वाद-विवाद विधि सदा से ही शिक्षण के लिए एक महत्त्वपूर्ण विधि रही है। सामूहिक चिंतन ही वास्तव में वाद-विवाद है। इससे सामूहिक चिंतन अधिक स्पष्ट, सशक्त, न्याय संगत एवं तर्कसंगत बनता है। इस शिक्षण विधि के मुख्य गुणों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :

1. यह एक लचीली विधि है। इसका प्रयोग विस्तृत अनुदेशात्मक उद्देश्यों—विषय सामग्री आधिपत्य, समस्या समाधान, भौतिक विकास, अभिवृत्तियों परिवर्तन तथा सम्प्रेषण कौशल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
2. यह विधि मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी सक्रिय होते हैं तथा पाठ के विकास में पूर्ण योगदान देते हैं।
3. यह विधि विद्यार्थियों को विषय-वस्तु का चयन एवं संगठन करना सिखाती है।
4. यह विधि स्वतन्त्र अध्ययन पर जोर देती है। इसमें विद्यार्थी द्वारा पकी-पकायी सामग्री रटने का कोई स्थान नहीं है।
5. यह विधि विद्यार्थियों में तर्क-शक्ति का विकास करती है।
6. यह विधि सहनशीलता का विकास करती है।
7. यह विधि सामूहिक निर्णय लेने की संगठित प्रक्रिया है।
8. यह विधि वरिष्ठ एवं कनिष्ठ दोनों स्तरों पर उपयोगी होती है।
9. यह विधि विद्यार्थियों को अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है।
10. यह विधि विद्यार्थियों की विचार-योग्यता को स्पष्ट बनाती है।
11. यह विधि सम्बन्धित विषयों को स्पष्ट करने में सहायक होती है।
12. यह विधि उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है।
13. यह विधि उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक है जिनमें अच्छे नेता बनने की क्षमता होती है।
14. यह विधि विद्यार्थियों की उन्नति पर प्रतिपुष्टि प्रदान करती है।

वाद-विवाद विधि के अवगुण (Demerits of Discussion Method) : इस शिक्षण विधि में जहां अपने गुण हैं, वहां इसके कुछ दोष भी हैं। हमारे भारत देश के विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए जहां तक इसके उपयोग का प्रश्न है तो इस बारे में यह कहना उचित होगा कि इस शिक्षण विधि को सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एकमात्र विधि नहीं माना जा सकता है। इस विधि के मुख्य अवगुणों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

1. यह विधि शिक्षण-नीति पाठ्यक्रम के सभी विषयों में सम्मिलित सभी प्रकरणों अथवा इकाइयों के अनुकूल नहीं होती।
2. इस विधि के द्वारा अत्यधिक आलोचना से अरुचिकर भावनायें तथा तनाव उत्पन्न हो सकते हैं।
3. इस विधि में मुख्य प्रकरण से भटकने की काफी सम्भावनाएं होती हैं।
4. इस विधि में एकाधिकारीकरण के लिए पर्याप्त अवसर होता है। कुछ ही विद्यार्थी विचार-विमर्श पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं।
5. इस विधि के संचालन में सामान्यतः गुटों का निर्माण हो जाता है तथा ये गुट एक-दूसरे की

आलोचना करने लग जाते हैं।
6. यह विधि माध्यमिक (secondary) कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है।
7. इस विधि में अनुचित वार्तालाप का खतरा हमेशा बना रहता है।
8. इस विधि का प्रयोग केवल तभी हो सकता है, जब विद्यार्थी संबंधित सामग्री का गहन ज्ञान रखते हों।
9. जहां व्यक्तिगत रूप से अनुदेशन दिया जाता हो, वहां इसका प्रयोग उपयुक्त नहीं है।
10. इस विधि का कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए दक्ष अध्यापकों की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे अध्यापक बहुत कम मिलते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि वाद-विवाद विधि शिक्षण की न केवल एक शिक्षण विधि है, अपितु वाद-विवाद विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए तथा योग्यताओं की अभिव्यक्ति के लिए बहुत सहायक है। वास्तव में यह एक लोकतान्त्रिक स्वरूप वाली शिक्षण विधि है।

कहानी-कथन विधि
(Story Telling Method)

❑ **कहानी-कथन विधि का क्या अर्थ है? इस विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?**
(What is the meaning of story telling method? While narrating a story, what points should be kept in mind by the teachers?)

अथवा

❑ **कहानी-कथन विधि का विस्तार से वर्णन करें।**
(Explain story telling method in detail.) **[CRSU, 2018]**

उत्तर : कहानी कथन विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी विधि है। यह विधि मौखिक प्रस्तुतीकरण का ही एक सरल रूप है। कहानी विधि के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए विद्वान **एफ.आर. वार्टस** लिखते हैं, "कहानी 13 वर्ष की अवस्था तक के बालकों को इतिहास पढ़ाने का मुख्य साधन होना चाहिए।" भूगोल के शिक्षण में इस विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाना चाहिए। **नाथूराम शर्मा** के अनुसार, **"जिस प्रकार इतिहास शिक्षण में छोटी आयु के बालक को ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देने के लिए कहानियों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार निम्न कक्षाओं में कहानी के माध्यम से मानव भूगोल के मुख्य तत्त्व छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं।"** इस स्तर पर कहानी पद्धति अधिक सफल हुई है, क्योंकि वह अधिक मनोवैज्ञानिक है। कहानियों के माध्यम से छात्रों में नैतिक गुणों का विकास किया जा सकता है।

कहानी कथन प्रविधि का अर्थ (Meaning of Story Telling Method) : कहानी कथन का अर्थ है कहानी कहना अथवा सुनाना। कहानी कहने अथवा सुनाने से किसी विषय के सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को इतना सरल बनाया जाता है कि कक्षा के सभी बालक उन्हें सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से छोटे-छोटे बालकों का मानसिक विकास इतना नहीं हो पाता कि वे सूक्ष्म तथा जटिल विचारों को सुगमता से ग्रहण कर लें। परन्तु क्योंकि वे कहानी सुनने में स्वाभाविक रुचि लेते हैं, इसलिए कहानी के रूप में प्रस्तुत किए गए ज्ञान को वे आनन्दपूर्वक सहज में ग्रहण कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी द्वारा बालकों की रुचियों तथा उमंगों को मनोरंजन द्वारा प्रस्तुत करते हुए उनकी कल्पना तथा तार्किक शक्तियों को इस प्रकार से विकसित किया जाता है कि उनमें नैतिक तथा सामाजिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही वे किसी भी विषय के ज्ञान को सरलतापूर्वक आत्मसात् कर लेते हैं। संक्षेप में, कहानी के रूप में दिए हुए ज्ञान

CIMETRIX

को बालक बड़े चाव से ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान देने की बात है कि कहानी कथन प्रविधि का प्रयोग प्रायः छोटी कक्षाओं में विशेष रूप से किया जाता है। परन्तु ऊँची कक्षाओं में भी विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यूँ तो इस प्रविधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं में विज्ञान, भाषा तथा विशेष रूप से सामाजिक विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता है। परन्तु बड़ी कक्षाओं में भी इस विधि का प्रयोग इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्यों आदि विषयों को पढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

कहानी-कथन विधि की विशेषताएं व गुण (Characteristics of Story telling Method) : कहानी कथन विधि या कथात्मक विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी शिक्षण विधि है। इस विधि में आख्यान विधि की तरह विद्यार्थियों के समक्ष किसी विषय-वस्तु को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि की मुख्य विशेषताओं को निम्न प्रकार समझा जा सकता है—

(i) इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करने में सहायता मिलती है।

(ii) इस विधि के द्वारा छात्रों की चिंतन, कल्पना तथा स्मृति संबंधी योग्यताओं का विकास होता है।

(iii) कक्षा में बालकों को कहानी कहने का अवसर प्रदान करने से उनकी लज्जा, शंका एवं झिझक समाप्त हो जाती है।

(iv) इस विधि के द्वारा बालकों में सामाजिक, प्रजातांत्रिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है, जो बालकों को आदर्श नागरिक बनाने में सहायक होता है।

(v) यह विधि बालकों के स्वभाव के अनुसार रुचिपूर्ण होने के कारण बालकों के विकास में सहायक होती है।

(vi) यह विधि अन्य विधियों की तुलना में सबसे कम खर्चीली विधि है।

(vii) इस विधि की सफलता अध्यापक की योग्यता और चतुराई पर निर्भर करती है।

(viii) कहानी के द्वारा पाठ में रोचकता बढ़ती है तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में यह विधि सहायक सिद्ध होती हैं।

(ix) इस विधि के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसे बालक सरलतापूर्वक व शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से ही कहानियों में रुचि रखते हैं।

(x) यह विधि भाषा ज्ञान की वृद्धि करने में काफी उपयोगी सिद्ध होती है।

(xi) इससे बालकों की निर्णय एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है।

(xii) इस विधि द्वारा कम आयु के बालक तथ्यों को आसानी से सीख सकते हैं।

(xiii) इस विधि द्वारा नीरस तथ्यों को भी सरल तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है।

(xiv) इससे छात्रों में नैतिक गुणों का विकास होता है, जो उनके चरित्र निर्माण में सहायता देते हैं।

उपरोक्त विशेषताओं और गुणों को देखकर कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इस विधि की उपयोगिता कुछ खास है। इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान शिक्षण में विशेष स्थान प्राप्त है।

कहानी-कथन विधि के दोष (Demerits of Story Telling Method) : इस विषय में कोई शक नहीं है कि यह विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी विधि है, परंतु फिर भी यह पूरी तरह से दोष रहित नहीं है। इसके मुख्य दोषों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

1. यह प्राथमिक स्तर पर अर्थात छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है।
2. इस विधि में कुशल अध्यापकों की कमी पाई जाती है। एक अकुशल अध्यापक रुचिकर कथा को भी नीरस बना सकता है।
3. यह प्रत्येक उपविषय के लिए लाभदायक नहीं है।
4. इस पद्धति के द्वारा अध्यापकों पर ज्यादा बोझ पड़ता है।
5. यह विधि प्रायः इतिहास शिक्षण के लिए ही प्रायोगिक मानी जाती है, सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों को जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान को इस विधि के द्वारा पढ़ाया जाना अत्यन्त कठिन है।

निष्कर्ष (Conclusion) : अन्त में यह कहा जा सकता है कि यह विधि इतिहास शिक्षण के लिए ज्यादा उपयोगी है। कोबाल्ट नाइट के अनुसार, **"आधुनिक कहानी नाटकों के गुणों से मुक्त एक ऐसी रचना है जिसमें समाधान के लिए कोई समस्या हो, समाधान की प्राप्ति में कोई बाधा हो, संकट ग्रस्त स्थिति हो, नाटक की भांति असमंजस के क्षण हों और इन गुणों की चरम स्थिति हो।"** इस विधि के प्रयोग के लिए अध्यापक की कल्पना शक्ति बेहतर हो, अतीत का उचित एवं पूर्ण ज्ञान हो तथा अवसर के अनुरुप कहानियों के प्रयोग के लिए उपयुक्त संग्रह हो। इसमें कहानी की भाषा सरल तथा रोचक हो, कहानी बालकों की आयु व स्तर के अनुसार हो, कहानी का ढंग स्वाभाविक हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कहानी कथन विधि छोटे बालकों की रुचि सामाजिक विज्ञान में विकसित करने का अच्छा तथा उपयोगी साधन है।

सर्वेक्षण विधि
(Survey Method)

❑ **सर्वेक्षण विधि का क्या अर्थ है? इस विधि के गुण तथा दोषों का वर्णन करें।**
(What is the meaning of survey method? Discuss merits and demerits of this method.)

अथवा

❑ **सर्वेक्षण विधि का विस्तार से वर्णन करें।**
(Explain survey method in detail.) **[CBLU, 2018]**

उत्तर : विभिन्न विषयों और प्रकरणों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। समाज में प्रतिपादित विविध धारणाओं, रीति-रिवाजों, परम्पराओं या अन्य किसी के क्रियान्वयन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए जनमत का सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण विधि से किसी समाज, समुदाय, विशिष्ट समूह इत्यादि की अभिवृत्तियों, रुचियों, परम्पराओं व रीति-रिवाजों का पता लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिंग जांच तथा बाल-विवाह जैसी प्रथाओं के लिए प्रतिकूल माहौल बनाने में यह विधि हमारी काफी सहायता करती है। इस विधि से किसी राष्ट्र, समुदाय, समूह की राय या सोच को सकारात्मक दिशा प्रदान की जा सकती है।, **"सर्वेक्षण विधि सामाजिक वैज्ञानिक अन्वेषण की वह शाखा है, जिसके अन्तर्गत व्यापक तथा कम आकार वाली जनसंख्याओं अथवा समष्टियों का अध्ययन उनमें से चयनित प्रतिदर्शों के आधार पर इस आशय से किया जाता है ताकि उनमें व्याप्त सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों के घटनाक्रमों, वितरणों तथा पारस्परिक अंतः संबंधों का ज्ञान उपलब्ध हो सके।"** सामाजिक विज्ञान विषय में सर्वेक्षण विधि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए विद्यालय द्वारा ज्यादा से ज्यादा सर्वेक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इनके द्वारा छात्र इतिहास, उसकी वर्तमान क्रियाओं, रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक-परंपराओं, लोक-कथाओं, लोक-गीतों आदि विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को सफल बनाने में अध्यापक के सक्रिय मार्गदर्शन की अत्यधिक आवश्यकता होती है।

अर्थ (Meaning) : शिक्षा में सर्वेक्षण का अर्थ प्रायः स्कूलों के विषयों में तथ्यों का संकलन करने से है, जैसे—स्कूल में प्राप्त होने वाली सुविधाएं, अध्यापकों का औसत वेतन, शिक्षक तथा विद्यार्थियों में अनुपात आदि के बारे में ज्ञान कराना। सर्वे शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों 'Sur' तथा 'Veeir' के मेल से हुई है, जिसका अर्थ है—'ऊपर से' और 'देखना'। इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु या घटना का ध्यानपूर्वक निरीक्षण-परीक्षण करना होता है। इस दृष्टि से सर्वेक्षण, निरीक्षण-परीक्षण की वह वैज्ञानिक पद्धति है जो किसी सामाजिक समूह अथवा सामाजिक जीवन के किसी पक्ष या घटना के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करती है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

डिक्सनरी ऑफ सोशियोलोनी के अनुसार, **"एक समुदाय के सम्पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पहलू जैसे–स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन के संबंध में तथ्यों के बहुत कुछ व्यवस्थित व विस्तृत संकलन व विश्लेषण को मौटे तौर पर सर्वेक्षण कहते हैं।"** इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए **वेबस्टर शब्दकोश** में लिखा है, "आलोचनात्मक निरीक्षण ही सर्वेक्षण कहलाता है।"

सर्वेक्षण विधि के गुण (Merits of Survey Method) : सर्वेक्षण विधि के मुख्य गुणों को निम्नलिखित तथ्यों से आसानी से समझा जा सकता है–

(i) इस विधि से वातावरण से संबंधित प्रकरणों में छात्रों की रुचि बढ़ती है।
(ii) समाज के परिचित तथा अपरिचित सदस्यों से बातचीत करने से बालकों का आत्मविश्वास बढ़ता है।
(iii) सामूहिक वार्तालाप से समस्या के समाधान व निष्कर्ष निकालने की समझ बालकों में उत्पन्न होती है।
(iv) इस विधि से ज्ञान रुचिपूर्ण ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।
(v) इस विधि से बालकों में स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता के गुण विकसित होते हैं, क्योंकि सूचनाएं एकत्रित करना, प्रश्नावली तैयार करना, साक्षात्कार लेना आदि जैसे कार्य उन्हें स्वयं करने पड़ते हैं।
(vi) इस विधि से छात्र वास्तविक जीवन से संबंधित पक्षों की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं।
(vii) इस विधि के द्वारा बालकों को समाज के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आने का अवसर प्राप्त होता है।
(viii) इस विधि से छात्रों का निरीक्षण करने की योग्यता और शक्ति का विकास होता है तथा छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है।
(ix) इस विधि में सर्वेक्षण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बालकों पर होता है, जिससे उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।
(x) इससे छात्रों में सहयोग, विनम्रता व शिष्टाचार जैसे गुणों का विकास होता है। समाजीकरण के ये गुण उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहयोग करते हैं।
(xi) इससे बालकों में रचनात्मक, अन्वेषणात्मक व वैज्ञानिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि सूचनाओं का संग्रह वे स्वयं करते हैं।

सर्वेक्षण विधि के दोष (Demerits of Survey Method) : इसमें कोई शक नहीं है कि यह विधि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बहुत उपयोगी है, परंतु फिर भी इसे पूर्णतया या दोषरहित नहीं कहा जा सकता है। इसके मुख्य दोषों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) इस विधि के प्रयोग में धन व समय अधिक लगता है।
(ii) इस विधि के उचित प्रयोग हेतु पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता होती है।
(iii) इस विधि के प्रयोग से पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना कठिन हो जाता है।
(iv) यह विधि परीक्षा प्रणाली की दृष्टि से पूरी तरह उपयुक्त नहीं है।
(v) उत्तरदायित्व, शिष्टाचार, विनम्रता, उद्यमशीलता, अन्वेषणात्मकता जैसे गुण माध्यमिक स्तर के बालकों में मिलना बहुत मुश्किल होता है।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण वास्तव में जीवन के किसी भी पक्ष, विषय या समस्या के संबंध में वैज्ञानिक तरीके से निर्भर तथ्यों के संकलन व विश्लेषण करने की एक प्रणाली है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इसे अन्य विधियों के साथ संबंधित करके उपयोग में लाया जा सकता है। बालकों में विभिन्नता तथा क्रियाशीलता लाने के लिए इसे आवश्यकतानुसार एक सहायक विधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

मैपिंग अवधारणा
(Concept Mapping)

❑ **मैपिंग अवधारणा पर एक नोट लिखिए।**
(Write a note on the concept Mapping.)

उत्तर : गुणवत्ता में सुधार से पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाना आवश्यक है ताकि 7 से 14 वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा इससे वंचित न रहे। इसके लिए नई शिक्षा नीति में जिन व्यूह रचनाओं का सुझाव दिया गया है, स्कूल मैपिंग (School Mapping) उनमें से एक है।

I. स्कूल मैपिंग का अर्थ (Meaning of School Mapping) : इस अवधारणा का अर्थ यह है कि :

(i) सर्वप्रथम उन क्षेत्रों व समूहों की पहचान करना जहां पर शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है।
(ii) उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां बच्चों को अपने घर से एक किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
(iii) स्कूलों के विषय में ऐसी योजना तैयार करना कि कोई भी बच्चा केवल इसलिए शिक्षा की सुविधा से वंचित न रहे कि उसके घर के पास विद्यालय नहीं है।
(iv) बच्चों की शिक्षा के लिए उपलब्ध सभी भौतिक व मानवीय साधनों का अधिकतम लाभ उठाना।

II. स्कूल मैपिंग का कार्य क्षेत्र (Work field of School Mapping) : अब प्रश्न यह उठता है कि स्कूल मैपिंग का कार्यक्षेत्र कहां तक है? संक्षेप में, इसके कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :

(i) नई शिक्षा संस्थाएं खोलना।
(ii) शिक्षा संस्थाओं का स्थानांतरण करना, उन्हें बंद करना या उन्हें एक दूसरे में मिला देना। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी क्षेत्र में शिक्षा संस्थाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक है और किसी क्षेत्र में बहुत कम, तो जहां इनकी संख्या अधिक है वहां से इन्हें उन क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाए जहां इनकी आवश्यकता है। इसी प्रकार यदि कहीं प्राथमिक विद्यालय तो कई हैं लेकिन पढ़ने वालों की संख्या अधिक नहीं है तो ऐसी संस्थाओं को एक दूसरे में मिला दिया जाये, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले अपव्यय को रोका जा सके।
(iii) शिक्षा संस्थाओं का विस्तार करना, जैसे किसी प्राथमिक विद्यालय को उच्च विद्यालय में बदलना।
(iv) विद्यालय के लिए नए भवन, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना।
(v) शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि वहां शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाया जा सके।

III. स्कूल मैपिंग की आवश्यकता व महत्व (Need and Importance of School Mapping) : स्कूल मैपिंग की आवश्यकता एवं महत्त्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

1. भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद से हमारी शिक्षा संस्थाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, परंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण ये संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए सही स्कूल मैपिंग के अभाव में विद्यालय जैसी सुविधाएं सब तक नहीं पहुंच पाई हैं।
2. विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सार्वभौमिक एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सब तक शिक्षा सुविधाओं को पहुंचाना आवश्यक हो गया है। इसलिए लिए स्कूल मैपिंग बहुत आवश्यक है।
3. भारत के विभिन्न भागों में भौगोलिक परिस्थितियां भी भिन्न-भिन्न हैं। दूर-दराज के अनेक आदिवासी क्षेत्रों तक आज भी शिक्षा की स्कूल सुविधा नहीं पहुंच पाई है, अतः आवश्यक है कि स्कूल मैपिंग के माध्यम से ऐसी व्यवस्था विकसित हो जाए कि सब तक स्कूल सुविधा पहुंच सके।
4. देश में लड़कियों व लड़कों की साक्षरता दर में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। लड़कियों के प्रति पक्षपातपूर्ण धारणा, सामाजिक समस्याएं, घरेलू कार्य में उनका सहयोग आदि इसका प्रमुख कारण माना जा सकता है। इसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल मैपिंग बहुत जरूरी है।
5. देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए आवश्यक है कि सभी बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों व दूर-दराज के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में स्कूल मैपिंग के माध्यम से विद्यालयी सुविधाएं प्रदान की जाएं।

6. शत-प्रतिशत नामांकन व बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने में स्कूल मैपिंग अवधारणा हमारे लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

IV. स्कूल मैपिंग के उद्देश्य (Aims of School Mapping) : स्कूल मैपिंग की अवधारणा का विकास निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हुआ है :

1. **शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना (To Achieve the Goal of Equalizing Educational Opportunities) :** आज शिक्षा के क्षेत्र में समानता व निष्पक्षता की मांग बढ़ती जा रही है। यह कहा जा रहा है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यही नहीं वर्षों से शिक्षा सुविधाओं से वंचित रहे लोगों को इस सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है। स्कूल मैपिंग का उद्देश्य सब स्थानों पर सबके लिए विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि कोई विद्यालय के अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।
2. **सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना (To Achieve the Goal of Education for All) :** आज राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबके लिए शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुए, जिसमें सबके लिए शिक्षा पर बल दिया गया। स्कूल मैपिंग का उद्देश्य विद्यालय की सुविधाओं का विस्तार करना है, जिससे प्रत्येक बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके और हम सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
3. **उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक लाभ उठाना (To Utilize Available Resources) :** हम जानते हैं कि हमारे संसाधन सीमित हैं और उन्हीं उपलब्ध सीमित भौतिक व मानवीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही हमें निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है। स्कूल मैपिंग का उद्देश्य ऐसे प्रयास करना है जिससे हमारा कोई भी साधन बेकार न जाए। यदि कहीं विद्यालय भवन है, पर विद्यार्थियों की संख्या कम है या अध्यापकों की संख्या कम है तो स्कूल मैपिंग के अन्तर्गत ऐसी स्थिति में पास-पास स्थित विद्यालयों को मिला दिया जाना चाहिए। एक विद्यालय के अध्यापकों को भी दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, जिससे सभी उपलब्ध साधनों का समुचित लाभ उठाया जा सके।
4. **शिक्षा संस्थाओं की कार्यप्रणाली को अच्छा बनाना (To make better the Functioning of Educational Institutions) :** स्कूल मैपिंग का एक उद्देश्य शिक्षा संस्थाओं की कार्यप्रणाली को अधिक अच्छा व युक्तिसंगत बनाना भी है। इसके अन्तर्गत क्योंकि हम योजनाबद्ध तरीके से विद्यालय भवन, अध्यापकों व अन्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं, अतः इससे विद्यालयों की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार होता है।
5. **शैक्षिक योजना में स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करना (To Seek the Co-operation of Local Community for Educational Planning) :** स्कूल मैपिंग का एक उद्देश्य यह भी है कि शिक्षा से संबंधित योजना के निर्माण में स्थानीय समुदाय का हरसम्भव सहयोग प्राप्त किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कहीं पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की योजना है या किसी प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में बदले जाने की योजना है तो इस विषय में उस स्थानीय समुदाय के लोगों से विचार-विमर्श किया जाएगा कि विद्यालय भवन की व्यवस्था कैसे की जाए, विद्यालय के लिए अन्य संसाधन कैसे जुटाये जायें। इस प्रकार समुदाय के सहयोग से शिक्षा की योजना तैयार करने में इससे मदद मिलती है।

निष्कर्ष (Conclusion) : इस प्रकार स्कूल मैपिंग एक महत्त्वपूर्ण योजना है। 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद में प्रस्तुत करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने तीन बातों पर बल दिया था—21वीं सदी से पूर्व 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की सार्वभौम सुलभता व नामांकन, बालकों को विद्यालय में बनाए रखना और आवश्यक गुणवत्ता से युक्त शिक्षा प्रदान करना। स्कूल मैपिंग इन उद्देश्यों की प्राप्ति में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

क्षेत्र भ्रमण
(Field Visit)

❑ **क्षेत्र भ्रमण से आपका क्या अभिप्राय है? अध्यापक को इसका प्रयोग करते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए?**
(What do you mean by Field Visit? What precautions a teacher should take while utilizing it?)

उत्तर : कक्षीय स्थिति में वास्तविक ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। कक्षा में पढ़ाने के अतिरिक्त विद्यार्थियों को भ्रमण अथवा पिकनिक पर ले जाना भी आवश्यक है। प्राचीन समय में ये क्रियाएँ पर्याप्त रूप से लोकप्रिय हुआ करती थीं। परन्तु आजकल इनकी लोकप्रियता कुछ कम हो गई है। इसका कारण एक तो यह है कि व्यक्ति अत्यधिक व्यस्त है और दूसरा शिक्षा परीक्षा-केन्द्रित हो गयी है।

महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक, भूगोलिक स्थलों की यात्रा करने से निःसंदेह ज्ञान में वृद्धि होती है। इनसे विद्यार्थियों का दृष्टिकोण विस्तृत होता है। वास्तविक जीवन स्थितियों के लिए भ्रमण अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है। छात्र इन क्रियाओं में रुचि भी लेते हैं और अवकाश के समय भी इनका आनन्द लेते हैं।

डब्ल्यू.ए एच. ग्रेगरी के कथनानुसार, "शिक्षा को आधुनिक जीवन के आधारभूत अनुभवों से दूर हटा दिया गया है। बहुत से स्कूलों में नवीन खोजों और स्वानुभवों (*Self experiences*) के लिए पर्याप्त अवसरों की कमी है। उन्हें वस्तुओं, स्थितियों सम्बन्धी आदि के सम्बन्ध में शब्दों की कम और क्रियाओं की अधिक आवश्यकता है। उपयोगी शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को जीवन की कच्ची सामग्री (*Raw material*) का अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है। उद्यान, दुकान, पशुओं का संग्रह, किसी खेत, कारखाने, स्टोर, पार्क तथा संग्रहालय आदि की यात्रा आदि को आधुनिक स्कूल में महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए।"

भ्रमण की योजना (Planning for Field Visits) : सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में भ्रमण की योजना बनाते समय सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान अवश्य देना चाहिए—

1. मार्ग का निर्धारण करना कि किस मार्ग से निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचना है। इसके अतिरिक्त किस साधन से वहां पहुंचना है। इन समस्त बातों के विषय में निर्णय करें।
2. भ्रमण स्थान पर रात्रि को रुकना पड़े तो रात को दिन-भर देखी तथा अनुभूत की गई वस्तुओं के विषय में चर्चा करवा देनी चाहिए, जिससे उनकी सभी भ्रांतियां दूर हो सकें तथा उनकी शंकाओं का भी समाधान करना चाहिए।
3. छात्रों को अपने साथ किन-किन वस्तुओं को ले जाना है, इसके विषय में निर्णय लेना आवश्यक है। उदाहरणार्थ—नोट-बुक, पेन, पेन्सिल, कैमरा, बिस्तर, नाश्ता तथा खाना बनाने का सामान।
4. छात्रों को विभिन्न बातों को नोट करने का आदेश देना चाहिए, जिससे वे बाद में इनका उपयोग कर सकें, क्योंकि प्रत्येक तथ्य तथा विषय को याद रखना संभव नहीं।
5. भ्रमण की अवधि का निर्धारण कर लेना चाहिए तथा बालकों को भ्रमण के लिए एक दिन या एक सप्ताह आदि के लिए ले जाना चाहिए।
6. जब छात्र किसी विशेष स्थान या संस्था का निरीक्षण करें तब उनका उपयुक्त ढंग से पथ प्रदर्शन किया जाना चाहिए।
7. शिक्षक को भ्रमण कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व स्थानीय वातावरण का पर्यवेक्षण कर लेना चाहिए। यदि किसी सुदूर स्थान पर ले जाना है तो उसके विषय में पूर्ण जानकारी भी आवश्यक है।
8. भ्रमण के मुख्य उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए, जैसे—अध्यापक भ्रमण द्वारा किन-किन वस्तुओं

एवं संस्था के विषय में पढ़ाना चाहते हैं। उद्देश्यों के निर्धारण में बालकों का सहयोग प्राप्त किया जाए।

9. भ्रमण से वापस आ जाने पर उनके अनुभवों को क्रमबद्ध एवं सामाजिक विज्ञान के पाठ से संबंधित किया जाए। शिक्षक इन कार्यों को विभिन्न ढंगों, स्पष्टीकरण, वर्णन, मित्रों को पत्र लिखवाकर एवं प्रतिवेदन तैयार कराकर पूर्ण कर सकता है।

भ्रमण की आवश्यकता (Need of the Field Visits) : सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में निम्न कारणों से भ्रमण की बहुत आवश्यकता होती है—

1. पाठशाला में कार्यों में आनंद की वृद्धि होती है। बहुत-सी शालाएँ क्षेत्रीय भ्रमण को अपने समय-विभाग को नियमित भाग मानती हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव द्वारा यह सीखा है कि शाला-कार्य के बहुत से मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटनों द्वारा ही आसान रूप से प्राप्त हो सकते हैं।
2. बालकों की जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास होता है, जब बालक किसी वस्तु के समीप जाकर उसके कार्यों को प्रत्यक्ष देखते हैं तो विभिन्न कार्यों को देखकर उन कारणों को जानने को उत्सुक रहते हैं।
3. वास्तविकता के सम्पर्क में आने के लिए तथा स्थिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के भ्रमण सहायक सिद्ध होते हैं।
4. समाज और पाठशालाओं में निकट संबंध स्थापित होते हैं। जो अध्यापक क्षेत्रीय भ्रमण को ले जाते हैं वे विश्वास करते हैं कि शाला का कार्य समाज के कार्यों से संबंधित होना चाहिए।
5. समाज के सदस्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, जिससे बालकों को देखने का मौका मिलता है। इससे बालकों में भ्रातृत्व की भावना का विकास होता है। इसी के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृ-भाव की नींव पड़ सकती है।
6. बालकों का शर्मीलापन समाप्त हो जाता है, प्रत्येक बालक को आगे बढ़ना होता है तथा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। अध्यापक भी प्रत्येक बालक को समझने में सफल हो जाता है।
7. बालकों में अनुशासन की भावना का भी विकास होता है।

भ्रमण की उपयोगिता (Utility of the Field Visits) : सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भ्रमण की उपयोगिता को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

1. छात्र इसके माध्यम से स्थापत्य कला, चित्रकला आदि की सौंदर्यानुभूति करना सीख जाता है।
2. यह छात्र के ज्ञान को आधुनिक एवं पूर्ण बनाता है।
3. यह मौखिक पाठों की पूर्ति करके उनको रोचक एवं वास्तविक बनाता है।
4. यह मानवीय संबंधों एवं लगावों का निरीक्षण द्वारा वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है।
5. कई संप्रत्ययों को स्पष्ट करने में भ्रमण सहायक है, जैसे भाखड़ा-बांध का भ्रमण, उसकी सभी गतिविधियों को देखने से ही स्पष्ट होता है।
6. भ्रमणों द्वारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिये उचित एवं अनुकूल वातावरण तैयार होता है। भ्रमण सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला है।
7. शैक्षिक भ्रमण विद्यालय और समुदाय में निकट संबंध स्थापित करने में सहायक है।
8. भ्रमणों द्वारा परिवेश का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है।
9. भ्रमण परिवेश शिक्षा में रुचि उत्पन्न करता है।
10. भ्रमण के द्वारा पाठ्यक्रम के अनुभवों को समृद्ध बनाया जाता है। इसके द्वारा छात्रों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि की जाती है।
11. इससे छात्रों की मानसिक शक्ति का भी विकास करता है।
12. यह छात्रों में सामाजिक समस्याओं के लिए वास्तविकता की भावना विकसित करता है, जिससे वे उनको अपनी समस्या मानकर उनके समाधान के लिए तत्पर हो सकें।

क्षेत्रीय भ्रमण से वापस आने के बाद के कार्य (Reporting of the Field Visits) : भ्रमण से वापस आने के बाद छात्रों को अध्यापक के सहयोग से निम्न कार्य करने चाहिए—

(i) बालकों ने भ्रमण के दौरान जो कुछ भी देखा व सीखा, उसके बारे में वाद-विवाद होना चाहिए।

(ii) जो बालकों को स्पष्ट नहीं हो सकता है उसे विचार-विमर्श में प्रश्नों द्वारा हल करने की सुविधा बालकों को दी जानी चाहिए।

(iii) क्षेत्रीय भ्रमण से वापस आने के बाद बालकों को एक सूक्ष्म सूचना की तैयारी करनी चाहिए। यह सूचना सामूहिक, व्यक्तिगत, लिखित या मौखिक रूप में हो सकती है।

(iv) बालकों से प्राप्त सूचना तथा ज्ञान के अन्य कक्षाओं के बालकों को भी भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

(v) क्षेत्रीय भ्रमण से वापस आने पर उनकी निरीक्षण-शक्ति के मूल्यांकन की भी जांच करनी चाहिए। यह जांच निबन्धात्मक परीक्षा-प्रणाली से या उद्देश्यात्मक परीक्षा-प्रणाली से की जा सकती है।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण विधि का बहुत महत्त्व है। **श्री.एस.के. कोछड़** ने भ्रमण के लाभों का वर्णन करते हुए कहा कि, **"क्षेत्र भ्रमण कल्पना और प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। क्षेत्र भ्रमण कक्षा-कक्ष अनुदेशन को एकीकृत करते हैं। क्षेत्र भ्रमण वास्तविक अनुभव कराते हैं जो पुस्तकीय ज्ञान से संभव नहीं हैं भ्रमण दूसरों के साथ जीने की कला का ज्ञान देते हैं। भ्रमण में संवेगात्मक और बौद्धिक गतिविधियों का विस्तार होता है।"**

कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन
(Computer Assisted Instruction)

❑ **कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी विशेषताओं, गुणों तथा अवगुणों का वर्णन कीजिए।**

(What do you mean by Computer Assisted Instruction? Describe its characteristics, merits and demerits.)

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

उत्तर : शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटरों का प्रयोग नवीनतम शैक्षिक तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। यह उपकरण अनुदेशन प्रक्रिया को अधिक से अधिक वैयक्तिक स्वःचालित बनाता है। सभी प्रकार के छोटे-बड़े कम्प्यूटर अपने आप में एक मशीन हैं। मशीन की तरह यह कम से कम शक्ति लगाकर अकल्पनीय सामर्थ्य वाले कार्य कर सकते हैं। कम्प्यूटर मनुष्य के लिए हर क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। आज इसका प्रयोग व्यापार, उद्योग, अनेक प्रकार के कार्यालयों, यातायात, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासन आदि क्षेत्रों में हो रहा है। बुनियादी तौर पर कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन में चार बातें जुड़ी हुई हैं—हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सम्प्रेषण सम्पर्क और पाठ्यक्रम। कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा अनुदेशन जो कम्प्यूटर मशीनरी पर आधारित हो। शिक्षा के क्षेत्र में अब इसका महत्त्व तथा आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि पाठ्य-पुस्तकों की अवधारणा सीमित होने लगी है। इनके महत्त्व को स्पष्ट करते हुए **हिलगार्ड और बाउर ने लिखा है, "कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन का क्षेत्र अब इतना विस्तृत हो गया है कि अब इसे मात्र शिक्षण नहीं समझा जा सकता है। इसकी आवश्यकता तथा महत्त्व इससे कहीं ज्यादा है।"** कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन में उसी तरह की अन्तः क्रिया चलती है, जैसे—शिक्षक और छात्र के बीच चलती है। इसमें शिक्षक वाला स्थान कम्प्यूटर ले लेता है तथा बालक अपनी इच्छानुसार इसका संचालन करता है। कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन के व्यापक अर्थ के विषय में **भट्ट व शर्मा ने लिखा है, "इसे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में छात्रों, कम्प्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतीकरण तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के बीच चलने वाली अन्तःक्रिया के रूप में समझा जा सकता है।"**

कम्प्यूटर की सहायता द्वारा अनुदेशन का सूचना प्रवाह छात्र के पूर्व-व्यवहारों के अनुकूल कम्प्यूटर विशिष्ट अनुदेशन को अध्ययन के लिए प्रस्तुत करता है। यह एक समय में कई छात्रों को कई प्रकार के अनुदेशनों का अध्ययन करवाने का सामर्थ्य रखता है। कम्प्यूटर द्वारा परीक्षण प्रविधियों का प्रयोग करके छात्रों के कौशल का भी विकास किया जाता है। शिक्षार्थी के अदा-प्रदत्तों अथवा पूर्व-व्यवहारों का नियंत्रण इकाई

को दे दिया जाता है। इसके लिए अंकित कार्ड का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण इकाई अभिक्रमित अनुदेशन के भण्डार में से बालक या छात्र के अनुकूल अनुदेशन का चयन करती है। इससे छात्र अनुदेशन का अध्ययन करके नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सरल व स्पष्ट भाषा में हम कह सकते हैं कि ,**"कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन से तात्पर्य ऐसी अनुदेशन तकनीक से है, जिसके तहत बालक तथा वांछित अनुदेशनात्मक सामग्री से युक्त कम्प्यूटर संयंत्र के मध्य एक ऐसी अन्तःक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण बालक या छात्र विशेष को अपनी क्षमताओं तथा अधिगम गति का पीछा करते हुए वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में उचित मदद प्राप्त होती रहती है।**

I. कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन की विशेषताएं (Characteristics of Computer Assisted Instruction) : इस तरह का अनुदेशन एक साथ लाखों बालकों को एक ही समय में वैयक्तिक एवं स्व-अनुदेशन करवाने का सामर्थ्य रखता है। कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन की मुख्य विशेषताओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) कम्प्यूटर सहायक अनुदेशन ऐसी तकनीक है, जिसमें विद्यार्थी और कम्प्यूटर की दो तरफ अन्तःक्रिया निहित है। शिक्षार्थी की यादगार को बनाए रखने में मदद देती है।

(ii) इस शिक्षण विधि के तहत अनुक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है।

(iii) अनुदेशन की यह तकनीक है, जिसमें विद्यार्थी की अनुक्रियाएं कम्प्यूटर की क्रिया से जुड़ी होती हैं। इसलिए यह व्यक्तिगत अनुदेशन पर आधारित है।

(iv) इस विधि में कम्प्यूटर द्वारा कार्यक्रमों को बदला जा सकता है, क्योंकि कम्प्यूटर विद्यार्थी की कमाण्ड के अनुसार कार्य करता है। इसलिए इसमें समय-समय पर बदलाव आता रहता है।

(v) यह एक अनुदेशनात्मक तकनीक है, जिसमें कम्प्यूटर विद्यार्थी को अनुदेशन देता है, क्योंकि कम्प्यूटर में कार्यक्रम पहले से इकट्ठा रहते हैं जो विद्यार्थी के चाहने पर प्रस्तुत करता है।

(vi) कम्प्यूटर इस अनुदेशन विधि में विद्यार्थी के निर्देशन के अनुसार मूल्यांकन करता है।

(vii) यह ऐसी तकनीक है, जो विद्यार्थी की क्रिया-प्रतिक्रिया को ग्रहण करके उनका मूल्यांकन करती है।

(viii) यह विद्यार्थी के उद्दीपन को नियंत्रित करने में सहायक है।

(ix) इस विधि में कम्प्यूटर के साथ इलेक्ट्रॉनिक टाईपराइटर या कोई अन्य सम्प्रेषण उपकरण लगाया जा सकता है।

(x) इस अनुदेशन विधि में अशुद्धि दर में भी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि कम्प्यूटर द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है।

(xi) इसमें कठिन विषय-वस्तु के निगमन और आगमन अधिगम का प्रयोग किसी भी स्तर पर किया जा सकता है।

(xii) इस अनुदेशन विधि में विषय-वस्तु के चयन के लिए लिखित अनुक्रिया की आवश्यकता होती है।

II. कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन के लाभ (Advantages of Computer Assisted Instruction) : आज शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन का महत्त्व बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सूचना क्रांति ने तो स्कूली शिक्षा में इसके प्रयोग की अनिवार्यता कायम कर दी है। इस अनुदेशन विधि के मुख्य लाभों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) इस विधि द्वारा किए गए शोध कार्य व शोध परिकल्पनाएं बहुत ही सटीक और प्रमाणित सिद्ध हुई हैं।

(ii) कम्प्यूटर द्वारा किए गए शोध-तथ्यों का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है।

(iii) इस विधि के प्रयोग से कम लागत व कम समय में तीव्र व बिल्कुल उचित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

(iv) इसके द्वारा कठिन से कठिन कार्यों का विश्लेषण व शोध-सम्पादन करने में आसानी होती है।

(v) शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर उपयोग बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके द्वारा सभी विषयों व भाषा के शिक्षण कार्य को सरल बनाया जा सकता है।

(vi) विद्यालयों में तथा घरों पर कम्प्यूटर अध्यापक का प्रभावशाली विकल्प सिद्ध हो सकता है।

(vii) इस विधि से अभ्यास प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावशाली व सरल बनाया जा सकता है। इससे विद्यार्थी व अध्यापक आसानी से प्रश्नों का हल खोज सकते हैं।

(viii) इस विधि द्वारा विषय-वस्तु का वास्तविक शिक्षण किया जाता है।

(ix) इस प्रणाली द्वारा विषय के पूरे विश्लेषण को देखकर नए शोध का आंकलन किया जा सकता है।

(x) विज्ञान विषयों में विद्यार्थियों की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए कम्प्यूटर द्वारा वास्तविक जीवन की अनुकरणीय स्थितियों का अनुरूपण किया जाता है।

(xi) यह परीक्षा प्रणाली में बहुत उपयोगी है। इस विधि से परीक्षा परिणामों को तैयार करने में बहुत कम समय लगता है। इसके द्वारा तैयार किए गए परीक्षा परिणाम सही तथा वस्तु-निष्ठ ढंग के होते हैं।

(xii) आज हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली इसी अनुदेशन विधि पर आधारित है। सभी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय अपने कार्यों को कम्प्यूटर प्रणाली के तहत ही क्रियान्वित करते हैं।

(xiii) इस अनुदेशन का प्रयोग, प्रयोगशाला उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है।

(xiv) बुद्धिमान तथा प्रतिभाशाली बालकों को अपनी योग्यता प्रकट करने में यह अनुदेशन काफी सहायता प्रदान करता है।

(xv) कम्प्यूटर सूचनाओं और रोजगार की आवश्यकताओं और क्षमताओं का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत करता है।

(xvi) इस अनुदेशन द्वारा हम एक साथ कई विद्यार्थियों का अनुदेशन कर सकते हैं, जैसे–पूरी कक्षा के सामने कम्प्यूटर द्वारा विषय व उनके अव्ययों का अध्ययन किया जा सकता है।

(xvii) कम्प्यूटर विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के आधार पर आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में भी सहायता करता है। इसके द्वारा एक ही विषय-वस्तु का विभिन्न रूपों में शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा एक विषय पर उसकी अधिक जानकारी सरलता से मिल जाती है।

III. कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन की सीमाएं (Limitations of Computer Assisted Instruction) : इसमें कोई शक नहीं है कि कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को स्पष्ट तथा वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करती है और आधुनिक युग में इसकी आवश्यकता, उपयोगिता तथा महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, परंतु फिर भी इस विधि की कुछ अपनी मौलिक सीमाएं हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) अनुदेशन की यह विधि बहुत महंगी है। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में इसको पूरी तरह से लागू करना आसान नहीं है।

(ii) यह अनुदेशन पूरी तरह से कम्प्यूटर पर आधारित है। कम्प्यूटर में खराबी आने पर इसकी मरम्मत में काफी कठिनाई व पैसा लगता है।

(iii) इस अनुदेशन में मानवीय गुण का अभाव है। इसलिए यह तकनीक मनुष्य को मशीन बना देती है।

(iv) इस अनुदेशन में बालक की मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं होता है। इसके द्वारा समस्या के समाधान के होने का ही आभास होता है।

(v) इसका स्वरूप स्वयं-अनुदेशनात्मक होने के कारण यह अनुशासनहीनता, स्कूल से भागना एवं समय के अपव्यय जैसी समस्याओं को भी पैदा कर सकता है।

(vi) व्यक्तिगत अनुदेशन स्वरूप होने के कारण यह केवल उन आंकड़ों को दर्शाता है जो उसके द्वारा पुष्टि किए गए हैं।

(vii) इसमें अनुदेशन करने वाले को इसके तकनीकी ज्ञान का पता नहीं होता। इसलिए खराब होने की स्थिति में किसी हार्डवेयर इंजीनियर को बुलाना पड़ता है।

(viii) इसके रख-रखाव में भी काफी सावधानी की आवश्यकता होती है। थोड़ी-सी लापरवाही सारी व्यवस्था को बाधित कर सकती है।

(ix) इस अनुदेशन विधि का प्रयोग केवल ज्ञानात्मक और मनो-क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसमें भावात्मक उद्देश्यों की पूरी तरह से अवहेलना होती है।

(x) कम्प्यूटर द्वारा सभी विषयों को पढ़ाना और विषय के प्रकरण को स्पष्ट करने में असमर्थता होती है।

(ix) इसमें व्यक्तिगत अधिगम-प्रक्रिया के लिए वास्तविक रूप में उपयोगी अधिगम प्रणाली की व्यवस्था करना बहुत कठिन होता है।

(xii) इसका सबसे बड़ा दोष है कि अध्यापक अपने व्यवहार तथा विद्यार्थियों के साथ अन्तः क्रिया से कक्षा में जिस स्नेहात्मक एवं भावात्मक वातावरण का निर्माण करता है, उसका इस प्रणाली में अभाव है।

(xiii) विद्यार्थियों की भावनाओं को समझना और उसकी प्रशंसा करने में कम्प्यूटर सक्षम नहीं होता।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि इस विधि में जो मौलिक सीमाएं हैं, उनको भी समाप्त किया जाता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि आने वाला युग पूरी तरह से कम्प्यूटर प्रणाली पर आधारित युग होगा। इसलिए हमारे पास यह विकल्प भी नहीं होगा कि हम इस विधि को नकार सकें। समय के साथ उपरोक्त बताई गई सीमाएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में अनुदेशन की यह अवधारणा नई है, इसलिए इसको स्वीकार करने में हिचकता व संदेह की स्थिति है, परंतु यह निश्चित है कि आने वाला युग शिक्षा की दृष्टि से कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन का ही होगा।

ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग
(E-learning or Tutoring)

❑ **ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग की अवधारणा स्पष्ट करें। इसकी विशेषताओं, उपयोगिता और सीमाओं का वर्णन कीजिए।**

(Explain the concept of E-learning or tutoring. Describe its characteristics, Utility and Limitations.)

उत्तर : आज का युग संचार क्रांति का युग है, जिसमें रोजाना नए-नए आविष्कार हो रहे हैं। जिस कम्प्यूटर को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते थे, उस पर छोटे बालक अपना मनोरंजन कर रहे हैं। मानव जीवन के सभी पक्ष किसी न किसी रूप में सूचना क्रांति से प्रभावित हैं। कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन का अध्ययन हम पीछे कर चुके हैं तथा उसकी आवश्यकता तथा उपयोगिता को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर आधारित शिक्षण का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन की तरह शिक्षा के क्षेत्र में एक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अपनी पकड़ मजबूत बनाता नजर आ रहा है। इसे हम ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग के नाम से जानते हैं।

ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग से अभिप्राय है—**इलैक्ट्रोनिक लर्निंग**। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी में अंतः क्रिया करने के लिए 'ऑन-लाइन' (On-line) तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस ई-संसाधन में आमने-सामने व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया नहीं होती है। इसका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जा सकता है, जैसे—कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) के लिए, व्यापार क्षेत्र में भी मूल्य प्रभाव (Cost-effected) का ऑन लाइन प्रशिक्षण के रूप में, शैक्षिक वेबसाइट के लिए कम्प्यूटर शिक्षा के लिए इत्यादि।

ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। इसमें इंटरनेट (Internet) का प्रयोग होता है तथा LAN और WAN नेटवर्क प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ लोग ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग के लिए 'ऑन-लाइन अधिगम (On-line Learning) शब्द का प्रयोग करते हैं। **रोजनबर्ग** के अनुसार

"ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग से अभिप्राय है—इंटरनेट तकनीक के ऐसे उपयोग जिनके द्वारा ज्ञान और कार्य क्षमता में वृद्धि के विभिन्न रास्ते खुल जाएं।"

I. ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग की विशेषताएं (Characteristics of E-learning or Tutoring) : आज के शिक्षा के क्षेत्र में ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग शिक्षण की एक नवीनतम अवधारणा है। आने वाले समय में इसका महत्त्व इतना बढ़ जाएगा कि इसको नकारना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए इसकी विशेषताओं को जानना अति आवश्यक है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) इस अधिगम तकनीक की सहायता से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है।

(ii) इस तकनीक की शिक्षण विधियाँ व्यापक ज्ञान से भरपूर होती हैं, जिसका लाभ अधिगमकर्ता को मिलता है।

(iii) ई-लर्निंग के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया का तत्काल मूल्यांकन संभव होता है।

(iv) ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग की अवधारणा में कम्प्यूटर और वैब तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है। यह किसी तकनीक की उप-प्रणाली नहीं है।

(v) इस शिक्षण तकनीक द्वारा हम अपनी सुविधानुसार सीख सकते हैं।

(vi) इस तकनीकी विधि में वीडियो कान्फ्रैंसिंग, टेलीकान्फ्रैंसिंग आदि का प्रयोग किया जा सकता है।

(vii) इस प्रणाली द्वारा अधिगम के उद्देश्यों को स्थापित करने के साथ-साथ उन उद्देश्यों की प्राप्ति में अर्जित प्रगति को मापा जा सकता है।

(viii) ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग द्वारा ज्ञान का प्रबंधन सम्भव होता है।

II. ई-लर्निंग व ट्यूटरिंग के विभिन्न उपागम (Various Approaches to E-learning or Tutoring) : जिन-जिन क्षेत्रों में कंप्यूटर ने प्रवेश कर लिया है, वहां-वहां हर कार्य के नये उपागमों ने जन्म लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर के प्रवेश ने विभिन्न उपागमों से परिचित कर दिया है। ई-लर्निंग के मुख्य उपागमों का वर्णन निम्नलिखित है—

1. **कंप्यूटर आधारित अधिगम (Computer Based Learning or CBL) :** आज के शैक्षिक वातावरण में कंप्यूटर एक अनिवार्य सेवा मानी जा रही है। इस प्रणाली से अर्थ यह है कि वह शैक्षिक वातावरण जिसमें कंप्यूटरों का प्रयोग विभिन्न शिक्षण कार्यों के लिए किया जाता है, परंतु इस प्रणाली में कंप्यूटर अनुभव, जैसे—खेल, इंटरनेट आदि का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत छात्र अपने-अपने विषयों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्रामों में साफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि का प्रयोग किया जाता है।

2. **कंप्यूटर समर्पित अधिगम (Computer Assisted Learning or CAL) :** इसमें विभिन्न शैक्षिक कंप्यूटर उपयोग (Educational Computer Applications) शामिल हैं, जैसे—ड्रिल (Drill) और अभ्यास, ट्यूटरिंग, सिमूलेटिंग (Simulating) तथा समस्या समाधान आदि। CAL का प्रचलन 1959 से हुआ। शोधों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पारंपरिक अनुदेशन की तुलना में CAL अधिक प्रभावशाली है। CAL में कंप्यूटर विद्यार्थी के साथ सीधे अंतर्क्रिया करता है। यह विद्यार्थी को सीधे अनुदेशन प्रदान करता है। CAL से निम्न प्रकार के पाठों को प्रदान किया जा सकता है—

(i) ड्रिल और अभ्यास (Drill and Practice) : CAL में यह सबसे सरल प्रकार्य है जिसे सीखा जाता है। इसमें अधिगमकर्ता को समस्याएं और प्रश्न प्रस्तुत किये जाते हैं तथा उनकी अनुक्रिया प्राप्त की जाती है। अधिगमकर्ता की प्रतिक्रियाएं तत्काल सही (Correct) की जाती है।

(ii) ट्यूटोरियल प्रकार (Tutorial Mode) : इसमें सूचना को छोटी-छोटी इकाइयों में प्रस्तुत

CIMETRIX ... ED INDIA

किया जाता है। विद्यार्थी के उत्तर का कंप्यूटर विश्लेषण करता है तथा आवश्यक प्रतिपुष्टि (Feedback) प्रदान की जाती है। यदि कंप्यूटर में अधिक से अधिक कार्यक्रम होंगे तो वे व्यक्तिगत भिन्नताओं की दृष्टि से उतने ही अधिक उपयोगी होंगे।

(iii) अनुकरणीय प्रकार (Simulation Mode) : इसमें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के लघु रूप का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार इसमें वास्तविक अभ्यास का बिना खतरे के अभ्यास का अवसर मिलता है। अधिगमकर्ता के सामने विभिन्न आंकड़े किसी वास्तविक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इन्हें देखकर विभिन्न निर्णय लेने के लिए कहा जाता है।

(iv) खोज प्रक्रिया (Discover Mode) : इसमें आगमनात्मक उपागम (Inductive Approach) का उपयोग किया जाता है। परंतु समस्या को विद्यार्थी मूल और प्रयास (Trial and Error) विधि द्वारा हल करने का प्रयास करता है।

(v) खेल प्रकार (Gaming Mode) : यह प्रकार अनुदेशनात्मक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह अधिकतर मनोरंजनात्मक उद्देश्य के लिए होता है। कई बार खेलों के द्वारा शिक्षण किया जाता है।

(vi) समस्या समाधान प्रकार (Problem Solving Mode) : इस उपागम में अधिगमकर्ता समस्या-समाधान के लिए उत्पन्न कार्यक्रम स्वयं बनाता है तथा शैक्षिक मूल्य को अधिगमकर्ता अर्जित करता है। समस्या का हल ही अंतिम पृष्ठपोषण (Feedback) होता है।

इस प्रकार CAL में सूचना एवं संचार तकनीकी (Information of Communication Technology or ICT) के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

3. अधिगम प्रबंधन प्रणाली (Learning Management System) : इस अधिगम प्रणाली में विभिन्न प्रकार के सोफ्टवेयरों (Softwares) का निर्माण किया जाता है, जिनका प्रयोग शिक्षा के विस्तार एवं प्रबंधन में किया जाता है। किसी नये विषय या कोर्स के निर्माण के दौरान सभी आवश्यक तत्त्वों के प्रबंधन, उनके संचालन, मूल्यांकन तथा संबंधित आंकड़ों को सुरक्षित रखने को महत्त्व प्रदान किया जाता है। इस कार्य के लिए विभिन्न भंडारण यंत्रों (Storage Devices) का प्रयोग किया जाता है। जैसे—सी.डी., फलोपी, पैन ड्राइव, डी.वी.डी. आदि। इनका प्रयोग विद्यार्थी अपने कंप्यूटरों पर करके सीखते हैं।

अधिगम प्रबंधन विद्यार्थियों को संसाधन (Sources) प्रदान करने से तथा मूल्यांकन करने से संबंधित है। अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार का पृष्ठपोषण अलग-अलग विद्यार्थियों के लिए (Isolated Students) उपयोगी है।

4. कंप्यूटर समर्पित मूल्यांकन (Computer Aided Assessment or CAA) : कंप्यूटर समर्थित मूल्यांकन को ई-मूल्यांकन (E-Evaluation) का नाम भी दिया जाता है। जब कंप्यूटर पर अनुदेशन और अधिगम प्रचलित हो चुके हैं तब उन परिस्थितियों में कंप्यूटर समर्थित मूल्यांकन या ई-मूल्यांकन (E-Evaluation) का होना भी आवश्यक हो जाता है। इस ई-मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों के विषय एवं स्तर के अनुसार विभिन्न बहु-विकल्पीय प्रश्नों (Multiple Choice Questions) का निर्माण किया जाता है। छात्र इन प्रश्नों को कंप्यूटर के मॉनीटर पर देखता है तथा अपनी अनुक्रिया रिकार्ड करता है। इसमें मूल्यांकन के परिणाम भी तत्काल प्राप्त हो जाते हैं तथा तत्काल ही प्रतिपुष्टि (Feedback) हासिल हो जाती है।

III. ई-लर्निंग या ट्यूटररिंग की उपयोगिता (Utility of E-learning or Tutoring) : शिक्षा के क्षेत्र में ई-ट्यूटरिंग एक नवीन अवधारणा है, जिसकी समय के साथ उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। कम्प्यूटर आधारित शिक्षण आज शिक्षा क्षेत्र की मौलिक आवश्यकता बन चुका है। ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग इसी

का एक भाग है। इसलिए इसकी उपयोगिता आज की अपेक्षा आने वाले कल के लिए और भी ज्यादा है। इस तकनीकी विधि की उपयोगिता को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) इसका लचीला स्वरूप इसकी सबसे बड़ी विशेषता तथा उपयोगिता है। सी.डी., डी.वी.डी., मोबाइल फोन जैसे माध्यमों से इसका प्रयोग किया जा सकता है।

(ii) इस शिक्षण विधि में छात्र की कमांड रहती है। इसलिए वह अपनी गति से सीख सकता है, विषय-वस्तु को जितनी बार चाहे दोहराई कर सकता है और विषय-वस्तु के किसी प्रकरण पर जितनी दरे चाहे रुक सकता है।

(iii) इसके द्वारा गुणात्मक सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, जो कई बार परम्परागत सामग्री से भी अच्छी होती है। इस गुणात्मक सामग्री के विशाल भंडारण से असंख्य छात्रों को लाभ होता है।

(iv) ई-लर्निंग, ट्यूटरिंग उच्चकोटि का अनुदेशन तथा अधिगम अनुभव विश्व के प्रत्येक कोने में बैठे असंख्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने का उत्तम उपागम माना जाने लगा है।

(v) इस शिक्षण उपागम द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों तथा संसाधनों के अभाव का सामना करने में सहायता मिलती है।

(vi) इसमें अधिगम का मूल्यांकन करने का भी उचित प्रावधान होता है, जिससे छात्रों को उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण प्रदान करने में सहायता मिलती है।

(vii) ई-लर्निंग/ट्यूटरिंग के दौरान बालकों को उनकी रुचि तथा अभिप्रेरणा को उनके अधिगम में ठीक प्रकार से बनाए रखने में यह बहुत उपयोगी है।

(viii) यह विधि बालकों के अधिगम से अनुभव प्राप्त करने के अवसरों में पर्याप्त विभिन्नता ला सकती है।

(ix) इस उपागम के द्वारा सभी विद्यार्थी एक समान अधिगम एवं प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त करते हैं, चाहे वे किसी भी स्थान, संस्कृति, प्रांत या देश से जुड़े हों।

(x) यह उपागम उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो किसी भी कारण की वजह से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इस स्थिति में उनके लिए इस साधन से बेहतर अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता है।

(xi) यह शिक्षण पद्धति 'करके सीखने' के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें छात्र स्वयं के प्रयास से काफी कुछ सीखता है।

(xii) यह शिक्षण पद्धति अधिगम-प्रक्रिया को जीवंत रूप प्रदान करने की क्षमता रखती है।

(xiii) इसमें सीखने वालों की आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, दक्षता, स्थानीय आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप अधिगम-अनुभव प्रदान करने की क्षमता पर्याप्त मात्रा में होती है।

(xiv) साधन-विहीनता की स्थिति में ई-लर्निंग ट्यूटरिंग अधिगम से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है।

IV. ई-लर्निंग या ट्यूटरिंग की सीमाएं (Limitations of E-learning or Tutoring) : इसमें कोई शक नहीं है कि ई-लर्निंग/ट्यूटरिंग अभी अपनी शैशावस्था में है। इसलिए इसमें कुछ कमियाँ होना स्वाभाविक है। इस शिक्षण पद्धति या उपागम की कमियों या सीमाओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) शिक्षण की यह अवधारणा नई है, इसलिए इसके समर्थन में अभी भी काफी लोगों का दृष्टिकोण नकारात्मक स्वरूप वाला ही है। उनका यह दृष्टिकोण ही इस उपागम की सबसे बड़ी बाधा है।

(ii) शिक्षण की इस अवधारणा को सम्पूर्ण बनाने के लिए कुछ वांछित कौशलों की आवश्यकता है, जिसका अभी अभाव है। उदाहरण के लिए, कम्प्यूटर का ज्ञान।

(iii) ई-लर्निंग/ट्यूटरिंग नवीन संप्रत्यय होने के कारण इससे पूर्णरूप से परिचित होने में कुछ समय लगेगा। भविष्य की उपयोगिता ही आज इसकी सीमा है।

(iv) इसमें बालकों को परम्परागत कक्षा-शिक्षण की तरह मेल-जोल के अवसर नहीं मिलते, जिसके कारण बालकों में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS | SKILLED INDIA

(v) ई-लर्निंग/ट्यूटरिंग की सफलता में सहायक साधनों, जैसे–लैपटॉप, कम्प्यूटर, मल्टी मीडिया व इंटरनेट आदि की आवश्यकता होती है, जिसका आज हमारे देश में सर्वथा अभाव है।

(vi) ई-लर्निंग/ट्यूटरिंग की सफलता में इंटरनेट, कम्प्यूटर तथा वैबटैक्नोलॉजी आदि जैसी कुशलता का होना बहुत आवश्यक है, परंतु आज हमारे देश में इस तरह की कुशलता का पर्याप्त अभाव देखने को मिलता है।

(vii) प्रशासनिक स्तर पर भी अभी इस शिक्षण पद्धति का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। कुछ गिनती के चुने हुए पब्लिक स्कूलों में ही ऐसी व्यवस्थाएं कायम हो पाई है। इन स्कूलों ने भी इसे अपने स्तर पर ही उपलब्ध करवाया है।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि ई-लर्निंग/ट्यूटरिंग आज तथा भविष्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी शिक्षण पद्धति या उपागम है। इसकी जो कमियां बताई गई हैं, वह सब इसकी व्यवस्था से संबंधित हैं। आने वाला समय इन कमियों को स्वयं ही समाप्त कर देगा, क्योंकि भविष्य में इसके बिना शिक्षण की प्रक्रिया को ही अधूरा माना जाने लगेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला समय सूचना क्रांति के नाम रहेगा, जिसमें ई-संसाधनों की मुख्य भूमिका रहेगी।

सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन
(Evaluation in Social Science)

❑ **मापन व मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इनके बीच क्या अंतर है?**
(Explain the meaning of measurement and evaluation. What are differences between measurement and evaluation?)

अथवा

❑ **मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है? मूल्यांकन मापन से किस प्रकार भिन्न है? सामाजिक विज्ञान में मूल्यां का क्या महत्त्व है?**
(What is meant by the term evaluation? How is it different from measurement? What is importance of evaluation in teaching of Social Science?)
[CBLU, 2018]

अथवा

❑ **सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के अर्थ तथा महत्त्व का वर्णन कीजिए?**
(Describe the meaning and importance of evaluation in Social Science?)
[CRSU, 2018]

उत्तर : आमतौर पर मापन और मूल्यांकन को एक ही समझा जाता है, परंतु औपचारिक रूप से दोनों की प्रकृति एक-दूसरे से अलग है। इस अध्याय के अंतर्गत हमारा मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन के विविध पहलुओं को जानना है, परंतु मापन के पारिभाषिक अर्थ को समझे बिना हमारा उद्देश्य सम्पूर्ण नहीं होगा। इसलिए यहां मापन व मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा व अंतर को निम्न शीर्षकों के तहत समझा जा सकता है–

I. मापन का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Measurement) : मापन से तात्पर्य है कि किसी अवलोकन को परिमाणात्मक ढंग से बताना। भौतिक वस्तुओं की विशेषताओं और गुणों के आधार पर परिमाणात्मक रूप देने को मापन कहा जाता है। इसे इस ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है–मापन विभिन्न वस्तुओं, प्रदत्तों, विशेषताओं तथा गुणों का किसी उचित मापनी से तुलना करके संख्याओं में वर्णन करते हुए व्यक्ति की मात्राओं की जानकारी प्राप्त करना है। शिक्षा में इसका उपयोग बुद्धि, अभिवृत्ति, उपलब्धि एवं व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा जांच करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति में क्या-क्या गुण हैं, की जानकारी मिलती है, जैसे–कोई विद्यार्थी किसी विषय में पारंगत है, लेकिन दूसरा विद्यार्थी उसी विषय में कुछ नहीं जानता। इस प्रकार की मानसिक योग्यता एवं गुणों की जानकारी

मापन की परिधि में व्याप्त है। प्रत्येक मापन के लिए किसी गुण या विशेषता को मापना एवं मापने का उपयुक्त उपकरण, इन दो पहलुओं का होना जरूरी है। विभिन्न विद्वानों की निम्नलिखित परिभाषाएं मापन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करती हैं–

थार्नडाइक के अनुसार, "जिस वस्तु का भी अस्तित्व है, उसका किसी न किसी मात्रा में अस्तित्व होता है और जो कुछ भी किसी मात्रा में उपस्थित है, उसे मापा जा सकता है।"

हैल्मस्टेडर के अनुसार, "मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।"

मैककाल के अनुसार, "यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्वमय है, तो उसका मापन हो सकता है।"

स्टीवेन्स के अनुसार, "मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है।"

उपरोक्त वर्णित परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा घटनाओं और विभिन्न निरीक्षणों को विशेष नियमों के अनुसार सार्थक रूप से संकेत चिह्न दिए जा सकते हैं, इनके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं और निरीक्षणों को अंकात्मक रूप देना होता है। इसमें अंकन करने के लिए मापन के विभिन्न स्तरों के अनुसार सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है।

II. मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Evaluation) : मूल्यांकन शब्द का अर्थ मापन से कहीं अधिक व्यापक है, जिसमें गुणात्मक तत्त्वों को भी संख्यात्मक रूप में बताया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत परीक्षणों के सिद्धांत, उनकी रचना, मानकीकरण, प्रशासन एवं उनके माध्यम से प्राप्त परिणाम की व्याख्या आदि को सम्मिलित किया जाता है। मूल्यांकन से तात्पर्य है, पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों और मूल्यों के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करना। शिक्षा के उद्देश्यों, शैक्षणिक अनुभवों एवं मूल्यांकन में बहुत नजदीकी संबंध है। शैक्षणिक अनुभवों की योजना उद्देश्यों के आधार पर तैयार की जाती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अनुभवों के किसी भी स्तर पर इस बात का मूल्यांकन किया जा सकता है कि किस सीमा तक अनुभवों के माध्यम से वांछित परिवर्तन हो रहा है। परीक्षण की अपेक्षा मूल्यांकन शब्द का अधिक व्यापक अर्थ है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों एवं अध्यापक की शिक्षण पद्धति को अत्यधिक प्रभावित करता है। मूल्यांकन के द्वारा कौन-सी चीज अच्छी है या कौन-चीज बुरी है, के बारे में बताया जा सकता है। मूल्यांकन की मदद से न केवल विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में योग्यता का पता लगता है, अपितु उनके व्यक्तित्व का किस सीमा तक विकास हुआ है, की जानकारी भी मिलती है। इसके द्वारा अध्यापक व उसकी शिक्षण विधियों की सफलता या असफलता के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। निम्नलिखित परिभाषाएं मूल्यांकन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करती हैं–

क्यूलैन एवं हाना के अनुसार, "मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यावहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है।"

कोठारी कमीशन के अनुसार, "अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। यह सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है।"

मोफेट के अनुसार, "मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है और इसका संबंध बालकों की केवल औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ नहीं अपितु इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। यह व्यक्ति की भावनाओं, चिंतन तथा कार्यों से वांछित व्यावहारिक परिवर्तनों के विकास में रुचि लेता है।"

जेम्स एम.ली. के अनुसार, "स्कूलों, कक्षाओं तथा स्वयं विद्यार्थी द्वारा निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति में विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करना मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को और अधिक सिखाने के लिए मार्गदर्शन करना है और सत्य के प्रति उस प्रगति में सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार मूल्यांकन नकारात्मक प्रक्रिया न होकर स्वीकारात्मक प्रक्रिया है।"

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

डाडेकर के अनुसार, "मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है।"

वेस्ले के अनुसार, "मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है, जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्त्व, प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करती है। यह वस्तुगत प्रमाण आत्मसात् निरीक्षणों का मिश्रण है। यह सम्पूर्ण एवं अंतिम अनुमान है। यह नीतियों के रूप में परिवर्तनों एवं भावी कार्यक्रम के लिए महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक पथ प्रदर्शक है।"

रेमर्स व गेंज के अनुसार, "मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि से जो उत्तम है अथवा वांछनीय है, उसको मानकर चला जाता है।"

उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने से पता लगता है कि मूल्यांकन सूचना प्राप्त करने तथा निर्णय के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। यह ऐसे परिवर्तनों का परीक्षण करता है जो शिक्षण के परिणामों से छात्रों में उत्पन्न होते हैं, जिनके अंतर्गत व्यावहारिक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। मूल्यांकन शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण अंग है। इसमें परीक्षाएं एवं उपलब्धि को सम्मिलित किया जा सकता है। मूल्यांकन शिक्षक के कार्य का आवश्यक अंग है, क्योंकि इसके बिना शिक्षण-कार्य संभव नहीं है। इसके द्वारा वह अपने छात्रों की रुचियों, योग्यताओं एवं उपलब्धियों को समझ लेता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी शिक्षण विधियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके सुधार करते हुए स्वयं के शिक्षण के प्रभाव को जानने के लिए उत्सुक रहता है। इस प्रकार उपरोक्त कार्यों को सफल करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

मूल्यांकन का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य छात्रों के मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास का मार्गदर्शन करते हुए उनकी शक्तियों एवं कमियों की जानकारी देना है। विभिन्न विषयों के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। इसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन हुए हैं, का भी पता लगता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और इनको निर्णय लेने में भी प्रयोग किया जाता है।

III. मापन और मूल्यांकन में अंतर (Difference Between Measurement and Evaluation) : मापन और मूल्यांकन प्रायः एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं, लेकिन फिर भी यह दोनों एक-दूसरे से काफी भिन्न है। मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है लेकिन मूल्यांकन मापन के साथ-साथ परिमाणात्मक रूप भी प्रदान करता है। मापन से यह मालूम किया जा सकता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा या वजन में है, जबकि मूल्यांकन किसी वस्तु के गुण एवं दोषों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मूल्यांकन में यह भी पता चलता है कि किस उद्देश्य को कितना प्राप्त किया गया है, जबकि मापन यह बताता है कि कितने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा में मापन का प्रयोग छात्रों की विशेषताओं को स्थापित करने के लिए किया जाता है। **राइट स्टोन** ने मापन और मूल्यांकन के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, **"मापन में विषय-वस्तु के एक पहलू को लिया जाता है, जबकि मूल्यांकन पूर्ण वातावरण के विषय में जानकारी देता है।"**

मूल्यांकन का महत्त्व (Importance of Evaluation)

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इनके द्वारा उनके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास की ओर ध्यान देते हैं। इन सभी गुणों से बालकों का सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। इन उद्देश्यों के आधार पर ही मूल्यांकन का आधार टिका हुआ है और विस्तृत कार्य क्षेत्रों में फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के सभी विषयों के पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना, बच्चों के सामाजिक विकास का मूल्यांकन करना एवं उनके नैतिक विकास, मूल्यों, मानसिक योग्यताओं व कुशलताओं का मूल्यांकन करने से है। मूल्यांकन के महत्त्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

1. **शिक्षण में सुधार (Improvement in Teaching) :** उद्देश्यों तथा अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन से गहरा संबंध है। यह इस बात की जानकारी देता है कि उद्देश्य प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। कक्षा में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियों और पद्धतियों में क्या सुधार की आवश्यकता है, शिक्षण कितना प्रभावशाली तथा सार्थक है।
2. **लक्ष्यों को स्पष्ट करना (To Clarify Objectives) :** मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षा के लक्ष्यों को साफ (स्पष्ट) करने में सहायता करती है। इसके द्वारा अध्यापकों को अपने विषय के विभिन्न प्रकरणों का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। पाठ के हर प्रकरण (Topic) के लक्ष्यों को भली-भांति समझा जा सकता है।
3. **मूल्यांकन द्वारा अधिगम में सुधार (Improvement in Learning Through Evaluation) :** वर्तमान काल में मूल्यांकन का अर्थ एक ऐसी विस्तृत तथा सतत् प्रक्रिया से माना जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न साधनों से बालकों की प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। अतः केवल ज्ञान-प्राप्ति के उद्देश्यों पर अधिक बल नहीं दिया जाता। इसके अंतर्गत तो निश्चित मात्रा में वस्तुस्थिति के ज्ञान के अतिरिक्त अभिवृत्तियों, कौशलों, आदतों तथा सूझ-बूझ के विकास की ओर ध्यान देना भी आवश्यक हों जाता है। इससे विद्यार्थियों के ज्ञान में सुधार होगा और परिणामस्वरूप अधिक अच्छे व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाएगा।
4. **बच्चों के व्यक्तित्व की परख (To Assess Personality of the Children) :** मूल्यांकन व्यक्तित्व की परख करने में मदद करता है, विद्यार्थियों के लक्ष्य का निर्धारण करता है। साथ ही उनकी रुचियों, योग्यताओं, बुद्धि, सामाजिक एवं नैतिक गुणों के विकास में मापन का कार्य करता है।
5. **छात्रों के वर्गीकरण में सहायता (To Help in Classification of Students) :** मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में बांटना मूल्यांकन का एक अन्य लक्ष्य है। एक प्रकार की बुद्धि लब्धि रखने वाले छात्रों को एक वर्ग में रखा जा सकता है।
6. **पाठ्यक्रम में सुधार करना (To Bring Improvement in the Curriculum) :** मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार किए जाते हैं जो परिवर्तनों द्वारा सम्भव हैं। पाठ्यक्रम को समय-समय पर बदलते रहना चाहिए, जिससे नई विषय-वस्तु का समावेश होता है। ऐसा करने में मूल्यांकन हमारी सहायता करता है।
7. **सीखने को प्रभावित करना (To Influence Learning) :** यह विद्यार्थियों की विषय-वस्तु, प्रश्नों व उत्तर की दोहराई करने में सहायता करता है, इससे उनकी सीखने की भावना में बढ़ोतरी होती है। यह बालकों को व्यावहारिक प्रयोग करने का भी अवसर प्रदान करता है।
8. **अनुसंधान के लिए सामग्री उपलब्ध करवाना (To Provide Data for Research) :** परीक्षाएं (मूल्यांकन) अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करती हैं। इसी के आधार पर शिक्षा और परीक्षा पद्धति में कई प्रकार के सुधार किए जाते हैं।
9. **प्रेरणात्मक रूप में सामने आना (To Act as Inspiration) :** परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों को वे लक्ष्य स्पष्ट करना है, जिन्हें इन्हें प्राप्त करना होता है। यह बालकों में परीक्षा में पास होने के लिए परिश्रम करने की भावना को पैदा करता है। इसलिए यह परिश्रम करने की प्रेरणा प्रदान करता है।
10. **प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना (To Get Progress Report) :** विद्यालय व अन्य परीक्षा परिणामों के आधार पर ही विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक की प्रगति-रिपोर्ट उनके माता-पिता को भेजी जाती है। इन परिणामों के आधार पर समाज शिक्षा की सफलताओं और असफलताओं का आंकलन करता है। इस प्रगति रिपोर्ट द्वारा बालकों की कक्षीय और वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है।
11. **शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाने में सहायक (Helpful in Attractive Teaching**

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

Methods) : मूल्यांकन के माध्यम से विभिन्न शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षण की अनेक प्रकार की विधियां जो बच्चों की प्रगति व उनके भविष्य के आंकलन में सहायक होती है, उन सभी विधियों को इसी मूल्यांकन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त कारक मूल्यांकन के महत्त्व को स्पष्ट करने में हमारी काफी सहायता करते हैं। इनके माध्यम से हमें पता चलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन प्रक्रिया को क्यों विशेष माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं, जो मूल्यांकन के महत्त्व को स्पष्ट करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इनका संक्षेप में निम्न प्रकार से उल्लेख किया जा सकता है—

(i) शिक्षा संस्था की कार्य पद्धति में सुधार करने में।
(ii) प्रभावशाली शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देश के लिए सूचना एकत्रित करने में।
(iii) विद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के चयन में।
(iv) निर्देशन प्रदान करने में।
(v) शैक्षिक क्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए योजना बनाने में।
(vi) उद्देश्यों की प्राप्ति के स्तर को जांचने में।

निष्कर्ष : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। शिक्षा के लिए निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति स्तर को जांचने में इसकी विशेष भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा एक तैयार फसल की तरह है, जबकि मूल्यांकन उस फसल के उत्पादन की तरह है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बिना मूल्यांकन के शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

निरन्तर तथा व्यापक मूल्यांकन
(Continuous & Comprehensive Evaluation)

❑ **सतत तथा व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था की प्रभावशीलता की समीक्षा कीजिए।**
(Appraise the effect of Continuous and Comprehensive Evaluation System.)

अथवा

❑ **सतत तथा व्यापक मूल्यांकन की विस्तार से विवेचना कीजिए।**
(Explain Continuous and Comprehensive Evaluation.) **[MDU, 2018]**

उत्तर : निरन्तर तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ (Meaning of Continuous & Comprehensive Evaluation) : निरन्तर व्यापक मूल्यांकन एक आधुनिकतम मूल्यांकन पद्धति है। यह मूल्यांकन करने की एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा परम्परागत मूल्यांकन पद्धतियों की कमियों को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार का मूल्यांकन परम्परागत मूल्यांकन पद्धतियों को स्वीकार नहीं करता। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निरन्तर व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग किया जा सकता है। मूल्यांकन एक निरन्तर व्यापक क्रिया है और समूची शिक्षा-प्रणाली में इसका प्रयोग किया जा सकता है।

विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार से किये जाने वाले मूल्यांकन का लक्ष्य निर्धारित होना आवश्यक है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियां, मनोवैज्ञानिक विकास, मानवीय ज्ञान एवं सांस्कृतिक धरोहर, जैसे—अनेक स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के लक्ष्यों को केवल शैक्षिक क्रियाओं तक सीमित नहीं कर सकते, बल्कि इसमें विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को भी शामिल करना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास का स्तर तथा वांछित व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों आदि के विकास का भी ध्यान रखना होगा।

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्य-सामग्री एवं उसे प्राप्त करने की विभिन्न पद्धतियों में अधिगम परिस्थितियों के माध्यम से व्यापक ढंग से विकसित करने की आवश्यकता है। छात्रों को उनकी परिस्थितियों से परिचित करवाने के बाद इसका मूल्यांकन करना होगा कि, उन परिस्थितियों ने छात्रों को लक्ष्य प्राप्त करने में किस सीमा तक सहायता की। यदि वांछित ज्ञान के स्तर का विकास उचित ढंग से नहीं हुआ तो इसका तात्पर्य यह होगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन पाठ्य-सामग्री एवं पद्धतियों का अनुसरण किया गया, वे प्रभावशाली नहीं थीं। इस मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक सामग्री तथा पठन-पाठन की पद्धतियों की समीक्षा करनी होगी तथा उन्हें अपेक्षित ज्ञान के स्तर तक लाने के लिए उनमें यथावश्यक परिवर्तन करना होगा। इस प्रकार से मूल्यांकन को लक्ष्य आधारित बनाया जा सकता है।

निरन्तरता
(Continuity)

वार्षिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर छात्रों के विकास एवं उनके ज्ञान स्तर की जानकारी मिल जाती है, परन्तु इस प्रथा के अवांछित परिणामों से हम भली-भांति परिचित हैं। यह प्रथा शैक्षिक लक्ष्यों के बिल्कुल विपरीत है। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में अन्तर्निहित निरन्तर मूल्यांकन इस समस्या के माध्यम से छात्रों की योग्यता एवं अयोग्यता के सम्बन्ध में नियमित रूप से उपयोगी लक्ष्य संकलन सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार के तथ्यों का प्रयोग ऐसे विकसित शिक्षण के रूप में किया जा सकता है, जिसके द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केन्द्रित रहे और शिक्षा के पूर्व घोषित लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार के रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों की कार्यकुशलता के स्तर को सुधारने एवं उनके अधिकतम विकास की व्यवस्था को सक्षम बनाने में सहायता करते हैं। हमें इस प्रकार के मूल्यांकन के परिणाम जल्दी ही मिल जाते हैं। इसलिए निरन्तर व्यापक मूल्यांकन स्वयं लक्ष्य न होकर एक लक्ष्य को पाने का साधन मात्र है।

व्यापकता
(Comprehensiveness)

परम्परागत मूल्यांकन पद्धति पर एक नजर डालने से यह ज्ञात होता है कि इसका क्षेत्र केवल शैक्षिक पक्षों तक ही सीमित था, जो इस पद्धति की सबसे बड़ी कमी थी। शिक्षा के अतिरिक्त अन्य पक्षों के मूल्यांकन की कोशिश ही नहीं की जाती थी, क्योंकि यह उनके विकास का लक्ष्य भी नहीं था। इस प्रकार से विद्यालय के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की सारी शक्ति केवल शिक्षा के सीमित क्षेत्र तक ही केन्द्रित रहती थी। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की योजना में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य के बाद भी शिक्षा पद्धति उसे हासिल करने में सफल नहीं रही। इस प्रकार से परिस्थिति काफी चिन्ताजनक हो गई।

परिणामस्वरूप छात्रों में विकृत व्यक्तित्व उत्पन्न होने लगे। इस सम्बन्ध में छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए व्यापक मूल्यांकन की योजना तैयार की गई है। मूल्यांकन की इस आधुनिकतम पद्धति के द्वारा सिद्धान्त और व्यवहार के बीच की खाई को पाटने में महत्त्वपूर्ण सहायता मिल सकेगी। इसलिए व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व से सम्बन्धित निम्न विविध क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकेगा—

1. छात्रों के स्वास्थ्य स्तर से सम्बन्धित कद, वजन, विभिन्न बीमारियों से बचाव एवं पक्ष-विस्तार आदि।
2. छात्रों की विभिन्न रुचियों जैसे साहित्य, खेलकूद, संगीत एवं कला आदि।
3. छात्रों में समय, निष्ठा, सफाई की आदत, नियमितता, सहयोग एवं उत्तरदायित्व की भावना, नेतृत्व, स्थायित्व आदि व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का विकास करना।
4. उन्हें नाटक, वाद-विवाद, भाषण, तैराकी, स्काउटिंग, खेलकूद, जूनियर रेड-क्रास जैसी आन्तरिक एवं बाह्य पाठ्य-सहगामी कार्यक्रमों में निपुण करना।
5. गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण, स्कूल की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों, स्कूलों की सम्पत्ति आदि वांछनीय मनोवृत्तियों के प्रति छात्रों का स्वस्थ दृष्टिकोण बनाना।

शिक्षण संस्थाओं में व्यापक मूल्यांकन की योजना के विकास के लिए उसमें लचीलापन होना आवश्यक

है, जिससे इसे अपनाने में विभिन्न परिस्थितियों वाली संस्थाएं विभिन्न प्रकार की भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था आवश्यकतानुसार कर सकें। उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में से किसी का भी मूल्यांकन तब तक न किया जाए, जब तक कि उसके परिणाम उपलब्ध न हों।

इस सम्बन्ध में एक उपयोगी सुझाव यह भी हो सकता है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों में समयनिष्ठा, नियमितता, सफाई रखने की आदत एवं पाठ्य–सामग्री क्रियाओं में खेलकूद को आवश्यक मूल्यांकन के विषय बनाए जाएं। विद्यालय में विद्यार्थियों को मूल्यांकन के लिए उपलब्ध सुविधाओं में से किसी भी विषय को इच्छानुसार चुनने का अवसर प्रदान किया जाए। इस प्रकार से मूल्यांकन प्रक्रिया का विस्तार उसे व्यापक बना देगा। प्रेक्षण तथा नए उपकरण (मापक्रम एवं नियन्त्रण सूची आदि) जैसी नई तकनीकों का प्रयोग भी व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।

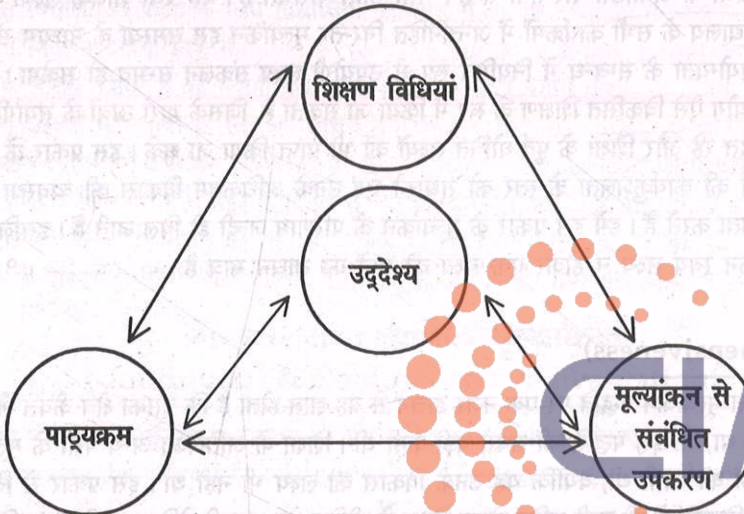

चित्र : सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन को दर्शाता चित्र

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सतत् व व्यापक मूल्यांकन भी मूल्यांकन अवधारणा के अभिन्न अंग हैं। बालक की व्यक्तिगत व परिस्थितिवश विविधता को ध्यान में रखकर ही किसी मूल्यांकन तकनीक, विधि या प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों की उपलब्धियों तथा व्यवहारों में आने वाले परिवर्तनों को जांचने के लिए समन्वित मूल्यांकन विधियों का प्रयोग ही सर्वोत्तम होगा।

सामाजिक विज्ञान में उपलब्धि परीक्षण का निर्माण
(Construction of Achievement Test)

❑ **उपलब्धि परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी अवधारणा और सोपानों का वर्णन कीजिए।**
(What do you mean by an Achievement Test? Explain its concept and steps.)

अथवा

❑ **उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? इसे तैयार करने के क्या चरण हैं?**
(What do you mean by an Achievement Test? What are the steps of an achievement test.) [MDU, 2018]

अथवा

❑ **निष्पत्ति परीक्षण रचना की अवधारणा तथा पदों का विस्तार से वर्णन कीजिए।**
(Explain the concept and steps of Achievement Test.) [CRSU, 2018]

उत्तर : मनुष्य अपने अनुभवों और मूल्यों को अपने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे उसके व्यवहार में वांछित बदलाव लाया जा सके। बच्चा स्कूल में जो कुछ सीखता है, उसे उसकी उपलब्धि मानते हैं। उपलब्धि परीक्षण एक निश्चित कार्य-क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, को मापते हैं। विभिन्न विषयों में प्राप्त ज्ञान का मापन तथा वर्तमान योग्यता का मापन भी इन्हीं परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। स्कूलों में मूल्यांकन की प्रक्रिया बदलती जा रही है। शिक्षा के उद्देश्यों में बदलाव आने के कारण विभिन्न देशों में उनकी परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए शिक्षा में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार किया जा रहा है। शिक्षक स्कूलों में समय-समय पर छात्रों की परीक्षा लेकर यह जानने का प्रयास करता रहता है कि क्या उन्होंने विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से आयोजित परीक्षा के अंक छात्र के किसी एक विषय की सफलता की सूचना देते हैं। उपलब्धि परीक्षा में सापेक्षिक सफलता पर जोर दिया जाता है, पूर्ण सफलता पर जोर नहीं दिया जाता। इसमें छात्रों की उपलब्धि की परस्पर तुलना भी की जाती है। विद्यार्थियों को अंकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर आपसी तुलना करने के बाद उनका मध्यांक निकाला जाता है।

I. उपलब्धि परीक्षण का अर्थ व परिभाषा (Meaning and Definition of Achievement Test) : सभी विद्यालयों में सभी कक्षाओं के छात्र वर्ष भर ज्ञान अर्जन करते हैं। किसी भी एक कक्षा के सभी छात्रों का ज्ञान एवं ज्ञान प्राप्त करने की सीमा एक-सी नहीं होती है। कोई छात्र ज्ञान का अर्जन जल्दी कर लेता है तो कोई देर से। छात्रों के इस ज्ञान या ज्ञान प्राप्ति की सीमा का मापन उपलब्धि परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि छात्रों की विभिन्न विशेषताओं तथा ज्ञान का मापन जिन परीक्षणों द्वारा किया जाता है, उन परीक्षणों को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। इसके पारिभाषिक अर्थ के संबंध में कहा जा सकता है कि, **"उपलब्धि परीक्षण वे परीक्षण होते हैं, जिनकी सहायता से विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान एवं ज्ञान की सीमा ज्ञात की जाती है।"** उपलब्धि परीक्षण के अर्थ को निम्न परिभाषाओं के अध्ययन से और अधिक स्पष्ट किया जाता सकता है–

फ्रीमैन के अनुसार, "उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है, जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों, व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है।"

गैरेट के अनुसार, "उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग छात्रों के सामान्य शैक्षिक स्तर या स्थिति और किसी विशेष विषय में उनके ज्ञान को निश्चय करने के लिए किया जाता है।"

आर.ए. शर्मा के अनुसार, "उपलब्धि परीक्षण का निर्माण इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति को किसी विशिष्ट कौशल या ज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है।"

जोन्स के अनुसार, "उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग यह निश्चय करने के लिए किया जाता है कि कुछ समय तक अध्ययन करने के पश्चात् विद्यार्थी द्वारा क्या सीखा गया है। विद्यार्थी ने वांछित लक्ष्य की ओर किस सीमा तक प्रगति की है। वह अधिक प्रगति करने के लिए उद्यत है या नहीं और उसकी उपलब्धि उसके समूह के अन्य की तुलना में कितनी है।"

बिंघम के विचारानुसार, "उपलब्धि परीक्षण वह माप है, जिसके द्वारा स्कूल के अंदर तथा बाहर प्राप्त ज्ञान को समय तथा प्रकृति के अनुसार देखा जाता है।"

इबेल के शब्दों में, "ज्ञानोपार्जन परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है।"

सुपर के विचार में, "एक उपलब्धि परीक्षण यह निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि क्या तथा कितना सीखा गया है। इसमें मुख्य ध्यान भूत के मूल्यांकन का होता है, न कि भविष्य का। भविष्य का तो केवल इतना ध्यान रखा जाता है कि प्राप्त ज्ञान भविष्य में हितकारी होगा।"

लिंडक्विस्ट एवं मन के अनुसार, "एक सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह है जो एक फलांक द्वारा, उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में विद्यार्थी के सापेक्षक ज्ञान का बोध कराए।"

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

ब्लम व बेलिंसकी के अनुसार, "उपलब्धि परीक्षण किसी व्यवसाय या विद्यालय विषयों में अर्जित कुशलताओं या ज्ञान को मापना है।"

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर उपलब्धि परीक्षण के अर्थ को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यदि एक निश्चित समय में एक विषय या समूह को किसी प्रकार का प्रशिक्षण दें तो इससे उन्हें कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे अर्जित ज्ञान को ही 'उपलब्धि' कहते हैं। जब इसी उपलब्धि को मापने के लिए परीक्षणों का निर्माण करते हैं तो उसे 'उपलब्धि परीक्षण' कहते हैं। ऐसे परीक्षणों का प्रयोग मुख्यतः स्कूलों के सभी विषयों के ज्ञान को मापने के लिए किया जाता है।

II. उपलब्धि परीक्षणों की विशेषताएं (Characteristics of Achievement Tests) : उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल्यांकन पद्धति में उपलब्धि परीक्षणों का अपना विशेष महत्त्व है। इसमें परीक्षा-परीक्षण संबंधी कई विशेषताएं हैं, जिन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) इस तरह के परीक्षणों में विश्वसनीयता और वैधता होती है।
(ii) इस प्रकार के परीक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए आंशिक अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है।
(iii) इस प्रकार के परीक्षण व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या अत्यधिक होती है।
(iv) उपलब्धि परीक्षणों के उद्देश्यों को पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है कि किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
(v) ऐसे परीक्षणों का रूप व्यावहारिक होता है। इनकी समय सीमा एवं अंकन पहले से ही निश्चित कर ली जाती है।
(vi) इन परीक्षणों पर समय व पैसा बहुत कम खर्च होता है। इसलिए हमारे जैसे देशों में इस प्रकार की परीक्षाओं की व्यवस्था करना सुविधाजनक है।
(vii) उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर तैयार किए गए परीक्षा के परिणामों से शिक्षक सम्पूर्ण शिक्षा योजना बना सकता है।
(viii) इन परीक्षाओं का आयोजन अलग-अलग स्तर के छात्रों के लिए अलग-अलग ढंग से किया जाता है।
(ix) इस प्रकार के परीक्षण परीक्षार्थियों की रुचि, कुशलता, योग्यता एवं स्तर को मध्य नजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं।
(x) इन प्रश्नों की भाषा सरल, सुबोध एवं संक्षिप्त होती है।

III. उपलब्धि परीक्षणों का महत्त्व (Importance of Achievement Tests) : आधुनिक युग में मानव जीवन से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के परीक्षणों का उपयोग होना प्रामाणित करता है कि उपलब्धि परीक्षण मानव के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। यदि देश के उपलब्धि परीक्षणों के विभिन्न आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यह पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष बहुत-से व्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार की परीक्षा में बैठते हैं। केंद्रीय एवं प्रान्तीय सरकारें भी इस प्रकार के आयोजनों पर काफी धन खर्च करती हैं। उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग विद्यालय प्रवेश, कर्मचारियों के चयन एवं नियुक्ति तथा अन्य प्रतियोगिताओं के लिए होता है। इस प्रकार के उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग केवल शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं है अपितु डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता, इंजीनियर एवं सैनिक अधिकारी भी इनका प्रयोग आवश्यकतानुसार करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षणों के महत्त्व को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) इस तरह के प्रशिक्षण द्वारा बालकों को अध्ययन के लिए प्रलोभन दिया जा सकता है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में एक मनोवैज्ञानिक तथ्य छिपा रहता है।

(ii) इस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग निदानात्मक व उपचारात्मक रूप में भी किया जा सकता है।
(iii) ऐसे परीक्षण पाठ्य-पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम की खामियों की जानकारी शिक्षक को देकर उनमें सुधार करने के लिए सहायता करते हैं।
(iv) इस तरह के परीक्षण स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं को क्रम में विभाजन करने एवं एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पदोन्नति करने में सहायक होते हैं।
(v) इनके माध्यम से बालकों को विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के किस भाग का अध्ययन किया है या नहीं और कितना अध्ययन करना शेष है, की जानकारी देकर उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
(vi) इससे किसी बालक के निम्नतम निष्पादन स्तर का पता लगाया जा सकता है।
(vii) उपलब्धि परीक्षण में बच्चों के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों में उनकी कम से कम योग्यता को मापा जाता है।
(viii) उपलब्धि परीक्षण छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान करते हैं कि उसकी अध्ययन विधि में क्या-क्या कमियां थीं, जिसके कारण उसे कम अंक प्राप्त हुए। इससे उसे अपनी कमियों की जानकारी हो जाती है।
(ix) इस परीक्षण का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में उसके अनुरूप दक्ष व्यक्तियों के चयन तथा विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए किया जाता है।
(x) इन परीक्षणों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र के अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कर्मचारियों का चयन एवं पदोन्नति भी संभव है।
(xi) इस प्रकार के परीक्षणों द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन भी किया जाता है। इसी आधार पर शिक्षण संस्थाओं में उच्च कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी जाती है।
(xii) इस प्रकार के परीक्षणों के आधार पर छात्रों को उचित शैक्षिक एवं जीवन मार्ग-दर्शन दिया जा सकता है।
(xiii) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं तथा उनमें काम करने वाले शिक्षकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने में भी यह परीक्षण विधि काफी लाभदायक है।

IV. उपलब्धि परीक्षण के सामान्य सिद्धांत (General Principles of Achievement Tests) : उपलब्धि परीक्षण के सामान्य सिद्धांतों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) इस तरह के परीक्षणों में विश्वसनीयता तथा वैधता होनी चाहिए।
(ii) प्रश्न स्पष्ट तथा तार्किक हों।
(iii) प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट तथा संक्षिप्त होनी चाहिए।
(iv) इस तरह के परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए।
(v) द्विअर्थी तथा भ्रामक प्रश्नों को इस परीक्षण में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।
(vi) एक जैसे स्वरूप वाले प्रश्नों को एक साथ ही रखा जाना चाहिए।
(vii) परीक्षा का अभिकल्प (Design) व्यापक होना चाहिए।
(viii) किसी एक मात्र परीक्षण से, किसी विषय विशेष के सभी उद्देश्यों को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए परीक्षण तकनीकों के समावेश पर बल दिया जाना चाहिए।
(ix) उपलब्धि परीक्षण में ऐसे प्रश्नों को स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे छात्र की व्यावहारिक क्षमता की जांच की जा सके।
(x) छात्रों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय और स्थान देना चाहिए।

V. उपलब्धि परीक्षण के सोपान (Steps of Achievement Tests) : अब तक उपलब्धि परीक्षण के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्त्व व सामान्य सिद्धांतों को जान व समझ चुके हैं। इनको समझने के बाद

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

यह सवाल उठता है कि उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण कैसे किया जाता है अर्थात् उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते समय किन-किन सोपानों (steps) का प्रयोग करना पड़ता है या हम यह भी कह सकते हैं कि इन परीक्षणों के निर्माण में कौन-कौन सी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। इन सब का जवाब हमें उपलब्धि परीक्षण के सोपानों का अध्ययन करने के बाद मिलेगा, जो इस प्रकार हैं—

1. **उद्देश्य निर्धारित करना (Setting Aims) :** उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते समय हमें सबसे पहले यह निश्चित करना होता है कि हमारे परीक्षण का उद्देश्य क्या है? हम क्या मापन करने के लिए परीक्षण बना रहे हैं? अर्थात् उपलब्धि-परीक्षण का निर्माण करते समय सबसे पहले हमें उसके उद्देश्य निर्धारित कर लेने चाहिए। एक उपलब्धि परीक्षण के द्वारा अधिक से अधिक तीन या चार उद्देश्यों को ही प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वांछित व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले सुनिश्चित उद्देश्यों का निर्धारण पहले से ही कर लिया जाना चाहिए।
2. **छात्रों का स्तर (Stage of Students) :** उद्देश्यों को निर्धारित कर लेने के बाद यह निर्धारित करना चाहिए कि जिस परीक्षण का हम निर्माण करने जा रहे हैं, उसका निर्माण किस स्तर के छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए किया जा रहा है, जैसे—उपलब्धि परीक्षण मिडिल स्तर के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, हाईस्कूल के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है या हायर-सैकेण्डरी स्कूल के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है।
3. **पाठ्यक्रम का विश्लेषण (Analysis of Syllabus) :** उपलब्धि परीक्षण से संबंधित प्रश्नों के निर्माण में सुविधा के लिए जिस स्तर के छात्रों के लिए उसका निर्माण किया जा रहा है, उस स्तर के पाठ्यक्रम का विस्तार से विश्लेषण कर लेना चाहिए। पाठ्यक्रम के प्रत्येक अंग से संबंधित प्रश्न बनाए जाने चाहिए।
4. **प्रश्नों के प्रकार (Types of Questions) :** उपलब्धि परीक्षण से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न छोटे और वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के होने चाहिए। प्रश्नों का निर्माण कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे—सरल स्मरण प्रश्न, वर्गीकरण वाले प्रश्न, बहु-विकल्पीय प्रश्न तथा उचित मिलान वाले प्रश्न आदि।
5. **समय का निर्णय (Decision about the Time) :** उपलब्धि परीक्षण के लिए प्रश्न-पत्र तैयार करते समय ही तय कर लिया जाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कितना समय दिया जाएगा। बालकों को इतना समय अवश्य दिया जाना चाहिए कि वह सोच-विचारकर प्रश्नों का जवाब दे सकें, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समय इतना ज्यादा भी नहीं देना चाहिए कि परीक्षा का माहौल अव्यवस्थित हो जाए।
6. **रूपरेखा तैयार करना (Preparation of the Blue-print) :** उपलब्धि परीक्षण की तैयारी का सबसे कठिन सोपान इसकी रूपरेखा तैयार करना होता है। यह एक तरह का डिजाइन (Design) होता है जिसमें विशिष्ट लक्ष्यों, उपकरणों तथा प्रश्नों के लिए अंकों का निर्धारण किया जाता है। इसलिए इस तरह का डिजाइन तैयार करते समय विशिष्ट लक्ष्यों, उपकरणों व प्रश्नों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसमें निबन्धात्मक प्रश्नों, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों व वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अलग-अलग उनके अंकों के साथ अवश्य दर्शाना चाहिए। इनके लिए इसमें संक्षेप शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे—निबन्धात्मक (E), लघु उत्तरात्मक (S) व वस्तुनिष्ठ (O) आदि। इसके साथ प्रश्नों को भी अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए, जैसे—वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न एक साथ और निबन्धात्मक व लघु उत्तरात्मक प्रश्न एक साथ इत्यादि।
7. **प्रश्नों को व्यवस्थित करना (Arranging the Questions) :** उपलब्धि परीक्षण की तैयारी करते समय प्रश्नों को सही तरीके से गठित एवं व्यवस्थित करने की काफी जरूरत होती है। सभी प्रकार के प्रश्नों (निबन्धात्मक, लघु उत्तरात्मक व वस्तुनिष्ठ) के लिए अलग-अलग भाग होना चाहिए तथा उनके लिए समय व अंकों को निर्धारण भी अलग-अलग किया जाना चाहिए। प्रश्न-पत्र का स्वरूप सरल से कठिन की ओर होना चाहिए अर्थात् पहले सरल प्रश्नों को रखा जाना चाहिए। बहु-विकल्पीय प्रश्नों के अन्य प्रश्नों की अपेक्षा ज्यादा स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और वस्तुपरक होते हैं।

8. **प्रश्न-पत्र तैयार करना (Preparation of Question Paper) :** उपरोक्त सोपान या चरण पूर्ण होने के बाद प्रश्नों को लिखा जाना चाहिए। इसमें यह ध्यान रखें कि जितने प्रश्न पूछे जाने हैं, उससे कुछ ज्यादा प्रश्न लिखे जाएं ताकि अंतिम रूप से प्रश्न-पत्र तैयार करते समय फालतू प्रश्नों को हटाया जा सके। बालकों के मानसिक, बौद्धिक व कक्षा-शिक्षण के स्तर के अनुरूप ही प्रश्न-पत्र को लिखा जाए। इसमें न बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न लिखे जाए और न ही बहुत आसान/प्रश्न-पत्र के कठिनाई स्तर को जांचने के लिए कक्षा-शिक्षण में इनका प्रयोग कुछ बालकों पर अनौपचारिक रूप से कर लेना चाहिए। इस तरह के अनौपचारिक प्रयोग से जो परिणाम मिले, उसी आधार पर प्रश्नों का कठिनाई स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए।
9. **अंकन तालिका तैयार करना (Prepapration of Scoring Key) :** उपलब्धि परीक्षणों में विश्वसनीयता, व्यापकता व वस्तुनिष्ठता लाने के लिए अंकन विधि को पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। सभी प्रकार के प्रश्नों (निबन्धात्मक, लघु उत्तरात्मक व वस्तुनिष्ठ) के अलग-अलग अंकन तालिका तैयार की जानी चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण मूल्यांकन में उपलब्धि परीक्षणों की विशेष उपयोगिता है। इससे कक्षा-स्तरीय व निश्चित अवधि में प्राप्त किए ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकता है। वास्तव में यह एक ऐसी मापन तकनीक या साधन है, जिसकी सहायता से संबंधित बालक की वर्तमान योग्यता का मापन इस आधार पर किया जा सकता है कि उसने कुछ समय के शिक्षण के बाद किसी विशिष्ट विषय या विषयों के समूह में कितनी और किस स्तर की योग्यता प्राप्त की है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

मूल्यांकन में नवीन उपागम : प्रश्न बैंक, खुली पुस्तक परीक्षा और ग्रेडिंग व क्रेडिट प्रणाली
(New Approaches of Evaluation : Question Bank, Open Book Examination and Grading or Credit System)

प्रश्न–बैंक
(Question Bank)

❑ **प्रश्न बैंक अवधारणा से आपका क्या अभिप्राय है? विस्तार से वर्णन करो।**
(What do you mean by concept of Question Bank? Describe in detail.)

उत्तर : आज जो परम्परागत परीक्षा प्रणाली अपनाई जा रही है, अब उसमें परिस्थितियों व अन्य कई तरह की चुनौती के कारण बदलाव की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इस परम्परागत प्रणाली में सुधार लाने के लिए समय-समय पर विविध प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। इन सुझावों के परिणामस्वरूप आज हमारे लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में भी कुछ बदलावों का समावेश करना जरूरी हो गया है। इस तरह के सुझावों ने अब धीरे-धीरे वास्तविकता प्राप्त कर ली है, अर्थात् मूल्यांकन प्रणाली में कुछ नए उपागम औपचारिक या अनौपचारिक रूप से शामिल कर लिए गए हैं। इस तरह का एक नया मूल्यांकन उपागम 'प्रश्न बैंक' है, जिसके विविध पहलुओं को यहां हम समझने का प्रयास करेंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं व समझ चुके हैं कि स्कूली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चार प्रमुख अवयव या स्तम्भ होते हैं—शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्य, पाठ्यक्रम या शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण अधिगम युक्तियां या विधियां तथा मूल्यांकन। शिक्षण अधिगम

सफलता के लिए इनके मध्य समावेश का होना बहुत आवश्यक होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक मूल्यांकन का होना बहुत जरूरी होता है। परीक्षा (लिखित, मौखिक, प्रायोगिक), साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन व निरीक्षण, रेटिंग स्केल व अभिवृत्ति मापनी कुछ ऐसी तकनीक व साधन हैं, जिनसे मूल्यांकन को सही दिशा प्रदान की जा सकती है।

मूल्यांकन करने के लिए चाहे किसी भी तकनीक, परीक्षण, विधि या परीक्षा का प्रयोग किया जाए, उसका आधार प्रश्न ही होते हैं। इन प्रश्नों का स्वरूप अलग-अलग (निबन्धात्मक, लघु उत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ) हो सकता परंतु उनका महत्त्व हर स्तर पर तथा प्रत्येक परिस्थिति में सदैव एक समान बना रहता है। बालकों के ज्ञान स्तर व समझ को जानने में प्रश्न हमारे लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। प्रश्नों के इस तरह के महत्त्व को देखते हुए ही मूल्यांकन के नए उपागम 'प्रश्न बैंक' को आज विशेष महत्त्व दिया जा रहा है।

अर्थ
(Meaning)

सामाजिक विज्ञान का विषय अपनी विषय-वस्तु की वजह से एक विस्तृत विषय है। इसलिए इस विषय के शिक्षक को मूल्यांकन विधियों के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके तहत सामाजिक शिक्षा अध्यापक को प्रश्न-पत्रों का एक विशाल जखीरा अपने पास रखना चाहिए। इसे आधुनिक भाषा में 'प्रश्न-बैंक' का नाम दिया जाता है। इस तरह के प्रश्न-बैंक में अध्यापक के पास अलग-अलग प्रकार के विभिन्न प्रश्न-पत्रों का एक पूरा सैट होना चाहिए, जिसे वह छात्रों की आवश्यकता के अनुसार जब चाहे प्रयोग में लाने में सक्षम हो। प्रश्न-पत्रों को बनाते अथवा तैयार करते समय उसे सदैव अच्छे प्रश्नों का ही चुनाव करना चाहिए।

जैसा कि 'प्रश्न-बैंक' के नाम से ही स्पष्ट है, यह एक तरह से प्रश्नों का 'कोषागार' है, जहां विभिन्न विषयों के मूल्यांकन संबंधी विविध प्रकार के प्रश्नों का अमूल्य संग्रह होता है। आज के दौर में 'कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर' से भी इस तरह के प्रश्नों की व्यवस्था की जा सकती है। अध्यापक के साथ-साथ बालक के स्वय-मूल्यांकन के लिए 'प्रश्न-बैंक' बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 'प्रश्न-बैंक' की देखरेख हमेशा अनुभवी, जानकार व विशेषज्ञ शिक्षक के हाथों में ही होनी चाहिए।

लाभ
(Advantages)

स्कूलों में 'प्रश्न-बैंक' की स्थापना से होने वाले लाभों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) इनके माध्यम से अध्यापक बालकों के निदानात्मक कार्य (Diagnostic Task) में मदद कर सकते हैं।

(ii) शिक्षक को पाठ-योजना तैयार करने के लिए उत्तम प्रश्नों की प्राप्ति हो सकती है, जिससे उसका समय बर्बाद नहीं होता।

(iii) अभ्यास कार्य (Drill work), पुनरावृत्ति का कार्य (Recapitulation Work) तथा गृहकार्य (Home Work) संबंधी शिक्षण क्रियाओं में अध्यापक तथा बालक दोनों की सहायता कर सकते हैं।

(iv) सभी तरह के प्रश्नों की उपलब्धता से बालकों के ज्ञान स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करवाने में सहायता मिलती है।

(v) बालकों की योग्यता के अनुसार शिक्षण कार्य करवाने में ये काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

(vi) अनुदेशन कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम व अनुदेशन प्रविधियों में समुचित सुधार लाने में ये प्रश्न-बैंक स्कूल प्रशासक तथा अध्यापक की काफी सहायता कर सकते हैं।

(vii) व्यवहार परिवर्तन व अपेक्षित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी इनकी उपयोगिता महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

(viii) उत्तर की जांच करने व अंक प्रदान करने में भी ये शिक्षक की काफी मदद करते हैं।

(ix) परीक्षाओं के कुशल-संचालन में भी इनकी भूमिका काफी विशेष होती है।

(x) शिक्षण-अधिगम के तीनों स्तरों (स्मृति, बोध व चिंतन) की प्राप्ति में भी ये प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं।

(xi) अधिगम उद्देश्यों के निर्धारण व क्रियान्वयन में भी ये प्रेरणादायक स्रोत के रूप में काम करते हैं।

सुझाव
(Suggestions)

इसमें कोई शक नहीं है कि स्कूल शिक्षण कार्य में 'प्रश्न-बैंक' व्यवस्था का अपना विशेष महत्त्व होता है, परंतु यदि इसका निर्माण, रख-रखाव व संचालन सही तरीके से न किया जाए तो ये लाभ के स्थान पर हानि ज्यादा पहुंचा सकते हैं। इसलिए अच्छे प्रश्नों से संबंधित विभिन्न सुझावों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

1. **उद्देश्य की प्राप्ति (Realization of Aim) :** प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनकी सहायता से शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस दृष्टि से शिक्षक का प्रश्न पूछने का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।

2. **भाषा (Language) :** प्रश्नों की भाषा सरल, शुद्ध तथा स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कक्षा के सभी बालक उन्हें सरलतापूर्वक समझ जाएं। इसलिए प्रश्नों में कठिन तथा अस्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को प्रश्न बनाते समय बालकों के बुद्धि स्तर एवं भाषा की सरलता तथा स्पष्टता को ध्यान में रखना चाहिए।

3. **नुकीले प्रश्न (Pointed Questions) :** प्रश्न इतने नुकीले तथा पैने होने चाहिए, कि सभी बालक उनका उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। इस दृष्टि से प्रश्न न तो बहुत सरल होने चाहिए और न ही बहुत कठिन, अपितु उनकी रचना बालकों की योग्यता तथा उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए।

4. **विचार उत्तेजक (Thought Provoking) :** प्रश्न विचार-उत्तेजक होने चाहिए जिससे बालकों की मानसिक क्रियाएं सचेत एवं जाग्रत् हो जाएं। दूसरे शब्दों में, प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि उनका उत्तर देने के लिए बालकों को अपनी स्मृति, विचार तथा तर्क आदि मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़े। यदि ऐसा नहीं होगा तो बालक प्रश्नों का उत्तर यान्त्रिक रूप में देते रहेंगे।

5. **संक्षिप्त एवं प्रत्यक्ष प्रश्न (Brief and Direct Questions) :** प्रश्न संक्षिप्त तथा विषय-सम्बन्धित होने चाहिएं। दूसरे शब्दों में, प्रश्न इतने सरल तथा छोटे होने चाहिए कि उनका उत्तर छोटे-छोटे वाक्यों में दिया जा सके। इसका यह लाभ होगा कि बालक ऐसे प्रश्नों को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे और उनका उत्तर सरलतापूर्वक दे सकेंगे।

6. **निश्चित उत्तर (Definite Answer) :** प्रश्नों का अर्थ निश्चित होना चाहिए, जिससे कक्षा के सभी बालक उनका ठीक-ठीक उत्तर दे सकें।

7. **अच्छा वितरण (Proper Distribution) :** प्रश्नों को पाठ के प्रत्येक भाग से पूछना चाहिए। किसी भाग से कम तथा किसी भाग से अधिक प्रश्नों का पूछना किसी भी दशा में अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही प्रश्नों को समझने तथा उनका उत्तर देने के लिये कक्षा के सभी बालकों को समान अवसर मिलने चाहिए। केवल एक अथवा दो बालकों से ही निरन्तर प्रश्नों के पूछने का फल यह होता है कि कक्षा के शेष बालक पाठ के विकास में सहयोग नहीं देते। वे क्रियाहीन बैठे रहते हैं जो उचित नहीं है।

8. **क्रमबद्धता (Systematic) :** प्रश्न श्रेणीबद्ध एवं क्रमिक होने चाहिए। इससे पाठ का स्वाभाविक विकास होता है।

9. **आकार तथा कठिनाई स्तर में विभिन्नता (Variety in Form and Difficulty Level) :**

GMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

प्रश्नों का आकार तथा कठिनाई स्तर विभिन्न प्रकार का होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो बालक हतोत्साहित हो जाएंगे और कक्षा में नीरसता छा जाएगी। अतः प्रश्नों की रचना में विभिन्नता होनी चाहिए।

बालकों का तत्काल तथा गुणवत्तापूर्वक मूल्यांकन करने में प्रश्न-बैंक रूपी सहायक सामग्री काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इससे बालकों से पूछे जाने वाले प्रश्न-पत्रों में नयापन भी आता है।

खुली पुस्तक परीक्षा (Open Book Examination)

❑ **खुली पुस्तक परीक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? संक्षेप में चर्चा कीजिए।**
(What do you mean by open book examination? Discuss in briefly.)

उत्तर : शिक्षा के आधुनिक दौर में परम्परागत शिक्षा प्रणाली कई मायनों में खरी उतरती दिखाई नहीं देती है। परम्परागत शिक्षा प्रणाली में कठोर परीक्षा प्रणाली को अच्छा समझा जाता था, परंतु अब क्योंकि सभी को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है, उसको रोचक बनाना जरूरी है, बच्चे को भय के माहौल से दूर रखना, स्वतंत्र चिंतन व स्वाध्याय को बढ़ावा देना तथा बाल केन्द्रित शिक्षा को बढ़ावा देना आदि की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। इस तरह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा विशेषज्ञों तथा मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह के सुझाव समय-समय पर दिए हैं। इनमें बच्चों को शारीरिक दंड न देना, उन्हें फेल न करना, अंकों या प्रतिशत में उनका मूल्यांकन न करना, पाठ्यक्रम के साथ सहगामी-क्रियाएं क्रियान्वित करना आदि प्रमुख हैं। परंतु परीक्षा प्रणाली के संबंध में **'खुली पुस्तक परीक्षा'** नाम का सुझाव शिक्षा की परीक्षा प्रणाली के लिए एक नया उपागम है। परीक्षा प्रणाली में इसकी उपयोगिता को लेकर अभी भी मतभेद देखने को मिलता है, परंतु मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इस उपागम का सावधानी व सर्तकता के साथ प्रयोग किया जाए तो यह निःसंदेह बालक के व्यवहार को चिंतनशील व तर्कशील बनाने में काफी मदद कर सकता है।

'खुली पुस्तक परीक्षा' के अर्थ को यदि हम सरल व स्पष्ट शब्दों में समझना चाहे तो यही कहा जा सकता है कि बालक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किसी भी पाठ्य-सामग्री या अन्य कोई सामग्री की मदद खुलकर ले सकता है। इसके पारिभाषिक अर्थ के विषय में कहा जा सकता है कि, **"यह वह परीक्षा है, जिसमें बालक परीक्षा के दौरान प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपनी सुविधानुसार पाठ्य-पुस्तकों, कक्षा में बनाए गए नोट्स व अन्य मान्यता प्राप्त सामग्री का प्रयोग करने के लिए विधिवत् व औपचारिक रूप से स्वतंत्र होता है।"** इस परीक्षा के उपरोक्त स्वरूप के कारण ही इसे 'खुली पुस्तक परीक्षा' का नाम दिया गया है।

आवश्यकता (Need) : अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह की परीक्षा प्रणाली की जरूरत क्यों महसूस की जाने लगी है या वे कौन-से कारण हैं, जिनके कारण स्वयं कुछ शिक्षाविद् तथा मनोवैज्ञानिक इसको बालक के लिए हानिकारक के स्थान पर लाभदायक मान रहे हैं। खुली पुस्तक परीक्षा की आवश्यकता को बल देने वाले कुछ कारक या तथ्य निम्न हैं—

(i) नकल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की परीक्षाओं की वकालत की जाती है। आज कठोर नियंत्रण के बाद भी नकल रहित परीक्षा करवाना एक चुनौती है। इसलिए परीक्षाओं को खुला कर देना चाहिए, जिससे बालक को नकल की जरूरत ही न पड़े। परीक्षा में उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए कि वह नकल करते हुए भी अपने चिंतन व विवेक का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, कोई प्रकरण देकर उसका सारांश पूछा जा सकता है। बालक को सारांश देने के लिए अपने चिंतन व विवेक का इस्तेमाल करना ही होगा। धीरे-धीरे उसकी नकल करने की प्रवृत्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी।

(ii) परम्परागत शिक्षा में नकल रोकने के लिए शिक्षक, अभिभावक तथा प्रशासन ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करता था, परंतु आज के युग में साधनों की पवित्रता की अपेक्षा लक्ष्य को ज्यादा महत्त्व दिया जाने लगा। कुछ लोग नकल करके सफल हो जाते हैं। ऐसे लोगों की सफलता ने शिक्षक, अभिभावक तथा प्रशासन को भ्रमित कर दिया है, जिसके कारण वे नकल रोकने के स्थान पर नकल को प्रोत्साहन देने लगे हैं। पुरानी कहावत है **'यदि बाड़ ही खेत को खाने लगे'** तो क्या बचाव किया जा सकता है। इस तरह के भ्रमित लोगों की सोच बदलने के लिए आवश्यक है कि परीक्षाओं को खुला रूप प्रदान किया जाए।

(iii) इन परीक्षाओं का समर्थन करने वाले विद्वान तर्क देते हैं कि यदि आप बालक से किसी चीज को छिपाकर रखोगे या जबरदस्ती उस चीज से उसको दूर रखने का प्रयास करोगे तो वह उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होगा तथा उसको प्राप्त करने के लिए अपना पूरा सामर्थ्य लगा देगा। यही आज के बालकों के साथ हो रहा है। वे नकल करने के लिए ही अपना सारा प्रयास करते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए परीक्षा को खुला रूप प्रदान किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक बालक मीठे के लिए जिद करता है तो उसको मना करने की अपेक्षा कुछ दिन लगातार मीठा देना चाहिए। कुछ दिन के बाद मीठे के प्रति उसकी चाहत स्वयं समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही परीक्षाओं के साथ भी किया जाना चाहिए।

(iv) आज की शिक्षा प्रक्रिया में रटने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। बालक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए संबंधित विषय-वस्तु को रटने के माध्यम से कंठस्थ करने का अथाह प्रयास करते हैं। ऐसा करके वे अच्छे अंक भी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उनमें स्वतंत्र चिंतन का अभाव सदैव बना रहता है। वे किताबी ज्ञान को रटकर 'किताब' बनकर ही रह जाते हैं। विशेषज्ञों ने अपने शोध कार्यों में पाया है कि सारी विषय-वस्तु कंठस्थ याद रखने वाले बच्चे अपने स्तर के अनुरूप पूछे गए सामान्य व्यावहारिक प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहे। इसलिए इनका तर्क है कि परीक्षाओं का स्वरूप खुला होना चाहिए ताकि बालक में रटने के स्थान पर चिंतनता का विकास हो।

(v) परीक्षा लेने की इस विधि का समर्थन करने वालों का मानना है कि यदि बालक में संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक क्रियाओं, चिंतन-मनन, विश्लेषण प्रक्रिया, समस्या समाधान कौशल और निष्कर्ष निकालने जैसी क्षमताओं का विकास करना है तो खुली पुस्तक परीक्षा को अवश्य ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

खुली पुस्तक परीक्षा की आलोचना (Criticism of Open Book Examination) : हम पहले ही कह चुके हैं कि इस परीक्षा प्रणाली के जहां पक्षधर हैं, वहां इससे ज्यादा इसके विरोधी हैं। इस परीक्षा प्रणाली के विरोध में इसके आलोचक मुख्य रूप से तीन तर्क देते हैं, जो निम्न हैं—

(i) इस तरह की परीक्षाओं से बालकों की पढ़ने में रुचि समाप्त हो जाएगी। जब उसे बिना पढ़े ही परीक्षा पास करने का अवसर मिलेगा तो वह व्यर्थ ही परिश्रम क्यों करेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी पैदल चलते व्यक्ति को आप अपने साधन (कार, जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि) में लिफ्ट देना चाहे तो वह क्यों पैदल चलेगा।

(ii) इस परीक्षा प्रणाली का विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि इसके कारण अध्यापक शिक्षण कार्य के प्रति लापरवाही करने लगेंगे। अथाह प्रयासों के बाद भी जब हम शिक्षकों को पूरी तरह कर्तव्यनिष्ठ बनाने में विफल रहे हैं तो खुली परीक्षा का आयोजन तो उनको बिल्कुल ही लापरवाह बना देगा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी मोटे व्यक्ति को यह कहें कि बिना किसी परिश्रम उसका मोटापा कम हो जाएगा, तो उसके लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जबकि सच्चाई यह है कि बिना परिश्रम दूर किया गया मोटापा किसी न किसी रूप में उसे अवश्य नुकसान पहुंचाएगा।

(iii) इस तरह की परीक्षाओं का विरोध करने वालों का तीसरा तर्क है कि इससे परीक्षाएं सिर्फ मजाक बनकर रह जाएंगी। शिक्षक व विद्यालय पूरी तरह से औचित्यविहीन हो जाएंगे। यह सिर्फ

CIMETRIX

मनोरंजन का माध्यम बनकर रह जाएंगी। बालक प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर इतना चिंतनशील नहीं होता है कि वह इन परीक्षाओं के वास्तविक उद्देश्य को समझ सके। उदाहरण के लिए, यदि आप स्कूली स्तर के किसी छात्र को यह विकल्प दें कि उसकी इच्छा है कि वह पढ़ना चाहे तो पढ़े या टी.वी. देखना चाहे तो टी.वी. देखे। स्वाभाविक है कि इस स्तर का बालक पढ़ने की उपयोगिता की अवहेलना करके टी.वी. देखने को ही प्राथमिकता देगा। भारत जैसे देश में तो इस तरह की परीक्षा शिक्षण को ओर भी ज्यादा हानि पहुंचा सकती है।

निष्कर्ष (Conclusion) : उपरोक्त अध्ययन के बाद कहा जा सकता है कि खुली पुस्तक परीक्षा की आलोचना जिन तर्कों के आधार पर की गई है, वे कमियां कम तथा भ्रान्तियां ज्यादा प्रतीत होती हैं। किसी भी चीज की सफलता के लिए सकारात्मक रवैया रखना बहुत आवश्यक होता है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नया आविष्कार हुआ, नई खोज हुई, नई वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, आदि की शुरू में जबरदस्त आलोचना हुई थी। शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा का जबरदस्त विरोध इसका सहज उदाहरण है। आज यह शिक्षण माध्यम शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं अपितु सम्पूर्ण व्यवस्थाओं का आधार बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि परीक्षा प्रणाली या मूल्यांकन में इस नवीन उपागम का प्रयोग निष्ठा, ईमानदारी व सावधानी के साथ किया जाए तो यह अवश्य ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो परीक्षा से डरकर स्कूलों को ही छोड़ जाते हैं। इसलिए इसके प्रति नकारात्मक सोच की अपेक्षा सकारात्मक सोच पर बल दिया जाना चाहिए।

ग्रेडिंग एवं क्रेडिट प्रणाली
(Grading and Credit System)

❑ **ग्रेडिंग एवं क्रेडिट प्रणाली की अवधारणा, गुण और सीमाओं का वर्णन करें।**
(Discuss the concept, merits and demerits of Grading and Credit System.)

उत्तर : हमारी परम्परागत शिक्षा प्रणाली में प्रश्न-पत्र बनाते समय उसके अंकों का भी निर्धारण कर दिया जाता है। शैक्षिक उपलब्धि को मापने का सबसे ज्यादा प्रचलित साधन प्रश्न-पत्रों पर आधारित परीक्षा प्रणाली है। प्रश्नों व अंकों के बीच सीधा संबंध होता है। परीक्षक उत्तर-पुस्तिकाएं जांचते समय निर्धारित अंकों के हिसाब से मूल्यांकन करता है। बालक को पास-फेल प्राप्तांक अंकों के आधार पर किया जाता है। कक्षा के प्रथम, द्वितीय अथवा अन्य कोई उपलब्धि मापने का सामान्य और प्रचलित तरीका परीक्षा में लिए गए अंक होते हैं। कुछ समय से अंकों पर आधारित इस व्यवस्था का विरोध दिखाई देने लगा। शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अंक आधारित परीक्षा प्रणाली ने बालक को मशीन बना दिया है। इसके अतिरिक्त इस अंक परीक्षा प्रणाली में एक अंक का भी इतना महत्त्व होता है कि इसके कारण कोई बालक फेल हो सकता है या पास हो सकता है। उदाहरण के लिए, पास होने के लिए यदि 100 अंकों में से 33 अंक लेने हैं तो जिस बालक के 32 अंक आए वह तो फेल माना जाएगा जबकि जिस बालक के 33 अंक आए वह पास माना जाएगा। एक अंक के अंतर के कारण एक बालक तो उसी कक्षा में एक साल और पढ़ेगा, जबकि 33 अंक वाला अगली कक्षा के योग्य माना जाएगा। एक अंक ने दोनों बालकों के शिक्षण जीवन को काफी प्रभावित किया। क्या उपरोक्त दोनों बालकों में इतना अंतर था, जितना परीक्षा परिणाम में देखा गया, शायद बिल्कुल नहीं। इसी तरह से एक अंक से प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले बालकों का निर्धारण किया जाता है। इसलिए आधुनिक दौर में कुछ शिक्षाशास्त्रियों ने यह सुझाव दिया है कि इस अंकों पर आधारित परीक्षा प्रणाली को समाप्त करके इसके स्थान पर ग्रेडिंग-क्रेडिट प्रणाली को लागू किया जाए।

I. ग्रेडिंग प्रणाली
(Grading System)

आज प्रमाणिक मूल्यांकन प्रणाली के साथ-साथ अंक मूल्यांकन के स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली (Grading

System) को स्वीकार किया गया है। अंक मूल्यांकन परीक्षा में एक से सौ तक अंकों का मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षक और विद्यार्थी दोनों को एक-एक अंक प्रमाणित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बालक एक-एक अंक के अंतर के कारण टेन्शन ले लेते हैं। परीक्षक भी एक-एक अंक का स्पष्टीकरण देने में प्रमाणिक उत्तर देने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों और परीक्षकों (अध्यापकों) की एक-एक अंक की चिंता को दूर करने के लिए अथवा विद्यार्थियों और अध्यापकों में प्राप्तांकों के कारण मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया जा रहा है। ग्रेडिंग प्रणाली को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है—

(i) 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्तांक विद्यार्थियों को एक ही स्तर में रखकर उनको सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखकर गेंड 'O' दिया जाए, जिसका अर्थ 'उत्कृष्ट' होता है।
(ii) 80 प्रतिशत से कम और 60 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को 'बहुत अच्छा' दर्जा देकर उन्हें +A दिया जाए।
(iii) 60 प्रतिशत से कम और 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को दर्जा 'अच्छा' देकर उन्हें ग्रेड 'A' दिया जाए।
(iv) 50 प्रतिशत से कम और 33 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 'सामान्य' का दर्जा देकर उन्हें 'B' ग्रेड दिया जाना चाहिए।
(v) 33 प्रतिशता से कम और 20 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को सामान्य से कम का दर्जा देकर 'c' ग्रेड दिया जाना चाहिए।
(vi) 20 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मंद बुद्धि (कमजोर होने) का दर्जा देकर उन्हें 'D' ग्रेड दिया जाना चाहिए।

इस तरह एक सौ अंकों का अंतर, स्पष्ट करने की अपेक्षा कुल छः श्रेणियों में बांटकर प्रामाणिक मूल्यांकन प्रक्रिया प्रणाली को प्रस्तुत किया गया, जो बहुत सरल, स्पष्ट, न्यायोचित तथा निष्पक्ष सिद्ध हो रही है।

लाभ (Advantages) : ग्रेडिंग परीक्षा प्रणाली के मुख्य लाभों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) इस प्रणाली से अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया को जांचने और सुधारने के लिए सुनहरा अवसर मिलता है।
(ii) इससे छात्रों को शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान हो जाता है।
(iii) अभिभावकों को इस तरह के मूल्यांकन से अपने बच्चों के विकास और सहभागी क्रियाओं का पता चलता है।
(iv) इस तरह के मूल्यांकन से अभिभावकों और समाज को संस्था की प्रगति और शैक्षिक गतिविधियों की पूरी जानकारी मिलती है।
(v) शिक्षण में रही त्रुटियों को इसकी सहायता से दूर किया जा सकता है।
(vi) अध्यापक विद्यार्थियों की रुचि और इच्छानुसार पाठ को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।
(vii) अध्यापक इससे विद्यार्थियों की समस्याओं और बाधाओं को दूर करके शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने का सफल प्रयास करता है।
(viii) अध्यापक स्वयं की त्रुटियों को परखकर उन्हें दूर करके कुशल अध्यापक बनने का प्रयास करता है।
(ix) इससे छात्रों और अध्यापकों में पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता आएगी।

II. क्रेडिट प्रणाली
(Credit System)

उपरोक्त प्रणाली (ग्रेडिंग) में हमने देखा कि 100 अंकों के समूह को 6 वर्गों (ग्रेड) में विभाजित करके बालक का मूल्यांकन 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा', 'अच्छा', 'सामान्य', 'सामान्य से कम' तथा 'कमजोर होने' आदि ग्रेडों में किया जाता है। 'क्रेडिट प्रणाली' के माध्यम से इन 'ग्रेडों' का मान निकाला जाता है। प्राप्त ज्ञान

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

को 'क्रेडिट मान' (Credit Point) कहा जाता है। क्रेडिट मान निकालने के लिए आमतौर पर 100 अंकों के समूह को 9 ग्रेडों में विभाजित किया जाता है। ग्रेडों की संख्या अलग भी हो सकती है। इस क्रेडिट प्रणाली से बालक के अधिगम स्तर को एक तरह से आंकड़ों में नापा जा सकता है। यह प्रणाली अंक निकालने की प्रतिशत प्रणाली से ज्यादा बेहतर तथा उपयोगी नजर आती है, क्योंकि बहुत नजदीक के बालकों को लगभग एक समान क्रेडिट मान दिया जाता है। इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है–

अंक विस्तार (Marks Range)	ग्रेड (Grade)	ग्रेड/क्रेडिटमान (Grade/Credit Point)
91-100	A_1	10.0
81-90	A_2	9.0
71-80	B_1	8.0
61-70	B_2	7.0
51-60	C_1	6.0
41-50	C_2	5.0
33-40	D	4.0
21-32	E_1	-
00-20	E_2	-

लाभ (Advantages) : क्रेडिट आधारित प्रणाली के मुख्य दोषों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) इससे परीक्षा प्रणाली में एकरूपता आती है।

(ii) इस प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षण-अधिगम के समस्त रूपों को शामिल किया जाता है। इसलिए यह प्रणाली परीक्षा में समग्रता लाने में सक्षम है।

(iii) यह क्रेडिट आधारित प्रणाली पूर्णरूप से विद्यार्थी केंद्रित किया है। इससे विद्यार्थियों से संबंधित प्रत्येक आवश्यकता के विषय में उनकी रुचियों तथा योग्यताओं के साथ-साथ पता चल जाता है।

(iv) क्रेडिट आधारित मूल्यांकन प्रणाली तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय तकनीक है।

(v) विद्यार्थी को अगली श्रेणी में केवल उस स्थिति में भेजा जाता है यदि वह अपनी कक्षा में कम से कम निर्धारित क्रेडिट प्राप्त कर लेता है।

(vi) यह प्रणाली दूसरी प्रणालियों से ज्यादा प्रमाणिक है।

(vii) जब यदि कोई विद्यार्थी किसी कोर्स में अच्छे क्रेडिट प्राप्त करता है तो यह उपलब्धि उसमें स्वतः ही प्रोत्साहन भर देता है।

दोष (Demerits) : क्रेडिट आधारित प्रणाली के मुख्य दोषों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है–

(i) यह काफी महंगी परीक्षा प्रणाली है।

(ii) इससे अध्यापकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

(iii) नई विधि होने के कारण इसे आत्मसात् करने में मुश्किल होती है।

(iv) इसकी सफलता में दृष्टिकोण बहुत महत्त्वपूर्ण होता है।

(v) इसमें अध्यापकों द्वारा पक्षपात करने की संभावना रहती है।

(vi) इससे उपहार प्रथा का जन्म जाता है।

(vii) इसके अधिगम शिक्षण के लिए समय की कमी भी एक बाधा है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA